औद्योगिक रुग्णता :
उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलासफी (डी० फिल०)
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध

निर्देशक :
डॉ० राधेश्याम सिंह
वरिष्ठ प्रवक्ता
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोधकर्ता :
आशीष कुमार शुक्ल
(एम० काम०)

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2002

प्राक्कथन

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के मेरूदण्ड होते है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी उपलब्धि, उदारीकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग मे औद्योगिक आधार देश की अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। सामाजिक, आर्थिक एव राजनैतिक दृष्टि से इन उद्योगो की महती भूमिका होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे उत्तर प्रदेश के उद्योगो का विशेष महत्व है, क्योकि आर्थिक विकास के संसाधनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ प्रदेशो मे से एक है। विगत वर्षो मे इस प्रदेश का कोई विशेष औद्योगिक आधार नही रहा है, परन्तु वर्तमान मे इसके विकास की सम्भावनाये बढती जा रही है। वर्ष 1991 से 2000 तक की अवधि मे उत्तर प्रदेश उन चार राज्यो मे से है, जहाँ कुल विदेशी निवेश का 52 प्रतिशत प्रस्ताव प्राप्त हुए है। प्रदेश मे उद्योगो के विकास के साथ ही उन्हे अनेक समस्याओ का सामना करना पड रहा है। इन समस्याओ के कारण उद्योगो मे रूग्ण होने की प्रवृत्ति निरन्तर बढती जा रही है, जो चिन्ताजनक है। औद्योगिक रूग्णता के प्रमुख कारणो मे कच्चे माल का अभाव, प्रबन्धकीय अकुशलता, पुरानी तकनीक का होना वित्त की कमी तथा आवश्यकता से अधिक कर्मचारियो का होना है।

इन पारम्परिक कारणो के अतिरिक्त वर्तमान वैश्वीकृत एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था से भारतीय उद्योग भी प्रभावित हुए है। अधिकांश उद्योगो में पुरानी मशीनें एवं तकनीक है। जहाँ से अचानक सरक्षण हटा लिया गया है। बहुराष्ट्रीय निगमो की खुली प्रतिस्पर्धा से भी भारतीय वृहद तथा लघु दोनो ही प्रकार के उद्योग प्रभावित हुए है। इसके अतिरिक्त वित्तीय सस्थाओ द्वारा रूग्ण औद्योगिक इकाइयो को अपर्याप्त मात्रा मे विलम्ब से वित्त प्रदान किया जाना भी एक कारण है। रूग्णता निवारण के लिए

राष्ट्रीय नीति का अभाव है। इन कारणो को दूर करने पर ही देश की औद्योगिक रूग्णता से मुक्ति सम्भव है। इसी विषय का अध्ययन, विवेचन और विश्लेषण प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का अध्ययन निम्न सात अध्यायों में किया गया है :

1. उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय
2. भारत का औद्योगिक विकास
3 उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास
4 औद्योगिक रूग्णता सकल्पना, कारण एव परिणाम
5. औद्योगिक रूग्णता के निदान मे वित्तीय सस्थाओ का योगदान
6. औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध मे सरकारी नीति
7. निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रथम अध्याय मे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय दिया गया है। जिसमे प्रदेश की सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, भौगोलिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्थितियो का उल्लेख है।

द्वितीय अध्याय भारत मे उद्योगो के विकास से सम्बन्धित है। इसमे भारत मे उद्योगो का इतिहास, समय–समय पर भारत सरकार द्वारा लागू की गयी औद्योगिक नीतियॉ तथा उद्योगो का पचवर्षीय योजना अवधि मे विकास आदि को सम्मिलित किया गया है।

तृतीय अध्याय मे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास का उल्लेख किया गया है। इसमे प्रदेश मे वृहद एवं मध्यम तथा लघु उद्योगो के पचवर्षीय योजनाओ तथा वार्षिक योजनाओ मे हुए विकास का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय मे औद्योगिक रूग्णता का आशय, व्याप्ति, कारण एव परिणाम का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत एव उत्तर प्रदेश की औद्योगिक रूग्णता का क्षेत्रवार तथा उद्योगवार विश्लेषण किया गया है।

पचम अध्याय मे औद्योगिक रूग्णता के निवारण मे विभिन्न भारतीय वित्तीय सस्थाओ द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख किया गया है। इन वित्तीय सस्थाओ मे भारतीय रिजर्व बैक, आई०डी०बी०आई० तथा औद्योगिक एव वित्तीय निर्माण बोर्ड द्वारा किए गए कार्यो का विशेष उल्लेख किया गया है।

षष्टम् अध्याय मे औद्योगिक रूग्णता निवारण मे भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अपनायी गयी नीतियो का अध्ययन किया गया है।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर सरकार द्वारा गठित समितियो का भी उल्लेख किया गया है।

सातवे एव अन्तिम अध्याय मे शोध प्रबन्ध से प्राप्त निष्कर्ष तथा रूग्णता के निवारण के लिए सुझाव दिए गए है।

साभार :

प्रस्तुत शोध को इस रूप मे पूरा करने मे सर्वप्रथम मै, आदरणीय गुरूवर **डा० राधेश्याम सिंह जी**, वरिष्ठ प्रवक्ता, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति आभारी हूॅ, जिन्होने मेरे शोध अध्ययन के प्रत्येक स्तर पर दिशा निर्देश, सहयोग और उत्साह प्रदान किया। वास्तव मे उनकी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप मै इस कार्य को पूर्ण कर सका, जिन्होने मेरे शोध प्रबन्ध को सागोपाग पढकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मै वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्रद्धेय गुरूवर **प्रो० कृष्णमूर्ति जी शर्मा** के प्रति भी आभारी हूॅ, जिन्होने शोध कार्य करने

का शुभ अवसर तथा समय–समय पर मुझे शोध कार्य को पूरा करने मे उत्साह प्रदान किया। वास्तव मे उन्हीं की कृपा से मुझे गुरूवर डा० राधेश्याम सिह जी मिले।

गुरू गोविन्द दोऊ खडे, का के लागौं पाँय।

मै वाणिज्य विभाग के अधिष्ठाता प्रो० पी०एन० मेहरोत्रा का आभारी हूँ जिनके आर्शिवाद से शोध कार्य पूरा कर सका हूँ। मै अपने गुरूजन वृन्द डा० रामेन्दु राय, डा० एस०ए० अन्सारी, डा० प्रदीप जैन, डा० जे०एन० मिश्रा तथा डा० अरूण कुमार का आभारी हूँ। जिन्होंने समय–समय पर शोध कार्य के सम्बन्ध मे बहुमूल्य सुझाव दिए।

मै अपने मित्र डा० श्यामकृष्ण पाण्डेय का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिन्होने कार्यभार से व्यस्त होते हुए भी अनेक प्रकार से सहायता की। मै अपने मित्रगण डा० जितेन्द्र नाथ द्विवेदी (सहायक विकास अधिकारी), प्रबल प्रताप सिह तोमर, राजेन्द्र मिश्र, डा० राजेश केसरी, अमित सिन्हा तथा रोहित सिह का आभारी हूँ, जिन्होने शोध कार्य के सदर्भ मे मेरी हर तरह से सहायता की।

मै विषय सामग्री को अद्यतन और बोधगम्य बनाने के लिए जिन विभिन्न प्रतिवेदनो, प्रत्रिकाओ और सदर्भ ग्रन्थो का प्रयोग किया गया है, उनके प्रकाशको के प्रति भी मै आभार ज्ञापित करना चाहूँगा।

मै अपने पूजनीय पिता जी **डा० श्याम नारायण शुक्ल,** (भूतपूर्व प्रवाचक, सी०एम०पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद) तथा पूजनीया माता जी **श्रीमती शशिप्रभा शुक्ला** के श्रीचरणो मे अपना कोटिश· प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनकी शुभाशसा और आर्शिवचन से ही मैं यह कार्य पूर्ण कर सका।

मेरे शोध कार्य मे सहयोग के लिए मैं अपने अनुज ऋषि कुमार शुक्ल को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होने इस भाग–दौड के कार्य में मेरी सहायता की।

मै अपनी पत्नी श्रीमती अर्चना शुक्ला को धन्यवाद देता हूँ जिन्होने शोध कार्य पूर्ण करने मे सहयोग किया।

अन्त मे मै इस शोध प्रबन्ध को इतने सुन्दर ढंग से तथा समय पर मुद्रित करने के लिए पिटमैन्स कम्प्यूटर सेण्टर, पुराना कटरा, इलाहाबाद को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्य मे राम प्रताप यादव और उनके अनुज शिव प्रसाद यादव का श्रम और सहयोग विशेष सराहनीय है, जिन्होने बडी चिन्ता एव लगन से इस शोध प्रबन्ध को समापित किया।

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

आशीष कुमार शुक्ल

दिनाक

(आशीष कुमार शुक्ल)

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्रम		पृष्ठ संख्या

अध्याय 1

उत्तर प्रदेश : एक परिचय

परिचय :

आज जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जा रहा है, वह युगो से इतिहास के खण्डन और मण्डन का परिणाम है। इसकी मिट्टी मे वे घटनाएँ और व्यक्ति पले और बढे है जिन्होने भारत के भाग्य का निर्माण किया है। इसमे नई सस्कृति, सभ्यता एव मानवता पनपी है। यही ऋषियो और मुनियो ने सघन जगलो एव कन्दराओ मे गहन तपस्या की थी। उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित वाणी आज करोडो भारतवासियो के जीवन नियम बन चुके है।

उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र गगा–यमुना नदियो के विशाल मैदान का मुख्य भाग है, जिसे कभी आर्यावर्त , कभी मध्य देश, तो कभी हिन्दुस्तान के नाम से जाना जाता रहा है। पौराणिक ग्रन्थो के अनुसार उत्तराचल के हरिद्वार के निकट स्थित कनखल मे ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मानव वश की शुरूआत की तथा वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने फैजाबाद के निकट स्थित अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इस वश मे आगे चलकर सगर, मान्धाता, दिलीप, रघु, दशरथ एवं राम जैसे महान राजा पैदा हुए। प्रयाग के निकट चन्द्र वश के पुरूरवा ने अपना राज्य स्थापित किया, पुरूरवा के द्वितीय पुत्र अमावसु ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और अमावसु के पुत्र नहुष ने प्रतिष्ठानपुर एव कन्नौज पर सयुक्त रूप से शासन किया। नहुष के पुत्र ययाति प्रदेश के ही नही बल्कि भारत के प्रथम चकवर्ती सम्राट कहलाये। ययाति के पॉच पुत्रो ने दक्षिण–पश्चिम तथा पूर्वी भारत मे अपने राज्यो का विस्तार किया। कुरू वश ने मेरठ के पास हस्तिनापुर, यदुवश ने मथुरा मे, गाधिवश ने कन्नौज मे, वत्सवश ने कौशाम्बी मे तथा क्षात्रवृद्ध ने वाराणसी मे अपनी राजधानी स्थापित की। कुरूवश के राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी वश ने बरेली के निकट अहिच्छत्रा मे पाचालो का राज्य कायम किया। पुरातत्व विभाग की नवीन खोजो ने हस्तिनापुर, कन्नौज, कौशाम्बी, मथुरा एव अहिच्छत्र के गौरवपूर्ण इतिहास की पुष्टि कर दी है।[1]

---

1. स्रोत उत्तर प्रदेश, डा० जैन एवं सोलकी, पृष्ठ 1

उत्तर प्रदेश के कई प्राचीन स्थलो का उत्खनन ब्रिटिश काल मे ही आरम्भ हो गया था। विभिन्न उत्खननो एव सर्वेक्षणो के आधार पर प्रागैतिहासिक काल मे कई सास्कृतिक क्षेत्र रहे है। सामान्य तौर पर पाषाण युगीन उपकरणो की बनावट, उनमे प्रयुक्त पत्थर और विभिन्न प्राचीन जमावो के अध्ययन के आधार पर तिथिबद्ध किया जाता है।

गगा घाटी मे अश्वपाद सदृश झीलो के किनारे तथा विध्य पर्वत पाद में की गयी पुरातात्विक खोजो से आदि मानव द्वारा अस्थाईवास के प्रारम्भ तथा जीवन के प्रति उसके विश्वासो पर भी प्रकाश पडा है। मैदान के अलावा लघु पाषाण उपकरण सस्कृतिकाल मे शैलाक्षय गुफाएँ भी आवासित हुए। इन गुफाओ मे अनेक भित्ति चित्र भी पाये गए है। कोल्डिहवा, मगहरा तथा पचोह के उत्खनन से धान की खेती, पशुपालन तथा चिकनी पाषाण कुल्हाडियो के निर्माण के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश मे प्रागैतिहासिक सम्पदा कई सस्कृतियो के सग का परिणाम है, जिससे उत्तर प्रदेश के सार्वभौम व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है तथा इसे यहॉ के धर्मो, सस्कृतियो तथा विभिन्न जातियो मे देखा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के पुरातत्व विभाग के उत्खननो मे प्राचीन काल मेविद्यमान पाषाण युगीन सस्कृति से लेकर ताम्रयुगीन, सिन्धु सभ्यताकालीन धूसर चित्रित मृदभाण्ड जैसी अनेक सस्कृतियो के अवशेष प्रकाश मे आये है। वास्तु एव कला के क्षेत्र मे मौर्यकालीन स्तूप, जैनो के स्तूप, बौद्ध बिहार, कुषाण सम्राटो, देवकुल तथा नागो के प्रसिद्ध मन्दिरो से प्राचीन काल की सभ्यता का आभास होता है।[2]

जब आर्य भारत मे आए तो उन्होने उत्तर प्रदेश को ही अपना कार्यस्थल बनाया। यही राम और कृष्ण की जन्म स्थली है। रामायण और महाभारत दोनो महाकाव्यो की रचना इसी धरती पर हुई। गीता के कर्मोपदेश, आज जो सम्पूर्ण भारत की धरोहर है, यही से पनपे। विश्व मे रामायण और महाभारत के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रन्थ नही, जिसने व्यक्ति, समाज और जीवन को इतना प्रभावित किया हो। ये ग्रन्थ हिन्दुओ के जीवंन, नैतिकता और दर्शन के आधार स्तम्भ है। इन्ही दो ग्रन्थो ने

---

2. स्रोत   उत्तर प्रदेश का इतिहास, डा० जैन एव सोलकी, पृष्ठ 3 - 4

भारतवासियो को जाति, भाषा और दूरियो को लॉघकर एक सूत्र मे बॉधा है।[3]

सम्पूर्ण राज्य मे ऐसे स्थल बिखरे पडे है, जो कि ऐतिहासिक घटनाओ से गुँथे हुए है और हिन्दू, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई सन्त पुरूषो से सम्बन्धित है। यहॉ के अनेक तीर्थ स्थान, पर्व और मेले समस्त भारतवासियो के आकर्षण का केन्द्र बन चुके है। ऐसा हजारो वर्षो से होता चला आ रहा है। प्रदेश मे स्थित गगा–यमुना दोआब ही राम कृष्ण की लीलाभूमि, भगवान बुद्ध तथा वर्द्धमान की कार्यस्थली रही है।

1 नवम्बर 1858 ई० को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथो मे आई। इसी वर्ष दिल्ली डिवीजन उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया तथा प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कर दी गयी। सन् 1877 मे उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी प्रदेश आगरा तथा अवध कहा जाने लगा। सन् 1902 में इसे आगरा तथा सयुक्त प्रान्त कहा जाने लगा। सन् 1921 मे एक गवर्नर की नियुक्ति हुई तथा इसकी राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी। सन् 1937 से इसको सक्षिप्त कर सयुक्त प्रान्त कहा जाने लगा। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 ई० से हुआ। स्ववत्र भारत का सविधान लागू होने पर उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक महत्वपूर्ण राज्य बना। सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों मे उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशो के आधार पर सयुक्त प्रान्त का नाम परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश रखा गया। 1 नवम्बर 1956 को यह वर्तमान रूप मे अस्तित्व मे आया। 9 नवम्बर 2000 ई० को उत्तराचल नामक राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ पर्वतीय भाग को लेकर अस्तित्व मे आया।

---

3. वही

भौगोलिक स्थिति :

उत्तर प्रदेश भारत के सीमान्त प्रदेशो मे से एक है। इसके उत्तर मे नेपाल व तिब्बत की सीमा है। इसके उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम मे उत्तराचल, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान है तथा दक्षिण मे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ एव पूर्व मे बिहार तथा झारखण्ड की सीमा इसे स्पर्श करती है। भौगोलिक दृष्टि से यह 77°-3' तथा 84°-39' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। इसका पूर्व – पश्चिम का विस्तार 650 कि०मी० है। उत्तर से दक्षिण तक यह 23°-52' तथा 30°-25' उत्तरी अक्षाशो के मध्य है तथा उत्तर से दक्षिण के मध्य इसका प्रसार 240 कि०मी० है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,36,286 वर्ग कि०मी० है।[4]

जलवायु :

उत्तर प्रदेश की जलवायु ऊष्ण कटिबन्धीय तथा मानसूनी है प्रदेश मे धरातलीय विषमताओ, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से ऊँचाई व स्थल की विशालता के कारण जलवायु मे अन्तर आ जाता है।। समान्यत उत्तर प्रदेश मे तीन ऋतुएँ होती है – 1. शीत ऋतु (नवम्बर से फरवरी तक) 2. ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक) 3. वर्षा ऋतु (मध्य जून से अक्टूबर तक)

उत्तर प्रदेश मे शीत ऋतु मे इसके दक्षिण पहाडी तथा पठारी भाग मे सर्वाधिक औसत तापमान 28.3° सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 13.3° सेल्सियस रहता है। प्रदेश के पर्वतीय व मैदानी भागो मे औसत तापमान सबसे कम 10° सेल्सियस रहता है। मध्य मैदानी क्षेत्र मे औसत तापमान 27.2° सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 11.7° सेल्सियस रहता है। शीतकालीन चक्रवातों द्वारा प्रदेश मे 7 - 10 से० मी० वर्षा होती है।

ग्रीष्म ऋतु से अधिकतम तापमान 36° सेल्सियस से 39° तथा न्यूनतम तापमान 21° से 23° सेल्सियस तक रहता है। कई नगरो का तापमान 40° सेल्सियस से 46° सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इनमे कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, उरई आदि प्रमुख है।

---

4. स्रोत . उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, 2000 पृष्ठ 1

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट रहने के कारण सर्वाधिक औसत तापमान बना रहता है। मई–जून मे यहॉ लू चलती है जो कभी–कभी समुद्री हवाओ के मिल जाने से 100 कि०मी० से 115 कि०मी० प्रतिघटा के तूफान को जन्म देती है गर्मी की वर्षा का औसत 10 से 25 से०मी० तक रहता है।[5]

प्रथम मानसूनी वर्षा जून के अन्तिम सप्ताह मे होती है। जुलाई तथा अगस्त मे सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा ऋतु मे प्रदेश मे औसत उच्च तापमान 32^0 सेल्सियस से 34^0 तक, औसत न्यूनतम तापमान 25^0 सेल्सियस तथा तापान्तर 7^0 सेल्सियस से 8^0 सल्सियस तक हो जाता है। उत्तर प्रदेश मे वर्षा मुख्यत बगाल की खाडी मानसून के हिमालय पर्वत के टकराने के परिणामस्वरूप होती है। प्रदेश मे वर्षा का वितरण असमान है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र मे औसत वर्षा 170 से०मी०, पूर्वी मैदानी क्षेत्र मे 112 से०मी०, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रो मे 94 से०मी०, पश्चिमी मैदानी क्षेत्रो मे 84 से०मी० तथा दक्षिणी पहाड़ी एव पठारी क्षेत्रो मे 91 से०मी० अकित की जाती है। इसका मुख्य कारण वर्षा का मानसून पर निर्भर होना है। उत्तर प्रदेश मे सम्पूर्ण वर्षा का 75% से 80% भाग वर्षा ऋतु मे बगाल की खाडी के मानसून से प्राप्त होता है। प्रदेश मे वर्षा का स्वरूप मुख्य रूप से मानसूनी है। परन्तु यह वर्षा पर्वतीय चक्रवातीय तथा सवहनीय रूप मे होती है।

नदियाँ, झीलें तथा बाँध :

उत्तर प्रदेश मे अनेक नदियॉ है जिनमे गगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चम्बल, सोन आदि प्रमुख है। प्रदेश के विभिन्न भागो मे प्रवाहित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थल भी भिन्न–भिन्न है।[6]

1. हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियॉ :

इनमे गंगा, यमुना, काली, शारदा तथा गण्डक आदि प्रमुख नदियॉ है। इन नदियो मे गगा नदी का उद्गम स्थल गगोत्री, यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री, काली शारदा का उद्गम स्थल पूर्वोत्तर कूमायॅु क्षेत्र का मिलाम हिमनद तथा

5. स्रोत . उत्तर प्रदेश की जलवायु, जैन एवं डा० सोलंकी 2000 पृष्ठ 28 - 30

6. स्रोत जैन एवं सोलंकी, उत्तर प्रदेश 2000 पृष्ठ 24

गण्डक महान हिमालय से निकलती है। राम गगा व आरती लघु हिमालय क्षेत्र से निकलती है।

2. गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियॉ :

इन नदियो मे गोमती, वरूणा, रिहन्द, पाण्डो, ईसन आदि प्रमुख है। इन नदियो का उद्‌गम स्थल झीले व अन्य दलीय क्षेत्र है।

3. दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियॉ :

इन नदियो मे चम्बल, बेतवा, सोन, रिहन्द तथा कन्हार आदि प्रमुख है। ये नदियॉ दक्षिण के पठारी क्षेत्र निकलती है तथा गगा या यमुना मे मिल जाती है।

उत्तर प्रदेश मे झीलो का अभाव है। झीलो का निर्माण भू–गर्भिक हलचलो, गर्तो के जल प्लावित होने से तथा नदियो के मोडो से होता है। प्रदेश मे मिर्जापुर की सण्डादरी झील, लखनऊ मे करेला, मोहना के समीप इतौजा, रायबरेली की भगेताल तथा विर्शया, प्रतापगढ की बेती तथा नैया, सुल्तानपुर की लोधीताल व भोजनपुर, रामपुर की मोती व गौर, उन्नाव की कुन्द्रासमुन्दर, कानपुर की बलहापारा, फतेहपुर की मुराय, वाराणसी की ऑधीताल तथ आगरा गी रूमझील आदि उल्लेखनीय है।

उत्तर प्रदेश मे कुल 8 बॉध है। इनमे सबसे बडा बॉध रिहन्द बॉध या गोविन्द बल्लभ पन्त बॉध है जिसकी कुल ऊॅचाई 93 मीटर है। यह मिर्जापुर का मेजा बॉध निर्माणाधीन है।

मिट्टियॉ :

मिट्टियॉ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असगठित पदार्थो की ऊपरी परत, जो चट्टानों के विखण्डन या वनस्पति के अवसादो के योग से बनती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियो को वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रो० वाडिया, कृष्णन् तथा मुखर्जी के अध्ययनो के आधार पर निम्न भागो मे बॉटा जा सकता है।[7]

---

7. स्रोत · उत्तर प्रदेश की मिट्टियॉ, उपकार प्रकाशन, 2000 पृष्ठ 32।

(1) गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियॉ :

प्रदेश के इस भाग मे जलोढ तथा कॉप मिट्टी पाई जाती है। जलोढ मिट्टी की नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर दो भागो मे बॉटा जा सकता है

(क) बॉगर मिट्टी :– यह मिट्टी उन ऊँचे मैदानी भागो मे पाई जाती है जहॉ नदियो की बाढ का जल नही पहुॅच पाता है। बॉगर मिट्टी क्षेत्र मे मिट्टियॉ परिपक्व तथा गहरी होती है। इन्हे दोमट, मटियार दोमट, उपरहार मिट्टी तथा भूढ आदि नामो से जाना जाता है।

(ख) खादर मिट्टी :– यह मिट्टी नदियो की बाढ के मैदान मे पाई जाती है। यह मिट्टी हल्के हरे रग की तथा बॉगर की अपेक्षा अधिक जल शक्ति धारण कर सकने की क्षमता वाली होती है। इसमे चूना, पोटाश, मैगनीशियम तथा जीवाशो की मात्रा अधिक होती है। इसकी उर्वरा शक्ति होती है, अत इसमे खाद देने की आवश्यकता नही होती है।

(2) दक्षिण के पठार की मिट्टियॉ :

यहॉ की मिट्टी को बुन्देलखण्डी मिट्टी कहते है, जिसमे अनेक भौतिक एव रासायनिक परिवर्तनो के कारण भिन्नता आ गयी है। अत भोण्टा, माड, कामड, पर्वा, राकड तथा रेगुर आदि नामो से जाना जाता है।

भोण्टा मिट्टी विन्ध्य पर्वतीय क्षेत्रो के अन्तर्गत टूटे–फूटे प्रस्तरो के रूप मे पाई जाती है। इसमें मोटे अनाज उगाए जाते है। माड मिट्टी काली मिट्टी के समान चिकनी होती है, जिसमे सिलीकेट, लोहा एव एल्युमिनियम होता है। इस मिट्टी मे कृषि कार्य दुर्लभ है। यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जिलो मे पायी जाती है। पडवा मिट्टी हल्के लाल रग की बलुई दोमट मिट्टी है जो हमीरपुर, जालौन तथा यमुना के बीहडों के ऊपरी भागो मे मिलती है। इसमे खाद व जल की सहायता से कृषि की जा सकती है। राकड मिट्टी सामान्यत पर्वतीय एव पठारी ढालो मे पायी जाती है। खाद के अधिक उपयोग से इसकी उर्वरा शक्ति मे वृद्धि की जा सकती है। लाल मिट्टी

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के मिर्जापुर व सोनभद्र जिलो मे पायी जाती है। इसमे नाइट्रोजन, जीवाश, फास्फोरस तथा चूने की मात्रा की कमी है। अत यहॉ गेहूँ, चना तथा दाले उगाई जाती है।

मृदा अपरदन :

जल के बहाव से अथवा वायु के वेग से अथवा हिमपात एव हिम पिघलने के फलस्वरूप एक स्थान विशेष की मिट्टी के अन्य स्थान पर चले जाने पर मृदा अपरदन कहा जाता है। प्रदेश के विभिन्न भागो मे परत अपरदन पाया जाता है। इसको रोकने के लिए प्रदेश के सभी भागो मे वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ उपयुक्त भूमि उपयोग, पर्वतीय क्षेत्र की सीढीदार खेती,बाढ वाली नदियो पर बॉध का निर्माण तथा पशुचारागाहो का निर्माण आदि किया जाना चाहिए।

वानिकी :

उत्तर प्रदेश के अधिकांश वन तराई तथा भावर क्षेत्र मे पाए जाते है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के 33 3% भूभाग पर वन होना चाहिए। वर्तमान मे प्रदेश मे वनो से लगभग 19259 वर्ग कि०मी० भूमि आच्छादित है। प्रदेश मे तीन प्रकार के वन पाए जाते है

(1) ऊष्णकटिबन्धीय नम पर्णपाती वन

प्रदेश की तराई व भावर क्षेत्रो मे जहॉ वर्षा का औसत 100 से 150 से०मी० है, नम पर्णपाती वन पाए जाते है। इसमे वृक्ष झाडियॉ, बॉस के झुरमुट, साल, बेर, गूलर, पलाश तथा महुआ आदि उल्लेखनीय है।

(2) ऊष्ण कटिबन्धीय शुष्क पर्णपाती वन

प्रदेश के पूर्व मध्य एव पश्चिमी मैदानो मे इन वनो का विस्तार है। प्रमुख वृक्षो मे साल, पलाश, अमलताश, बेल, अजीर आदि है। नदी के किनारे पर नीम, पीपल, शीशम, आम, महुआ तथा जामुन आदि उल्लेखनीय है।

(3) **ऊष्ण कटिबन्धीय कटीली झाडियॉं:**

प्रदेश के दक्षिणी भाग मे जहॉ वर्षा का औसत 50 से 75 से०मी० रहता है, कटीली झाडियॉ पाई जाती है। इन वनो मे कत्था, थार, नीम तथा अकेसिया आदि उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त वन क्षेत्र के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मे वन उगने की सीमा समुद्र तल से 3950 मीटर की ऊँचाई तक की है। एक आधिकारिक गणना के अनुसार राज्य मे 1000 प्रकार की लकडी के वृक्ष है, जिसमे 300 वृक्ष, 400 झाडियॉ तथा 100 काष्ठीय लताएँ है।

वन्य जीव परिरक्षण संगठन :

अपनी भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के कारण उत्तर प्रदेश जैव विविधता मे अत्यन्त समृद्ध तथा सम्पन्न है। उत्तर प्रदेश मे कुल 11 वन्य जीव विहार केन्द्र है, निमे चन्द्रप्रभा, किशपुर, कतर, रानीपुर, महावीर स्वामी, चम्बल तथा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार प्रमुख है। इसमे सबसे बडा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है जो मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद तथा मुजफ्फरनगर तक 2073 वर्ग कि०मी० मे विस्तृत है। उत्तर प्रदेश मे पक्षी विहार की संख्या 12 है जिसमे सुरहताल पक्षी विहार, जो बलिया मे है, 34 वर्ग कि०मी० मे फैला हुआ है, सबसे बडा है।[8]

वर्तमान मे प्रदेश मे कुल 17259 वर्ग कि०मी० वन मे एक राष्ट्रीय पार्क, 11 वन्य जीव विहार तथा 12 पक्षी विहार स्थापित है। राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी मे स्थित है जो 490 वर्ग कि०मी० मे विस्तृत है जिसका नाम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है।

जनसंख्या एवं क्षेत्रफल :

वर्ष 2001 की अनन्तिम जनगणना के ऑकडो के अनुसार देश के सबसे बडे जनसख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कुल जनसख्या 16,60,52,859 है, जो देश की जनसख्या का 16.17% है। 1991-2001 के दशक में प्रदेश की कुल जनसख्या मे

---

8. स्रोत : जैन एवं डा० सोलंकी, उत्तर प्रदेश के वन पशुपक्षी तथा पार्क, 2001 पृष्ठ 34।

3.40 करोड से भी अधिक की वृद्धि हुई है, जो कनाडा की कुल जनसख्या से अधिक है। 1991-2001 के दशक मे जनसख्या वृद्धि दर 25.55% से भी अधिक रही है।

17 मण्डल, 70 जिलो तथा 300 तहसीलो वाले 2,40,928 वर्ग कि०मी० क्षेत्र मे फैले उत्तर प्रदेश मे 2001 की जनगणना के अनुसार पुरूषो की सख्या 8,74,66,301 तथा महिलाओ की सख्या 7,85,86,558 रही है। इस प्रकार प्रति 1000 पुरूषो पर महिलाओ की सख्या प्रदेश मे 898 है जो 1991 मे 876 थी। प्रदेश मे यह लिग अनुपात 1901 मे 942, 1931 मे 903, 1971 मे 876 तथा 1981 मे 882 था। उत्तर प्रदेश मे प्रति हजारा पुरूषो पर महिलाओ की सर्वाधिक सख्या 1026 आजमगढ जिले मे थी तथा महिलाओ की न्यूनतम सख्या 838 शाहजहॉपुर मे पायी गयी है।

प्रदेश का जनसख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है जो 1991 मे 548 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० था। जनसख्या घनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश मे अग्रणी स्थान वाराणसी जिले का है। जहॉ 1995 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० मे निवास करते है तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर जिले का मात्र 194 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश मे सर्वाधिक जनसख्या वाले जिले के रूप मे इलाहाबाद 49,41,510 तथा न्यूनतम जनसख्या वाला जिला महोबा 7,08,831 रहा है। वर्तमान मे नगरो की कुल सख्या 631 हो गयी है जिसमे 38 नगर ऐसे है, जिनकी जनसंख्या 100,000 से अधिक है।[9] वर्ष 1901 मे नगरो की कुल जनसख्या पूरे प्रदेश की जनसख्या का 11.09% थी, जो 1991 तक 19 89% हो गयी है। यद्यपि प्रदेश मे नगर काफी सख्या में है, परन्तु जनसख्या को देखते हुए नगरीकरण की गति धीमी है।[10]

कृषि :

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एव सम्पन्नता का आधार रही है। यह प्रदेश देश का 18.6% खाद्यान्न उत्पादित करता है। आलू, गन्ना तथा तिलहन का देश मे सबसे बडा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। गेहूँ, चावल, जौ, चना तथा मक्का व बाजरा भी उत्तर प्रदेश मे बडे पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। कपास, अलसी, मूँगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसो तथा तम्बाकू प्रदेश की महत्वपूर्ण नकद फसले है। यह देश का प्रमुख अफीम उत्पादक राज्य है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 20% भाग उत्तर प्रदेश मे पडता है, जिससे प्रदेश के 78% व्यक्तियो का भरण–पोषण होता है। कृषि द्वारा राज्य की कुल आय का 68% भाग प्राप्त होता है तथा कुल भूमि के 88% भाग पर खाद्यान्न उत्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित क्रान्ति मे सफलता प्राप्त कर कृषि वैज्ञानिको को एक नयी दिशा प्रदान की है। यहॉ वर्ष भर मे रबी, खरीफ तथा जायद तीन फसले होती है। रबी मे गेहूँ, जौ, मटर तथा चना, खरीफ मे धान, ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना तथा जायद के अन्तर्गत तम्बाकू, खरबूज, ककडी, प्याज एव आलू आदि आते है। इनके अतिरिक्त केला, आम, अमरूद, नीबू, लीची आदि फल भी अच्छी मात्रा मे उत्पन्न होते है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उद्यान विकास कार्यक्रमो पर ध्यान दिया गया है। इससे फल, साग–सब्जियॉ आदि के उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1996-97 मे 423 78 लाख मीट्रिक टन था। किन्तु वर्ष 1997-98 मे यह 1.6% गिरकर 416.79 लाख मीट्रिक टन हो गया। 1999-2000 मे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन मे उत्तर प्रदेश का योगदान 21 7% था।[11]

---

11. शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं जनसंख्या प्रभाग (साख्यिकीय डायरी) लखनऊ - 2000 पृष्ठ 44।

सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ :

उत्तर प्रदश की भूमि उपजाऊ तथा जलवायु सयत है। यह प्रदेश खाद्यान्न मे आत्म निर्भर ही नही, बल्कि अन्य प्रदेशो को भी खाद्यान्न उपलब्ध करता है। उपज मे वृद्धि के लिए यहाँ सिचाई के अन्य साधनो की आवश्यकता है। यह कार्य कुएँ, नलकूप, तालाब, झील तथा नहरो आदि से किया जाता है।

प्रदेश मे बडी–बडी नदियो के होने के कारण नहरो से सिचाई होती है। पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी गगा नहर, चिली गगा नहर, शारदा, बेतवा, केन, धसान, घाघरा आदि नहरो से सिचाई की जाती है तथा ललितपुर, मोहदा, रानी लक्ष्मीबाई, अर्जुन, रगवा, नगवा, नौगढ आदि बॉधो से भी नहरे निकाली गयी है। नलकूपो द्वारा सिचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश मे ही पाया जाता है।

प्रदेश मे बाढ के कारण धन–जन हानि होती है। इसके लिए बाढ पूर्व सूचना सगठन के मण्डल कार्यालयो की स्थापना लखनऊ, झॉसी आदि मण्डलो मे की गयी है। मानसून की अनिश्चितता के कारण बहुउद्देशीय परियोजना को महत्व दिया गया है जिनमे शारदा नहर परियोजना, रिहन्द घाटी परियोजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाये है। इनके अतिरिक्त ओबरा जल विद्युत केन्द्र, माताटीला बॉध, हरदुआगज ताप विद्युत गृह आदि की स्थापना की गयी है। इनके अतिरिक्त खेदडी विद्युत केन्द्र, परीक्षा विद्युत केन्द्र, विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, टाण्डा, ऊँचाहार, दोहरीघाट, मुरादनगर, कोटेश्वर, वदरपुर आदि परियोजनाओ का निर्माण हुआ। रामगगा, शारदा, गोविन्द बल्लभसागर, राजघाट, नरौरा, गण्डक, सिगरौली आदि मे भी परियोजनाओ के माध्यम से सिचाई विद्युत तथा ताप के कार्य किए जाते हैं।

ग्राम्य विकास :

ग्राम्य विकास कार्यक्रमो का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाकर प्रदेश के निर्धन परिवारो का आर्थिक एव सामाजिक विकास करना है। इसके लिए कृषि, सहकारिता, पशुपालन उद्योग, पचायत, लघु सिचाई, युवा कल्याण, प्रादेशिक

विकास दर, भू–गर्भ जल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय बचत, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, निर्बल वर्ग विकास, क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण पेयजल, महिलाओ व बच्चो का उत्थान तथा जवाहर रोजगार योजना आदि कार्यक्रमो का सचालन किया जाता है। इसके लिए एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ट्राइसम योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना, विशेष पुष्टाहार योजना, इन्दिरा आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना, पशु विकास योजना, रेशम विकास योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए है। इनके अतिरिक्त राज्य मे अन्य नवीन योजनाओ एव परियोजनाओ की स्थापना की गयी है। जैसे मेट्रोरेल सेवा योजना, विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना, टिहरी बॉध योजना, टर्म लोन योजना, नलकूप योजना तथा छात्रवृत्ति योजना आदि उल्लेखनीय है।

शिक्षा

यद्यपि उत्तर प्रदेश राष्ट्र का सर्वाधिक जनसख्या वाला राज्य है, किन्तु साक्षरता की दृष्टि से इसका 31वॉ स्थान है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की अनुमानित साक्षरता 41.60% थी, जिसमे पुरूष 55.73% तथा स्त्री 25 1% साक्षर थे। प्रदेश मे सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून 69 5% तथा न्यूनतम साक्षर जिला बहराइच 24.39% पाए गए। 1976 के सशोधन के माध्यम से तकनीकी, डाक्टरी तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का दायित्व केन्द्र तथा राज्य सरकार को सौपा गया है।[12]

देश की भॉति प्रदेश मे भी जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, वह अधिकाशत कोठारी आयोग की सस्तुतियो पर आधारित है। विशिष्ट शैक्षिक उत्तरदायित्वो को उठाने के लिए केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद् जैसे स्वायत्त सगठनों की स्थापना की है। प्रदेश मे 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा का ढॉचा मौजूद है तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पहुँचने के पूर्व 2 वर्ष की शिक्षा का प्राविधान है। सम्पूर्ण देश मे उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहॉ

12. प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, साख्यिकी डायरी, अर्थ एवं जनसंख्या विभाग लखनऊ - 2002

सर्वाधिक मात्रा मे शिक्षण सस्थाये है। 1999-2000 मे उत्तर प्रदेश मे 27 विश्वविद्यालय, 676 महाविद्यालय, 8549 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 21,678 सीनियर बेसिक स्कूल, 96,764 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 45 नर्सरी स्कूल थे जिनमे विद्यार्थियो की सख्या क्रमश 1 91 लाख, 9.96 लाख, 57 96 लाख, 31,82 लाख, 1 34 करोड तथा 12,000 थी।[13]

वर्तमान मे प्रदेश मे 9 मेडिकल कालेज, 9 आयुर्वेदिक कालेज तथा 3 यूनानी कालेज है। एक आयुर्वेदिक विभाग बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का अग है। इस क्षेत्र मे 246 होम्योपैथिक औषधालय कार्य कर रहे है, जिनमे 15 आशासकीय है। प्रदेश मे महिला महाविद्यालयो की सख्या 95 है। सेन्ट्रल काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के भारतीय औषधियो के लिए निम्न शोध केन्द्र राज्य मे खोले है

1 फैमिली प्लानिग रिसर्च इकाई, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।

2. इफेक्ट ऑफ आरोग्यवर्धनी, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।

3 ड्रग कम्पोजिट रिसर्च यूनिट, स्टेट आयुर्वेरिक कालेज, लखनऊ।

4 लिटरेरी रिसर्च यूनिट, आयुर्वेदिक विभाग, सस्कृत महाविद्यालय।

प्रदेश मे प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र मे 1990-2000 मे 12 इजीनियरिंग कालेज है। इसमे 2 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा 95 डिप्लोमा स्तरीय सस्थाये है। इजीनियरिंग कालेज मे विद्यार्थियो की प्रवेश क्षमता 2422 तथा डिप्लोमा सस्थाओ मे 9040 है।[14]

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उच्च शिक्षा का सचालन किया जाता है। विश्वविद्यालयो के रजिस्ट्रार, असिस्टेट रजिस्ट्रार की सेवाओ का केन्द्रीयकरण कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक है। कुलपति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है तथा अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोरखुर विश्वविद्यालयो मे प्रति कुलपति की भी व्यवस्था है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद देश की सबसे बडी परीक्षा लेने वाली सस्था है। सामाजिक तथा आर्थिक कारणो से बहुत से बालक अपनी प्राइमरी पढाई पूरी नही कर पाते है। ऐसे 11-14 वर्ष तक के बच्चो के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना फरवरी, 1975 से प्रारम्भ की गयी है। माध्यमिक स्तर के शिक्षको को प्रशिक्षित करने के लिए 5 राजकीय तथा 7 अशासकीय एल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इनमे से 2 महिलाओ के लिए है जो इलाहाबाद मे है।

उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि प्रदेश मे शिक्षा की पर्याप्त प्रगति हुई है।

प्रसिद्ध नगर, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल :

उत्तर प्रदेश धार्मिक एव प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थानो के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थान निम्नलिखित है आगरा मे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, सारनाथ, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ, मिर्जापुर, कन्नौज, फर्रूखाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, हापुड, अयोध्या, बिठूर, बहराइच, बरसाना, बागरमऊ, देवीपाटन, गढमुक्तेश्वर, गोलागोकर्णनाथ, मगहर, नैमिषारण्य, शाकम्भरीदेवी, प्रयाग, श्रृगीरामपुरम्, झॉसी, श्रृगवेरपुरम्, श्रावस्ती, विन्ध्याचल, वृन्दावन, शूकरक्षेत्र आदि है। प्रदेश मे पर्यटन विकास के लिए भारत सरकार ने 3 यात्री परिपथो का निर्माण किया है, जिनके अन्तर्गत बौद्ध तीर्थ, वन्य जीव पर्यटन स्थल तथा टैकिग स्थल आते है। इनके विकास के लिए पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 मे की गयी है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।

संस्थागत वित्त :

31 मार्च 2000 को भारत मे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक कार्यालयो की सख्या 65521 थी, जिनमे प्रदेश में 8905 बैक कार्यालय थे। प्रति बैक कार्यालय पर भारत मे 1500 व्यक्ति तथा प्रदेश मे 19000 व्यक्ति थे।[15] मार्च 2000 को प्रदेश मे अनुसूचित व्यवसायिक बैको द्वारा 2253842 करोड रूपये ऋण तथा 81960 32 करोड रूपये जमा राशि थी। इस प्रकार प्रदेश मे ऋण जमा अनुपात 27 50 था।[16] 1999-2000 को प्रदेश मे कुल जमा धनराशि 981829 लाख रूपये थी तथा निष्कासित धनराशि 484756 लाख रूपये थी। इस प्रकार शुद्ध जमा धनराशि 497073 लाख रूपये थी। इसी अवधि में प्रदेश मे कुल 20233 डाकघर थे, जिनमे से 2160 नगरीय तथा 18073 ग्रामीण क्षेत्र में थे।

सहकारिता :

सहकारी आन्दोलन एक ऐसा सगठन है जो समस्याओ का सामूहिक एव प्रभावशाली समाधान करता है सर्वप्रथम कृषि ऋण सहकारी समितियो का गठन प्रदेश मे हुआ, जिनसे किसानो तथा ग्रामीण उपभोक्ताओ को बीज, खाद, ऋण तथा कीटनाशक दवाइयो की आपूर्ति की जाती है। इन समितियो द्वारा लघु बैंक रूप मे कृषको को ऋण भी प्रदान किया जाता है इन समितियो मे शीर्ष एव केन्द्रीय समितियो, सहकारी बैक, नगरीय बैक, यू०पी० को–आपरेटिव फेडरेशन तथा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैक का गठन किया गया है। इनमे वित्तीय आधार को सुदृढ बनाने के लिए ऋण की वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा सम्बन्धित शाखाओ की ऋण क्षमता प्रतिबन्धित कर दी जाती है। 1999-2000 मे एक उत्तर प्रदेश सरकारी बैक, 4 प्रारम्भिक भूमि बॅधक बैक तथा 60 केन्द्रीय जिला सहकारी बैक थे।[17] 1999-2000 मे 15908 प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियॉ थी।[18] इसी अवधि मे प्रदेश मे सहकारी आवास समितियो की सख्या 2547 थी।[19]

श्रम एवं रोजगार :

प्रदेश मे बढती हुई जनसख्या को अनुकूल रोजगार प्रदान करने हेतु श्रम एव रोजगार विभाग की स्थापना की गयी है। 1937 के पूर्व प्रदेश मे औद्योगिक विवादो की रोकथाम तथा निपटारे के लिए पृथक राजकीय सगठन नही था। अत कानपुर मे प्रथम बार श्रम कल्याण केन्द्रो की स्थापना की गयी। वर्तमान मे इनकी सख्या 80 से अधिक है। इन केन्द्रो द्वारा मद्यनिषेध, छुआछूत निवारण, राष्ट्रीय एकता, सहकारिता तथा परिवार कल्याण के कार्य किए जाते है। श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। श्रम संघो का निर्माण, वृद्धावस्था पेशन योजना, बधक श्रमिक प्रथा की समाप्ति, श्रमिको के लिए आवास, श्रम अधिनियम तथा औद्योगिक विवाद एव सेवायोजन आदि के कार्य किए जाते है।

---

17. निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश

18. दुग्ध आयुक्त,उत्तर प्रदेश

31 मार्च, 1999 को प्रदेश मे 2065000 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त था, जिनमे 21 1% केन्द्र सरकार, 36 8% राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी कार्यालयो मे तथा 6.7% व्यक्ति निकायो मे कार्यरत थे।[20]

यातायात एवं संचार :

उत्तर प्रदेश मे परिवहन के मुख्य साधनो मे सडक, रेल, वायु तथा जल परिवहन आते है। यहॉ से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित है

1 दिल्ली – मथुरा – आगरा – कानपुर – इलाहाबाद – वाराणसी – कलकत्ता

2 आगरा – ग्वालियर – इन्दौर – नासिक – मुम्बई

3 वाराणसी – मगवाना – रीवॉ – कन्याकुमारी

4. आगरा – जयपुर – बीकानेर

5 दिल्ली – बरेली – लखनऊ

6. लखनऊ – कानपुर, – झॉसी – शिवपुरी

7 झॉसी – लखनादेव

8 इलाहाबाद – मॅगवाना

9. बरौनी – मुजफ्फरनगर – पिपरा – गोरखपुर – लखनऊ

10. गोरखपुर – गाजीपुर – वाराणसी

11. लखनऊ – वाराणसी

परिवहन विकास के साथ–साथ उत्तर प्रदेश मे सचार साधनो का भी तीव्र गति से विकास हुआ है, जिनमे डाक तथा दूरभाष सेवाऍ मुख्य है। नवी पचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के अन्त तक प्रदेश मे पक्की सडको की कुल लम्बाई 97219 कि०मी० थी,

---

20. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, साख्यिकीय डायरी - 2000, पृष्ठ 186, अर्थ एव सख्या प्रभाग, लखनऊ

जिसमे 3083 कि०मी० (3 2%) राष्ट्रीय मार्ग, 9444 कि०मी० (9 7%) राज्य मार्ग तथा 84692 कि०मी० (87.1%) अन्य जिला मार्ग थे। प्रदेशवासियो को सस्ती एव सुगम परिवहन सुविधाये उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र मे "उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम" की स्थापना की गयी है। निगम द्वारा 1998-99 मे औसत परिचालित बसो की सख्या 7159 थी। परिचालित मार्गो की कुल लम्बाई 203 कि०मी० थी। प्रदेश के मार्गो पर चलने वाली राष्ट्रीय तथा निजी क्षेत्रो की कुल गाडियो की सख्या वर्ष 1997-98 मे 3782000 थी जो 6 7% बढकर वर्ष 1998-99 मे 4035000 हो गयी। वर्ष 1997-99 की अवधि मे कार के अश 4.8% से 5.2%, टैक्सी मे 2% से 2.3%, तथा अन्य गाडियो मे 3.4% से 3 5% की वृद्धि हुई है। वही मोटर साइकिल मे 72.3% से 72%, बस मे 1% से 0 9%, ट्रक मे 2.7% से 2 4% तथा ट्रैक्टर मे 13 8% से 13.7% की गिरावट आयी है।[21]

---

21. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, 1999 - 2000 पृष्ठ 22 - 25, अर्थ एव सख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश

उद्योग :

उत्तर प्रदेश मे खनिजो का अभाव है, अत यहॉ खनिजो पर आधारित उद्योगो का विकास नही हो सका है। कृषि आधारित तथा अन्य उद्योगो का समुचित विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यो मे से एक है। हथकरघा उद्योग यहॉ का सबसे बडा उद्योग है। यहॉ सूती व ऊनी कपडा, चमडा और जूता, शराब, कागज रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा कॉच का सामान बनाने के उद्योग उन्नत दशा मे है।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख ओद्योगिक नगरो मे कानपुर का नाम अग्रणी है। अन्य औद्योगिक नगरो मे आगरा, अलीगढ, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, मोदीनगर, वाराणसी तथा बरेली है। प्रदेश मे 1999-2000 मे औद्योगिक उत्पादक सूचकाक 1999-94=100 के आधार पर खाद्य निर्माण मे 113 30 पेय तम्बाकू एव तम्बाकू उत्पाद मे 126.27 सूती कपडा 54 87, रसायन (पेट्रो एव कोयले के अतिरिक्त) 256.37, मूल एव मिश्रित धातु उद्योग 235.68, यातायात उपकरण एव पुर्जे 151.67, तथा अन्य विनिर्माण सूचकाक 170 41 रहा है। प्रदेश मे 1999-2000 मे 91 औद्योगिक स्थान, 1060 शेड जिनमे 1051 आबटित तथा 699 कार्यरत थे तथा 3861 प्लाट थे।[22]

1999-2000 मे वृहद उद्योगो को 334 आशय पत्र जारी किए गए, जिनमे 19200 करोड रूपये की पूॅजी थी तथा 96184 व्यक्तियो को रोजगार मिलना था, जिसका कार्यान्वयन क्रमश 422638 करोड रूपये तथा 17351 व्यक्ति था। 31 मार्च 2000 को प्रदेश में निबन्धित लघु औद्योगिक इकाइयों की सख्या 4,05,158 थी, जिनमे कुल पूॅजी विनियोजन 4001 करोड रूपये तथा 6572 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त था। इन इकाईयों का कुल उत्पादन 1374 करोड रूपयो का था।[23]

भारत मे, उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन मे प्रथम स्थान है। प्रदेश मे चीनी की कार्यरत कुल मिलो की सख्या 109 थी। जिनकी रजिस्टर्ड पेराई क्षमता 388588 मीट्रिक टन थी। जबकि पेरे गए गन्ने की मात्रा 4875.10 लाख कुन्तल थी। इससे

---

22. उद्योग निदेशालय, सांख्यिकीय डायरी 2000 नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ 192
23. चीनी आयुक्त, सांख्यिकीय डायरी - 2000 नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

उत्पादित चीनी की मात्रा 455 63 लाख कुन्तल थी।[24] चीनी की मिले मुख्यत गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहॉपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, बस्ती तथा बरेली मे है। गुड उत्पादन मे उत्तर प्रदेश का स्थान मुख्य है। सीतापुर, बरेली, मेरठ तथा मुजफ्फनगर गुड बनाने के प्रमुख केन्द्र है।

वस्त्र उद्योग मे सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की तृतीय स्थान है। यहॉ सूती वस की 60 मिले है जिनमे 14 मिले कानपुर मे है, जो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहलाता है। इसके अतिरिक्त मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, हरदोई, हाथरस, अलीगढ, सहारनपुर, बदायूँ, इलाहाबाद, वाराणसी, मऊ, मिर्जापुर आदि प्रमुख है। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम द्वारा प्रदेश मे 13 कताई मिलो का सचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कताई सघ द्वारा 11 कताई मिलो का सचालन किया जा रहा है। दरी निर्माण करने के प्रमुख केन्द्रो मिर्जापुर, मुरादाबाद इटावा, सीतापुर, बरेली, आगरा तथा अलीगढ आदि है। गलीचो के उत्पादन मे आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, तथा मिर्जापुर का प्रमुख स्थान है। कानपुर तथा मिर्जापुर मे ऊनी कपडो की मिले है। कानपुर का लाल इमली कारखाना भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है। रेशमी वस्त्र उद्योग वाराणसी तथा इटावा मे केन्द्रित है।

इनके अतिरिक्त ऊनी व रेशमी वस्त्र, जूट, कागज, कॉच, एल्युमिनियम, वनस्पति घी, दियासलाई, चमडा, इजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक्स, साइकिल, कृषियत्र, सीमेण्ट, साबुन, स्प्रिट एव शराब, रासायनिक खाद आदि के उद्योग उत्तर प्रदेश मे पाए जाते है। लघु एव कुटीर उद्योगो मे हथकरघा, लकडी व फर्नीचर पीतल व अन्य धातु आदि के उद्योग भी उत्तर प्रदेश मे बडी मात्रा मे स्थापित किए गए है। इनके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान भी उत्तर प्रदेश मे स्थापित किए गए है, जिनमे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री, वाराणसी, उर्वरक कारखाना, गोरखपुर तथा इलाहाबाद, सिगरौली कोयला खान, मार्डन बेकरीज कानपुर, बी०पी०सी०एल० तथा आई०टी०आई० इलाहाबाद एव रायबरेली, टी०एस०एल० नैनी, एच०ए०एल० कानपुर, अपट्रान, स्कूटर इण्डिया लि०, लखनऊ, सीमेण्ट कारखाना चुर्क व डाला आदि मुख्य है।

---

24. उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, डा० सोलंकी एव जैन पृष्ठ 84

शासन व्यवस्था :

उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक प्रमुख इकाई राज्य है। भारतीय सविधान मे इकाई राज्यो के लिए जो व्यवस्था की गयी है, उत्तर प्रदेश इसका अपवाद नही है। प्रदेश मे ससदीय शासन प्रणाली है। शासन के तीन प्रमुख अग है जो निम्न है

1. कार्यपालिका :

प्रदेश का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 5 वर्ष या उसके प्रसाद–पर्यन्त तक के लिए की जाती है। राज्यपाल मत्रिमण्डल के परामर्श से तथा स्वविवेकानुसार कार्य करता है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति मुख्यमत्री के नेतृत्व मे मत्रिमण्डल मे निहित होती है। राज्यपाल विधानसभा मे बहुमत दल के नेता को मुख्यमत्री तथा मुख्यमत्री के परामर्श से अन्य मत्रियो की नियुक्ति करता है मुख्यमत्री सहित सम्पूर्ण मत्रिमण्डल के सदस्यो को विधान सभा या विधान परिषद् दोनो मे से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मत्रिमण्डल का कार्य राज्य की नीतियो का निर्धारण, राज्य कार्यपालिका पर नियत्रण तथा विविध विभागो के मध्य समन्वय स्थापित करना है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष एक मत्री अथवा राज्य मत्री होता है। ये विधान सभा के प्रति सामूहिक एव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते है।

विभागाध्यक्ष (मत्री या राज्य मत्री)

सचिव या अतिरिक्त या सयुक्त सचिव

उप–सचिव (सम्भाग)

अपर सचिव (उप–सम्भाग)

सेक्शन अधिकारी (सेक्शन)

असिस्टेट

अपर डिवीजन क्लर्क

लोवर डिवीजन क्लर्क

यह सभी पदाधिकारी पद सोपान प्रक्रिया मे सगठित रहते है। प्रत्येक सम्भाग मे एक इन्स्पेक्टर जनरल होता है। राज्य सत्ता सम्भागो मे विभक्त है। सम्भाग प्रमुख को आयुक्त तथा जिले का अधिकारी जिलाधिकारी होता है। अन्य पदाधिकारी जैसे ए०डी०एम० आदि इसकी सहायता के लिए होते है।

2. व्यवस्थापिका :

उत्तर प्रदेश मे इसके दो सदन है। विधान सभा एव विधान परिषद्। इनके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। प्रत्येक निर्वाचन से एक सदस्य बहुमत के आधार पर चुना जाता है। बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। इसमे प्रत्याशी को न्यूनतम 25 तथा मतदाता को 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। इसमे 403 सदस्य होते है।

विधान परिषद् मे 99 सदस्य है। 1/3 सदस्य विधानसभा से, 1/3 स्थानीय सस्था से, 1/12 तीन वर्ष के अध्यापन अनुभव से, 1/12 तीन वर्ष के स्नातको से चुने जाते है तथा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है।

3. न्यायपालिका :

न्याय व्यवस्था के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे है तथा एक खण्डपीठ लखनऊ मे भी है। उच्च न्यायालय की अधीनता मे जिला न्यायालय व अन्य न्यायालय है। न्यायिक सेवा को 2 भागो मे बॉटा गया है

1. उत्तर प्रदेश सिविल (न्यायिक) सर्विस
2. हायर जुडिसियल सर्विस।

सिविल सर्विस मे मुसिफ तथा सिविल जज एव हायर सर्विस मे सिविल तथा सेशन जज आते हैं। जिले का न्याय जिला न्याधीश द्वारा होता है।

पचायत राज्य अधिनियम के अन्तर्गत न्याय पचायतो को गठन किया गया है। इनका कार्यक्षेत्र सिविल है। कुछ मामलो मे 500 रूपये तक के वादो की भी सुनवाई होती है तथा फौजदारी के छोटे मामलो को भी निपटाती है। यह कारावास तथा दण्ड नही दे सकती बल्कि 100 रूपये तक का जुर्माना कर सकती है। [25]

लोकायुक्त :

इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश विशम्भर दयाल को इस पद पर 14 सितम्बर 1977 को नियुक्त किया गया। यह प्रदेश के मत्रियो विधानमण्डल सदस्यो, शासन के अधिकारियो की जॉच करता है। जिला परिषदो, नगरपालिकाओ आदि के अधिकारी भी इसकी जॉच सीमा मे आते है। न्यायालय महालेखाकार, लोकसेवा आयोग, ग्राम प्रधान, राज्यपाल तथा सचिवालय के कर्मचारी मुख्यमत्री को इसकी कार्यपरिधि से मुक्त रखा गया है।

स्वतत्रता के पश्चात जन साधारण को न्याय सुलभ कराने के लिए न्याय पचायतो को महत्व दिया गया जिसका उल्लेख सविधान के 40 वे अनुच्छेद तथा पचायत राज्य अधिनियम मे है। न्याय मे अधिक समय तथा धन लगने के उपाय के रूप मे लोक अदालतों की स्थापना की गयी है। इनमे दीवानी, फौजदारी, चकबन्दी, राजस्व तथा विवाह आदि मामलो पर विचार किया जाता है तथा अधिक धन का व्यय नही होता है।

---

25. भारत का संविधान, एस०एन० श्रीवास्तव

शोध के उद्देश्य :-

प्रस्तुत शोध विषय मे निम्न उद्देश्यो को ध्यान मे रखा गया है

1 भारत तथा उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक रूग्णता की स्थिति, व्याप्ति तथा कारण को स्थापित करना।

2. औद्योगिक रूग्णता के निवारण मे वित्तीय सस्थाओ के योगदान की समीक्षा करना।

3 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक, औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैक के रूग्णता निवारण मे योगदान का अध्ययन करना।

4. औद्योगिक रूग्णता को दूर करने मे सरकारी नीतियो तथा गठित समितियो का मूल्याकन करना।

5. भारत तथा उत्तर प्रदेश के योजनाकाल मे औद्योगिक विकास का अध्ययन करना।

6. औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के लिए कुछ उपायो तथा सुझावो को प्रस्तुत करना।

शोध की परिकल्पनायें :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे निम्न परिकल्पना की गयी है

1. भारत तथा उत्तर प्रदेश मे पचवर्षीय योजनावधि मे उद्योगो का निरन्तर विकास हुआ है।
2. औद्योगिक रूग्णता मे निरन्तर वृद्धि हुई है।
3. वित्तीय सस्थानो द्वारा औद्योगिक रूग्णता के निवारण मे योगदान के बावजूद असतोषजनक स्थिति विद्यमान है।
4 सरकारी नियमो के परिणामस्वरूप रूग्णता की स्थिति मे आशाजनक सुधार नही हुआ है।

शोध का कार्यक्षेत्र :

उत्तर प्रदेश की औद्योगिक रूग्णता सम्बन्धी अध्ययन के लिए मुख्यत प्राथमिक तथा द्वितीयक ऑकडे, अवलोकन, साक्षात्कार तथा पुस्तकालय पद्धति का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक ऑकडे विभिन्न सस्थाओ से प्रकाशित बुलेटिनो, पत्रिकाओ यथा रिजर्व बैक आफ इण्डिया, योजना भवन लखनऊ, गोविन्द बल्लभ पत सस्थान इलाहाबाद, गॉधी भवन इलाहाबाद तथा उद्योग निदेशालय के विभिन्न कार्यालयो से प्राप्त किया गया है।

शोध की सीमा :

वर्तमान अध्ययन मुख्यत द्वितीयक समको पर आधारित है, अतएव गौण समक आधारित शोध की समस्त सीमाऍ इस शोध प्रबन्ध मे भी विद्यमान है।

अध्याय 2

भारत में औद्योगिक विकास

भूमिका :

भारत मे जीवन का एक बुनियादी तथ्य है – गरीबी। वैसे कुछ और भी समस्याएँ है, जो इससे भी जटिल तथा वास्तविकतापूर्ण है तथा जिसे निश्चय ही समृद्ध वर्ग को भी सामना करना पडता है। गरीबी मनुष्य के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाती है तथा उसके व्यक्तित्व के विकास मे बाधा पहुँचती है। अत हमारी सभी आर्थिक गतिविधियो का औचित्य गरीबी दूर करने के प्रयासो मे है, जिसमे हमारे उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। आज विश्व के देश औद्योगिक विकास के तत्पर है, क्योकि औद्योगीकरण को राष्ट्र विशेष की भौतिक उन्नति के रूप मे माना जाता है। [1] औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विकासशील देश अपने औद्योगिक ढॉचे की कमियो को दूर करते है। इसीलिए पडित जवाहर लाल नेहरू ने संसद मे कहा था कि "किसी देश की वास्तविक उन्नति उसके औद्योगीकरण पर निर्भर करती है।" औद्योगीकरण के बारे मे पी कॉगचॉग ने कहा कि "यह वह प्रक्रिया है, जिसमे उत्पादन कार्य मे परिवर्तन होते है। इसके साथ–साथ आधारभूत परिवर्तन भी शामिल होते है, जिसमे औद्योगिक उपकरण का यत्रीकरण, नवीन उद्योग का निर्माण आदि शामिल होते है। इस प्रकार औद्योगीकरण एक ऐसी विधि है, जिसमे पूँजी की व्यापकता होती है।"

भारत में उद्योगो का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि सिन्धु सभ्यता के समय उद्योगो का प्रचलन हो चुका था क्योकि उस समय के कपड़ो के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि कपडा ही प्रमुख उद्योग था। रँगाई करना, चाक पर मिट्टी के वर्तन बनाना, खिलौने बनाना, आभूषणो एव गुरियो का निर्माण करना आदि सिन्धु घाटी के लोगो का प्रमुख उद्योग था। [2]

इसी प्रकार वैदिक युग के आते ही बढई, लकडी के सभी प्रकार की वस्तुओ, विशेषकर रथ गाड़ियो का निर्माण करता था। इस काल मे कपडा उद्योग अत्यधिक विकसित अवस्था मे था क्योकि गान्धार प्रदेश अपने चिकने ऊन के लिए विश्वविख्यात था। वैदिक काल में सूत, रेशम तथा ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। इस काल मे चर्म उद्योग के होने का भी पता चलता है क्योकि बैल आदि पशुओ के चमडे से कोडे, लगाम, डोरी, थैले आदि बनाए जाते थे। जैसे–जैसे समय बीतता गया, सभ्यता का विकास होता गया। व्यक्तियो की आवश्यकताएँ तथा इच्छाएँ बढी, श्रमिक उनकी मॉग

---

1. उद्योग व्यापार पत्रिका अगस्त, 2001
2. प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, के०सी० श्रीवास्वत, पृ० 34

के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। सडको तथा अन्य सुविधाओ का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप थोडी मात्रा मे विशिष्टीकरण को भी महत्व दिया जाने लगा।

समय बीतने के साथ–साथ मनुष्य के सभ्य होने से उद्योगो के विकास मे काफी मदद मिली। इसका उल्लेख मेहरौली मे स्थापित लौह स्तम्भ मे देखा जा सकता है। जातक ग्रन्थो से पता चलता है कि मौर्य काल मे 18 प्रकार की श्रेणियो का उल्लेख मिलता है। श्रेणी, उद्योग की समस्याओ को कहा जाता था। मौर्य काल मे उद्योग काफी विकसित अवस्था मे था। बढईगीरी एक प्रमुख व्यवसाय था। कुम्भहार की खुदाई मे 7 बडे एव आश्चर्यजनक ढग से निर्मित लकडी के चश्तरे प्राप्त हुए है। मौर्यो के समय पाषाण तराशने की कला भी अपने चरम स्तर पर थी।[3]

भारत मे समय–समय पर आक्रमण होते रहे, जिससे भारत मे रहने वाले तथा आक्रमणकारियो के आपस मे सम्पर्क मे आने से एक–दूसरे की सभ्यता को अपनाने लगे। सभ्यता एव सस्कृतियो मे परिवर्तन के तारतम्य मे उद्योगो मे भी परिवर्तन होने लगे। 1367 ई० मे विजय नगर व बहमनी शासकों के मध्य युद्ध मे पहली बार तोपो के प्रयोग होने का प्रमाण मिलता है, जिसका असली प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध मे किया था।

मुगलो के आने से भारतीयो पर कई क्षेत्रो मे प्रभाव पडा, जिनमे हिन्दुओ एव मुसलमानो ने एक दूसरे की सभ्यता, सस्कृति तथा जीवनशैली अपनायी। मुगल काल मे विभिन्न उद्योग धन्धो का भी विकास हुआ। अधिकतर उद्योग व्यक्तिगत प्रयासो से चलते थे। इस काल मे राजकीय नियत्रण मे अनेक कारखाने स्थापित किए गए थे। सूत्री वस्त्रों का पारू तथा जौनपुर प्रमुख केन्द्र थे। ढाका मे एक विशेष प्रकार का मलमल तैयार किया जाता था। आइने अकबरी के अनुसार हर गॉव आत्मनिर्भर था। गॉव मे माली, बढई आदि मे आराम एव विलासिता की वस्तुओ की मॉग बढती गयी, जिनकी पूर्ति लघु उद्योगों द्वारा की जाती थी। यह लघु उद्योगो का स्वर्णिम काल था।

आइने अकबरी के अनुसार आगरा व फतेहपुर सीकरी सिल्क उद्योग तथा शाल आदि के लिए प्रसिद्ध था। बनारस, पटना आदि स्थानो पर बुनाई का कार्य होता था। अकबर के समय मे उद्योगो को अधिक सरक्षण प्राप्त हुआ। अकबर अपने कारखानो मे

---

3 प्राचीन भारत का इतिहास - विमल चन्द्र पाण्डेय, पृ० 45

विभिन्न देशो के कुशल कारीगरो की भर्ती तथा स्थानीय लोगो को प्रशिक्षित करवाता था। इसका उल्लेख आइने अकबरी मे भी मिलता है। यहॉ के लिए शाहजहॉ ने भी उद्योगो को सरक्षण दिया। जहॉगीर के समय अनूठी वस्तुओ का बनाने तथा कारीगरो को पारितोषिक दिए जाने के विषय मे प्रमाण मिलता है, जिसने 100 तोले के उल्का पत्थर तथा सामान्य कॉसे के मिश्रण से उस्ताद दाउद की तलवार, एक छूरी तथा एक चाकू बनवाया था। शाहजहॉ के समय मे कश्मीर तथा लाहौर मे कालीन उद्योग विश्वप्रसिद्ध था। 100 रूपये प्रति गज के हिसाब से बनने वाले ऊनी कालीन टाट प्रतीत होते थे। औरगजेब मछली पट्टनम से कुशल कारीगरो को जबरदस्ती आगरा एव दिल्ली मे बुलवाता था। मनूकी के अनुसार "मुगल काल मे बादशाह तथा शहजादे इनमे से प्रत्येक प्रान्त मे अपने करिन्दे रखते थे, जिनका कार्य विभिन्न स्थानो से सर्वोत्तम वस्तुऍ लाकर उन्हे सौपना था।" अकबर के समय मे दीवान–ए–वयूतात को सम्पूर्ण भारत का दायित्व सौपा गया, जिसे आगे चलकर मीर–ए–सामान कहा जाने लगा। सोने तथा चॉदी के सामान, तॉबे के पात्र, कपडा तथा कालीन उद्योग तथा हाथी दॉत के काम मे मुगल उद्योग की मिसाल नही मिलती है।

17 वी शताब्दी के अन्त तक शाही कारखानो की सख्या 69 थी। शोरा उद्योग, जिसका उपयोग बारूद बनाने मे होता था, अत्यन्त विकसित अवस्था मे था। इसका निर्माण बिहार मे होता था। चीनी एव खॉडसरी उद्योग बगाल, बिहार तथा पजाब मे थे। धातु उद्योग (वस्त्र एव अस्त्र–शस्त्र) एव नौका तथा जहाज बनाने के उद्योग उन्नत अवस्था मे थे। पजाव मे लोहे के अस्त्र तथा सोमनाथ मे अच्छी किस्म की तलवारे तैयार की जाती थी। इन बडे उद्योगो के अतिरिक्त लघु उद्योगो मे हाथी दॉत का काम, लकडी का सामान, धातु एव मिट्टी की मूर्तियॉ, कागज, कॉच, चमडा, सुगन्धित इत्र, पत्थर तराशना, आभूषण बनाने का काम बडे पैमाने पर होता था।[4]

औद्योगीकरण की प्रक्रिया केवल निर्माण उद्योगो की स्थापना तक ही सीमित नही है। वरन् इसके द्वारा किसी देश के सम्पूर्ण आर्थिक कलेवर को परिवर्तित किया जाता है। औद्योगीकरण के अन्तर्गत कृषि के औद्योगीकरण को शामिल किया जाता है। वास्तव में, औद्योगीकरण को सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था से पृथक नही किया जा सकता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक एव तीब्र गति होने से अन्य क्षेत्रो – जैसे यातातात

4. मध्यकालीन भारत का इतिहास , हरिश्चन्द्र वर्मा, पृ० 410

एव सचार साधनो, वित्त प्रबन्ध, तकनीक, प्रशासन आदि क्षेत्रो मे प्रगति करना आवश्यक होता है। आज सर्वत्र औद्योगीकरण का बोलबाला है। परन्तु, इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि औद्योगीकरण का जन्म 18 वी शताब्दी के मध्य मे इग्लैण्ड मे हुई औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् परिवर्तन आया। 1701 मे टल नामक व्यक्ति ने एक वायुयन्त्र "ड्रिल मशीन" का निर्माण किया। इसके पश्चात् जर्मनी मे रसायन शास्त्रियो ने रासायनिक खाद का अविष्कार किया। ओद्योगीकरण का सबसे अधिक प्रभाव वस्त्र उद्योग मे पडा, जिसमे सबसे पहले 1733 मे जान के०डे० ने "फलाइग शटल" का आविष्कार किया। इसी प्रकार 1764 जेम्स ने "स्पिनिग जेनी" चर्खा, 1807 मे राबर्टफुल ने वाष्पचालित नौका, 1814 मे जार्ज स्टीफेन्सन ने वाष्पचालित रेल का आविष्कार किया। जिसके फलस्वरूप मैनचेस्टर तथा लीबरपूल के मध्य 1930 मे प्रथम रेलगाडी चली। [5]

इस प्रकार औद्योगीकरण की सफलता काफी सीमा तक कृषि के विकास पर निर्भर करती है। अत तीव्र आर्थिक विकास के लिए कृषि के विकास को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि कृषि का विकास तथा औद्योगीकरण दो विरोधी होकर भी परस्पर पूरक है। यूजीन स्टैनले के अनुसार "कृषि की उत्पादकता मे वृद्धि किए बिना औद्योगिक विकास सम्भव नही है तथा औद्योगीकरण के आभाव मे कृषि का विकास एक मिथ्या सत्य है।" कृषि विकास एव औद्योगीकरण मे घनिष्ठ सम्बन्ध पर सयुक्त राष्ट्र सघ की विकास नियोजन समिति 1974 ने लिखा है कि "औद्योगीकरण को मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न भागो में निर्धनो के जीवनस्तर तथा कार्य की दशा मे सुधार करने वाले साधन के रूप मे देखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगीकरण को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रो–विशेषत कृषि के साथ घनिष्ठता से अन्तर्सम्बन्धित करना होगा।"

इसी प्रकार प० नेहरू ने कहा था, "बिना कृषि विकास के औद्योगिक प्रगति नही की जा सकती है क्योकि दोनो क्षेत्रो को एक दूसरे से पृथक नही किया जा सकता है। भारत इस तथ्य को जानता है। इसलिए आर्थिक नियोजन की व्यवस्था मे दोनो को सतुलित स्थान दिया गया है।"

---

5. आधुनिक भारत का इतिहास, रमेश चन्द्र मजूमदार, हेम चन्द्र राय चौधरी तथा काली किकत दत्त, पृ० 135

भारत मे आधुनिक उद्यागो का विकास 1850 ई० के बाद प्रारम्भ हुआ। यह कार्य दो रूपो मे हुआ। बागान उद्योगो का स्वामित्व एव नियत्रण ईस्ट इडिया कम्पनी के पास था। अग्रेजों ने नील, चाय तथा काफी के बागान मे रूचि ली। चूँकि इसमे किए गए निवेश से आसानी से अधिक लाभ प्राप्त जाता था। 19 वी शताब्दी के मध्य तक अग्रेजो ने भारतीय कारखाना उद्योग मे कोई दिलचस्पी नही दिखाई। 1833 के अधिनियम से व्यापार पर कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 19 वी शताब्दी तक बडे उद्योगो की स्थापना के कार्य मे आने वाली सारी बाधाये समाप्त हो गयी थी।[6]

कारखाना उद्योग की वास्तविक प्रगति 1875 मे हुई। इसके पश्चात् सूती एव जूट उद्योग की विशेष उन्नति हुई। न्यायाधीश रानाडे के अनुसार "1875 मे इन उद्योगो की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, लेकिन 19 वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे सम्पूर्ण भारत मे औद्योगिक प्रगति हुई। 20 वी शताब्दी के प्रारम्भ मे खनिज तथा लघु उद्योगो की प्रगति हुई। लेकिन कुछ वर्षो के पश्चात् छोटी–छोटी मशीनो का प्रयोग होने लगा।" भारत मे धीरे–धीरे नगरो का विकास हुआ, जिससे उद्योगो को प्रोत्साहन मिला। बम्बई तथा अहमदाबाद मे सूती वस्त्र उद्योग, कानपुर मे ऊनी तथा चमडा उद्योग, हुगली मे जूट उद्योग की स्थापना हुई।

लार्ड डलहौजी के समय मे औद्योगीकरण मे काफी प्रगति हुई। परन्तु, 1857 के स्वतत्रता सग्राम के समय औद्योगीकरण के विकास में अवरोध उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात् आर्थिक परिस्थितियॉ दिनोदिन बिगडती गयी, जिससे लघु उद्योग की दशा और भी दयनीय हो गयी। सूती वस्त्र उद्योग का बुरा हाल था। आयातित समान पर कर हटा देने से विदेशो से आयातित कपडे सस्ते हो गए और भारतीय वस्त्र उद्योग बन्द होने लगे। 1881 मे प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया, जिसमे कार्य के घण्टे, आयु तथा मजदूरी की दर निर्धारित की गयी। परन्तु लघु उद्योगो को छोड दिया गया।

19 वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे भारतीय राष्ट्रीय राजनीति मे गॉधी जी के पदार्पण के साथ देश के विकास के लिए लघु उद्योगो की स्थापना पर अधिक बल दिया गया। गॉधी जी ने असहयोग आन्दोलन चलाया, जिसमे उन्होने विदेशी वस्तुओ का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी वस्तुओ को अपनाने पर जोर दिया। उस समय देश मे उद्योगो की स्थापना के लिए होड मच गयी तथा अगले 2 वर्षो मे अनेक उद्योग स्थापित हुए। इसी

---

6 स्रोत - स्वतत्रता संघर्ष - विपिन चन्द्रा, पृ० 215

समय प्रथम विश्व युद्ध छिड जाने के कारण उद्योगो का तीव्र गति से विकास हुआ। 1930 की विश्वव्यापी मन्दी के समय उद्योगो की स्थिति पुन खराब हो गयी। इसके बाद 1935 का अधिनियम आया तथा 1937 मे चुनाव हुए, जिसमे अनेक राज्यो काग्रेस की सरकार बनी, जिससे उद्योगो की प्रगति हुई तथा अनेक समितियो का गठन किया गया। [7]

भारत मे उद्योगो को समुचित प्रोत्साहन दूसरे विश्व युद्ध के आरम्भ से हुआ। जिसमे औद्योगिक वस्तुओ की मॉग बढने लगी एव अनेक उद्योग स्थापित हुए तथा उद्योगो की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि हो गयी। इस काल मे बडे पैमाने पर आधुनिक यत्रो तथा मशीनो के उत्पादन के लिए नए उद्योगो को अधिक से अधिक धन उपलब्ध करया गया। 1945 मे देश मे उद्योगो की सख्या बढकर 14859 हो गयी, जिनकी प्रदत्त पूँजी 384 करोड रूपये थी जबकि 1939 मे इनकी सख्या 11114 तथा प्रदत्त पूँजी 290 करोड रूपये थी।

भारत को स्वतत्रता लम्बे सघर्ष के बाद मिली। परन्तु यह स्वतत्रता राजनैतिक थी। भारत आर्थिक रूप से स्वतत्र नही हो पाया क्योकि अग्रेजो द्वारा अनेक कम्पनियॉ स्थापित की गयी थी। चाय बागान एव जमीने खरीदी गयी थी, जिनका सम्पूर्ण लाभ इग्लैण्ड जाता था। 1950 मे योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसका कार्य देश की पूँजी, श्रम तथा अन्य संसाधनो को ध्यान मे रखते हुए योजना का निर्माण करना था। भारत एक विकासशील देश है, जिसकी 70 प्रतिशत जनता गॉवो मे निवास करती है तथा कृषि पर निर्भर है। इसलिए जो भी योजनाऍ बनायी जाती थी, उनमे गॉवो के विकास को ध्यान मे रखा जाता था। इसके पश्चात् 1951 मे प्रथम पचवर्षीय योजना लागू हुई। इस योजना मे उद्योगो के साथ–साथ कृषि पर अधिक बल दिया गया। दूसरी पचवर्षीय योजना पूर्णत. उद्योगो को ही ध्यान मे रखकर बनाई गयी, जो पी०सी० महालनवीस माडल पर आधारित थी। अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाऍ पूर्ण हो चुकी है। सभी योजनाओ में उद्योगो पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। 90 के दशक से आर्थिक उदारीकरण तथा बहुराष्ट्रीयकरण का युग प्रारम्भ हुआ। इसके पश्चात् 1995 मे विश्व व्यापार सगठन की स्थापना के बाद से उद्योगो की स्थापना मे तेजी आयी है। जब से भारत सरकार द्वारा विदेशियो को भारतीय उद्योगो मे पूँजी निवेश करने की छूट प्रदान

---

7 भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रा एव पुरी, पृ० 381

कर दी गयी है। तब से उद्योगो मे बाढ सी आ गयी है। उदारीकरण के इस दौर मे कुछ उद्योगो को छोडकर सभी उद्योगो को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिकांश उद्योगो को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, जिसमे विदेशी पूँजी भी लगाई जा सकती है।

विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण का महत्व :

विकासशील एव अल्प विकसित राष्ट्र, जो औद्योगिक विकास करना चाहते है, वहॉ पर निर्माण उद्योगो के विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, क्योकि आर्थिक दशा मे सुधार करने के लिए औद्योगीकरण से विशेष सहायता मिलती है। औद्योगीकरण के कुछ महत्वपूर्ण उद्‌देश्य निम्न है

1. अतिरिक्त जनसख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
2 राष्ट्रीय आय मे वृद्धि करके सामान्य्य जीवन स्तर को ऊँचा उठाना।
3 भुगतान सतुलन की अवस्था को ठीक करना, जिससे विदेशी विनियम तथा निर्यातो मे स्थिरता बनी रहे।

यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो प्राय सभी देशो मे औद्योगिक विकास तीन अवस्थाओ से गुजरता है। औद्योगिक विकास की प्रथम अवस्था मे उद्योग प्राय प्राथमिक उत्पादन के परिष्करण तक ही सीमित होता है, जिसमे कृषि, वन, पशु, खनन मे ही अधिकांश व्यक्ति लगे रहते है। दूसरी अवस्था में ऐसे उद्योग पनपने लगते है, जो प्राथमिक उत्पादों का रूपान्तरण करके नवीन वस्तुओ का निर्माण करते है। तृतीय अवस्था मे मशीन, इंजीनियरिंग, यातायात, बैकिग आदि का विकास होता है जिससे ऐसी वस्तुऍ एव सेवाओ का सृजन किया जा सके, जो उत्पादन मे सहभागिता सुनिश्चित करे, ताकि औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीब्र गति से अग्रसर किया जा सके।

किसी भी राष्ट्र मे औद्योगीकरण की प्रक्रिया पर दो तत्वो का प्रभाव पडता है – आर्थिक तत्व एव अनार्थिक तत्व। आर्थिक तत्वो मे कई प्रकार के साधन निहित होते है, जिनके द्वारा देश का औद्योगिक विकास होता है। प्रत्येक देश का औद्योगिक विकास उस देश मे उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनो की मात्र पर निर्भर करता है, जिनमे भूमि, जल,

खनिज पदार्थ, समुद्री साधन, वन, जलवायु, शक्ति, देश का क्षेत्रफल एव भौगोलिक बनावट तथा वर्षा आदि को मुख्यत सम्मिलित किया जाता है। प्रो० डब्ल्यू० लुईस के अनुसार, "औद्योगिक विकास एव प्राकृतिक साधन एक दूसरे पर आश्रित रहते है। मनुष्य निर्धन ससाधनो की अपेक्षा सम्पन्न ससाधनो को अधिक महत्व देते है। यही कारण है कि वही देश विकास की ऊँची दर की आशा करते है, जिन्हे सर्वाधिक अवसर प्राकृतिक ससाधनो की दृष्टि से प्राप्त हो। औद्योगिक विकास मे जनसख्या का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योकि बढती हुई जनसख्या जहॉ एक ओर मॉग को बढाती है, वही दूसरी ओर उत्पादन मे वृद्धि कर पूर्ति मे वृद्धि करती है। परन्तु, अल्प विकसित देशो मे जनसख्या वृद्धि अभिशाप होती है क्योकि इन राष्ट्रो मे जनसख्या पहले से ही अधिक होती है। अत जनसख्या वृद्धि के कारण देश मे बेराजगारी की समस्या और विकराल रूप धारण कर लेती है। ससाधनो का उचित उपयोग नही हो पाता है एव पूर्ति भी उसी अनुपात मे नही बढ पाती है। परिणम स्वरूप वस्तुओ की कीमते बढ जाती है तथा विनियोग की मात्रा कम हो जाती है। पूॅजी आधुनिक औद्योगिक विकास का मूल आधार है। पूॅजी निर्माण की गति को तेज किए बिना औद्योगिक विकास असम्भव है।"

पूॅजी उत्पाद अनुपात भी औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। भारत स्वतंत्रता के बाद से औद्योगीकरण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा। परन्तु, कृषि प्रधान होने के कारण पूर्ण औद्योगीकरण के अवसर सुगमता से प्राप्त नही हो सके। अत भारत के सम्पूर्ण आर्थिक विकास के लिए औद्योगीकरण को अपनाया, क्योकि इसी के माध्यम से देश का आर्थिक विकास सम्भव है।

भारत में औद्योगिक संवृद्धि दर :

अग्रेजो के आगमन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक रूप से पश्चिम यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओ से अधिक विकसित थी। अग्रेजो के आने के बाद भारतीय उद्योगो को तहस–नहस कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आजादी के समय भारत को कमजोर औद्योगिक आधार, अल्पविकसित आधारित सरचना तथा गतिहीन अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। सरकार ने दिसम्बर 1947 मे उद्योग सम्मेलन बुलाया, ताकि विद्यमान औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा सके और व्यक्तियो की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए औद्योगिक विकास हो। इस सम्मेलन मे

प्रबन्धको तथा श्रमिको के मध्य बेहतर सम्बन्ध बनाने के दृष्टिकोण से एक त्रि–दलीय समझौता किया गया, जिसमे निवेशको तथा श्रमिको के बीच तीन वर्ष के लिए शान्ति का प्रस्ताव रखा गया। इसके पश्चात् 1948 तथा 1956 मे औद्योगिक नीति पारित की गयी। इसके बाद भी कई औद्योगिक नीतियॉ पारित की गयी, जो उद्योगो के विकास मे सहायक थी।[8]

योजनाकाल मे औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया है। द्वितीय पचवर्षीय योजना जो महालनवीस माडल पर आधारित थी, मे पूँजीगत उद्योगो एव मूलभूत उद्योगो के विकास पर जोर दिया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक वृद्धि दर 5 7 प्रतिशत थी, जो दूसरी मे बढकर 7 2 प्रतिशत तथा तीसरी मे 9 प्रतिशत हो गयी। 1965 से 1976 के मध्य औद्योगिक सवृद्धि की दर गिरकर 4 1 प्रतिशत रह गयी। इसके पश्चात् पॉचवी योजना काल मे सवृद्धि दर 6 1 प्रतिशत तक पहुॅच गयी। वर्ष 1979-80 मे औद्योगिक सवृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गयी। इसके पश्चात् छठी योजना मे 6 4 प्रतिशत, सातवी मे 8.5 प्रतिशत, आठवी मे 7 24 प्रतिशत तथा इसी प्रकार नवी योजना मे विकास की दर 8 2 प्रतिशत रखी गयी थी।

नियोजन काल में भारतमें उद्योगों का विकास :

भारत प्राचीन काल से ही औद्योगिक क्षेत्र मे विश्व का अग्रणी राष्ट्र रहा है। साथ ही विश्व का "वर्कशाप" कहलाता था। 18 वी शताब्दी के अन्तिम वर्षो मे भारतकी औद्योगिक ख्याति कम होने लगी। भारत ने औद्योगिक उत्पादो के निर्यात के स्थान पर विदेशी वस्तुओ का आयात प्रारम्भ कर दिया। ब्रिटिश शासन मे 19 वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कुछ विदेशियो तथा कुछ भारतीय उद्यमियो ने आधुनिक ढग के उद्योगो मे रूचि लेना प्रारम्भ किया। जिससे सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग आदि के क्षेत्र मे आधुनिक इकाइयो की स्थापना हुई। स्वतत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने के लिए सरकार ने नियोजित आर्थिक विकास की पद्धति को 1 अप्रैल 1951 से अपनाया, जो निरन्तर जारी है।

---

8. भारतीय अर्थव्यवस्था, जे०एन० मिश्रा, पृ० 441

सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर विनियोग :

भारतीय नियोजन काल मे सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए अधिक व्यय किया गया है। परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की गति मे तीब्रता आयी तथा औद्योगिक ढॉचे के अनुकूल परिवर्तन हुए। विनियोग की प्रगति निम्न है

तालिका संख्या - 2.1

सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर विनियोग (करोड रू० में)

पचवर्षीय योजना	सगठित एव खनिज उद्योग	कुटीर एव लघु उद्योग	अन्य
प्रथम	55	22	97
द्वितीय	938	187	1125
तृतीय	1726	241	1967
चतुर्थ	2864	243	3107
पचम	6888	376	7264
षष्ठम्	14790	1945	16948
सप्तम्	14708	2753	22461
अष्टम्	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	47888
नवम्	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	65148

स्रोत : इकोनामिक सर्वे, 1987-88, 2000-2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम पचवर्षीय योजना मे कुल विनियोग 97 करोड रूपये था, जो द्वितीय योजना मे बढकर 1125 करोड रूपये हो गया। तृतीय योजना मे 1967 करोड रूपये, पॉचवी मे 7264 करोड रूपये तथा सातवी मे कुल पूॅजी निवेश बढकर 22461 करोड रूपये हो गया। 1991 के उदारीकरण का दौर प्रारम्भ हुआ, जिसमे विदेशी पूॅजी को काफी रियायत दी गयी। आठवी योजना मे कुल पूॅजी निवेश 47887 करोड रूपये का रहा, जो नवीं योजना मे बढकर 65148 करोड रूपये हो गया। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न योजनाओ मे पूॅजी निवेश लगातार बढ रहा है, जो औद्योगीकरण मे काफी सहायक है।

भारत की औद्योगिक नीति

किसी भी देश के विकास के लिए औद्योगीकरण नितान्त आवश्यक है। औद्योगीकरण एक उपयुक्त औद्योगिक नीति के सृजन तथा क्रियान्वयन पर निर्भर होता है। औद्योगिक नीति से देश के भावी औद्योगिक विकास के स्वरूप की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार किसी भी देश के औद्योगिक नीति के दो प्रमुख अग होते है। प्रथम, उस देश की चिन्तनधारा, जो भावी औद्योगिक विकास का स्वरूप निर्धारित करती है और द्वितीय, एक उपयुक्त कार्यान्वयन योग्य योजना, जो औद्योगिक विकास के स्वरूप को ठोस रूप प्रदान करती है। य़दि किसी देश मे औद्योगिक विकास स्वरूप से सम्बद्ध विचारधारा पूर्व निर्धारित हो, तो वहॉ की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्‌देश्य उस विचारधारा को कार्यान्वित करने के लिए एक उपयुक्त ढॉचा तैयार करना रह जाता है, जिसके प्रयोग के लिए समुचित औद्योगिक विकास किया जा सके। भारत जैसे विकासशील देश ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया तथा देश के विकास के लिए नियोजन का मार्ग चुना। इस अर्थव्यवस्था मे सरकार को कुछ आर्थिक क्रियाकलाप अपने लिए निर्धारित करने पडते है तथा कुछ पूॅजीपतियो पर छोड दिए जाते है। इसलिए भारत के सन्दर्भ मे वह नीति औद्योगिक नीति कही जाती है जो उद्योगो को सरकारी, निजी तथा सयुक्त क्षेत्रो मे विभाजित करने, उनके उपयुक्त प्रबन्धन, नियन्त्रण, कार्यप्रणाली एव विनिमय हेतु मार्गदर्शन सिद्धान्त प्रस्तुत करने तथा औद्योगिक विकास मे विदेशी सहयोग और उसके सम्बद्ध नियमो एव सृजन से सम्बन्धित होती है। [9]

प्रत्येक देश की विकास प्रक्रिया की विकास में औद्योगिक नीति की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत मे तो औद्योगिक नीति को देश के आर्थिक सविधान के रूप मे स्थान प्राप्त है।

1948 की औद्योगिक नीति :

औद्योगिक नीति 1948 की व्याख्या के पहले पिछली नीतियो का अवलोकन किया जाय तो 1923 से पूर्व भारत की नीति स्वतन्त्र नीति थी, जिसके अन्तर्गत कोई भी माल विदेश से आ सकता था और भारतीय माल से प्रतियोगिता कर सकता था। परन्तु, 1923 से सरक्षण के लिए अपनाई गई तथा कुछ देशी उद्योगो को विदेशी

---

9 भारतीय अर्थव्यवस्था, डा० जे०एन० मिश्रा, पृष्ठ 448

प्रतियोगिता से बचाने का प्रयत्न किया गया। लेकिन यह प्रयत्न विकास के लिए पर्याप्त नही थे। ब्रिटिश सरकार ने जो नीतियॉ अपनाई, वे उनके लिए हितकर थी। देश का औद्योगिक ढॉचा उचित नही था। पूँजी विनियोजन की गति मन्द थी। [10]

अत 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मत्री डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसकी विशेषताएँ निम्न है

1 औद्योगिक नीति मे उद्योगो को चार वर्गो मे रखा गया है

(क) प्रथम वर्ग मे सैनिक एव राष्ट्रीय महत्व के उद्योगो को रखा गया है, जिनकी स्थापना एव विकास का पूर्ण अधिकार सरकार के पास है। इनमे अस्त्र–शस्त्र, अणुशक्ति, रेलवे, डाकतार आदि को शामिल किया गया है।

(ख) द्वितीय वर्ग मे लोहा एव इस्पात, कोयला, हवाई जहाज, तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार के उपकरणो का निर्माण सहित छ उद्योगो को रखा गया है।

(ग) तृतीय वर्ग मे राष्ट्रीय महत्व के कुछ आधारभूत उद्योग एव कुछ उपभोक्ता वस्तुओ को शामिल किया गया है, जिसमे सरकार को राष्ट्रीय हित मे नियमन एव नियन्त्रण करने का अधिकार दिया गया है।

(घ) चतुर्थ वर्ग मे शेष सभी उद्योगो को शामिल किया गया है, जिनकी स्थापना एव सचालन निजी क्षेत्र को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है, लेकिन आवश्यकता पडने पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

2 कुटीर एव लघु उद्योगो के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौपा गया एव सहायता के लिए विशेष सस्थाओ के निर्माण पर जोर दिया गया।

3. इस नीति मे विदेशी पूँजी एव तकनीकी ज्ञान को देश मे लाने की अनुमति दी गयी।

4. इस नीति के तीव्र औद्योगिक विकास के लिए मधुर औद्योगिक सम्बन्धो की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

---

10 भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ० चतुर्भुज मेमोरिया एव डॉ० एस०सी० जैन।

इस नीति की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्तियो ने इसे देशहित मे बताया, जबकि उद्योगपतियो एव पूँजीपतियो ने इसे दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि यह नीति निजी क्षेत्र के हितो के विरूद्ध थी, क्योकि उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करने से उद्योगो मे पूँजी विनियोजन रूक जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नीति मे उद्योगो के विकास की प्राथमिकता को भी निश्चित नही किया गया।

1956 की औद्योगिक नीति :

1956 की औद्योगिक नीति अपनाए जाने के उपरान्त देश मे अनेक राजनीतिक एव आर्थिक परिवर्तन हुए। स्वतत्रता के पश्चात् प्रथम आम चुनाव हुआ तथा भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। अप्रैल 1951 से प्रथम पचवर्षीय योजना शुरू की गई और भारतीय ससद ने एक समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया। इन सबके बाद 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इस नीति मे आर्थिक विकास की गति को तीब्र करना, औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास, भारी उद्योगो की स्थापना, सम्पत्ति एवं आय की असमानता को कम करना, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए निजी एकाधिकारियो को नियन्त्रित करना आदि शामिल किया गया।

औद्योगिक नीति 1956 की कुछ विशेषताएँ निम्नवत् थी

इस नीति मे उद्योगो को तीन वर्गो मे रखा गया। प्रथम वर्ग मे, 17 उद्योगो को रखा गया, जिनके विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के पास था। द्वितीय वर्ग मे उन 12 उद्योगों को रखा गया था, जिनके विकास मे सरकार उत्तरोत्तर अधिक भाग लेगी। तृतीय वर्ग मे शेष उद्योगो को रखा गया। इसके अतिरिक्त लघु एव कुटीर उद्योगो का विकास, तकनीकी एव प्रबन्धकीय सेवाओ की व्यवस्था तथा विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन दिया गया।

इस औद्योगिक नीति की आलोचना की गयी, जिसमे लघु एव कुटीर उद्योगो की तुलना में भारी उद्योगो को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके अतिरिक्त इस नीति मे कृषि को उद्योगों के विकास से अलग रखा गया।

नयी औद्योगिक नीति 1991 :

90 के दशक में भारत मे एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया, जब 24 जुलाई 1991 को ससद ने नयी औद्योगिक नीति की घोषण की। नये औद्योगिक नीति मे बहुत से उदारवादी कदम उठाए गये है एव उद्योगो को कानूनी नियत्रण से मुक्त करनेका प्रावधान किया गया है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिल सके। नयी नीति मे कुछ उद्योगो को छोडकर शेष सभी उद्योगो को औद्योगिक लाइसेन्स से मुक्त रखा गया है। एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम से प्रभावित कम्पनियो के पूॅजी पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त विदेशी पूॅजी निवेश की सीमा जो 40 प्रतिशत थी, बढाकर 51 प्रतिशत कर दी गयी है। [11]

इस नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र मे प्रतिरक्षा एव परमाणु ऊर्जा, खनन एव रेल परिवहन को ही शामिल किया गया है। शेष सभी उद्योगो को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। पूॅजीगत साधन तथा जनता की हिस्सेदारी को बढाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे सरकारी शेयरो के एक हिस्से को बेचने की व्यवस्था की गयी है। इसे विनिवेश नीति के नाम से जाना जाता है।

इस नीति मे एम०आर०टी०पी० अधिनियम मे सशोधन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे नई कम्पनियो को स्थापित करने, एक कम्पनी का दूसरी कम्पनी मे विलय करने, एक कम्पनी द्वारा दूसरे कम्पनी को खरीदने तथा कुछ मामलो मे निदेशको की नियुक्ति मे केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नही होगी। कुल मिलाकर इस का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र मे क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है। इसकी मुख्य बाते निम्न है

1. उद्योगो पर लगे कानूनी एव प्रशासनिक नियन्त्रणो मे ढील दी गयी है।
2 पूॅजीगत वस्तुओ के आयात को स्वतत्र अनुमति प्रदान की गयी है।
3. विदेशी पूॅजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विदेशी तकनीक प्राप्त करना अब आवश्यक नही है तथा उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगो के लिए विदेशी तकनीक को स्वत अनुमति प्रदान की गयी है।
4. छ उद्योगो को छोडकर शेष सभी उद्योग लाइसेन्स मुक्त कर दिए गये है एव सभी वर्तमान स्थापित इकाइयो की विस्तार परियोजना लागू करने के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नही रह गयी है।

---

11. भारतीय अर्थव्यवस्था, डॉ बद्री विशाल त्रिपाठी।

5 एम०आर०टी०पी० अधिनियम मे कम्पनियो की सम्पत्ति की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गयी है।

6. अब नये प्रबन्ध स्वरूप मे श्रमिको की भागीदारी बढने की सम्भावना है।

7. छॅटनी किए गये मजदूरो एव कर्मचारियो के पुनर्वास के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गयी है।

8 डी०जी०टी०डी० तकनीकी विकास निदेशालय सहित सभी मौजूदा पजीकरण योजनाएँ रद्द कर दी गयी है।

9 सार्वजनिक कम्पनियो की शेयर पूॅजी का कुछ भाग म्यूचुअल फण्डो, वित्तीय सस्थाओ तथा सीधे निवेशको को बेचने की योजना है।

10 निजी क्षेत्रो को पूर्व मे वर्जित क्षेत्रो मे विस्तार की खुली छूट प्रदान की गयी है।

11. बीमार उद्योगो के पुनर्वासन का कार्य औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को दिया गया है।

नयी औद्योगिक नीति मे कुछ सकारात्मक पहलू अवश्य है किन्तु, इसके दूरगामी परिणाम अधिक घातक हो सकते है। इस प्रकार की नीति अर्थव्यवस्था को पूर्णत गुलाम बना देगी क्योकि इस नीति मे विदेशी पूॅजी निवेश को खुली छूट दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त एकाधिकार एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के तहत निवेश सीमा को छूट प्रदान करने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार होने की आशका है। इस नीति से रोजगार के अवसरो का सृजन न होकर ह्रास होगा, क्योकि विदेशी तकनीक पूॅजी प्रधान है। भारत मे जनसख्या की अधिकता को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र मे श्रम प्रधान तकनीक की आवश्यकता है।

नियोजन काल में औद्योगिक विकास :

अप्रैल 1951 मे प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के साथ देश मे औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित किए। नियोजन काल के दौरान देश औद्योगिक आधार पर मजबूत हुआ ही साथ ही साथ औद्योगिक स्तर भी ऊॅचा उठा है। नियोजन काल मे हुई औद्योगिक प्रगति निम्नवत् है ·

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-55) :

इस योजना का उद्देश्य द्वितीय महायुद्ध एव देश के विभाजन के कारण उत्पन्न असतुलित परिस्थितियो मे सुधार करना, कृषि व्यवस्था मे सुधार लाना, परिवहन तथा सचार माध्यमो का विस्तार आदि को शामिल किया गया है। इस योजना मे औद्योगिक विकास की अपेक्षा कृषि को प्राथमिकता दी गयी, फिर भी सिन्दरी उर्वरक, चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान एन्टिबॉयोटिक लिमिटेड, हिन्दुस्तान टेलीफोन, फैक्ट्री आदि को इस योजना मे स्थापित किया गया।

प्रथम पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 55 करोड रूपये तथा निजी क्षेत्र मे 233 करोड रूपये का विनियोग किया गया। इस योजना मे औद्योगिक उत्पादन 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पादन सूचकॉक (आधार वर्ष 1960 = 100) 1951 के आधार 54 8 प्रतिशत से बढकर 1955 मे 72 7 प्रतिशत हो गया। कुछ उद्योगो की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट है .

तालिका सं० 2.2

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुछ चुने हुए उद्योगों का विकास

क्रमॉक	उद्योग	इकाई	1950-51	1955-56
1.	कच्चा लोहा	लाख टन	14.7	19 5
2.	तैयार इस्पात	लाख टन	10 4	13 0
3.	सीमेण्ट	लाख टन	27.3	46 7
4.	चीनी	लाख टन	11.3	18 9
5.	कास्टिक सोडा	हजार टन	12.0	36 0
6	साइकिले	हजार मे	99.0	513.9
7.	रेलवे वैगन	हजार मे	2.9	15 3
8.	मशीनी उपकरण	लाख रू० मे	30.0	80 0
9.	सूती वस्त्र	करोड मी०	421.5	627 0

स्रोत प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर 6 5 प्रतिशत थी, जिसमे उपभोक्ता वस्तुओ मे 6 प्रतिशत तथा पूँजीगत उद्योग मे 13 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) :

औद्योगिक विकास की दृष्टि से महालनोवीस मॉडल पर आधारित दूसरी पचवर्षीय योजना मे सरकार ने बडे पैमाने पर आधारभूत एव पूँजीगत वस्तु उद्योगो की स्थापना का लक्ष्य रखा, ताकि भविष्य औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सके। योजना मे युक्ति इस प्रकार है

"यदि औद्योगीकरण तीव्र गति से होता है तो देश का लक्ष्य मूल उद्योगो का विकास होना चाहिए तथा उन उद्योगो का विकास किया जाना चाहिए, जो भविष्य की आवश्यकता के लिए जरूरी मशीनो को बनाने वाले यत्रो का उत्पादन कर सके। अर्थात् लोहा एव इस्पात, अलौह धातुओ, कोयला, सीमेण्ट, भारी रसायन तथा मूल महत्व के उद्योगो का विस्तार किया जाय।"

सल्फ्यूरिक एसिड, अखबारी कागज, पालिथीन आदि का प्रथम बार देश मे उत्पादन हुआ। इस योजना अवधि मे सार्वजनिक क्षेत्र मे वास्तविक विनियोगक 960 करोड रूपये तथा निजी क्षेत्र मे 850 करोड रूपये का हुआ। योजना अवधि मे औद्योगिक विकास का लक्ष्य 10.5 प्रतिशत रखा गया, परन्तु, 7.25 प्रतिशत ही विकास दर को प्राप्त किया जा सका, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है

तालिका सं० 2.3

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ चुने हुए उद्योगों का विकास

क्रमॉक	उद्योग	इकाई	1955-56	1960-61
1.	कच्चा लोहा	लाख टन	19.5	43 1
2.	तैयार इस्पात	लाख टन	13 0	23 7
3	सीमेण्ट	लाख टन	46 7	79 7
4	चीनी	लाख टन	18.9	30 0
5.	कास्टिक सोडा	हजार टन	36.0	101.0
6.	साइकिले	हजार मे	51.3	107 0
7.	रेलवे वैगन	हजार मे	15.3	18 2
8	मशीनी उपकरण	लाख रू० मे	80.0	700 0
9	सूती वस्त्र	करोड मी०	626 0	673 0
10.	विद्युत मोटर	हजार एच०पी०	2.7	7 3
11.	नाइट्रोजनयुक्त खाद	हजार टन	80.0	100 0
12.	फॉस्फेट युक्त खाद	हजार टन	12.0	53.0

स्रोत द्वितीय योजना (1956-61)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कच्चे लोहे का उत्पादन 1956 मे 19.5 लाख टन था, जो 1960-61 मे बढकर 43 1 लाख टन हो गया। इसी प्रकार सीमेण्ट, औजार, रेलवे वैगन, के उत्पादन मे भी वृद्धि हुई। निष्कर्षत यही कहा जा सकता है कि द्वितीय योजना मे औद्योगिक विकास की गति सन्तोषजनक रही है। इस योजना मे लोहा एवं इस्पात उद्योग, भारी मशीन एव औजार निर्माण उद्योग, भारी विद्युत आदि उद्योगो की स्थापना हुई, जो एक सफलता का सूचक है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) :

तृतीय पचवर्षीय योजना मे अगले 15 वर्षो मे औद्योगिक तथा खनिज विकास मे आत्मनिर्भर होने के लिए मशीन निर्माण तथा पजीकृत उद्योगो की स्थापना, उन उद्योगो के लिए तकनीकीकरण सापेक्षिक कुशलता तथा डिजाइन आदि की क्षमता उपलब्ध

कराने पर विशेष दिया गया। इस योजना मे बोकारो इस्पात उद्योग को प्रारम्भ किया गया। इस योजना मे सगठित उद्योग एव खनिज पर सार्वजनिक क्षेत्र मे 1500 करोड रूपये तथा ग्रामीण एव लघु उद्योगो पर 150 करोड रूपये तथा निजी क्षेत्र मे 1350 करोड रूपये विनियोग का लक्ष्य था। 1962 मे चीनी आक्रमण, 1965 के पाक आक्रमण के कारण युद्ध सामग्री के निर्माण उद्योगो के विकास पर बल दिया था। योजना के प्रथम चार वर्षो मे औद्योगिक उत्पादन 8 से 9 6 प्रतिशत ही बढा और अन्तिम वर्ष मे पाक आक्रमण की वजह से 4 3 प्रतिशत ही बढा, जिससे वार्षिक उत्पाद 7 9 प्रतिशत रहा, जबकि वह 11 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। अधिकाश उद्योगो के लक्ष्य पूरे नही किए जा सके।

तालिका - 2.4

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ चुने हुए उद्योगों का लक्ष्य एव प्रगति

क्र.सं	उद्योग	इकाई	1955-56 लक्ष्य	1965-66 प्रगति
1	इस्पात पिण्ड	लाख टन	92 0	65 3
2	पेट्रोलियम पदार्थ (शोधित)	लाख टन	98 6	94 0
3	सीमेण्ट	लाख टन	130 0	108 0
4	नाइट्रोजन युक्त खाद	लाख टन	8 0	0 3
5	फास्फेट युक्त खाद	लाख टन	4 0	1 2
6	सल्फ्यूरिक एसिड	लाख टन	15 4	6.6
7.	वनस्पति	लाख टन	5 0	4.0
8.	चीनी	लाख टन	35 0	35.1
9.	एल्युमिनियम	हजार टन	80 0	62 1
10	रेलवे वैगन (सख्या)	हजार मे	33.5	23.5
11	साइकिल (सख्या)	हजार मे	20.0	15.7
12	मशीन औजार (मूल्य)	करोड रू० मे	30 0	25 4
13.	सूती वस्त्र	करोड मीटर	580 0	440 1

स्रोत - तृतीय योजना (1961-66)

उपर्युक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट है कि कुछ उद्योगो को छोड बाकी उद्योगो की प्रगति सन्तोषजनक नही रही है, जिसमे लौह एव इस्पात, रसायन खाद का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम रहा है। लेकिन चीनी, सूती वस्त्र, मशीनी औजार, एल्यूमिनियम आदि की गति सन्तोषजनक रही है। योजनावधि मे कृषि जन्य कच्चे मालो की कमी तथा विदेशी सहायता मे कटौती के कारण भी औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडा।

तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) :

तृतीय योजना के पश्चात चौथी योजना लागू करना सम्भव न था, इसलिए तीन वार्षिक योजनाएँ लागू की गयी। इन वार्षिक योजनाओ का लक्ष्य ओद्योगिक क्षेत्र की उन कमियो को दूर करना था, जो तृतीय योजनावधि मे उत्पन्न हो गयी थी। इस योजना मे उद्योग एव खनिज पदार्थो पर सार्वजनिक व्यय 1575 करोड रूपये तथा निजी निवेश पर 580 करोड रूपये था। ग्रामो एव लघु उद्योगो पर सार्वजनिक तथा निजी व्यय क्रमश 144.1 करोड रू०, 250 करोड रूपये था। 1967 मे औद्योगिक उत्पादन 0.2 प्रतिशत एव 1968 मे 0 5 प्रतिशत रहा, लेकिन 1968-69 मे 6 2 प्रतिशत वृद्धि रहा। इस प्रकार कुछ उद्योग को छोडकर शेष सभी उद्योगो के उत्पादन मे सन्तोषजनक वृद्धि रही। [12]

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) :

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश को शीघ्र आत्मनिर्भर बनाने के प्रधान लक्ष्य के साथ औद्योगिक क्षेत्र मे सतुलित एवं स्वावलम्बी विकास का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना मे सगठित उद्योगो एव खनिज पर लगभग 5300 करोड रूपये के विनियोग का लक्ष्य था। इसमे से 3050 करोड रूपये सार्वजनिक क्षेत्र मे तथा 2250 करोड रूपये निजी क्षेत्र के लिए रखे गए थे, जबकि वास्तविक व्यय खनिज एव उद्योग पर 2864 करोड रूपये तथा 243 करोड रूपये लघु उद्योगो पर व्यय हुआ। इस अवधि मे औद्योगिक प्रगति पूर्णतः सन्तोषजनक थी। चतुर्थ योजना मे औद्योगिक विकास दर 8-10 प्रतिशत की लक्ष्य दर की अपेक्षा 4.7 प्रतिशत रही, जिसका प्रमुख कारण मूल्यो

---

12. उद्योग व्यापार पत्रिका , अगस्त 2001

मे वृद्धि, पूँजी विनियोग के प्रति उद्यमियो की रूचि मे कमी, स्थापित क्षमता का अपूर्ण उपयोग और प्रबन्धकीय व प्रशासनिक अकुशलताएँ रही है।

तालिका - 2.5

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्योग का लक्ष्य एवं उत्पादन

क्र सं	उद्योग का नाम	इकाई	1973-74 उत्पादन लक्ष्य	1973-74 वास्तविक प्रगति
1	इस्पात पिण्ड	लाख टन	108.0	57 6
2.	तैयार इस्पात	लाख टन	81.0	44 7
3.	नाइट्रोजन युक्त खादे	लाख टन	25 0	10 6
4.	पोटाश युक्त खाद	लाख टन	9 0	3 2
5.	कच्चे खनिज तेल उत्पादन	लाख टन	85 0	74 0
6	सल्फ्यूरिक एसिड	लाख टन	25 5	13.4
7.	जूट का सामान	लाख टन	14 0	0 7
8.	चीनी	लाख टन	47 0	39 5
9	वनस्पति घी	लाख टन	63 0	4 5
10.	सीमेण्ट	लाख टन	180.0	47 0
11.	एल्यूमीनियम	हजार टन	220.0	147 9
12.	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	करोड मीटर	510.0	408 0

स्रोत - चतुर्थ योजना (1969-74)

पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-78) :

पाचवी पचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता के साथ आधारभूत उद्योगो का तेजी से विकास, निर्यातो मे वृद्धि, सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओ के उत्पादन मे वृद्धि, ग्रामीण व लघु उद्योगो मे बढावा, औद्योगिक रूप से पिछडे क्षेत्र का विकास; अनावश्यक वस्तुओ के उत्पादन पर रोक तथा वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना था। इस योजना मे खनिज तथा औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे 9660 करोड रू०, निजी एव सहकारी क्षेत्र मे 7000 करोड रूपये तथा ग्राम व लघु उद्योगो के लिए 635 करोड रूपये की व्यवस्था की गयी थी। लेकिन सार्वजनिक

मे केवल 7264 करोड रू० व्यय हुए। इस योजना मे वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8 9 प्रतिशत था लेकिन औसत वार्षिक वृद्धि दर 5 9 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी।

तालिका - 2.6

पॉचवी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्योगों का उत्पादन एवं लक्ष्य

क्र सं	उद्योग का नाम	इकाई	1977-78 उत्पादन लक्ष्य	1977-78 वास्तविक प्रगति
1	तैयार इस्पात	लाख टन	91 0	69 7
2	नाइट्रोजन युक्त खादे	लाख टन	40.0	20 0
3.	पोटाश युक्त खादे	लाख टन	12 5	6 7
4	खनिज तेल	लाख टन	120 0	193 0
5	सीमेण्ट	लाख टन	150 0	413 5
6	चीनी	लाख टन	57 0	57 0
7	एल्यूमीनियम	हजार टन	370 0	213 7
8	तॉबा	हजार टन	45 0	21.7
9	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	करोड मीटर	520 0	64 6

स्रोत - पॉचवीं योजना (1974-79)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि लोहा एव इस्पात, भारी रसायन, सीमेण्ट, चीनी, एल्यूमीनियम आदि की प्रगति सन्तोषजनक कही जा सकती है।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) :

छठी योजना मे कई वर्षो की प्रगति को देखते हुए औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। इसमे स्थापित उद्योगो की क्षमता मे वृद्धि करना, पिछडे क्षेत्रो मे उद्योगो को स्थापित करना, इजीनियरिंग उद्योगो के उत्पादन मे वृद्धि, एव तकनीक मे सुधार लाना आदि को ध्यान मे रखा गया था। इस योजना मे वास्तविक व्यय 16948 करोड रूपये के मुकाबले 15018 करोड रूपये व्यय का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना मे विकास का लक्ष्य 7 प्रतिशत रखा गया था लेकिन 5 5 प्रतिशत ही प्राप्त कर सकी।

तालिका - 2.7

छठीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्योगों का उत्पादन एवं लक्ष्य

क्र सं	उद्योग का नाम	इकाई	1984-85 उत्पादन लक्ष्य	1984-85 वास्तविक प्रगति
1	कोयला	दस लाख टन	165	147 5
2.	खनिज लोहा	दस लाख टन	60	42 2
3	इस्पात पिण्ड	दस लाख टन	15	10 8
4.	एल्यूमिनियम	लाख टन	3	2 8
5.	नाइट्रोजन फास्फेट	लाख टन	56	51 8
6	सीमेण्ट	लाख टन	345	295 0
7	चीनी	लाख टन	76	61 4
8	सूती वस्त्र (मिल क्षेत्र)	करोड मीटर	350	261 9

स्रोत - छठीं योजना (1980-85)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोहा का 600 लाख टन का लक्ष्य था, जब कि 420 लाख टन का वास्तविक उत्पादन रहा। कोयला 1650 लाख टन, एल्यूमिनियम 3 लाख टन, सीमेण्ट 345 लाख टन एव सूती वस्त्र उद्योग 350 करोड रूपये मीटर का लक्ष्य था। जिनका कि वास्तविक उत्पादन 1475 लाख टन, 2.8 लाख टन, 295 लाख टन एव 261.9 करोड मीटर कपडे का उत्पादन हुआ। फिर भी यह योजना अपने वास्तविक विकास दर को प्राप्त नही कर सकी। क्योकि आधारभूत सुविधाओ का अभाव, पुरानी तकनीकी, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, श्रम समस्याये रही थी जिसकी वजह से यह अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नही कर सकी।

सप्तम् पंचवर्षीय योजना (1985-90) :

सातवी पचवर्षीय योजना मे प्रमुख औद्योगिक लक्ष्य उत्पादन और निर्यातोन्मुख उद्योगो मे विशेष क्षमता को बढाना, विद्यमान क्षमता का अधिकतम उपयोग तथा स्वरोजगार के अवसरो मे वृद्धि करना था। इस योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योग एव खनन पर 22460.8 करोड रूपये व्यय की व्यवस्था की गयी थी।

तालिका - 2.8

सॉतवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य एवं प्रगति (उत्पादन में)

उद्योग	इकाई	1989-90 लक्ष्य	1986-87 प्रगति	1987-88 प्रगति	1988-89 प्रगति	1989-90 प्रगति
कोयला	मि०टन	226 00	165.08	197 07	194 06	137 07
खनिज तेल	मि०टन	34 53	30 48	30 36	32 04	25 99
चीनी	मि० टन	10.20	8 50	9.11	8 71	—
वस्त्र	अरब् मी०	14 50	9 52	9 40	9 08	9 08
नाइट्रोजन खादे	मि० टन	6 56	5 41	5 47	6 71	4 93
फास्फो०खा०	मि०ट०	2.19	1 66	1.67	2 25	1 27
सीमेण्ट	मि० टन	49.00	36.59	39.57	44.27	32 48
इस्पात	मि० टन	12.64	8 22	8.51	9 21	6 43
वि०प्रजनन	विलि०कि०वा०	295.40	187 88	201 09	221.01	181 03

स्रोत - सॉतवीं योजना (1985-90)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कोयला, इस्पात, सीमेण्ट, वनस्पति तेल, वस्त्र, विद्युत उत्पादन आदि मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस योजना मे 1985-86 के औद्योगिक विकास दर 8.7 प्रतिशत, 1986-87 मे 9.1 प्रतिशत, 19-87-88 मे 7 5 प्रतिशत, 1988-89 मे 8.8 प्रतिशत तथा 1989 मे 5.3 प्रतिशत (अप्रैल से नवम्बर तक) वृद्धि दर रही जबकि इस योजना की विकास दर 8 प्रतिशत रखी गयी थी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) :

औद्योगिक क्षेत्र मे अस्सी के दशक के निष्पादन को देखते हुए घरेलू उद्योगो को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये। इसी परिप्रेक्ष्य मे ओद्योगिक सुधारों की एक श्रृखला शुरू की गयी जिसमे ओद्योगिक वित्तीय, व्यापारिक एव विदेशी विनिवेश नीतियॉ सम्मिलित है। आठवी योजना के प्रथम वर्ष मे वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रही। 1995-96 मे 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके बाद 1997-98 मे घटकर 4.2 प्रतिशत वृद्धि दर रह गयी। कुल मिलाकर आठवी योजना मे औद्योगिक उत्पादन 7.24 प्रतिशत वार्षिक रहा। [13]

13. भारतीय अर्थव्यवस्था - रूद्रदत्त एवं के०पी० एम० सुन्दरम्, पृष्ठ 174

तालिका - 2.9

आठवीं योजना में कुछ उद्योगों का उत्पादन एवं लक्ष्य

क्र सं	उद्योग	इकाई	1991-92	1996-97
1	तैयार इस्पात	लाख टन	145	228
2	सीमेण्ट	लाख टन	530	760
3	चीनी	लाख टन	120	155
4	औद्योगिक मशीनरी	करोड रू० मे	3148	4355
5	सूती वस्त्र	करोड मीटर	1826	2470
6	उवर्रक	लाख टन	98	128
7	वनस्पति	हजार टन	850	1050
8	कागज एव गत्ता	हजार टन	2395	3200
9	एल्यूमीनियम	हजार टन	514	656
10	साइकिले (सख्या)	लाख	74	90
11	इलेक्ट्रानिक्स	करोड रू०	15070	36000

स्रोत - आठवीं पचवर्षीय योजना (1992-97)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आठवी पचवर्षीय योजना की प्रगति सन्तोषजनक रही है। इस योजना मे उद्योग एव खनन पर 46922 करोड रूपये, विनिर्माण पर 188400 करोड रूपये, विद्युत गैस पर 102120 करोड रूपये, परिवहन पर 8790 करोड रूपये का प्राविधान किया गया था।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000) :

नौवी पचवर्षीय योजना की शुरूआत अच्छी नही रही यद्यपि उसके कई कारण थे। विनियोग की मन्दगति, मॉग का अभाव, अवस्थापना की अपर्याप्तता, विश्वव्यापी मदी आदि। नौवी योजना की विकास दर 8 3 प्रतिशत रखी गयी है। इस योजना को औद्योगिक विकास की नयी व्यापार व्यवस्था विश्व व्यापार सगठन के परिप्रेक्ष्य मे भी देखा गया है। नौवी योजना मे औद्योगिक क्षेत्र पर कुल 1181933 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी थी। नौवी योजना का उत्पादन लक्ष्य इस प्रकार रहा है।

तालिका - 2.10

नौवीं योजना में कुछ उद्योगों का उत्पादन लक्ष्य

क्र सं	उद्योग	इकाई	1996-97 उत्पादन	1997-2000 लक्ष्य
1	कच्चा लोहा	मि० टन	65 13	100 00
2.	सीमेण्ट	मि० टन	76.00	113 00
3	उवर्रक	लाख टन	111 55	173 00
4	चीनी	मि० टन	14.50	19 50
5.	वस्त्र	मि० टन	20131.40	44000 00
6.	जूट निर्मित	हजार टन	1401.10	1790 00
7	कागज	हजार टन	3100.00	4950 00
8	वनस्पति	हजार टन	994.00	1100 00
9.	मशीन टूल्स	करोड रू०	1284.93	2300.00
10.	इलेक्ट्रानिक्स	करोड रू०	26640.00	1373450 00

स्रोत - नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

उपर्युक्त तालिका 2.10 से स्पष्ट है कि नौवी योजना मे औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कुछ क्षेत्रो मे तो 1996-97 की तुलना मे 1997-2000 की अवधि मे डेढ गुना अधिक बढने की सम्भावना है। लेकिन इलेक्ट्रानिक्स के उत्पादन मे 5 गुना वृद्धि की आशा है।

30 सितम्बर 2000 को नौवी योजना का मध्यवर्ती मूल्याकन किया गया जिसने सार्वजनिक क्षेत्र मे 66% विनियोग का लक्ष्य था, लेकिन 1997-2000 मे यह केवल 46.98% ही आकलित किया गया। औद्योगिक विकास 1997-2000 तक 6% से भी कम रही है। यदि शेष दो वर्षो मे यदि 10.5% वार्षिक वृद्धि दर रखा जाय, तब कही जाकर अपने 8.3% के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। जबकि वर्ष 2000-2001 मे यह वृद्धि दर 5.3% रही है। [14]

योजना आयोग ने शेष अवधि के लिए खनिज एवं उद्योग पर 9279.2 करोड रूपये, ग्रामीण विकास पर 5388 5 करोड रूपये निर्धारित किए है। [15]

14. कामर्स जर्नल-प्रबल प्रताप सिंह तोमर पृष्ठ, 93, 94 (इला० विश्वविद्यालय)
15. वही

भारतीय नियोजन काल मे भारत औद्यागिक विकास की मजिल की ओर अग्रसर है। भारत ने इस काल मे औद्योगिक क्षेत्र मे नए आयाम स्थापित किए है। नियोजन काल मे आधारभूत उद्योगो की स्थापना को प्राथमिकता दी गयी है कृषि आधारित वस्तुओ के स्थान पर निर्माण वस्तुओ का निर्यात मे प्रमुख स्थान है। आज भारत अनेक मामलो मे आत्मनिर्भर हो चुका है।

नियेाजन काल मे कुछ कमियॉ दिखलायी देती है। आज भारतीयो उद्योगो की प्रमुख कमी उत्पादन क्षमता के अल्प प्रयोग की है। उत्पादन क्षमता के अल्प प्रयोग 70-90 प्रतिशत तक भी देखने को मिलता है। भारतीय औद्योगिक विकास मे एक बहुत बडी कमी आधारभूत सुविधाओ की रही है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा मे ओद्यागिक विकास की गति को तीव्रता नही मिल पाती है। साथ ही क्षेत्रीय विषमताएॅ उत्पन्न होती है।

दसवी पचवर्षीय योजना अप्रैल 2002 से प्रारम्भ हो चुकी है। इस योजना मे आम जनता के उपभोग की वस्तुओ को आत्मनिर्भर के साथ सामाजिक न्याय और रोजगार में वृद्धि करना है। भारत की पूॅजी प्रधान औद्योगिक विकास के साथ स्वदेशी साधन आधारित औद्योगिक विकास पर बल देना है।

अत भारत के लिए औद्योगिकीकरण तो आवश्यक है, लेकिन औद्योगिक स्वरूप एव दिशा देश व देशवासियो की आवश्यकताओ के अनुरूप तथा रोजगारोन्मुख होने चाहिए।

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

प्रस्तावना :

वर्तमान मे विश्व के बदलते परिदृश्य मे देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ बनाने मे उद्योग की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के बाद सम्भवत उद्योग सेक्टर ही ऐसा क्षेत्र है जहॉ रोजगार उपलब्ध कराने की प्रबल सम्भावनाये है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए लघु उद्योगो के विकास मे केन्द्र एव राज्य सरकारो द्वारा सुनियोजित ढग से नीतियो एव कार्यक्रमो को सचालित करने पर प्राथमिकता दी जाती है तथा राज्य सरकारो द्वारा उद्योगो मे अधिकाधिक पूॅजी निवेश आकर्षित करने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इसमे उत्तर प्रदेश का अपना प्रथम स्थान है। गुजरात व महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक आई०ई०एम० तथा एल०ओ०आई० उत्तर प्रदेश को प्राप्त करने का गौरव है।

जनसख्या एव साधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण प्रदेश है। उद्योग नीति वर्ष 1998 के अन्तर्गत प्रदेश मे गतिशील आर्थिक परिदृश्य, औद्योगिक विकास मे प्रचुर सम्भावनाये, ससाधनो की उपलब्धता, उदारीकरण की प्रक्रिया एव बाजार सुधारो से उद्योगो की समृद्धि के लिए अत्यधिक अवसर सृजित हुए है। नियोजित ढग से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतियो की स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी, जिसमे निर्यात नीति एव खनिज नीति प्रमुख है। इन नीतियो मे निर्धारित दिशा के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के फलस्वरूप उद्योगो मे अधिकाधिक पूॅजी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रदेश सरकार कृतसकल्प है, ताकि उत्तर प्रदेश को "उद्योग प्रदेश" के स्वरूप मे देखा जा सके।

वर्तमान मे बदलते परिवेश तथा औद्योगिक नीति मे की गयी घोषणाओ के अनुसार सरकारी नीतियो मे समय–समय पर परिवर्तन कराए गए, ताकि उद्योग इन चुनौतियो का निर्भीक एवं प्रभावी ढग से सामना कर सके। अधिकाधिक पूॅजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयो को विशेष रियायते दिए जाने का निश्चय किया गया है। प्रदेश में बडी परियोजनाओ मे निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने, औद्योगिक गलियारो के विकास, प्रदेश मे लघु उद्योगो द्वारा किए जा रहे उत्पादो के विपणन हेतु प्राइवेट कम्पनियो की संरचना, कर्मचारियो की दक्षता मे

वृद्धि, एकल मेज व्यवस्था तथा टेक्नोलाजी मिशन के माध्यम से प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहो को विकसित किए जाने पर इस प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप मे अभूतपूर्व परिवर्तन होगा, जिससे न केवल वर्तमान औद्योगिक वातावरण सुदृढ होगा, अपितु भविष्य मे अधिकाधिक पूँजी निवेश की सम्भावनाये प्रबल होगी। उत्तर प्रदेश मे ऐतिहासिक रूप से कतिपय उद्योगो के महत्वपूर्ण क्लस्टर कार्यरत है। इन क्लस्टरो के सम्बन्ध मे निदेशालय द्वारा इण्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी तैयार किए जा रहे है। जिसमे आगरा की फाउण्ड्री, कानपुर का चमडा उद्योग, फिरोजाबाद का कॉच उद्योग तथा खुर्जा का पॉटरी उद्योग है। इस अध्ययन से जहॉ इस क्षेत्र मे लगे उद्योगो का वर्तमान स्तर बढेगा वही इन उद्योगो का अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक बाजार मे भी प्रवेश होगा।

प्रदेश मे निर्यात को बढावा देने के लिए सुदृढ प्रशासनिक एव सस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट व्यूरो का गठन किया गया है तथा उद्योग निदेशालय का निर्यात सेल सुदृढ किया जा रहा है। निर्यात मे उपयोग होने वाले कच्चे माल आदि का व्यापार कर की छूट, निर्यातक इकाइयो को विशिष्टता की श्रेणी मे रखने, ग्रीन कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था, श्रम कानूनो के पुनरीक्षण आदि से प्रदेश का निर्यात निश्चित रूप से गतिशीलता प्राप्त करेगा।

पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास :

उत्तर प्रदेश मे प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थो मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त औद्योगिक विकास मे सफलता अर्जित करना, सिचाई की सुविधाओ का विस्तार करना, शक्ति के साधनो को विकसित करना तथा शिक्षण सस्थाओ का विकास करना था। प्रदेश सरकार ने प्रथम योजना मे अपने सम्पूर्ण बजट का 8 प्रतिशत उद्योग एव खनिज पदार्थो के विकास हेतु सुनिश्चित किया था। इस प्रकार इस योजनावधि मे मात्र दो कारखानो की स्थापना की गयी थी, जिनमे एक डीजल लोकोमोटिव और केमिकल, मऊडीह मे तथा शाहपुरी मे, दोनो ही क्रमश वाराणसी मे ही की गयी है। परन्तु इन इकाइयो मे उत्पादन कार्य दूसरी पचवर्षीय योजना से प्रारम्भ किया गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना काल मे तीव्र ओद्योगीकरण तथा रोजगार के अवसरो मे वृद्धि के माध्यम से द्वितीय पचवर्षीय योजना काल मे राष्ट्रीय आय मे 25 प्रतिशत वृद्धि अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। औद्योगिक विकास की विचारधारा को प्रभावित करने के लिए राज्य की दूसरी योजना मे कई कार्यक्रमो को शामिल किया गया है। जैसे बाजार की दशाओ मे सुधार करना, नए उद्योगो की स्थापना करना, सरकारी तथा निजी दोनो क्षेत्रो मे। इस योजना काल मे यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 13 लाख व्यक्तियो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जायेगे। इस योजना की कुल निर्धारित धनराशि 248 करोड रूपये थी जिसका 17 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास मे व्यय किया गया।

इस योजना का उद्देश्य प्रान्त मे तीब्र औद्योगिक विकास करना था, जिसके अन्तर्गत भारी तथा आधारभूत उद्योगो की स्थापना तथा नए रोजगार के अवसर सृजित करना आदि थे। फलस्वरूप इस योजना काल मे सीमेण्ट, रसायन तथा एल्युमीनियम कारखाने, क्रमश एक डाला, दो रेनूकूट मे स्थापित किए गए। इस योजना काल मे गोरखपुर मे सात, मिर्जापुर मे तीन और बस्ती जनपद मे एक कारखाना स्थापित किया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना काल उत्तर प्रदेश देश के औद्योगिक मानचित्र मे यद्यपि महत्वपूर्ण स्थान नही रखता, फिर भी पिछले दशक मे औद्योगिक क्षेत्र मे कुछ वृद्धि हुई है। दुर्भाग्य से देश के सीमित ससाधनो तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए कम आवटन एव प्रान्तीय सरकार द्वारा स्वय औद्योगीकरण के लिए कोई विशाल कार्यक्रम न तैयार करने की स्थिति रही है। राज्य मे विशाल उद्योगो की स्थापना हेतु केन्द्रीय सरकार का सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए प्रान्त के तीव्र औद्योगीकरण के लिए प्रान्त में निजी उद्योगो की स्थापना हेतु आवश्यक दशाएँ उत्पन्न करनी होगी।

तृतीय योजना काल मे कुछ योजनाओ पर विचार किया गया है – जैसे मिर्जापुर जनपद मे ब्रास कापर उद्योग की स्थापना, चुनार मे पॉटरी विकास योजना का विस्तार तथा गोरखपुर जनपद मे सेरोकल्चर योजना आदि प्रमुख है। वर्तमान समय मे सेरोकल्चर योजना देवरिया जनपद मे कार्यरत है। टसर उद्योग के विकास हेतु पाइलट योजना 39 लाख रूपये की लागत से प्रारम्भ की गयी। यह योजना मिर्जापुर जनपद के

अहरौरा नामक स्थान पर खोलने के लिए प्रस्तावित थी, जहाँ पर अर्जुन, बेर तथा अन्य ऐसे वृक्ष है, जिन पर सिल्क के कीडे आसानी से पाले जा सकते है।

चतुर्थ योजना काल मे केवल कार्यशील औद्योगिक इकाइयो के विस्तार एव उनके विकास पर विशेष दिया गया है। सर्वाधिक वरीयता हैण्डलूम तथा पावरलूम, लघु स्तरीय उद्योगो (सिल्क, खादी तथा ग्रामीण लघु स्तरीय इकाइयाँ) तथा कृषि विकास हेतु अनेक योजनाओ पर एव नयी औद्योगिक इकाइयो की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है।

इस योजना अवधि मे दो बडे पावर प्रोजेक्टो की स्थापना की गयी है, जिनमे ओबरा मे थर्मल पावर स्टेशन तथा रिहन्द बॉध योजना को क्रमश 57 करोड एव 3 75 करोड रूपयो की लागत से तैयार किया गया। इनके अतिरिक्त 4 बडी औद्योगिक ईकाइयो की स्थापना की गयी है जैसे मेसर्स औद्योगिक वायु गैस, डी०एल०डब्ल्यू०, गैराडील, चीनी मिल औराई वाराणसी तथा सरैया स्टील काम्प्लेक्स गोरखपुर आदि स्थानो पर स्थापित किए गए है।

पॉचवी पचवर्षीय योजना मे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अधिकाश भाग कृषि पर आधारित रहा है, फिर भी खनन एव औद्योगिक क्षेत्र की आय मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र की आय जो वर्ष 1960-61 में 10.2 प्रतिशत थी, वही वर्ष 1970-71 मे बढकर 12 5 प्रतिशत हो गयी। फिर भी उत्तर प्रदेश मे प्रत्येक लाख व्यक्ति पर कारखानो मे कार्यरत श्रमिको की सख्या जहाँ वर्ष 1970-71 मे 475 थी, वही भारत मे उसी समय प्रत्येक लाख पर कारखानो मे कार्यरत श्रमिको की सख्या 901 थी। सकल घरेलू उत्पाद मे वृहद, मध्यम् एव लघु उद्योगो का 61 प्रतिशत था। प्रान्त के परम्परागत उद्योग जैसे – सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, तेल आदि खराब स्थिति मे थे।

पॉचवी पचवर्षीय योजना काल मे औद्योगिक विकास मे वृद्धि 8 से 10 प्रतिशत ऑकी गयी। राज्य की दो प्रधान औद्योगिक ईकाइयॉ, सूती वस्त्र उद्योग तथा चीनी उद्योग दोनो मे रही है। इस योजना काल मे चीनी उद्योग के विकास हेतु राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सुगर निगम की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप 4 नयी

चीनी मिलो की स्थापना की गयी, जो पैकोली, रसडा (बलिया), नन्दगज (गाजीपुर) तथा साथीन (आजमगढ) आदि है। पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के हैण्डलूम कारखाने राज्य की अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण स्थान रखते है। जैसे बनारस की रेशम की साडियॉ, विकास मे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

राज्य मे औद्यागिक क्षेत्र का विस्तार हेतु द्विउद्देशीय औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी, जिसका उद्देश्य रोजगार के नए अवसरो का सृजन, उत्पादित वस्तुओ का उचित एव समान वितरण रहा है। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे

(1) सहायक औद्योगिक ईकाइयो के विकास हेतु योजनाये

(2) पिछडे हुए जनपदो का विकास

(3) शिक्षित बेरोजगारो के लिए योजनाएँ

(4) उत्पादित सेलो की स्थापना आदि

कॉग्रेस के तीन दशक शासनकाल के पश्चात् केन्द्र तथा राज्य दोनो जगह जनता पार्टी की सरकार का शासनकाल आया। जनता पार्टी सरकार की औद्योगिक नीति कॉग्रेस सरकार की औद्योगिक नीति से भिन्न थी। जनता सरकार ने अपनी घोषित औद्योगिक नीतियो मे ग्रामीण एव लघु उद्योगो के विकास को प्राथमिकता प्रदान किया क्योकि इन उद्योगो के माध्यम से नए रोजगार के अवसरो का सृजन एव ग्रामीण क्षेत्रो मे औद्योगीकरण को बढावा दिया जा सकता है। सरकार ने कानूनी रूप से यह घोषणा की कि वृहद् स्तरीय उद्योगों को लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयो से प्रतियोगिता नही करनी चाहिए।

योजना आयोग ने पॉचवी पचवर्षीय योजना को अलग करके रोलिग प्लान की विचारधारा को घोषित किया। यह योजना 31 मार्च 1978 को समाप्त कर दी गयी।

छठी एव सातवी योजनाकाल मे उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण कार्यव्यवस्था मिश्रित विनियोग पर आधारित अर्थव्यवस्था है। राज्य मे नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रारम्भ होने के बाद से प्रान्तीय सरकार तीव्र औद्योगीकरण हेतु वचनबद्ध हो गयी। नियोजन काल मे सार्वजनिक क्षेत्र मे (सगठित उद्योग क्षेत्र, खनिज उद्योगो मे कुटीर एव लघु उद्योगो) औद्योगिक विकास के लिए अधिक व्यय किया गया। परिणामस्वरूप राज्य मे औद्योगिक रूचि मे तीव्रता से परिवर्तन आया।

छठी योजनाकाल मे (1980-85) सर्वप्रमुख वरीयता शक्ति के क्षेत्र को प्रदान की गयी। इस क्षेत्र मे कुल विनियोग का 30 59 प्रतिशत विनियोजित किया गया। तत्पश्चात् सिचाई एव बाढ नियत्रण को द्वितीय प्राथमिकता प्रदान की गयी। तत्पश्चात् यातायात एव सचार, औद्योगिक एव ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रो को क्रमश प्राथमिकताएँ प्रदान की गयी। सम्पूर्ण योजना काल मे उद्योग एव खनन क्षेत्र को छठॉ स्थान प्राप्त किया गया।

सातवी पचवर्षीय योजना काल मे प्रदेश के त्वरित एव समन्वित आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र के बडे–बडे उद्योगो की स्थापना के साथ–साथ लघु, लघुतर, ग्रामीण एव दस्तकारी उद्योगो का तेजी से विकास किया गया। छठी योजना के अन्त तक जहॉ प्रदेश मे 1,10,710 लघु औद्योगिक ईकाइयॉ स्थापित हो चुकी थी। उनकी सख्या बढकर सातवी योजना काल मे 2,16,251 हो गयी। इस प्रकार वृहद् एव मध्यम उद्योग क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। छठी योजना के अन्त मे 690 वृहद्! एवं मध्यम इकाईयॉ रू० 3,575 करोड के पूॅजी निवेश से स्थापित हुई थी, उनकी सख्या सातवी योजनाकाल मे बढकर 939 हो गयी, जिनमे कुल पूॅजी निवेश रू० 7,842.98 करोड हो गया। सातवी योजना काल मे अवस्थापना सुविधाओ के विकास, उद्यमिता विकास, उद्यमियो को प्राप्त सुविधाओ को आकर्षक बनाना एव त्वरित औद्योगीकरण के लिए आवश्यक साधनो, जैसे विद्युत, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने सम्बन्धी योजनाओ पर विशेष बल दिया गया जिसके फलस्वरूप इस येाजना काल मे औद्योगिक विकास दर 10.9 प्रतिशत हो गयी।[1]

सातवी योजना काल के अत मे प्रदेश मे 107 औद्योगिक क्षेत्र तथा 115 औद्योगिक स्थानो की स्थापना की जा चुकी थी। विकास खण्ड को भारी औद्योगीकरण का केन्द्र बनाने के उद्देश्य से ब्लाक स्तर पर अवस्थापना सुविधाओ का विकास किया गया। 67 मिनी औद्योगिक उन स्थान विकसित किए गए। इसके अतिरिक्त 105 अन्य स्थानो के विकास का कार्य विभिन्न चरणो पर था। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत देश मे 8 विकास केन्द्र विकसित किए गए। हर केन्द्र मे एक से दो हजार एकड क्षेत्रफल प्रस्तावित था और लगभग 30 करोड रूपये की लागत की अवस्थापना सुविधाओ का विकास किया गया।

---

1. वार्षिक योजना, वाल्यूम I (भाग II) 2000 पृष्ठ 95, नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश

देश के कुल हस्तशिल्प उत्पाद का छठा भाग उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश मे काली, आर्कमेटल वेयर, काष्ठ कला, चिकन, जरी, कलात्मक पॉटरी व चर्मकला वस्तुएँ देश ही नही वरन् विदेश मे भी ख्याति अर्जित कर चुकी है। इस योजनाकाल मे इस क्षेत्र मे लगभग 7,00,000 कारीगर कार्यरत थे, जिनके द्वारा प्रतिवर्ष 510 करोड रूपये मूल्य का हस्तशिल्प वस्तुओ का उत्पादन किया जाता था। इसमे से प्रतिवर्ष 400 करोड से अधिक का निर्यात होता था। चर्म उद्योग मे भी इस योजना काल मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पहले यह उद्योग कुटीर उद्योग तक ही सीमित था परन्तु अब इस योजना काल मे आधुनिक लघु व मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयॉ स्थापित हुई, जिनमे चमडा टेनिग, फिनिशिग, क्रामटेनिग इत्यादि होता है। वर्ष 188-89 मे उत्तर प्रदेश जल विकास एव विपणन निगम का कुल टर्नओवर 253 89 लाख रूपये था। वही 1989-90 मे बढकर 275 30 लाख हो गया। खादी एव ग्रामोद्योग क्षेत्र मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। खादी एव ग्रामोद्योग क्षेत्र की परिधि मे पहले केवल 26 उद्योग थे, परन्तु इस योजना काल से कोई भी उद्योग, चाहे वह विद्युत या बिना विद्युत से उत्पादन करता हो, जो ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाय, जहॉ की आबादी 10,000 से अधिक न हो तथा प्रति रोजगार के अवसर पर कुल स्थाई पूँजी निवेश 15,000 रूपये से अधिक न हो, ग्रामोद्योग की श्रेणी मे आये। ऐसे उद्योगो को विभिन्न विशिष्ट सुविधाएँ, जैसे बहुत कम ब्याज दर पर ऋण आदि उपलब्ध कराना, दी गयी। हथकरघा उद्योग के क्षेत्र मे, प्रदेश मे लगभग 15 लाख बुनकर इस उद्योग से जीविकोपार्जन करते है। वर्ष 188-89 मे जहॉ 653 96 मिलियन मीटर वस्तु का उत्पादन हुआ था, वही 1989-90 मे बढकर 660 88 मिलियन मीटर हो गया। वर्ष 1988-89 मे हथकरघा निगम का वार्षिक टर्नओवर 92.77 करोड रूपये था, जो 1989-90 मे बढकर 105 करोड रूपये हो गया। [2]

प्रदेश मे त्वरित औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शासन द्वारा इस योजना काल में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गयी। इस नयी औद्योगिक नीति मे सन्तुलित औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। पहली बार समाज के ऐसे वर्ग, जो आर्थिक विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएँ एव भूतपूर्व सैनिक इत्यादि को विशेष सुविधाये देकर औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

---

2. उत्तर प्रदेश मे उद्योगों का विकास, 1992-93, नियोजन एव समन्वय प्रभाग, कानपुर, पृष्ठ 14

सातवी योजना के पश्चात् प्रदेश मे दो वार्षिक योजनाएँ (1990-92) लागू की गयीं। इसका कारण राजनैतिक तथा आर्थिक अस्थिरता थी इन दो वर्षो मे औद्योगिक विकास की दर बहुत ही निम्न रही, जो कि 1 1 प्रतिशत थी। इन दो वार्षिक योजनाओ के अन्त मे वृहद् तथा लघु ईकाइयो की सख्या 279543 थी, जिसमे लघु इकाईयो मे 1679 64 करोड रूपये पूँजी विनियोजित की गयी तथा 1729674 व्यक्तियो को रोजगार मिला। 1990-92 की अवधि मे 1295 वृहद इकाईयॉ स्थापित की गयी तथा 4 85 लाख व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हुआ। इसी अवधि मे वृहद ईकाइयो द्वारा 1472 करोड रूपये की वस्तुओ का उत्पादन किया गया। [3]

आठवी पचवर्षीय योजना मे प्रदेश की औद्योगिक विकास दर मात्र 4 2 प्रतिशत रही। इस योजना के अन्त तक (1992-97) कुल 1656 वृहद् इकाईयॉ थी, जिनमे 29199 करोड रूपये की पूँजी विनियोजित थी तथा 7 23 लाख व्यक्ति सेवायोजित थे। इसी प्रकार लघु औद्योगिक ईकाइयो की वर्ष 1997 मे कुल सख्या 4 11 लाख थी, जिनमे 2714 42 करोड रूपये की पूँजी लगी थी। इन लघु ईकाइयो मे 21 64 लाख व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त था। इस प्रकार आठवी योजना अवधि मे 1 31 लाख लघु स्तरीय ईकाइयॉ तथा 661 वृहद् स्तरीय इकाईयॉ स्थापित हुई, जिनमे क्रमश 1679 करोड रूपये तथा 20956 करोड रूपये की पूँजी विनियोजित थी। इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र मे क्रमश 4 34 लाख तथा 1.27 लाख व्यक्ति इन इकाईयो मे कार्यरत थे। 1996-97 मे विनिर्माण क्षेत्र की कुल आय मे पजीकृत तथा गैर पजीकृत उद्योगो का योगदान क्रमश 59 53 प्रतिशत तथा 40.47 प्रतिशत था। [4]

नवी पचवर्षीय योजना का काल 1997 से 2002 तक का है। औद्योगिक विकास की व्यापक सभावनाओ, प्रचुर ससाधनो की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के दृष्टिगत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र मे अग्रणी राज्य बनाने तथा उद्योगो मे अधिकाधिक पूँजी निवेश आकर्षित करने हेतु प्रदेश सरकार ने वर्ष 1998 मे नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, सुरक्षित औद्योगिक वातावरण बनाने, लघु एव कुटीर उद्योगो को बढावा देने अनिवासी भारतीयो को पूँजी निवेश हेतु आकर्षित करने, सहभागिता एव सम्वेदनशील आर्थिक व्यवस्था कायम करने तथा उद्योगो को विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेज तथा पुराने उद्योगो को जीवन्त बनाने की

---

3. ऐनुअल प्लान, **1999-2000,** पृष्ठ **95,** नियोजन विभाग, उ०प्र०
4. वही।

रणनीति अपनायी गयी। इस नीति मे उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओ की उपलब्धता को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश मे बडी परियोजनाओ मे निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्फ्रास्ट्रक्चर इनीशियएटिव फण्ड की स्थापना की गयी है। प्रदेश की औद्योगिक सम्भावनाओ के पूर्ण उपयोग के लिए औद्योगिक गलियारों का विकास, उद्योगो को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, वितरण मे निजी क्षेत्र को दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। उद्योगो से सम्बन्धित विभागो मे बेहतर तालमेल, एकरूपता, उचित अनुश्रवण, पर्यवेक्षण तथा नीतियो मे सामजस्य लाने के उद्देश्य से औद्योगिक विकास आयुक्त का पद सृजित किया गया है। जिसके अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग, लघु उद्योग एव निर्यात प्रोत्साहन विभाग, वस्त्र उद्योग विभाग, हथकरघा विभाग, रेशम विभाग, इलेक्ट्रानिक्स एव इन्फारमेशन टेक्नॉलाजी विभाग एव खादी विभाग थे। ग्रामोद्योग को थ्रस्ट सेक्टर चिन्हित करते हुए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। पारम्परिक उद्योगो के विकास के लिए टेक्नॉलाजी मिशन 10 क्षेत्रो मे प्रारम्भ किया गया है। लघु उद्योगो के विपणन सहायता हेतु भी समुचित नीतियॉ एव कार्यक्रम बनाए गए।

प्रदेश की निर्यात नीति, निर्यात स्तर मे तत्परता एव सतत् वृद्धि हेतु तथा इसके फलस्वरूप प्रदेश के औद्योगिक विकास मे गति लाने के लिए सकल्प के साथ घोषित की गयी। उत्तर प्रदेश से वर्तमान मे 7500 करोड रूपये का निर्यात हो रहा है, जिसे वर्ष 2002 तक 20,000 करोड रूपये करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए प्रशासनिक एव सस्थागत व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्यात मे उपयोग होने वाले कच्चे माल आदि पर व्यापार कर की छूट, निर्यातक इकाईयो को ग्रीन कार्ड जारी करने सम्बन्धी अवस्थापना सुविधाओ को विकास एव उच्चीकरण, श्रम सम्बन्धी कानूनो के पुनरीक्षण आदि निर्यात नीति के प्रमुख बिन्दु है। निर्यात नीति मे सेक्टर स्पेसिफिकेशन प्लान प्रस्तावित है।

नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रतिपादित एकलमेज व्यवस्था, स्वरोजगार बन्धु एव टेक्नोलॉजी मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्रदेश की औद्योगिक गति को नयी दिशा मिली है। वर्ष 2000-01 के माह दिसम्बर 2000 तक प्रदेश मे कुल 20042 लघु औद्योगिक इकाइयो की स्थापना हुई, जिनमे 21775 लाख रूपये का पूँजी

निवेश हुआ तथा 45 हजार व्यक्तियो को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।[5] भारत सरकार द्वारा जारी आई०ई० एम० एव एल०ओ०आई० की क्रियान्वयन की समीक्षा एव अनुश्रवण किया जा रहा है तथा सख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के पश्चात् तीसरा स्थान है।

तालिका संख्या 3.1

उत्तर प्रदेश में योजनाकाल में औद्योगिक वृद्धि दर

योजना	योजनाकाल	औसत वार्षिक वृद्धि दर
प्रथम पचवर्षीय योजना	1951-1956	2 3%
द्वितीय पचवर्षीय योजना	1956-1961	1 7%
तृतीय पचवर्षीय योजना	1961-1966	5 7%
तीन वार्षिक योजनाएँ	1966-1969	1.2%
चतुर्थ पचवर्षीय योजना	1969-1974	3 4%
पॉचवी पचवर्षीय योजना	1974-1979	9 4%
छठी पचवर्षीय योजना	1980-1985	9.4%
सातवी पचवर्षीय योजना	1985-1990	10 95%
दो वार्षिक योजनाएँ	1990-1992	1 1%
आठवी पचवर्षीय योज़ना	1992-1997	4 2%
नवी पचवर्षीय योजना (लक्ष्य)	1997-2002	12%

1. एनुअल प्लान 1999-2000, पृष्ठ 93, नियोजन प्रभाग, उत्तर प्रदेश

प्रस्तुत तालिका के तथ्यो से स्पष्ट होता है कि प्रदेश मे औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है। पॉचवी पचवर्षीय योजना तक वार्षिक वृद्धि दर 5 7% को पार नही कर सकी है। जबकि लक्षित वृद्धि दर 8-10 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र मे वास्तविक तेजी पॉचवी पचवर्षीय योजना के पश्चात् आयी है सातवी पचवर्षीय योजना काल मे सर्वाधिक औद्योगिक वार्षिक दर 11 प्रतिशत रही है, जो फिर से घटकर आठवी योजना मे 4 2 प्रतिशत रह गयी।

5. प्रगति समीक्षा, 2000-01, उद्योग निदेशालय, कानपुर, उ० प्र०, पृष्ठ 8

यदि वृद्धि दर की धीमी गति को छोड दिया जाए, तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान, जो 1950-51 मे 6 प्रतिशत था, 1996-97 मे बढकर 15 7% हो गया। यह दर 1980-81 के मूल्यो पर आधारित है। इसी प्रकार विनिर्माण क्षेत्र की आय मे पजीकृत तथा गैर पजीकृत उद्योगो का योगदान क्रमश 39 प्रतिशत तथा 61 प्रतिशत था, जो 1996-97 मे बढकर क्रमश 59.53 प्रतिशत तथा 40 47 प्रतिशत हो गया, जो तीव्र विकास को प्रदर्शित करता है। [6]

वृहद् एवं मध्यम उद्योग :

प्रदेश के समुचित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश मे औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए सुनियोजित औद्योगिक योजनाएँ बनायी गयी है, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश मे वर्तमान कार्यरत उद्योगो को सुचारू रूप से कार्य करते रहने के साथ–साथ नयी औद्योगिक इकाईयो की स्थापना हेतु प्रयास करना है। प्रादेशिक औद्योगिक नीति को इस प्रकार बनाया गया है, जिससे प्रदेश के उद्यमियो के साथ– साथ प्रदेश के अन्य प्रान्तो के उद्यमी तथा प्रवासी भारतीय उद्यमियो को उत्तर प्रदेश मे उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित एव आकर्षित किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्रो मे कुछ विशिष्ट सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।

शासन ने क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए कुछ विशेष सुविधाये प्रदान की है, जिनके अन्तर्गत पायनियर एव प्रेस्टिज इकाइयो को उपादान दिए जाने की घोषणा की गयी है। उद्योग शून्य तहसीलो मे 1 करोड रूपये या उससे अधिक के अचल पूॅजी विनियोजन से सर्वप्रथम स्थापित की जाने वाली इकाई पायनियर इकाई कहलाएगी, तथा उसे 15 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के किसी भी जनपद मे 25 करोड रूपये या उससे अधिक अचल पूॅजी विनियोजन से स्थापित की जाने वाली इकाई प्रस्टिज कहलाएगी एव उसे 15 लाख अनुदान दिया जाएगा। प्रेस्टिज इकाई को 15 लाख रूपये अतिरिक्त अनुदान उस स्थिति मे देय होगा जबकि यह इकाई पूरक उद्योगो को भी पर्याप्त सीमा तक लगाने हेतु प्रोत्साहित करेगी। वर्ष 1989-90 के मार्च माह तक कुल 17 पायनियर तथा 2 प्रेस्टिज इकाईयॉ पजीकृत की

6. एनुअल प्लान 1999-2000, पृष्ठ 93, नियोजन प्रभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

गयी थी, जिनमे योजना के आरम्भ काल से 15 पायनियर तथा 1 प्रेस्टिज इकाई को 170 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। [7]

उद्योग शून्य जिलो मे विकास गति को तीव्र करने के लिए इन जिलो मे उद्योगो के लिए मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराने की योजना को उच्च वरीयता दी जा रही है। राज्य मे स्थापित ऐसे सभी उद्योग, जो दिनाक 1 अक्टूबर 1982 से 31 मार्च 1982 तक लग गए है तथा उत्पादन मे आ गए है, उन्हे उद्योग शून्य जिलो मे 7 वर्ष, पिछडे जिलो मे 6 वर्ष तथा साधारण जिलो मे 5 वर्ष के लिए बिक्रीकर छूट आस्थगन की सुविधा प्रदान की गयी है। सरकार की इस नीति का प्रदेश के उद्योगो मे पूँजी विनियोजन की दिशा मे रचनात्मक प्रभाव पडा है तथा इस आकर्षण मे बहार से उद्यमी उत्तर प्रदेश मे उद्योग स्थापित करने के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। [8]

भारत सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछडे 42 जिलो के लिए केन्द्रीय पूँजी उपादान योजना घोषित की है। इन 42 जिलो को तीन श्रेणी "ए" "बी" "सी" श्रेणी के जिलो मे पूँजी उपादान 15 प्रतिशत एव "सी" श्रेणी के जिलो मे पूँजी उपादान 10 प्रतिशत की दर से उद्योग स्थापना मे होने वाले अचल पूँजी विनियोजन मे किया जाता है। इस उपादान की अधिकतम धनराशि सीमा क्रमश 25 लाख, 15 लाख तथा 10 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। [9]

भारी एव मध्यम उद्योगो के क्षेत्र मे प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति पर है। सातवी योजना के अन्त तक इस श्रेणी की 939 इकाईयॉ स्थापित की जा चुकी थी जिनमे विनियोजन 7843 करोड रूपये तथा रोजगार सृजन 448968 था, जबकि वर्तमान कुल 2616 वृहद् एवं मध्यम स्तरीय उद्योग स्थापित हो चुके है, जिनमे 41266 20 करोड रूपये का पूँजी निवेश एव रोजगार सृजन के रूप मे 738582 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर के रूप में सुलभ होगे। [10]

भारत सरकार उद्योग मंत्रालय की औद्योगिक शिथिलीकरण नीति, 1991 के तहत मध्यम एव वृहद स्तरीय उद्योगो की स्थापना हेतु अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 तक 3966 इच्छापत्र (आई०ई०एम०) उद्यमियो के पक्ष मे जारी किए गए है।

---

7. उत्तर प्रदेश में उद्योगो का विकास, 1988-89, पृष्ठ 1, उद्योग निदेशालय, उ०प्र०
8. वही

जिनमे 68740 करोड रूपये का पूँजी विनियोजन एव 632586 व्यक्तियो को रोजगार प्रस्तावित है। [11]

उक्त जारी इच्छापत्रो के तहत उद्यमियो द्वारा उद्योग स्थापना हेतु अनुभव की जाने वाली कठिनाइयो के निराकरण हेतु उद्योग निदेशालय/उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी है। उद्योग बन्धु ने औद्योगिक विकास की नयी गति मे उद्यमियो तथा औद्योगिक सगठनो के साथ निकट एव निरन्तर सम्पर्क बनाए रखकर औद्योगिक प्रगति की मैत्रीपूर्ण एव साझेदारी की व्यवस्था बनाए जाने का प्रयास किया है। त्वरित निर्णय, सरल प्रक्रिया, अविलम्ब समस्या निवारण तथा पारदर्शी प्रशासन के आधार पर 31-12-2000 तक जारी 3066 इच्छापत्रो के विरूद्ध 2056 उद्योग प्रस्तावो से उद्योग स्थापित किए गए। 162 परियोजनाएँ क्रियान्वयन के अन्तिम चरण मे है तथा 1168 आई०ई०एम० उद्यमियो द्वारा उद्योग स्थापना मे विभाग द्वारा प्रयास के बावजूद रूचि नही ली गयी एव 580 आई०ई०एम० भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए है। [12]

भारत सरकार उद्योग मत्रालय की औद्योगिक शिथिलीकरण नीति 1991 के तहत मध्यम एव वृहद् उद्योगो की स्थापना हेतु अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 तक 360 आशय पत्र प्राप्त हुए। जिनमे पूँजी विनियोजन 9,919 करोड रूपये तथा 103100 व्यक्तियो को रोजगार सृजन प्रस्तावित है।

तालिका - 3.2

विगत वर्षो में इच्छापत्रों का पूँजी विनियोजन तथा रोजगार सहित तुलनात्मक विवरण

वर्ष	जारी इच्छापत्र	पूँजी विनियोजन (करोड रूपये मे)	रोजगार संख्या
1996	520	6504	81698
1997	403	5155	51723
1998	273	3244	41028
1999	228	5403	27794
2000	260	2011	21767

स्रोत · उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास, 2000-01, पेज 5 उद्योग निदेशालय, कानपुर

11. प्रगति समीक्षा, **2000-2001**, पृ०५, उद्योग निदेशालय, कानपुर,
12. वही

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि विगत् 5 वर्षो मे जारी इच्छापत्र, पूँजी विनियोजन तथा रोजगार सृजन की दृष्टि से वर्ष 1996 अग्रणी रहा है। परन्तु, इसके बाद इनमे निरन्तर गिरावट आयी है जो 1998 मे न्यूनतम थी। जबकि जारी इच्छापत्र की दृष्टि से वर्ष 1999 सबसे नीचे रहा है।

तालिका - 3.3

उत्तर प्रदेश में विभिन्न मदों द्वारा अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 तक पूँजी निवेश प्रस्ताव

क्र स	मद	सख्या	पूँजी निवेश (करोड रू० मे)	रोजगार सृजन
1.	आई०ई०एम०	3966	68740	632586
2	एल०ओ०आई०	360	9919	103100
3.	एफ०डी०आई	436	41348	—
4.	एफ०टी०सी०	267	—	—
5.	ई०ओ०यू०	204	2042	35955

स्रोत . उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास, 2000-01, पेज 7 उद्योग निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर

1. आई०ई०एम० – उद्यमी इच्छा पत्र
2. एल०ओ०आई० – लेटर ऑफ इन्डेट या आशय पत्र
3. एफ०डी०आई० – प्रत्यक्ष पूँजी निवेश (फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट)
4. एफ०टी०सी० – विदेशी तकनीकी समन्वय (फारेन टेक्नीकल कोलैबरेशन)
5. ई०ओ०यू० – शत–प्रतिशत निर्यात मूलक इकाई (100% एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट)

उपर्युक्त तालिका मे उत्तर प्रदेश मे अगस्त 1991 से 31 दिसम्बर 2000 क अवधि मे विभिन्न योजनाओ द्वारा निवेश प्रस्तावो की संख्या, उनमे पूँजी निवेश की मात्रा तथा सृजित रोजगार के अवसरो की सख्या का उल्लेख है। उपरोक्त अवधि मे आई०ई०एम० की योजना के अन्तर्गत 3966 पूँजी निवेश प्रस्ताव आए जिनमे 68740 करोड रूपये की पूँजी लगनी थी तथा 632586 रोजगार अवसर सृजित हुए। एल०ओ०आई० योजना के अन्तर्गत 360 पूँजी निवेश प्रस्ताव आए, जिनमे 9919 करोड

रूपये की पूँजी तथा 103100 रोजगार के अवसर सृजित होने थे। प्रत्यक्ष पूँजी निवेश योजना के अन्तर्गत 436 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमे 41348 मिलियन रूपये की विदेशी भागीदारी होनी थी। विदेशी तकनीकी समन्वय योजना मे 267 प्रस्ताव आए। इसी प्रकार शत–प्रतिशत निर्यातमूलक अधिकारियो से 204 प्रस्ताव आए, जिनमे 2042 करोड रूपये की पूँजी तथा 35955 रोजगार के अवसर सृजित हुए। इस प्रकार विगत् 10 वर्षो मे कुल 5233 प्रस्ताव आए, जिनमे आई०ई०एम० मद के अन्तर्गत कुल निवेश का 75 प्रतिशत प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ।

तालिका - 3.4

उत्तर प्रदेश में में योजनाकाल में वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार तथा उत्पादन

क्र स	योजनाकाल	रोजगार	उत्पादन (करोड रू० मे)
1.	प्रथम पचवर्षीय योजना	24960	156
2.	द्वितीय पचवर्षीय योजना	84480	669
3.	तृतीय पचवर्षीय योजना	147040	1232
4.	तीन वार्षिक योजनाएँ	168480	1404
5.	चतुर्थ पचवर्षीय योजना	216960	2079
6	पॉचवी पचवर्षीय योजना	268800	2800
7	वार्षिक योजना (1979-80)	280800	3030
8	छठी पचवर्षीय योजना	332580	3575
9.	सातवीं पचवर्षीय योजना	458650	8243
10	वार्षिक योजना (1990-91)	464959	9215
11.	वार्षिक योजना (1991-92)	485214	9715
12	आठवी पंचवर्षीय योजना	611919	29199
13.	नवी पचवर्षीय योजना (लक्ष्य)	600000	70000

स्रोत : वार्षिक योजना, 1999-2000, भाग 2, नियोजन विभाग, लखनऊ, उ०प्र०। पृष्ठ 95

उपरोक्त तालिका मे उत्तर प्रदेश मे वृहद् एव मध्यम उद्योगो का योजनाकाल मे रोजगार तथा उत्पादन प्रदर्शित है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे वृहद् उद्योगो से

24960 व्यक्तियो को रोजगार मिला था। दूसरी योजना मे 59520, तीसरी मे 62560, चौथी मे 69920, पॉचवी मे 51840, छठी मे 63700, सातवी मे 126070 तथा आठवी योजना मे 126705 रोजगार के अवसरो मे वृद्धि हुई। इस प्रकार पिछली पचवर्षीय योजना से सर्वाधिक वृद्धि आठवी योजना 126705 व्यक्तियो मे हुई। सबसे कम वृद्धि पॉचवी योजना 51840 मे हुई।

इस प्रकार वृहद् एव मध्यम उद्योगो के उत्पादन मे भी प्रत्येक योजना मे वृद्धि हुई। प्रथम पचवर्षीय योजना मे वृहद् उद्योगो मे कुल उत्पादन 156 करोड रूपये का हुआ। आठवी योजना मे उत्पादन बढकर 291999 करोड रूपये का हुआ। इस प्रकार प्रथम योजना से आठवी योजना मे 29043 करोड की वृद्धि हुई।

तालिका - 3.5

योजना अवधि में उत्तर प्रदेश में वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की संख्या

पचवर्षीय योजना	इकाईयो की सख्या	प्रतिशत वृद्धि
प्रथम योज़ना	62	
द्वितीय योजना	174	180 6%
तृतीय योजना	308	77 01%
तीन वार्षिक योजनाऍ	361	14.68%
चतुर्थ योजना	462	27 98%
पॉचवी योजना	540	16 88%
वार्षिक योजना	548	1.48%
छठी योजना	690	23 91%
सातवी योजना	989	43 33%
आठवी योजना	1956	97.78%
नौवी योजना (मार्च 99 तक)	2281	16 61%

स्रोत : वार्षिक योजना, 1999-2000, वाल्यूम 1, (भाग-2), उ०प्र०, पृष्ठ 95

उपरोक्त तालिका मे प्रदेश मे वृहद् एव मध्यम उद्योग मे पचवर्षीय योजनावधि (1951-56) मे वृहद् औद्योगिक इकाइयो की सख्या 62 थी। वृहद् इकाइयो की सख्या

मे लगातार वृद्धि हुई। सबसे अधिक इकाइयो आठवी योजनावधि मे स्थापित हुई। इसमे 967 वृहद् औद्योगिक इकाइयो की स्थापना की गयी। नवी पचवर्षीय योजना मे मार्च 1999 तक कुल वृहद् औद्योगिक इकाइयो की सख्या 2281 हो गयी।

लघु उद्योग क्षेत्र :

साधारणत लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर अथवा गृह उद्योग, ग्रामोद्योग को वृहत उद्योगो के विपरीत अर्थ मे समझा जाता है। वृहत उद्योगो मे श्रम की अपेक्षा पूँजी अधिक मात्रा मे विनियोजन कर बडे पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इसलिए इसे पूँजी प्रधान उद्योग भी कहा जाता है। जबकि लघु उद्योग मे छोटे पैमाने पर उत्पादन होता है तथा श्रम का पूँजी की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है।

1949-50 के तटकर आयोग के अनुसार "लघु या कुटीर उद्योग धन्धे, वे धन्धे है, जो अशत परिवार के सदस्यो की सहायता द्वारा आशिक या पूर्णकालिक रूप मे चलाए जाते है।"

लघु उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिनमे निम्न दो शर्ते निहित हो

1. औद्योगिक इकाईयो मे शक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमे न्यूनतम 50 श्रमिक तथा अधिकतम 100 श्रमिक होने चाहिए।
2 कुल विनियोजित पूँजी 5 लाख रूपये से अधिक न हो, परन्तु केन्द्रीय लघु स्तरीय परिषद् की सिफारिश के आधार पर विनियोग की अधिकतम सीमा बढाकर 7.5 लाख रूपये कर दी गयी, चाहे श्रमिको की सख्या जो भी हो। [13]

मई 1975 मे लघु एव सहायक उद्योगो की परिभाषा को सशोधित करते हुए निम्न परिभाषा दी गयी ·

"लघु उद्योग वे है, जिनकी अचल सम्पत्तियो मे 10 लाख रूपये से अधिक पूँजी विनियोजित न की गयी हो तथा सहायक लघु उद्योग वे उद्योग है, जिनकी अचल सम्पत्तियो मे 15 लाख रूपये से अधिक विनियोग न किया हो"। [14]

---

13. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र जे० एन०, 2000
14. वही।

दिसम्बर 1977 मे जनता सरकार ने अति लघु उद्योग की सकल्पना को जन्म दिया। 1977 को औद्योगिक नीति के अनुसार "अति लघु उद्योग वे है, जिनमे विनियोग की गयी पूँजी की मात्रा 1 लाख रूपये या उससे कम हो तथा जो ऐसे क्षेत्र मे स्थापित की गयी हो, जिसकी जनसख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 50,000 या इससे कम हो" [15]

वर्ष 1980 मे घोषित औद्योगिक नीति मे इस क्षेत्र मे परिवर्तन किए गए। लघु उद्योगो मे अधिकतम पूँजी विनियोग 20 लाख, सहायक उद्योगो मे 2 लाख कर दिया गया। वर्ष 1985 मे विनियोग सीमा मे वृद्धि कर लघु उद्योगो के सयत्र एव मशीनरी मे निवेश सीमा 35 लाख रूपये एव सहायक उद्योगो मे 45 लाख रूपये कर दी गयी। [16] वर्ष 1991 तथा 1997 मे इस सीमा मे पुन वृद्धि की गयी। वर्ष 1999 की नीति के अनुसार वर्तमान लघु उद्योगो के लिए निवेश सीमा 1 करोड रूपये तथा अति लघु उद्योग के लिए 25 लाख रूपये रखी गयी। [17]

प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की अधिकाश जनसख्या ग्रामीण है। प्रदेश की कुल जनसख्या का काफी बडा हिस्सा कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है तथा इसमे प्रच्छन्न बेरोजगारी का बोलबाला है। अत इस प्रच्छन्न बेरोजगारी का निवारण कुटीर एव लघु उद्योग के विकास मे निहित है।

लघु उद्योगो के तीव्र विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विविध सुविधाये एव प्रोत्साहन दिए जा रहे है, जिनमे व्यापार कर योजना के अन्तर्गत छूट, औद्योगिक शिल्पियो को प्रशिक्षण, लघु उद्योग इकाइयो को सरकारी क्रय मूल्य मे वरीयता, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाये, विकासात्मक व्यवस्था तथा प्रधानमत्री रोजगार योजना उल्लेखनीय है।

इन सबके फलस्वरूप लघु उद्योग के क्षेत्र मे आशातीत प्रगति हुयी है तथा अब इस क्षेत्र के द्वारा आधुनिक वस्तुएँ जैसे इलेक्ट्रानिक एव इजीनियरिंग वस्तुओ का उत्पादन किया जा रहा है।

तालिका - 3.6

उत्तर प्रदेश में लघु एवं लघुत्तर इकाइयों की संख्या एवं उत्पादन

क्र स	वर्ष	लघु एव लघुत्तर इकाइयो की सख्या	उत्पादन (करोड रू० मे)
1	1990-91 तक	216251	4186 00
2	1990-91	30248	258 12
3	1991-92	33048	347 11
4	1992-93	32807	448 99
5	1993-94	32808	484 32
6	1994-95	6033	321 94
7	1995-96	29627	512 16
8.	1996-97	30155	581 61
9	1997-98	30630	1212 41
10.	1998-99	30134	1436 92
11	1999-2000	32212	1373 62
12	2000-2001	20042	557.35
	योग	523995	

स्रोत उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

उपरोक्त तालिका मे उत्तर प्रदेश मे वर्षवार स्थापित लघु एव लघुतर इकाइयो की सख्या एव उत्पादन को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1989-90 तक कुल 216251 लघु औद्योगिक इकाइयॉ प्रदेश मे स्थापित थी, जिनके द्वारा 4186 करोड रूपये की वस्तुओ का उत्पादन किया गया। वर्ष 1990-91 से 2000-2001 की विगत 10 वर्षो की अवधि मे सबसे अधिक सख्या मे लघु औद्योगिक इकाइयॉ 1991-92 मे स्थापित हुई, जिनकी कुल सख्या 33048 थी, जबकि उनके द्वारा मात्र 347 11 करोड रूपये मूल्य की वस्तुओ का उत्पादन किया गया। विभिन्न वर्षो मे स्थापित लघु इकाइयो की सख्या मे 500 से 1000 इकाइयो का ही अन्तर रहा। वर्ष 1994-95 इसका अपवाद है। इस वर्ष मात्र 6033 लघु औद्योगिक इकाइयो की स्थापना हो सकी।

इसी प्रकार लघु औद्योगिक इकाइयो के उत्पादन मे भी लगातार वृद्धि हुई। विगत् वर्षो की अवधि मे सबसे अधिक उत्पादन 1436 92 करोड रूपये वर्ष 1998-99 मे हुआ। उत्पादन मे सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 1997-98 मे हुई जो गत वर्ष की तुलना मे 108 05 प्रतिशत थी। वर्ष 1994-95 को छोडकर उत्पादन मे लगातार वृद्धि हुई। 1994-95 मे मात्रा 321 94 करोड रूपये की वस्तुओ का उत्पादन हो सका।

तालिका - 3.7

उत्तर प्रदेश में लघु एवं लघुत्तर इकाईयों में पूँजी विनियोजन एवं रोजगार

क्र स	वर्ष	पूँजी विनियोजन (करोड रू० मे)	सृजित रोजगार
1	1990-91	153 47	148967
2	1991-92	208 48	137647
3	1992-93	206 50	117240
4.	1994-95	205 04	112652
5	1995-96	249 90	81453
6.	1996-97	266 31	95001
7.	1997-98	403 89	80132
8.	1998-99	399.41	74347
9	1999-2000	370.25	76671
10.	2000-2001 (दिसम्बर तक)	217 75	45400

स्रोत . उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर

उपरोक्त तालिका मे प्रदेश मे लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयो द्वारा सृजित रोजगार तथा उनमें विनियोजित पूँजी दर्शित है। वर्ष 1990-91 मे प्रदेश मे लघु औद्योगिक इकाइयों मे 153.47 करोड रूपये की पूँजी विनियोजित की गयी, जिसके द्वारा 148967 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार लघु औद्योगिक इकाइयो में विनियोग की गयी राशि मे लगातार वृद्धि होती रही। वर्ष 1997-98 में लघु औद्योगिक इकाइयो मे सबसे अधिक पूँजी (403 89 करोड रूपये) विनियोजित की गयी,

जबकि वर्ष 1994-95 मे सबसे कम पूॅजी विनियोग (104 54 करोड रूपये) हुआ। प्रदेश मे 1990-91 मे 148967 व्यक्तियो को लघु इकाइयो द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया गया। परन्तु, इसके बाद 1994-95 तक रोजगार मे लगातार गिरावट आयी। 1994-95 मे मात्र 28229 व्यक्तियो को रोजगार दिया गया। इसके बाद लघु इकाइयो द्वारा रोजगार सृजन मे वृद्धि हुई, जो 1999-2000 मे 76671 था।

तालिका - 3.8

उत्तर प्रदेश में विगत् वर्षो में दस्तकारी इकाइयों की संख्या एवं उत्पादन

क्र स	वर्ष	स्थापित इकाइयो की सख्या	उत्पादन (करोड रू० मे)
1	1990-91	40798	40 41
2.	1991-92	43965	30 77
3	1992-93	39718	35 35
4	1993-94	43012	33 79
5.	1994-95	42247	38 29
6.	1995-96	35017	30 56
7	1996-97	43601	43 54
8	1997-98	43659	47 50
9.	1998-99	44303	59.57
10.	1999-2000	43788	116.88
11.	2000-2001	28671	29.71

स्रोत प्रगति समीक्षा, 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-91 से 2000-2001 मे मध्य कुल 448779 दस्तकारी इकाइयॉ स्थापित थी। सर्वाधिक दस्तकारी इकाइयो की स्थापना 1998-99 मे हुई। इस वर्ष दस्तकारी इकाइयो की स्थापना हुई जिनके द्वारा 59 77 करोड रूपये की वस्तुओ का उत्पादन किया गया। दूसरे स्थान पर वर्ष 1990-91 रहा। इस वर्ष 43965 इकाइयॉ स्थापित हुई, जिनके द्वारा 30 77 करोड

रूपये की वस्तु का उत्पादन किया गया। वर्ष 2000-2001 के दिसम्बर माह तक 28671 इकाइयॉ स्थापित हुई थी, जिनके द्वारा मात्र 29.71 करोड रूपये की वस्तुओ का ही उत्पादन किया जा सका। दस्तकारी इकाइयो द्वारा सर्वाधिक उत्पादन 116 88 करोड रूपये का वर्ष 1999-2000 मे किया गया। जबकि सबसे कम उत्पादन वर्ष 1995-96 मे 30.56 रूपये का रहा।

तालिका - 3.9

उत्तर प्रदेश में दस्तकारी इकाइयों में विगत वर्षो में पूँजी विनियोजन एवं सृजित उत्पादन

क्र स	वर्ष	स्थापित इकाइयो की सख्या	उत्पादन (करोड रू० मे)
1.	1990-91	27.60	46033
2.	1991-92	24.78	49068
3	1992-93	28 60	44976
4.	1993-94	23.12	48811
5	1994-95	28 84	46068
6.	1995-96	22 04	37526
7.	1996-97	40 41	47085
8.	1997-98	34.58	46004
9.	1998-99	35.62	48077
10.	1999-2000	60.87	47345
11.	2000-2001	24.04	30218

स्रोत . उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, 2000-2001, पृष्ठ 11, उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-91 से 2000-2001 के 10 वर्षो की अवधि मे दस्तकारी इकाइयो मे 326.46 करोड रूपये की पूॅजी विनियोजित हुई। वर्ष 1990-91 मे 27.6 करोड रूपये की पूॅजी का विनियोग किया गया। जबकि 1999-2000 मे 60.87 करोड रूपये की पूॅजी दस्तकारी इकाइयो मे विनियोजित की गयी, जो विगत् वर्षो में सबसे अधिक रही। सबसे कम पूॅजी विनियोजन 22.04 करोड रूपये वर्ष 1995-96 मे हुआ।

वर्ष 1990-91 मे दस्तकारी इकाइयो द्वारा प्रदेश मे 46033 व्यक्तियो को रोजगार प्रदान किया गया। जबकि वर्ष 1999-2000 मे सृजित रोजगार की सख्या 47345 रही। दस्तकारी इकाइयो द्वारा सबसे अधिक रोजगार 486011 वर्ष 1993-94 मे दिया गया, जबकि उस वर्ष इन इकाइयो मे मात्र 23 12 करोड रूपये की पूँजी का विनियोग किया गया। 1995-96 मे मात्र 37526 व्यक्तियो को ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सका, जो दर्शित वर्षो मे सबसे कम है, जबकि उस वर्ष पूँजी विनियोजन 22 04 करोड रूपये का रहा। इस प्रकार वर्ष 1995-96 मे दस्तकारी इकाइयो के लिए पूँजी विनियोजन तथा उसके द्वारा सृजित रोजगार अवसर की दृष्टि से कमजोर रहा। वर्ष 2001 के दिसम्बर माह तक विनियोजित पूँजी 24.04 करोड रूपये थी तथा 30218 व्यक्तियो को रोजगार दिया जा सका।

तालिका - 3.10

उत्तर प्रदेश में योजना काल में लघु स्तरीय इकाइयों में रोजगार एवं उत्पादन

योजना अवधि	सृजित रोजगार	उत्पादन (करोड रू० मे)
प्रथम पचवर्षीय योजना	29898	34 50
द्वितीय पचवर्षीय योजना	48382	50 16
तृतीय पचवर्षीय योजना	114431	101 49
तीन वार्षिक योजनाएँ	124738	128 82
चौथी पचवर्षीय योजना	160027	249.00
पॉचवी पंचवर्षीय योजना	475180	882.00
वार्षिक योजना	538260	1002.00
छठी पचवर्षीय योजना	920756	2143 00
सातवी पचवर्षीय योजना	1445060	4173 64
वार्षिक योजना 1990-91	1592027	4458 76
वार्षिक योजना 1991-92	1729674	4721 23
आठवी पचवर्षीय योजना	2164259	7070 18
नवी पचवर्षीय योजना (लक्ष्य)	800000	

स्रोत वार्षिक योजना, **1999-2000,** वाल्यूम **1,** भाग , योजना विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ **95**।

उपर्युक्त तालिका मे पचवर्षीय योजना अवधि मे उत्तर प्रदेश मे लघु स्तरीय इकाइयो द्वारा किया गया उत्पादन तथा सृजित रोजगार दर्शित है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे 29898 व्यक्तियो को रोजगार प्रदान किया गया, जो लगातार बढता गया। द्वितीय योजना मे 61 8 प्रतिशत, तृतीय योजना मे 136 8 प्रतिशत की वृद्धि रोजगार मे हुई। इस प्रकार लघु स्तरीय इकाइयो से बेरोजगारो को गुणात्मक रूप से रोजगार प्राप्त हुआ। आठवी पचवर्षीय येाजना मे अन्त तक 2164259 व्यक्तियो को लघु स्तरीय इकाइयो द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार लघु स्तरीय इकाइयो द्वारा किए गए उत्पादन मे भी लगातार वृद्धि हुई। प्रथम पचवर्षीय येाजना मे 34 5 करोड, द्वितीय योजना मे 50 16 एव तृतीय योजना मे 101 49 करोड रूपये के मूल्य की वस्तुओ का उत्पादन लघु स्तरीय इकाइयो द्वारा किया गया। प्रदेश मे वास्तविक औद्योगिक विकास चौथी पचवर्षीय योजना के बाद हुआ। पचवर्षीय योजना मे लघु स्तरीय इकाइयो द्वारा 882 करोड रूपये की वस्तुओ का उत्पादन किया गया, जो आठवी पचवर्षीय योजना मे बढकर 7070.18 करोड रूपये का हो गया।

इस प्रकार चाहे वह लघु उद्योग हो या वृहद उद्योग, दोनो मे ही योजना काल मे वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश मे रोजगार सृजन मे लघु औद्योगिक इकाइयो का विशेष स्थान रहा है। प्रथम योजना काल मे लघु इकाइयो द्वारा 29898 था, जो आठवी पचवर्षीय योजना के अन्त तक बढकर 2164259 हो गया। इसी प्रकार इन इकाइयो द्वारा उत्पादन मे भी आशातीत वृद्धि हुई है। प्रथम पचवर्षीय योजना मे लघु स्तरीय इकाइयो द्वारा 34.50 करोड रूपये की वस्तुओ का उत्पादन किया गया, जो आठवी पंचवर्षीय योजना मे 7070.18 करोड रूपये का हुआ।

अध्याय 4

औद्योगिक रूग्णता : अर्थ, व्याप्ति, कारण एवं परिणाम

संकल्पना :

औद्योगिक विकास किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अग होता है। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी उपलब्धि, उदारीकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग मे औद्योगिक आधार देश की अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया है। विगत् कुछ वर्षो से भारतीय पटल पर सगठित एव असगठित औद्योगिक क्षेत्र मे रूग्णता की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस प्रकार की रूग्णता न केवल नियोजको एव कर्मचारियो को प्रभावित करती है वरन् सम्पूर्ण समाज एव अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है।

औद्योगिक रूग्णता क्या है? लाभो या उत्पादन मे गिरावट अथवा दोनो मे गिरावट, जो नकद हानि को उत्पन्न करे। इसके परिणाम स्वरूप अनेक औद्योगिक इकाइयॉ बन्द हो जाती है। वर्तमान समय मे औद्योगिक क्षेत्र मे इस प्रकार की समस्या ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल उत्पादन मे ही गिरावट होती जा रही है, बल्कि ऐसी रूग्ण इकाइयो से जुडे श्रमिको का भी स्थानान्तरण हो रहा है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी "विशेष प्रावधान" अधिनियम 1985 के पारित होने के पूर्व सम्पूर्ण देश मे औद्योगिक रूग्णता की परिभाषा के विषय मे मतभेद था। भारतीय रिजर्व बैक, दीर्घकालीन ऋणदेय सस्थाऍ तथा भारतीय स्टैट बैक रूग्ण उद्योग की परिभाषा अलग–अलग ढग से करते थे। परन्तु रूग्ण औद्योगिक कम्पनी "विशेष प्रावधान" अधिनियम 1985 के पारित हो जाने के पश्चात् इस विषय पर कोई मतभेद नही रहा। इस अधिनियम के अनुसार –

"एक औद्योगिक रूग्ण इकाई वह है जो अपने सम्पूर्ण मूल्य मे किसी वित्तीय वर्ष में हानि को सहन करती हो तथा जिसमे नकद हानि अगले वित्तीय वर्ष या उस वित्तीय वर्ष मे हुई हो।"

भारतीय रिजर्व बैक के अनुसार "एक रूग्ण उद्योग का अर्थ है – एक मध्यम अथवा बडी (गैर लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी कम्पनी जो 7 वर्षो से पजीकृत हो) औद्योगिक कम्पनी, जिसे वित्तीय वर्ष के अन्त मे अपने कुल शुद्ध मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक सचित हानि हुई हो तथा उसे उस वित्तीय वर्ष मे और उस वित्तीय वर्ष के पूर्व के दौरान नकद हानि हुई हो।"

भारतीय रिजर्व बैक के अनुसार लघु औद्योगिक इकाई को तभी रूग्ण माना जाएगा जब कि –

(क) उसे पिछले लेखा मे नकद हानि हुई हो तथा चालू लेखा वर्ष मे भी उसे नकद हानि होने की सम्भावना हो तथा इन सचयी नकद हानियो के कारण उसकी निवल सम्पत्ति मे 50 प्रतिशत या इससे अधिक का ह्रास हुआ हो तथा/अथवा

(ख) उससे लगातार ब्याज की 4 तिमाही किश्तो अथवा सावधि ऋण के मूलधन की 2 छमाही किश्तो का भुगतान करने मे चूक हई हो तथा बैक की उसकी ऋण सीमाओ के परिचालन मे अनियमितताएँ हो।

बडी लघु इकाइयो के विषय मे "क" तथा "ख" दोनो शर्ते पूरी होनी चाहिए तथा अति लघु एव विकेन्द्रीकृत इकाइयो के मामले मे किसी एक शर्त "क" या "ख" का पूरा होना पर्याप्त होगा। [1]

प्रारम्भ मे रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 मे केवल निजी क्षेत्र की इकाइयो को शामिल किया गया था, परन्तु दिसम्बर 1991 से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया। 1992 के सशोधन विधेयक द्वारा 1985 के रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम मे 2 परिवर्तन किए गए। रजिस्ट्रेशन की अवधि 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गयी तथा नकद हानि को छोड दिया गया। [2]

भारतीय औद्योगिक क्रेडिट विनियोग अधिनियम के अनुसार "एक रूग्ण उद्योग वह है, जहाँ वित्तीय कार्यशीलता विपरीत कारको से प्रभावित होती है जो प्रबन्धकीय, बाजारी वित्तीय भार, श्रम सम्बन्ध आदि के रूप मे है। जब इन कारको का प्रभाव ऐसी स्थिति मे पहुँचता है तब औद्योगिक इकाई नकद हानि उठाने लगती है, जिससे उसके वित्त मे कमी होने लगती है और इसकी वित्तीय स्थायित्वता खतरे मे पड जाती है, तो इसे औद्योगिक रूग्ण इकाई कहा जाता है।

रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम "विशेष प्रावधान" 1985 अधिनियम के अन्तर्गत किसी औद्योगिक इकाई को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप मे वर्गीकृत करते समय निम्न तथ्यो को ध्यान मे रखना आवश्यक है

स्रोत 1. उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास 1999-2000, पृष्ठ 18

1 लघु स्तरीय/अति लघु इकाइयॉ इस अधिनियम के अन्तर्गत नही आती है।

2 साझेदारी फर्म तथा एकल स्वामित्व वाली सस्थाऍ भी इस अधिनियम के सीमा क्षेत्र से बाहर है।

3. कम्पनी का पजीकरण हुए 5 वर्ष हो गए हो।

कमजोर, मध्यम एवं वृहद् स्तरीय इकाईयॉ :

बहुत सी कमजोर इकाइयॉ, जो रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 की परिभाषा के अन्तर्गत नही आती है एव ऐसी इकाइयॉ, जिनका सचालन साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व द्वारा हो रहा हो, भी पुनर्वासन के योग्य होती है। इन इकाइयो को बैकों द्वारा सुविधाऍ प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैक ने कमजोर इकाइयो की निम्न परिभाषा दी है

"कोई भी इकाई कमजोर इकाई मानी जाएगी, यदि किसी वित्तीय वर्ष के अन्त मे उसकी कुल सचित हानि उसके शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो गयी हो।"

यहॉ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि कमजोर इकाइयो के अन्तर्गत लिमिटेड कम्पनियॉ, साझेदारी सस्थाऍ, एकल स्वामित्व आते है। यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि रूग्ण एव कमजोर इकाइयो का वर्गीकरण लघु स्तरीय इकाइयो के सन्दर्भ मे लागू नही होता है।[3] उपर्युक्त परिभाषाओ मे निवल सम्पत्ति से आशय प्रदत्त पूॅजी तथा रिजर्व के योग से है। रिजर्व के अन्तर्गत ऐसे रिजर्व शामिल किए जाते है जो लाभ तथा शेयर प्रीमियम खाते से क्रेडिट किए गए हो। इसमे ऐसे रिजर्व शामिल नही होगे, जो सम्पत्तियो के पुर्नमूल्याकन, एकीकरण तथा ह्रास के प्रावधान के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हो।

औद्योगिक रूग्णता की परिभाषाऍ मुख्यत निम्न बातो को समहित करती है

1 जब औद्योगिक इकाई मे सकारात्मक कार्यशील पूॅजी हो अर्थात् ऋणो को लेकर वर्तमान दायित्व, वर्तमान आदेयो से अधिक हो।

2. जब इकाई एक वर्ष से लगातार हानि से गुजर रही हो तथा आगे भी नकद हानि की स्थिति बनी रहे।

---

3 रिपोर्ट आफ सब वर्किंग ग्रुप, कान्सटीट्यूटेड वाई यू०पी० गवर्नमेण्ट, पृष्ठ 4

3 जब इकाई की ऋण सेवाओ (लाभ) की तुलना मे नकद प्रवाह अधिक हो।

4 औद्योगिक इकाई की क्षमता, अपने पॉच वर्ष की प्राप्तियो का 50 प्रतिशत से कम उपयोग करती हो।

5 औद्योगिक इकाई के कुल मूल्य का 50 प्रतिशत नष्ट हो गया हो।

6 औद्योगिक इकाई कम से कम छ माह से बन्द चल रही हो।

एक औद्योगिक रूग्ण इकाई को इस रूप मे देखा जा सकता है कि वह लगातार हानि के कारण अतिरेक को जन्म देने मे असफलत हो तथा वह अपने अस्तित्व के लिए लगातार वाह्य ऋणो पर आश्रित रहती हो। एक रूग्ण औद्योगिक इकाई अपने वाह्य तथा आन्तरिक दायित्वो को निभाने मे असफल रहती है।

इस प्रकार किसी भी औद्योगिक इकाई को रूग्णता की श्रृखला मे तभी जोडा जाता है, जब वह इकाई विगत 2 वर्षो से लगातार वित्तीय हानि की दशा मे उत्पादन कार्य कर रही हो तथा प्रदत्त पूॅजी का 50 प्रतिशत से अधिक हानि की राशि हो गयी हो। पुन रूग्ण औद्योगिक इकाई को इस रूप मे देखा जा सकता है

जब कोई इकाई लगातार लाभ अर्जित करने मे असमर्थ हो तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार बाहरी अनुप्रेरणा पर जीवित हो, ऐसी इकाई को रूग्ण औद्योगिक इकाई कहा जाता है। औद्योगिक इकाई मे रूग्णता क्रमश इसके तरलता के कटाव के कारण उत्पन्न होती है। निरन्तर तरलता की हानि के कारण औद्योगिक इकाई अपने दीर्घकालीन दायित्वो को पूर्ण करने मे असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार खराब वित्तीय दशा तथा दीर्घता, रख–रखाव का स्तर, कार्यशील पूॅजी को "बियर एण्ड टियर" कर देते है। इस प्रकार वह इकाई जीवनक्षम खो देती है तथा बीमार इकाई के रूप मे जानी जाती है। यदि यही क्रम चलता रहता है तो ऐसी रूग्ण इकाई दिवालिया हो जाती है।

औद्योगिक रूग्णता दिखाई नही देती है, न ही सभी रूग्ण इकाईयो को पुनर्जीवित किया जा सकता है। बैकिग व्यवस्था तथा अन्य सस्थाओ का सीमित ससाधनो के सन्दर्भ मे अविवेकपूर्ण वादा वित्तीय रूप से स्वस्थ प्रस्ताव नही है। इस प्रकार इकाई रूग्णता की शिकार हो जाती है।

1960 के समय से "औद्योगिक रूग्णता" शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय सूती वस्त्र उद्योग, इजीनियरिंग उद्योग, देश के विभिन्न क्षेत्रो मे उत्पादन कार्य मे कठिनायी का अनुभव कर रहे थे। तत्पश्चात् औद्योगिक रूग्णता ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस कारण रूग्ण इकाइयो की सख्या मे दिनोदिन वृद्धि ही नही हो रही थी, बल्कि रूग्ण इकाइयो मे लगी पूँजी की मात्रा भी निरन्तर बढ रही थी। इन रूग्ण इकाइयो मे केवल बैकिग प्रणाली के वित्तीय ससाधन ही अवरूद्ध नही थे, अपितु कार्यशील इकाइयो मे वित्तीय आवश्यकता भी अवरूद्ध थी।

उद्योग मे रूग्णता का विकास तत्काल नही होता है बल्कि मन्द गति से होता है। वास्तव मे औद्योगिक रूग्णता का विकास लगभग 4 दशक पूर्व 1960 मे हुआ था, जब देश के विभिन्न क्षेत्रो मे उद्योग धन्धो का विकास हुआ। तभी से उद्योग धन्धो मे सरचनात्मक कमजोरियॉ उभर कर सामने आयी। देश के उद्योग धन्धो मे रूग्णता का मुख्य कारण यहॉ पर उत्पादित वस्तुओ की ऊँची लागत है। भारत मे सरक्षण की नीति के अन्तर्गत आयातित वस्तुओ पर अत्यधिक उत्पादन शुल्क लगा देने के कारण देश के बहुत से उद्योग धन्धे विदेशी प्रतियोगिता से वचित रह गए। परिणामस्वरूप उन्हे अपर्याप्तता का सामना करना पडा। इस कारण बहुत सी औद्योगिक इकाइयॉ वर्तमान समय की बदलती हुई उदारीकरण बाजार की स्थितियो मे स्वय को समायोजित करने मे असमर्थ हो गयी। जैसे विक्रेता बाजार के क्रेता बाजार तथा स्फीतिक स्थिति से मूल्य स्थिरता की स्थिति।

वर्तमान समय मे लगभग 3.10 लाख रूग्ण इकाइयॉ है, जिनमे अवरूद्ध बैक साख 19463 करोड रूपये से अधिक है। भारत मे प्रत्येक वर्ष 29000 इकाइयॉ रूग्णता की शिकार होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिदिन 90 औद्योगिक इकाइयॉ रूग्ण होती है। प्राय· प्रत्येक तीसरी लघु औद्योगिक इकाई तथा प्रत्येक दसवी मध्यम या वृहद् इकाई बीमार होने के कारण बन्द होने की स्थिति में है। हमारे देश मे कुल रूग्ण इकाइयो का 88 प्रतिशत गैर जीवित है, 4 प्रतिशत सदेहात्मक स्थिति मे है तथा शेष 8 प्रतिशत इकाईयॉ कार्यशील है। कुल रूग्ण इकाइयो का लगभग 99 प्रतिशत लघु स्तरीय क्षेत्र में है।

विगत् 4 दशको के अन्तराल मे औद्योगिक रूग्णता का विस्तार देश के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रो के उत्पादन कार्यो मे वायरस की तरह फैल गया है। जिसके फलस्वरूप हजारो औद्योगिक इकाइयॉ प्रभावित हुई। वर्ष 1976 से भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैक के सहयोग से औद्योगिक रूग्णता का पता लगा रही है। एकत्रित ऑकडो से यह निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक रूग्णता का आकार निरन्तर बढ रहा है।

तालिका - 4.1

रूग्ण इकाइयों की संख्या

वर्ष	रूग्ण इकाइयो की सख्या		
	वृहद् एव मध्यम इकाई	लघु इकाई	कुल इकाई
दिसम्बर 1980	1401	23149	24550
मार्च 1990	2269	218828	221097
मार्च 1995	2391	268815	271206
मार्च 1996	2374	262376	264750
मार्च 1997	2368	235032	237400
मार्च 1998	2476	221536	224012
मार्च 1999	2792	306221	310081

स्रोत . टाटा सर्विसेज लि०, स्टैटिस्टिकल आउटलाइन ऑफ इण्डिया, 2000-2001, मुम्बई, तालिका 81, पृष्ठ 72

उपरोक्त तालिका मे भारतीय रिजर्व बैक द्वारा एकत्रित किए गए दिसम्बर 1980 से 1999 तक के ऑकडे दर्शित है। इन ऑकडो से यह स्पष्ट होता है कि इस अवधि मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो मे कई गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 1980 मे कुल 24,550 रूग्ण औद्योगिक इकाइयॉ थी, जो वर्ष 1990 मे बढकर 221097 तथा मार्च 1999 में 310081 हो गयी है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1980 से 1990 की अवधि मे औद्योगिक रूग्णता मे लगभग 800 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 1990 से 1999 के मध्य 40.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृहद उद्योग मे वर्ष 1980 से 90 की अवधि मे 868 इकाइयॉ (62%) तथा लघु उद्योग मे 1 95 लाख इकाइयॉ रूग्णता का

शिकार हुयी, जब कि 1990-99 की अवधि मे वृहद उद्योग मे 523 इकाइयॉ (23%) तथा लघु उद्योग मे 87393 इकाइयॉ रूग्णता का शिकार हुई। दोनो अवधियो के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वृहद् तथा लघु उद्योग दोनो मे ही रूग्ण इकाइयो की सख्या मे वृद्धि हुई। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। दूसरी तरफ बकाया ऋण की राशि मे भी अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो निम्न तालिका मे दर्शित है।

तालिका - 4.2

रूग्ण इकाइयो में अवरूद्ध धनराशि

वर्ष	अवरूद्ध बैक पूँजी (करोड रू० मे)		
	वृहद् एव मध्यम	लघु	कुल
दिसम्बर 1980	1502	306	1809
मार्च 1990	6926	2427	9353
मार्च 1996	10026	3722	13748
मार्च 1997	10178	3609	13787
मार्च 1998	11825	3857	15682
मार्च 1999	15150	4313	19463

स्रोत : रिपोर्ट आफ करेसी एण्ड फाइनेन्स, 1999, तालिका सख्या 9, पृष्ठ iv-25

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो राशि रूग्ण औद्योगिक इकाइयो मे अवरूद्ध थी, वह प्रतिशत के रूप में बहुत तेजी से बढी है। बकाया ऋणराशि मे 1980 से 1990 की अवधि मे लगभग 417 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1980 मे रूग्ण इकाइयो मे कुल अवरूद्ध राशि 1809 करोड रूपये थी जो मार्च 1999 मे बढकर 19463 करोड रूपये हो गयी। लघु इकाई के सन्दर्भ मे यह राशि वर्ष 1980 मे 306 करोड रूपये से बढकर 4313 करोड रूपये हो गयी। इसी प्रकार मध्यम तथा वृहद् उद्योग मे यह राशि 1980 के 1502 करोड रूपये से बढकर मार्च 1999 तक 15150 करोड रूपये हो गयी।

औद्योगिक रुग्णता की स्थिति का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि वृहद् एव मध्यम उद्योगो की तुलना मे लघु औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता अत्यधिक तीव्र गति से फैली। वर्ष 1990 मे कुल 221097 रूग्ण इकाइयो मे से 218828 रूग्ण इकाइयॉ लघु क्षेत्र से सम्बन्धित थी। जबकि 1980 मे इनकी सख्या मात्र 23149 थी। वर्ष 1999 मे कुल 310081 रूग्ण इकाइयो मे से 306221 इकाइयॉ लघु क्षेत्र से थी। परन्तु बैको की बकाया ऋण राशि के सन्दर्भ मे वृहद एव मध्यम स्तरीय उद्योग, लघु उद्योग से आगे थे। रूग्ण इकाइयो मे अवरूद्ध बैक राशि 1990 मे 2352 करोड रूपये थी, जिसमे से रूग्ण लघु इकाइयो मे मात्र 2427 करोड रूपये की पूॅजी अवरूद्ध थी। जबकि वृहद इकाइयो मे यह राशि 6926 करोड रूपये थी। 1999 मे रूग्ण इकाइयो मे अवरूद्ध राशि 19463 करोड रूपये थी, जिसमे से लघु क्षेत्र मे मात्र 4313 करोड रूपये तथा वृहद एव मध्यम उद्योग 15150 करोड रूपये थी। इस प्रकार इन दो वर्षो 1990 तथा 1999 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि रूग्ण एव कमजोर इकाइयो की सख्या का लगभग 99 प्रतिशत तथा ऋण राशि का लगभग 22 प्रतिशत लघु औद्योगिक क्षेत्र मे था। भारतीय रिजर्व बैक के अनुसार देश की प्रत्येक ग्यारहवी लघु औद्योगिक इकाई रूग्ण थी। [4]

बडे उद्योगो मे रूग्णता की समस्या मुख्यत सूती वस्त्र, जूट, इजीनियरिंग, चीनी, रबर एव रसायन उद्योगो मे अधिक है। यह समस्या कुछ उद्योगो की भॉति कुछ राज्यो मे विशेष रूप से केन्द्रित है। महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं तमिलनाडु मे यह समस्या अधिक है। इन्ही राज्यो मे वृहद एव मध्यम स्तर की 75 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयॉ रूग्ण है तथा इनमे बकाया राशि का लगभग 80 प्रतिशत अवरूद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वृहद एव मध्यम क्षेत्र की औद्योगिक रूग्णता उन्ही क्षेत्रो मे अधिक है जहॉ औद्योगिक विकास पहले हुआ था।

---

4. रिपोर्ट आफ करेंसी एण्ड फाइनेन्स, 1999, तालिका संख्या 9 पृष्ठ IV - 25

तालिका - 4.3

भारत में मार्च 1999 तक विभिन्न उद्योगों में लघु रूग्ण इकाइयों की व्यवहार्य स्थिति

क्र स	उद्योग	इकाइयो की सख्या	उत्पादन (करोड रू० मे)
1	इजीनियरिंग	1012	49.48
2	विद्युत	446	21 74
3	टेक्सटाइल्स	1670	41 24
4	जूट	41	1 05
5	पेपर	373	13 26
6	रबर	69	9 37
7	सीमेण्ट	42	4 53
8	लोहा एव इस्पात	177	14 23
9.	चीनी	15	0.51
10	रसायन	342	37.03
11	धातु एव धातु उत्पाद	210	14 63
12.	वनस्पति तेल	130	0 91
13	तम्बाकू	182	0 12
14.	चमडा	150	7 29
15.	जवाहरात	9	0.03
16	खाद्य	3471	7.32
17.	वाहन	10	1 30
18.	विविध	10343	152 92
	योग	18692	376 96

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, अप्रैल - सितम्बर 2000, पृष्ठ 125 लघु उद्योग मत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि भारत मे मार्च 1999 तक व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयो की उद्योगवार सख्या 18692 थी, जिसमे सर्वाधिक सख्या मे रूग्ण इकाइयॉ (3471) खाद्य उद्योग मे थी, जो कुल व्यवहार्य रूग्ण इकाइयो का 18 5

प्रतिशत था। इसके पश्चात् वस्त्र उद्योग 9 प्रतिशत, इजीनियरिंग 5 4 प्रतिशत, विद्युत 2 4 प्रतिशत, कागज 2 प्रतिशत, रसायन 1 8 प्रतिशत, धातु 1 1 प्रतिशत तथा विविध उद्योग मे 52 प्रतिशत इकाइयॉ रूग्ण थी। सबसे कम व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयॉ (9) हीरा–जवाहरात उंद्योग मे पायी गयी, जो कुल सख्या का 0 05 प्रतिशत थी।

उपर्युक्त व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयो मे से 31 मार्च 1999 तक कुल अवरूद्ध राशि 376 96 करोड रूपये थी, जिसमे सर्वाधिक मात्रा मे ऋण इजीनियरिंग उद्योग मे था, जो कुल अवरूद्ध ऋण का 13 1 प्रतिशत था। इसके बाद क्रमश वस्त्र उद्योग 10 9 प्रतिशत, रसायन उद्योग 9 8 प्रतिशत, विद्युत 5 8 प्रतिशत तथा लोहा एव इस्पात 3 8 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी। सबसे कम बकाया धनराशि हीरा जवाहरात उद्योग मे पायी गयी जो व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयो मे कुल अवरूद्ध राशि का 0 008 प्रतिशत थी।

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयो की सख्या की दृष्टि से तो विविध उद्योग, खाद्य उद्योग तथा वस्त्र उद्योग अग्रणी थे, जबकि सबसे कम लघु रूग्ण इकाइयॉ हीरा–जवाहरात उद्योग मे पायी गयी। इस प्रकार बकाया धनराशि की दृष्टि से विविध उद्योग, इजीनियरिंग उद्योग तथा वस्त्र उद्योग क्रमश प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर थे।

औद्योगिक रूग्णता की क्षेत्रवार स्थिति :

भारत की औद्योगिक रूग्णता की क्षेत्रवार स्थिति का अध्ययन करने के लिए इसे चार भागो मे बॉटा गया है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र एव दक्षिणी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिम बगाल, अरूणाचल प्रदेश, उडीसा, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय तथा नागालैण्ड को लिया गया है। पश्चिमी क्षेत्र के अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दमनदीव तथा दादरा नगर हवेली है। उत्तरी क्षेत्र मे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर को सम्मिलत किया गया है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र के अन्तर्गत आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एव पाण्डिचेरी है। [5]

---

5. रिपोर्ट ऑन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1997-98 पृष्ठ 40

तालिका - 4.4

मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की क्षेत्रवार व्यवहार्य स्थिति

		कार्यक्षम व्यवहार्य	
क्र स	क्षेत्र	इकाइयो की सख्या	बकाया राशि (करोड रू० मे)
1	पूर्वी क्षेत्र	12552	62 36
2	उत्तरी क्षेत्र	2267	61 46
3	पश्चिमी क्षेत्र	1968	80 36
4	दक्षिणी क्षेत्र	1905	172 76
	योग	18692	376 76

स्रोत लघु उद्योग समाचार, अप्रैल–सितम्बर 2002, पृष्ठ 123-24, लघु उद्योग मत्रालय, भारत सरकार।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मार्च 1999 तक भारत मे रूग्ण लघु व्यवहाार्य इकाइयो की सख्या 18692 थी, जिसमे सर्वाधिक हिस्सा पूर्वी क्षेत्र का था। जहाँ कुल रूग्ण इकाइयो का 67 1 प्रतिशत तथा सबसे कम दक्षिणी क्षेत्र मे 10.2 प्रतिशत, कार्यक्षम व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयॉ थी।

इसी प्रकार इन रूग्ण इकाइयो मे कुल अवरूद्ध राशि 376 96 करोड रूपये थी, जिसमे सर्वाधिक हिस्सा दक्षिणी क्षेत्र का था, जहाँ कुल बकाया राशि की 45 8 प्रतिशत थी। इसके पश्चात् पश्चिमी क्षेत्र मे 21.3 प्रतिशत, पूर्वी क्षेत्र 16 5 प्रतिशत तथा सबसे कम उत्तरी क्षेत्र 16 3 प्रतिशत राशि इन इकाइयो मे अवरूद्ध थी।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वी क्षेत्र, कार्यक्षम व्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयो की सख्या सर्वाधिक होते हुए भी बकाया राशि में मामले मे लगभग सभी क्षेत्रो से नीचे है। अवरूद्ध राशि के मामले मे दक्षिण क्षेत्र सबसे अग्रणी है। अवरूद्ध राशि, दक्षिणी क्षेत्र की इकाइयो मे सर्वाधिक होते हुए भी इकाइयो की सख्या की दृष्टि से सबसे कम है।

तालिका - 4.5

मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की क्षेत्रवार अव्यवहार्य स्थिति

		कार्यक्षम अव्यवहार्य	
क्र स	क्षेत्र	इकाइयो की सख्या	बकाया राशि (करोड रू० मे)
1	पूर्वी क्षेत्र	178773	809 65
2	उत्तरी क्षेत्र	39781	964 58
3	पश्चिमी क्षेत्र	22136	920 17
4	दक्षिणी क्षेत्र	30503	1051 67
	योग	291193	3746 07

स्रोत लघु उद्योग समाचार, अप्रैल-सितम्बर **2000,** पृष्ठ **123-24,** लघु उद्योग मत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका के अनुसार भारत मे अव्यवहार्य रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयो की कुल सख्या मार्च 1999 तक 291193 थी, जिसमे पूर्वी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयो की सख्या सर्वाधिक थी, जो कुल रूग्ण इकाइयो का 61.3 प्रतिशत तथा सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र मे 7.6 प्रतिशत अव्यवहार्य रूग्ण औद्योगिक इकाइयॉ थी।

तालिका मे प्रदर्शित तथ्यो के आधार पर मार्च 1999 तक अव्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयो मे अवरूद्ध बैक राशि 3746 07 करोड रूपये की राशि थी, जिसमे दक्षिणी क्षेत्र की बकाया धनराशि 1051 67 करोड रूपये सर्वाधिक थी, जो कुल अवरूद्ध राशि का 28 प्रतिशत थी। इसके बाद उत्तरी क्षेत्र मे 25.7 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र मे 24 6 प्रतिशत तथा पूर्वी क्षेत्र मे 21.6 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी।

इस प्रकार अव्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयो की सख्या पूर्वी क्षेत्र मे सर्वाधिक तथा पश्चिमी क्षेत्र मे सबसे कम रही। बकाया धनराशि सर्वाधिक दक्षिणी क्षेत्र मे तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र की अव्यवहार्य रूग्ण लघु इकाइयो मे थी।

तालिका - 4.6

मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की संख्या तथा बकाया राशि

क्र स	क्षेत्र	इकाइयो की सख्या	बकाया राशि (करोड रू० मे)
1	पूर्वी क्षेत्र	206168	917 54
2	उत्तरी क्षेत्र	42595	1060 72
3	पश्चिमी क्षेत्र	24604	1053 31
4	दक्षिणी क्षेत्र	32854	1281 91
	योग	306221	4313 48

स्रोत लघु उद्योग समाचार, अप्रैल–सितम्बर 2000, पृष्ठ 123-24, लघु उद्योग मत्रालय भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका के अनुसार 31 मार्च 1999 तक भारत मे लघु स्तरीय इकाइयो की कुल सख्या 306221 थी। जिसमे पूर्वी क्षेत्र मे (67.3%) सर्वाधिक इकाइयॉ थी। इसके बाद क्रमश उत्तरी क्षेत्र मे 13 9 प्रतिशत, दक्षिणी क्षेत्र मे 9.5 प्रतिशत तथा सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र मे 8.03 प्रतिशत रूग्ण लघु इकाइयॉ अवस्थित थी।

इसी प्रकार इन रूग्ण इकाइयो मे अवरूद्ध राशि की दृष्टि से दक्षिणी क्षेत्र प्रथम स्थान पर था। जहॉ कुल अवरूद्ध राशि का 29.7 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी। इसके पश्चात् क्रमश उत्तरी क्षेत्र मे 24 6 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र मे 24 प्रतिशत तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र मे 21 3 प्रतिशत राशि अवरूद्ध थी।

इस प्रकार लघु रूग्ण इकाइयो की सख्या की दृष्टि से पूर्वी क्षेत्र सबसे अग्रणी रहा, जबकि इसमें अवरूद्ध राशि, कुल अवरूद्ध राशि का मात्र 21.3 प्रतिशत थी। सर्वाधिक बकाया राशि दक्षिणी क्षेत्र मे 29 प्रतिशत थी, जबकि इकाइयो की सख्या की दृष्टि से 10.7 प्रतिशत के साथ यह क्षेत्र तीसरे स्थान पर रहा।

औद्योगिक रूग्णता की व्याप्ति :

उत्तर प्रदेश प्रान्त क्षेत्रफल तथा जनसख्या के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। आर्थिक रूप से यह भारत के सबसे पिछडे हुए राज्यो मे से एक है। इस राज्य के सभी क्षेत्रो के विकास की गति इतनी धीमी है, कि इस राज्य की वर्तमान प्रगति दर भारत की वर्तमान दर से एक योजना पीछे है। उत्तर प्रदेश, जिसका राष्ट्रीय आय मे योगदान योजना के पूर्व 17 5 प्रतिशत था, वह लगातार घटता जा रहा है। इसका मुख्य कारण राज्य की प्रगति की अपेक्षा राष्ट्र की प्रगति का तीव्र होना है। उत्तर प्रदेश प्रान्त की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बढती हुई जनसख्या के दबाव के कारण सतुलित औद्योगिक विकास नही कर पा रही है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे पिछडा राज्य है । प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण विनियोग क्षमता भी निम्न होती है। परिणामत. विनियोग का निम्न स्तर सतुलित औद्योगिक विकास को समुचित आधार नही प्रदान कर पाता है।

प्रथम योजनावधि मे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सम्पूर्ण विनियोग का 4.1 प्रतिशत भाग औद्योगिक क्षेत्र मे विनियोजित किया, जो अपर्याप्त था। दूसरी योजना अवधि मे प्रदेश सरकार ने अपने कुल व्यय का 5.4 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र मे विनियोजित किया, जो प्रथम योजना से अपेक्षाकृत अधिक रहा। प्रदेश मे वृहद स्तरीय उद्योगो का विकास द्वितीय योजना से ही प्रारम्भ हुआ। तीसरी योजना मे कुल बजट का मात्र 3.50 प्रतिशत ही इस क्षेत्र मे विनियोजित किया गया, जिसके कारण द्वितीय योजना मे स्थापित किए गए उद्योग वित्तीय अभाव के कारण प्रारम्भिक दौर मे ही रूग्णता से ग्रसित होने लगे। रूग्णता की समस्या वास्तव मे प्रदेश मे 1960 से प्रारम्भ हुई। प्रारम्भ मे इसका प्रभाव कुछ वृहद उद्योगो तक सीमित रहा। परन्तु बाद मे यह सभी उद्योगो मे फैल गया। पॉचवी योजना काल मे औद्योगिक विनियोग की राशि कुल आउटले का 6.15 प्रतिशत थी, जो अभी तक एक रिकार्ड रहा। इसी प्रकार प्रदेश में छठी, सातवी एव आठवी योजनाओ मे भी औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग की जाने वाली राशि पर्याप्त नहीं है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मे केन्द्रीय सरकार की भूमिका सन्तोषजनक नही रही है। प्रथम दो योजना अवधि मे प्रदेश को केन्द्र सरकार की ओर से कोई विशेष औद्योगिक विनियोग नही किया गया, जबकि अन्य राज्यो मे औद्योगिक

क्षेत्र मे 694 करोड रूपये की राशि विनियोजित की गयी। इसी प्रकार तृतीय योजना मे कुल औद्योगिक विनियोग की 1114 करोड रूपये की राशि मे से मात्र 72 करोड रूपये प्रदेश के औद्योगिक विकास मे विनियोजित किए गए।

इस प्रकार पर्याप्त सुविधाओ के अभाव मे उत्तर प्रदेश मे एक ओर तो नयी औद्योगिक इकाइयो की स्थापना की गति अत्यन्त धीमी है, दूसरी ओर वे औद्योगिक इकाइयॉ, जो पहले से कार्यरत है, पर्याप्त वित्त की कमी, प्रबन्धकीय अकुशलता, कच्चे माल की कमी, विपणन सुविधाओ का अभाव तथा इकाइयो की आपसी प्रतिस्पर्द्धा के कारण रूग्णता से ग्रसित होती जा रही है।

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता एक वायरस की भॉति मे फैल रही है। वर्ष 1971 के प्राप्त ऑकडो के अनुसार प्रदेश मे रूग्ण वृहद एव मध्यम स्तरीय इकाइयो की सख्या 49 तथा लघु क्षेत्र की रूग्ण इकाइयो की सख्या 1152 थी। वर्ष 1999 मे प्रदेश मे रूग्ण वृहद एव लघु इकाइयो की सख्या बढकर क्रमश 170 तथा 37293 हो गयी। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि राज्य मे 50 प्रतिशत से अधिक ऐसी रूग्ण इकाइयॉ है, जिनमे उत्पादन कार्य बहुत पहले बन्द कर दिया गया था।

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयॉ मुख्य रूप से वित्त के अभाव मे दिनोदिन रूग्ण इकाइयो के रूप मे परिवर्तित होती जा रही है। प्रदेश मे औद्योगिक इकाइयो की रूग्णता के निम्न कारण है

1 औद्योगिक इकाइयो के सामने सर्वप्रमुख समस्या कच्चे माल की होती है, जो उचित मूल्य पर नही मिल पाता है। लघु औद्योगिक इकाइयो को कम मात्रा मे कच्चे माल खरीदने के लिए अधिक मूल्य देना पडता है। यदि कम मात्रा मे कच्चा माल क्रय किया जाता है तो उसकी किस्म भी अच्छी नही होती है।

2. इन उद्योगो के सामने एक अन्य समस्या यह है कि मशीने तथा उपकरण पुराने है। जिससे अधिक लागत मे कम माल का उत्पादन होता है तथा बाजार मे यह इकाई प्रतिस्पर्द्धा इकाइयो के सामने नही टिक पाती है। परिणामत उसके उत्पादो की बिक्री नही हो पाती और इस प्रकार वह रूग्णता से ग्रसित होने लगती है।

3 इन उद्योगो के सामने एक अन्य ज्वलन्त समस्या वित्त की प्राप्ति है। भारतीय उद्यमियो की स्थिति इतनी सुदृढ नही है कि वे अपने कार्यो को अबाधित रूप से चला सके। अब तक इन इकाइयो के लिए वित्त प्राप्ति की कोई सन्तोषजनक व्यवस्था नही है। वित्त के अभाव के कारण रूग्णता से ग्रसित होकर उत्पादन कार्य बन्द कर देती है।

4 विद्युत शक्ति का अभाव

5 अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था

6 नियोजको एव कर्मचारियो के मध्य सामजस्य का अभाव

7. उपभोक्ताओ द्वारा भारतीय उद्योगो द्वारा उत्पादित वस्तुओ की अपेक्षा विदेशी इकाइयो की वस्तुओ को प्राथमिकता प्रदान किया जाना।

8. इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि वर्तमान समय मे इन उद्योगो मे कोई उचित व्यवस्था नही है। उपरोक्त समस्याओ का उचित प्रकार से निराकरण न हो पाने के कारण उद्यामियो की समस्या अनवरत रूप से बढती जा रही है।

तालिका - 4.7

उत्तर प्रदेश मार्च 1999 तक रूग्ण लघु इकाइयों की स्थिति

विवरण	इकाइयो की सख्या	बकाया राशि (करोड रू० मे)
कार्यक्षम अव्यवहार्य इकाइयॉ	1846	32 88
अव्यवहार्य इकाइयॉ	15171	367 37
ऐसी इकाइयॉ जिनकी व्यवहार्यता का निर्णय किया जाना था	303	13.84
कुल रूग्ण इकाइयो की सख्या	17320	414.09
अपव्यवहार्य के अधीन इकाइयॉ	254	9.49

स्रोत लघु उद्योग समाचार, अप्रैल-सितम्बर 2000, पृष्ठ 123-24, लघु उद्योग मत्रालय, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका मे मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश मे लघु रूग्ण इकाइयो की स्थिति प्रदर्शित है। मार्च 1999 को कुल रूग्ण इकाइयो की सख्या 17320 थी जिसमे व्यवहार्य कार्यक्षम इकाइयॉ 1846, अव्यवहार्य इकाइयॉ 15171 तथा ऐसी इकाइयॉ जिनकी विनिमय व्यवहार्यता का निर्णय लिया जाना था, 303 थी। जो कुल इकाइयो को क्रमश 10 7 प्रतिशत, 87.6 प्रतिशत तथा 1 7 प्रतिशत थी। मार्च 1999 तक प्रदेश मे ऐसी रूग्ण इकाइयॉ जो उपचर्या के अधीन थी, की सख्या 254 थी।

मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश मे रूग्ण लघु इकाइयो मे कुल अवरूद्ध बैक राशि 414 09 करोड रूपये थी, जिसमे कार्यक्षम व्यवहार्य इकाइयो मे अवरूद्ध राशि 32 88 करोड रूपये, अव्यवहार्य इकाइयो मे 367.37 करोड रूपये एव ऐसी इकाइयॉ जिनकी व्यवहारिकता के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाना था, मे 13 84 करोड रूपये थी, जो कुल अवरूद्ध बैक राशि का क्रमश 7.9 प्रतिशत, 88 7 प्रतिशत तथा 3.3 प्रतिशत थी। मार्च 1999 तक ऐसी रूग्ण इकाइयॉ, जो उपचर्या के अधीन थी, मे बकाया राशि 9 49 करोड रूपये थी।

तालिका - 4.8

भारत में मार्च 1999 तक विभिन्न उद्योगों में लघु रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा बकाया राशि

क्र स	उद्योग	इकाइयो की सख्या	बकाया राशि (करोड रू० मे)
1	इजीनियरिंग	17529	483.67
2	विद्युत	8150	202.56
3	टेक्सटाइल्स	24306	425.03
4	जूट	32	25 46
5	पेपर	4128	106 15
6	रबर	1987	68 56
7.	सीमेण्ट	988	36 39
8.	लोहा एव इस्पात	5013	235 19
9.	चीनी	354	9.76
10.	रसायन	18446	364.07
11.	धातु एव धातु उत्पाद	7022	291.57
12.	वनस्पति तेल	1224	28 95
13	तम्बाकू	2637	12.13
14.	चमडा	2304	63.48
15.	जवाहरात.	203	5.53
16.	खाद्य	44045	132.08
17.	वाहन	2516	34.42
18.	विविध	164612	1788.48
	योग	306221	4313.48

स्रोत : लघु उद्योग समाचार, 2000, पृष्ठ 125

उपरोक्त सारणी मे कुल लघु रूग्ण इकाइयो की सख्या तथा उनमे अवरूद्ध बैक राशि प्रदर्शित की गयी है। मार्च 1999 तक कुल रूग्ण लघु इकाइयो की सख्या 306221 तथा बकाया राशि 4313 48 थी। सबसे अधिक रूग्ण इकाइयॉ खाद्य उद्योग मे 44045 पाई गयी, जो कुल इकाइयो का 14 38 प्रतिशत है। इसके पश्चात् कुल लघु रूग्ण इकाइयो का वस्त्र उद्योग मे 8 प्रतिशत, रसायन उद्योग मे 6 प्रतिशत, इजीनियरिग उद्योग मे 5 7 प्रतिशत, विविध उद्योग मे 53 7 प्रतिशत इकाइयॉ रूग्ण पाई गयी। रूग्णता की दृष्टि से सबसे कम लघु इकाईयॉ जूट उद्योग (32) मे पाई गयी, जो कुल रूग्ण इकाइयो का 0 01 प्रतिशत थी।

इसी प्रकार अवरूद्ध बैक राशि के दृष्टिकोण से इजीनियरिंग उद्योग मे 11 2 प्रतिशत, वस्त्र उद्योग मे 10 प्रतिशत, रसायन उद्योग मे 8 4 प्रतिशत, धातु उद्योग मे 6 8 प्रतिशत, लोहा एव इस्पात उद्योग मे 5.5 प्रतिशत, विविध उद्योग मे 41 4 प्रतिशत बैक राशि अवरूद्ध थी। सबसे कम बकाया राशि रत्न एव जवाहरात उद्योग मे थी, जो कुल अवरूद्ध राशि का 0 12 प्रतिशत थी।

वृहद् एवं मध्यम उद्योगों में रूग्णता :

विगत् दो दशको से उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक रूग्णता तीव्र गति से फैल रही है। रूग्णता से केवल परम्परागत उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, जूट, चीनी आदि उद्योग ही प्रभावित नही हुए, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण उद्योग जैसे इजीनियरिंग, सीमेण्ट, पेपर तथा कैमिकल्स उद्योग भी रूग्णता से बुरी तरह प्रभावित हुए है। भारतीय रिजर्व बैक द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर मार्च 1980 के अन्त तक वृहद तथा मध्यम क्षेत्र मे कार्यरत इकाइयो मे कुल रूग्ण इकाइयो की सख्या 382 थी, जो मार्च 1997 मे बढकर 1948 हो गयी। इसी प्रकार अवरूद्ध बैक राशि मार्च 1980 के अन्त मे 1221 करोड रूपये थी, जो 1997 मे बढकर 8613.95 करोड रूपये हो गयी। वृहद तथा मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयो मे रूग्ण इकाइयो की सख्या मार्च 1999 मे बढकर 2792 हो गयी तथा इन रूग्ण इकाइयो मे अवरूद्ध बैक साख बढकर 19464 करोड रूपये हो गयी।[6] इन ऑकडो के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वर्ष 1980 से वर्ष 1999 के मध्य रूग्ण इकाइयो की सख्या मे की वृद्धि हुई। इसी अवधि मे अवरूद्ध बैंक राशि में की वृद्धि हुई।

6. इडियन इकोनॉमिक सर्वे, 2000-2001

तालिका - 4.9

प्रान्तीय स्तर पर विभिन्न वर्षो में रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध राशि (करोड रू० में)

क्रमॉक	राज्य	रूग्ण इकाइयो मे अवरूद्ध राशि		
		1980	1987	1997
1	महाराष्ट्र	461 40	491 34	1614 88
2	पश्चिम बगाल	467 06	475 48	1033 43
3	उत्तर प्रदेश	20 19	240 30	915 85
4	कर्नाटक	176 46	194 22	556 06
5.	गुजरात	170 82	192 81	583 67
6.	तमिलनाडु	183 31	150 88	622.93
7	उडीसा	553 00	365 39	260 57
8	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1060 67

स्रोत जी०एस०सूद, औद्योगिक रूग्णता योजना, भारत सरकार प्रकाशन, 1 से 15 सितम्बर 1987, पृष्ठ 7 - 8, तथा रिपॉर्ट आन करेसी एण्ड फाइनेन्स 1997-98, पृष्ठ 39

तालिका सख्या 4.9 मे औद्योगिक रूग्णता से ग्रसित प्रमुख भारतीय राज्यो मे रूग्ण वृहद औद्योगिक इकाइयो मे विभिन्न वर्षो मे अवरूद्ध बैक राशि प्रदर्शित है। वर्ष 1980 मे सर्वाधिक अवरूद्ध राशि पश्चिम बगाल मे 467.06 करोड रूपये थी। इसके बाद क्रमश महाराष्ट्र मे 461 4 करोड रूपये, उडीसा मे 353 करोड रूपये तथा सबसे कम उत्तर प्रदेश मे 20 19 करोड की राशि अवरूद्ध थी। इसी प्रकार वर्ष 1987 अवरूद्ध राशि महाराष्ट्र मे 491 34, पश्चिम बगाल मे 475 48 करोड रूपये, उडीसा मे 365 39 करोड रूपये तथा उत्तर प्रदेश मे 240 30 करोड रूपये थी। यह राशि वर्ष 1997 मे बढकर महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल तथा उत्तर प्रदेश मे क्रमश 1614 88, 1033 43 तथा 915.85 करोड रूपये हो गयी।

वर्ष 1980 से 1987 के रूग्ण इकाइयो मे अवरूद्ध राशि के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि महाराष्ट्र मे 6.5 प्रतिशत, पश्चिम बगाल मे 6 8 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 1090 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1987 से 1997 की अवधि मे महाराष्ट्र मे 228 7 प्रतिशत, पश्चिम बगाल मे 117.3 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश मे 281 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो चिन्ता का विषय है।

तालिका - 4.10

प्रान्तीय स्तर पर विभिन्न वर्षो मे रूग्ण इकाइयों की संख्या

क्रमॉक	राज्य	रूग्ण इकाइयो की सख्या		
		1980	1987	1997
1	महाराष्ट्र	100	100	340
2	पश्चिम बगाल	112	114	216
3	उत्तर प्रदेश	54	57	170
4.	कर्नाटक	29	28	110
5.	गुजरात	54	51	174
6.	तमिलनाडु	44	46	141
7	उडीसा	107	117	55
8	आन्ध्र प्रदेश	—	—	225

स्रोत जी०एस०सूद, औद्योगिक रूग्णता योजना, भारत सरकार प्रकाशन, 1 से 15 सितम्बर 1987, पृष्ठ 7 - 8, तथा रिपोर्ट आन करेसी एण्ड फाइनेन्स 1997-98 पृष्ठ 39

तालिका सख्या 4.10 मे भारत मे कुछ प्रमुख राज्यो की औद्योगिक रूग्णता से ग्रसित इकाइयो की सख्या को प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1980 मे सबसे अधिक वृहद एव मध्यम औद्योगिक रूग्ण इकाइयॉ पश्चिम बगाल मे पाई गयी, जिनकी सख्या 112 थी। पश्चिम बगाल के बाद क्रमश महाराष्ट्र मे 100 तथा उत्तर प्रदेश मे 54 इकाइयॉ रूग्ण पायी गयी। वर्ष 1987 मे पश्चिम बगाल मे 114, महाराष्ट्र मे 100 तथा उत्तर प्रदेश मे 57 इकाइयॉ रूग्ण थी। वर्ष 1997 तक रूग्ण इकाइयो की संख्या मे तीव्र गति से वृद्धि हुई। महाराष्ट्र मे 340, आन्ध्र प्रदेश मे 225, पश्चिम बगाल मे 216, उत्तर प्रदेश मे 170, गुजरात मे 174 तथा तमिलनाडु मे 141 इकाइयॉ रूग्ण पायी गयी।

इस प्रकार वर्ष 1980 से 1997 की अवधि के ऑकडो के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि रूग्ण औद्योगिक इकाइयो मे बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इनमे महाराष्ट्र मे 240 प्रतिशत, पश्चिम बगाल मे 92 8 प्रतिशत, गुजरात मे 222 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश मे 214 प्रतिशत की वृद्धि रूग्ण इकाइयो की सख्या मे हुई।

तालिका - 4.11

भारत में मार्च 1997 तक वृहद एवं मध्यम उद्योग में रूग्ण इकाइयों की संख्या तथा उनमें अवरूद्ध बैंक राशि

क्रमॉक	उद्योग	इकाइयो की सख्या	अवरूद्ध बैक राशि (करोड रू०)
1	इजीनियरिंग	212	1181 54
2	विद्युत	88	905 87
3	वस्त्र	380	1418 20
4	जूट	27	162.95
5	कागज	111	226 69
6	रबर	33	93 52
7.	सीमेण्ट	52	299 73
8	लोहा एव इस्पात	137	677 98
9	चीनी	21	99 01
10	रसायन	190	837.57
11	धातु	75	429 39
12	वेजीटेबिल आयल	60	174 47
13	तम्बाकू	4	21 0
14	चमडा	27	70 89
15.	रत्न एव जवाहरात	4	3 87
16.	खाद्य	63	175 58
17	वाहन	38	399.16
18.	विविध	426	1442 04
	योग	1948	8613 95

स्रोत औद्योगिक निर्यात एवं साख विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट आन करेसी एण्ड फाइनेन्स **1997-98, पृष्ठ 39 -40**

तालिका सख्या 4.11 मे मार्च 1997 तक भारत मे वृहद एव मध्यम उद्योगो मे रूग्ण इकाइयो की सख्या तथा उनमे अवरूद्ध राशि प्रदर्शित है। मार्च 1997 तक भारत मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की कुल सख्या 1948 तथा उनमे अवरूद्ध राशि 8613 95 करोड रूपये थी। सर्वाधिक सख्या मे रूग्ण इकाइयॉ वस्त्र उद्योग मे पायी गयी, जिनकी कुल सख्या 380 तथा उनमे अवरूद्ध राशि 1418.20 करोड रूपये थी। जो कुल रूग्ण इकाइयो का 24 1 प्रतिशत तथा कुल अवरूद्ध राशि का 16 46 प्रतिशत थी। इसी प्रकार भारत मे 212 इकाइयॉ इजीनियरिंग उद्योग मे रूग्ण थी, जिनमे 1181 54 करोड रूपये की राशि फॅसी थी। इसके बाद क्रमश रसायन उद्योग मे 180, लोहा एव इस्पात उद्योग मे 137, कागज उद्योग मे 111, विद्युत मे 88 तथा विविध उद्योग मे426 इकाइयॉ रूग्ण थी, जिनमे क्रमश 837 57, 671.98, 226.69, 605 87 तथा 1442 04 करोड रूपये की राशि अवरूद्ध थी।

इस प्रकार सबसे अधिक रूग्ण इकाइयॉ वस्त्र उद्योग मे तथा सबसे कम तम्बाकू तथा रत्न एव जवाहरात उद्योग मे (चार) पायी गयी। अवरूद्ध राशि की दृष्टि से सबसे अधिक वस्त्र उद्योग मे (1418 20 करोड रूपये) तथा सबसे कम रत्न एव जवाहरात उद्योग मे (3.87 करोड रूपये) की राशि फॅसी थी।

तालिका - 4.12

उत्तर प्रदेश में वृहद् उद्योगो मे मार्च 1997 तक रूग्ण इकाइयो की संख्या तथा बकाया राशि

क्र०सं०	उद्योग	रूग्ण इकाइयों की सख्या	बकाया राशि (करोड रू०)
1	इजीनियरिंग	11	36 35
2	विद्युत	8	144 98
3	वस्त्र उद्योग	34	215 67
4	जूट	1	4.58
5	पेपर	13	11 15
6	रबर	5	3 83
7	सीमेण्ट	3	38 76
8	लोहा एव इस्पात	7	19 36
9	चीनी	5	55 43
10	रसायन	16	49 47
11	धातु	6	19 07
12	बेजिटेबल आयल	6	23 80
13.	चमडा	2	1 54
14	रत्न एव जवाहरात	1	0.73
15	खाद्य पदार्थ	8	43 31
16	मोटर वाहन	3	15 30
17	विविध	41	232 81
	योग	170	915 85

स्रोत इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड एक्सपोर्ट डिपार्टमेण्ट, रिजर्व बैक आफ इण्डिया, रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स, 1997-98, पृष्ठ 36-39।

उपरोक्त तालिका मे मार्च 1997 तक उत्तर प्रदेश मे वृहद एव मध्यम उद्योगो मे रूग्ण उद्योगो की सख्या तथा अवरूद्ध राशि प्रदर्शित है। मार्च 1997 तक प्रदेश मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की कुल सख्या 170 थी तथा उसमे 915 85 करोड रूपये

की राशि अवरूद्ध थी। सर्वाधिक सख्या मे रूग्ण इकाइयॉ विविध उद्योग मे थी, जिनकी कुल सख्या 41 तथा उसमे अवरूद्ध राशि 232 81 करोड रूपये थी, जो कुल रूग्ण इकाइयो का 24.11 प्रतिशत तथा कुल अवरूद्ध राशि का 25.4 प्रतिशत था। इसी प्रकार प्रदेश मे 34 रूग्ण इकाइयॉ वस्त्र उद्योग मे पायी गयी, जिनमे 215 67 करोड रूपये की राशि फॅसी हुई थी। इसी प्रकार रसायन उद्योग मे 16, विद्युत मे 8, इजीनियरिंग मे 11, लौह एव इस्पात उद्योग मे 7 इकाइयॉ रूग्ण थी, जिनमे अवरूद्ध राशि क्रमश 49 47, 144 98, 36 35 तथा 19 36 करोड रूपये थी। सबसे कम रूग्ण इकाइयॉ रत्न एव जवाहरात उद्योग (1) मे थी, जिनमे अवरूद्ध राशि 0 73 करोड रूपये थी।

रूग्ण इकाइयों का चिन्हॉकन :

औद्योगीकरण के क्रम मे विशेषकर लघु उद्योग के क्षेत्र मे कुछ लघु औद्योगिक इकाइयॉ अनुभव के अभाव, प्रबन्धन एव तकनीकी कारणो से रूग्ण हो जाती है। इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के वित्तीय सस्थानो की पूॅजी निष्प्रयोज्य हो जाती है तथा उद्यमी को वित्तीय हानि तथा अन्य कठिनाइयो का सामना करना पडता है। इस समस्या से निपटने के लिए शासन ने 1998 की औद्योगिक नीति मे रूग्ण इकाइयो के चिन्हॉकन के पश्चात् पुनर्वासन की योजना बनायी।

इस योजना के अधीन ऐसी समस्त लघु औद्योगिक इकाइयॉ, जो रिजर्व बैक के निर्धारित मान के अनुसार रूग्ण हो गयी है तथा सहायता के फलस्वरूप जिनके पुनर्वासन की सम्भावना है, लाभ के लिए अर्ह होती है। चिन्हॉकन एव पुनर्वासन के लिए रूग्ण औद्योगिक लघु इकाइयो के लिए निम्न शर्त रखी गयी है ·

(क) जिसका कोई ऋण खाता सदिग्ध हो गया हो अर्थात् इसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज ढाई वर्ष से अधिक देय रहा हो।

(ख) सचित नगद हानियो के कारण पूर्ववर्ती 2 लेखा वर्ष के दौरान इसके वास्तविक मूल्य मे इसके अकित मूल्य के 50 प्रतिशत का क्षरण हुआ हो।[7]

7. उद्योग निदेशालय, कानपुर।

तालिका - 4.13

उत्तर प्रदेश मे चिन्हित रूग्ण इकाइयों की संख्या

क्र०सं०	मण्डल	रूग्ण चिन्हित इकाइयों की सख्या
1.	आगरा मण्डल	63
2.	मेरठ मण्डल	95
3	सहारनपुर मण्डल	12
4	कानपुर मण्डल	114
5	बरेली मण्डल	351
6.	मुरादाबाद मण्डल	1
7	झॉसी मण्डल	233
8.	चित्रकूट धाम मण्डल	7
9.	लखनऊ मण्डल	61
10.	इलाहाबाद मण्डल	76
11.	फैजाबाद मण्डल	13
12.	देवी पाटन मण्डल	5
14.	गोरखपुर मण्डल	29
15.	बस्ती मण्डल	40
16	वाराणसी मण्डल	1
17	मिर्जापुर मण्डल	—
	योग	1123

स्रोत : उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपरोक्त तालिका मे उत्तर प्रदेश मे मई 2000 तक चिन्हित रूग्ण इकाइयो का मण्डलवार विवरण प्रदर्शित है। मई 2000 तक रूग्ण इकाइयो की कुल सख्या 1123 थी, जिसमे सबसे अधिक रूग्ण इकाइयॉ बरेली मण्डल मे 351 चिन्हित की गयी, जो कुल चिन्हित रूग्ण इकाइयो का 31.3 प्रतिशत थी। इसके बाद कुल चिन्हित इकाइयो का झॉसी मण्डल 20.8 प्रतिशत, कानपुर मण्डल मे 10.2 प्रतिशत, मेरठ मण्डल मे 8.5 प्रतिशत, इलाहाबाद मण्डल मे 6 8 प्रतिशत, आगरा मण्डल मे 5 6 प्रतिशत तथा

लखनऊ मण्डल मे 5 4 प्रतिशत थी। सबसे कम रूग्ण इकाइयॉ वाराणसी तथा मुरादाबाद मण्डल मे थी। मिर्जापुर मण्डल मे कोई इकाई रूग्ण नही पायी गयी।

इकाइयों को रूग्ण घोषित करने की प्रक्रिया :

किसी लघु औद्योगिक इकाई को अपने को रूग्ण घोषित करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना पडता है। इकाई को आवेदन पत्र के साथ विगत् तीन वर्षो की चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा परीक्षित की हुई अन्तिम खाते की प्रतियॉ भी प्रस्तुत करनी पडती है। आवेदन पत्र एव अपेक्षित अन्तिम खाते की एक प्रति अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को भी उपलब्ध करायी जाती है। इस सूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम जॉच पडताल करके अपना विस्तृत निष्कर्ष क्षेत्रीय निदेशक (उद्योग) के माध्यम से मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।

इकाई से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र भारतीय रिजर्व बैक द्वारा स्वीकृत की गयी परिभाषा के आधार पर रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई का परीक्षण करेगा।

मण्डल स्तरीय पुनर्वासन समिति उक्त सस्तुतियो पर सम्यक विचार विमर्श करने के पश्चात् सदर्भित औद्योगिक इकाई को रूग्ण घोषित करने सम्बन्धी निर्णय लेती है। समिति द्वारा रूग्ण घोषित की गयी इकाई के पुनर्वासन की सम्भावना का परीक्षण करने हेतु किसी वित्तीय सस्था को "आपरेटिग एजेसी" को नामित करती है, जो रूग्ण घोषित की गयी इकाई का प्राथमिक ऋणदाता हो। सम्बन्धित वित्तीय सस्था निर्धारित किए जाने के तीन माह के भीतर परीक्षण करने के पश्चात् यह बताती है तो इसी तीन माह के भीतर पुनर्वासन पैकेज बनाते हुए समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। जिन सस्थाओ द्वारा पुनर्वासन पैकेज तैयार करने अथवा अपेक्षित सुविधाओ के बारे मे सहमति प्रदान करने मे अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, ऐसी दशा मे समिति ऐसे मामले को उद्योग निदेशक के माध्यम से राज्य स्तरीय स्टैन्डिग समिति को सदर्भित करेगी। [8]

---

8. उद्योग निदेशालय, कानपुर।

पुनर्वासन योग्य रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :

रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को पुनर्वासन योग्य मानते हुए यदि पुनर्वासन पैकेज बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाती है तो इस दौरान किसी भी विभाग द्वारा इस इकाई के विरूद्ध उत्पीडन की कार्यवाही नही की जाती है तथा बकाए की वसूली पुनर्वासन पैकेज तैयार होने तक स्थगित रहती है। रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को निम्न सुविधाये दी जाती है

1 रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत 5 लाख रूपये तक के मार्जिन मनी ऋण स्वीकृत करने का अधिकार मण्डल स्तरीय समिति को दिया गया है।

2 बिक्रीकर की वर्तमान तथा भावीदेय के सम्बन्ध मे 10 लाख रूपये की सीमा तक 5 वर्षो के लिए स्थगन।

3. 1 करोड रूप्ये तक की सीमा के व्यापार कर के वर्तमान व भावी देयो के सम्बन्ध मे अ–स्थगन की सुविधा 5 वर्ष के लिए किए जाने का अधिकार सस्थागत वित्त विभाग का है।

4. रूग्ण इकाइयो को विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाएगा, परन्तु, यह सुविधा तभी मिलेगी जब इस सुविधा का प्रावधान पुनर्वासान पैकेज मे किया गया हो। यदि इकाई बन्द रहने के अन्तराल हेतु कजम्शन गारण्टी से मुक्त हो जाने की कार्यवाही की जा सकेगी तथा विद्युत पुनर्वासन हेतु रूग्ण इकाई से सिस्टम लोडिग चार्ज नही लिया जाएगा।

5. इकाई बन्द होने की तिथि से रूग्ण होने के पश्चात् पुनर्वासान पैकेज की स्वीकृत इकाई पर कोई विद्युत चार्ज नही लगाया जाता है। पिछली बकाया विद्युत देयो की वसूली 10 समान वार्षिक किस्तो मे की जाती है।

6 आबकारी करो का स्थगन 5 वर्षो के लिए किया जाता है तथा इसकी वसूली पैकेज मे उल्लिखित अवधि तक या 5 वर्ष जो भी पहले हो, की जाती है।

7. भारतीय रिजर्व बैक द्वारा रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन के सम्बन्ध मे समय–समय पर वित्तीय सुविधाये इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती है। [9]

---

9. उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास, कानपुर।

तालिका - 4.14

उत्तर प्रदेश में पुनर्वासन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा रूग्ण घोषित इकाइयों की संख्या

क्रमांक	मण्डल	चिन्हित रूग्ण इकाइयों से पुनर्वासन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र	रूग्ण घोषित इकाइयो की सख्या
1	आगरा	34	08
2	मेरठ	23	23
3	सहारनपुर	10	06
4	कानपुर	96	50
5	बरेली	06	03
6	मुरादाबाद	01	—
7	झॉसी	11	06
8	चित्रकूट धाम	07	01
9	लखनऊ	16	14
10	इलाहाबाद	36	—
11	फैजाबाद	12	09
12	देवीपाटन	02	01
13	गोरखपुर	12	11
14	आजमगढ	—	—
15	बस्ती	25	25
16.	वाराणसी	01	01
17.	मिर्जापुर	—	—
	योग	292	157

स्रोत उद्योग निदेशालय, कानपुर।

उपर्युक्त तालिका मे उत्तर प्रदेश मे मई 2000 तक चिन्हित रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा घोषित रूग्ण इकाइयो की सख्या मण्डलवार दी गयी है। पुनर्वासन के लिए सबसे अधिक आवेदन पत्र कानपुर मण्डल (95) से प्राप्त हुए,

जो पूरे प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्रो को 35 प्रतिशत था। इनमे 50 इकाइयॉ रूग्ण घोषित की गयी, जो कुल रूग्ण घोषित इकाइयो का 52 प्रतिशत था। इसके पश्चात् इलाहाबाद मण्डल रहा, जहॉ 36 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, परन्तु कोई भी इकाई रूग्ण घोषित नही की गयी। आगरा मण्डल से 34 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमे से 8 इकाइयो को रूग्ण घोषित किया गया। बस्ती तथा मेरठ मण्डल से क्रमश 11 25 तथा 23 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमे से क्रमश 25 तथा 23 इकाइयो को रूग्ण घोषित किया गया। सबसे कम आवेदन पत्र वाराणसी (1) तथा मुरादाबाद (1) मण्डल से प्राप्त हुआ, जिसमे से वाराणसी से एक इकाई रूग्ण घोषित की गयी। मिर्जापुर तथा आजमगढ मण्डल से पुनर्वासन हेतु न कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ और न ही कोई औद्योगिक इकाई रूग्ण घोषित की गयी।

इस प्रकार पूरे प्रदेश से 292 आवेदन पत्र पुनर्वासन हेतु प्राप्त हुए, जिनमे से 157 इकाइयो को रूग्ण घोषित किया गया।

तालिका - 4.15

विभिन्न वर्षो में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की संख्या

इकाई	दिसम्बर 1990	दिसम्बर 1998	दिसम्बर 1999
मध्यम एव वृहद् स्तरीय इकाइयॉ	1455 (17 2%)	2476 (1 11%)	2792 (0 91%)
लघु स्तरीय इकाइयॉ	219642 (82 8%)	221536 (98 89%)	306221 (99 09%)
योग	221097	224012	309013

स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार प्रकाशन, वर्ष 1991-92, 2000-2001

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि रूग्ण इकाइयो की सख्या लगातार बढी है। दिसम्बर 1990 मे 221097 रूग्ण इकाइयॉ थी, जो 1999 मे बढकर 309013 हो गयी। इसमे भी लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयो की सख्या मे अत्यधिक वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1990 मे कुल रूग्ण इकाइयॉ 82.8 प्रतिशत लघु स्तरीय क्षेत्र मे थी, जो वर्ष

1998 मे बढकर 98 89 तथा वर्ष 1999 मे 99 09 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार वर्ष 1998 से वर्ष 1999 की अवधि मे लघु स्तरीय रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की सख्या मे लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तालिका - 4.16

विभिन्न वर्षो में रूग्ण औद्योगिक इकाइयों में अवरूद्ध राशि (करोड रू० में)

इकाई	दिसम्बर 1990	दिसम्बर 1998	दिसम्बर 1999
मध्यम एव वृहद् स्तरीय इकाइयॉ	6924 59 (74 1%)	11825 (75 4%)	15150 (77 8%)
लघु स्तरीय इकाइयॉ	2426 (26%)	3857 (24 6%)	4314 (22 02%)
योग	9352 53	15682	19464

स्रोत . आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार प्रकाशन, वर्ष 1991-92, 2000-2001

रूग्ण लघु स्तरीय इकाइयो की सख्या मे लगातार वृद्धि तो हुई है परन्तु अवरूद्ध राशि का प्रतिशत वृहद् स्तरीय इकाइयो मे अधिक है। वर्ष 1999 मे कुल अवरूद्ध राशि का 77 8 प्रतिशत वृहद् स्तरीय इकाइयो मे तथा 22 20 प्रतिशत लघु स्तरीय इकाइयो मे था। जबकि सख्या की दृष्टि से वर्ष 1999 तक 99 प्रतिशत लघु स्तरीय इकाइयॉ तथा 01 प्रतिशत वृहद् एव मध्यम स्तरीय इकाइयॉ रूग्ण थी।

औद्योगिक रूग्णता के कारण :

औद्योगिक रूग्णता के कारणो को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है

1 उद्यमिता कारण
2 उत्पाद सम्बन्धी कारण
3 प्रक्रिया सम्बन्धी कारण
4. वित्तीय कारण
5 प्रबन्धकीय कारण
6 विपणन सम्बन्धी कारण
7 व्यवसायिक सकल्पना सम्बन्धी कारण
8 अन्य कारण

उद्यमिता सम्बन्धी कारण :

(I) उद्यमी इकाई को चलाने मे असमर्थ है।
(II) उद्यमी ईमानदार नही है अथवा उद्यमी मे ईमानदारी का अभाव है तथा इकाई के कोष का दुरूपयोग करता है।
(III) उद्यमी को कोई भी तकनीकी अनुभव नही है या उद्यमी के ऐसे साझेदार, जिनको तकनीकी ज्ञान था, ने इकाई को छोड दिया है।

उत्पाद सम्बन्धी कारण :

(I) गलत उत्पाद का चुनाव
(II) इकाई अपने उत्पाद को प्रतियोगी बाजार मे बेचने मे असमर्थ है।
(III) इकाई की उत्पाद की मॉग फैशन या अन्य किसी कारण से कम जो गयी है तथा उत्पाद बाजार मे पुराना पड गया है।
(IV) व्यवसाय के आकार के हिसाब से उत्पाद उपयुक्त नही है। या तो बहुत बडा है या बहुत छोटा।
(V) सरकारी नीतियो तथा नियमो के कारण उत्पाद लाभदायक नही रह गया है।

वित्तीय कारण :

(I) इकाई मे बहुत अधिक हानि एकत्रित हो गयी है।

(II) अत्यधिक ऋण भार

(III) वित्तीय इकाइयो से रूग्ण इकाई द्वारा बहुत अधिक मात्रा मे ऋण लिया गया है जिससे यह डर है कि किसी भी समय वह वित्तीय सस्था अपने सारे ऋण को मॉग सकती है।

(IV) इकाई नकद हानि के चक्र मे इस प्रकार फॅस गयी है कि उससे बाहर निकलना असम्भव है।

(V) वित्तीय सस्थाओ द्वारा कम मात्रा मे साख देना।

(VI) इकाई द्वारा खातो का न बनाया जाना।

प्रक्रिया सम्बन्धी कारण :

(I) मूल उत्पादन प्रक्रिया/प्लाण्ट एव मशीनरी का गलत चुनाव।

(II) उत्पाद प्रक्रिया के उपकरणो की अनुपलब्धता।

(III) गुणवत्ता के प्रति बहुत अधिक या बहुत कम सावधानियॉ।

(IV) नयी खोज, जिसके फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रिया का अनार्थिक हो जाना।

विपणन सम्बन्धी कारण :

(I) उत्पाद का बाजार मे सफलतापूर्वक विपणन नही हुआ है।

(II) उत्पाद का उपयुक्त मूल्य नही रखा गया है।

(III) उत्पाद के लिए वितरण के गलत माध्यमो का चुनाव किया गया है।

(IV) खराब वित्तीय स्थिति जिसका उपभोक्ताओ द्वारा खूब उपयोग किया गया है।

(V) इकाई की कुछ उपभोक्ताओ पर अत्यधिक निर्भरता अर्थात् इकाई द्वारा नए उपभोक्ताओ, क्षेत्रो को नही खोजा गया है।

(VI) सविदा की शर्तो का ज्ञान न होना। जिसके कारण इकाई सही ढग से आदेशो का पालन नही कर पा रही है।

(VII) लगान तथा यातायात व्यय का अधिक होना।

प्रबन्ध सम्बन्धी कारण :

(I) प्रबन्ध का कमजोर होना, जिसके परिणामस्वरूप प्रबन्धक मेहनत तो बहुत करते है किन्तु उनका प्रबन्ध निष्प्रभावी तथा निष्प्रयोज्य होता है।

(II) इकाई के प्रबन्धन द्वारा प्रबन्ध की गलत नीतियो का अपनाया जाना।

(III) इकाई के प्रबन्ध का निष्क्रिय होना।

(IV) इकाई के उच्च प्रबन्धन द्वारा विभिन्न कार्यात्मक प्रबन्धको के मध्य समन्वय स्थापित न कर पाना।

अवधारणा सम्बन्धी कारण :

(I) इकाई व्यवसायिक सकल्पना से अनभिज्ञाहै और न ही उसे उत्पाद की अवधारणा का ज्ञान है। जैसे – कम्पनी को क्या उत्पादन करना चाहिए तथा किसी भी उत्पाद को उपभोक्ता क्यो और कैसे क्रय करेगे।

(II) उपभोक्ता व्यवहार के बारे मे पर्याप्त जानकारी का अभाव। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रो मे समन्वय नही हो पाता है। न तो उत्पाद का और न ही उपभोक्ता के दृष्टिकाण से पर्याप्त व्यवहार कम्पनी कर पाती है।

(III) व्यवसायिक इकाई मे नीतियो एव नियमो का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नीतियो का भी अभाव पाया जाता है। इकाई द्वारा निर्णय प्रक्रिया मे कोई समुचित कारण का न होना।

अन्य कारण :

(I) कच्चे माल की अनुपलब्धता एव मूल्य का अत्यधिक होना।

(II) साझेदारी विवाद के कारण इकाई का ढेग से कार्य न कर पाना या बन्द हो जाना।

(III) गलत स्थान का निर्धारण।

(IV) . कर्मचारियो एव श्रमिको की सख्या का अधिक होना।

(V) कुशल कर्मचारियो एव श्रमिको का अभाव।

इस प्रकार कोई भी इकाई चाहे वह वृहद् स्तरीय हो या लघु स्तरीय, उपरोक्त मे से किसी एक या अधिक कारक के काहने पर रूग्ण हो जाती है। वह कारण प्रबन्धकीय, वित्तीय, विपणन सम्बन्धी, सकल्पना या उत्पाद सम्बन्धी कोई भी हो सकता है। परन्तु, इन सभी कारणो मे किसी भी इकाई के रूग्ण होने का सबसे बडा कारण प्रबन्धकीय होता है।

औद्योगिक रूग्णता के परिणाम :

ओद्योगिक रूग्णता, चाहे वह विकासशील देश हो या विकसित दश, सभी को बुरी तरह प्रभावित करती है। भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसी अर्थव्यवस्था मे जहॉ पर श्रम की अधिकता हे, वहॉ पर रूग्णता के फलस्वरूप गम्भीर परिणाम हो सकते है। औद्योगिक रूग्णता अर्थव्यवस्था के एक नही बल्कि अनेक पक्षो को विपरीत दिशा मे प्रभावित करती हे। औद्योगिक रूग्णता द्वारा उत्पन्न परिणाम निम्न हे

(1) संसाधनों का दुरूपयोग :

औद्योगिक इकाई के रूग्ण होने की स्थिति मे यदि उत्पादन कार्य बन्द हो जाता है तो उस इकाई मे लगे हुए सम्पूर्ण ससाधन बेकार हो जाते है, जिससे राष्ट्रीय क्षति होती है। वृहद उद्योगो मे यह समस्या अत्यधिक भयावह एव जटिल हो जाती है क्योकि वृहद उद्योगो मे अत्यधिक मात्रा मे परिसम्पत्तियो मे पूँजी निवेश होता है। विशेषरूप से उत्तर प्रदेश मे जब यह स्थिति होती है जहॉ कि ससाधनो की कमी है, तो यह अन्य पक्षो को विपरीत दिशा मे प्रभावित करने लगती है।

(2) निवेशकों एवं उद्यमियों पर प्रभाव :

औद्योगिक इकाई की रूग्णता की दशा मे विशेषकर जब वह बन्द हो जाती है, तो स्टाक मार्केट मे उस औद्योगिक इकाई के अशो की कीमत गिरने लगती है जिससे अशधारियो मे अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। दूसरी ओर इसका विपरीत प्रभाव अन्य उद्यमियो पर भी पडता है जो कि उसी उद्योग मे कार्यरत है।

(3) रोजगार पर प्रभाव :

विकासशील अर्थव्यवस्था वाले भारत जैसे देश मे, जहॉ भारी मात्रा मे अकुशल श्रम का बाहुल्य है, तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण कृषि क्षेत्र मे प्रछन्न बेरोजगारी है, वहॉ पर औद्योगिक रूग्णता के फलस्वरूप समस्या भयानक हो जाती है। यदि वे औद्योगिक इकाइयॉ, जिनमे अत्यधिक मात्रा मे श्रमिक नियोजित है, रूग्ण होकर बन्द हो जाती है तो ये श्रमिक बेरोजगारी की समस्या को और जटिल बना देते है।

(4) औद्योगिक अशान्ति :

यदि औद्योगिक इकाई रूग्ण होकर बन्द हो जाती हे तो उसमे नियोजित श्रमिको एव कर्मचारियो की स्थिति अलग तरह की हो जाती हैं। श्रमिक एव कर्मचारी प्रबन्धन से असन्तुष्ट होकर हडताल करते है ओर इस प्रकार इकाई को हानि पहुँचाते है। इसके परिणाम स्वरूप नियोजक इकाई मे तालाबन्दी कर देते है। कुल मिलाकर औद्योगिक रूग्णता औद्योगिक अशान्ति का वातावरण सृजित करती हे।

(5) वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव :

औद्योगिक इकाई के रूग्ण होने की स्थिति मे इकाई द्वारा बैको एव वित्तीय सस्थाओ से प्राप्त ऋण की बकाया राशि मिलने की सम्भावना क्षीण हो जाती है। ऐसी स्थिति मे बैको तथा वित्तीय सस्थाओ को अत्यधिक मात्रा मे वित्तीय हानि उठानी पडती है। वर्ष 1990-91 मे देश मे औद्योगिक रूग्ण इकाइयो की अवरूद्ध राशि सात हजार करोड रूप्ये थी जो वर्ष 1999 मे बढकर 19464 करोड रूपये हो गयी। इस स्थिति मे रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया के डिप्टी गर्वनर का यह कथन कि ***"रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की पुनरूद्धार नीति देश के बैंकों एव वित्तीय संस्थाओं को भी रूग्ण बना देगी"*** महत्वपूर्ण है।

(6) औद्योगिक रूग्णता के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय एव राज्य सरकार पर अत्यधिक वित्तीय भार पडता है तथा राजस्व घाटे मे वृद्धि होती है।

(7) औद्योगिक इकाई के रूग्ण होने के परिणाम स्वरूप सम्बन्धित औद्योगिक इकाई से जुडी हुई अन्य इकाइयॉ भी विपरीत दिशा मे प्रभावित करती है।

अध्याय 5

औद्योगिक रूग्णता को दूर करने में वित्तीय संस्थाओं का योगदान

प्रस्तावना :

वित्तीय सस्थाओ से अभिप्राय ऐसी सस्थाओ से है, जो उद्योगो के विकास के लिए उद्योग के प्रारम्भ से तथा दीर्घकाल तक वित्तीय सहायता हेतु विशेषरूप से सृजित की जाती है। रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनरूत्थान के लिए योगदान के सदर्भ मे सरकार द्वारा काफी घोषणाएँ की गयी है। परन्तु, किसी भी स्पष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक रूग्णता नीति का निर्माण नही हो सका है।

जब कोई औद्योगिक इकाई रूग्ण इकाई के रूप मे चिन्हित की जाती है तो उस इकाई का यह अध्ययन किया जाता है कि एक निश्चित समयावधि मे उसका पुनरूद्धार सम्भव है या नही? यदि इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि इकाई का पुनरूद्धार उपयुक्त योजना द्वारा हो सकता है तो इकाई के पुनरूद्धार के लिए योजना को लागू किया जाता है। इस योजना को लागू करने मे सबसे बडा योगदान वित्तीय सस्थाओ का होता है। इस अध्याय के अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय सस्थाओ का अध्ययन करेगे

1 भारतीय रिजर्व बैक
2 भारतीय औद्योगिक विकास बैक
3 राज्य वित्त निगम
4 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक
5 उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम
6 भारतीय लघु उद्योग विकास बैक
7 औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

वित्तीय संस्थाओं का योगदान :

औद्योगिक रूग्ण इकाइयो की रूग्णता को दूर कने मे वित्तीय सस्थाये किस प्रकार उपयोगी है। इसे निम्न सोपानो के माध्यम से अवलोकित किया जा सकता है

1. औद्योगिक रूग्ण इकाइयो के सर्वेक्षण हेतु वित्तीय सस्था को एक अध्ययन दल का गठन करना चाहिए। इस अध्ययन दल को बैको से उन सभी इकाइयॉ का विवरण प्राप्त करना चाहिए, जो छ माह या इससे अधिक समय से रूग्ण हो।

2 ऐसी सभी इकाइयॉ जो लगातार हानि मे चल रही हो, उनमे वित्तीय सस्थाओ को वित्तीयन कार्य नही करना चाहिए।

3 अध्ययन दल द्वारा ऐसी सभी निर्धारित की गयी इकाइयो को उनके रूग्णता के कारणो के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए।

4 ऐसी इकाइयॉ, जिनमे रूग्णता का मुख्य कारण मशीनो तथा उत्पादन सुविधाओ का पुराना होना हो, उनमे सबसे पहले विनियोग व्यय का पूर्वानुमान करना चाहिए, जिसके आधार पर इन इकाइयो को पुनरूत्थान हो सके।

5 इसी प्रकार किसी विशेष क्षेत्र मे उपलब्ध वित्त के निर्धारण के सम्बन्ध मे रूग्ण उद्योगो के अनुसार उनका विभाजन किया जाना चाहिए।

6 रूग्ण उद्योगो को उद्यम के अनुसार निर्धारण किया जाना चाहिए। एक उद्योग मे प्रत्येक उद्यम को इस प्रकार श्रेणीबद्ध करना चाहिए, जो पुनरूत्थान और रोजगार सृजन एव सरक्षण के अनुपात पर आधारित हो। यह अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक उस उद्यम को वित्त का आवटन होगा।

7 प्रत्येक उद्यम को प्राप्त होने वाला वित्तीय सहयोग हो सकता है कि उसकी कुल आवश्यकता को पूरा न कर सके। इस सम्बन्ध मे राष्ट्रीयकृत बैको का सहयोग लेना चाहिए। बैको का योगदान रूग्ण इकाइयो को वित्तीयन हेतु इन इकाइयो के कुल औद्योगिक उद्यमो और आधुनिकीकरण के व्यय के 15 से 20 प्रतिशत से अधिक नही होना चाहिए।

8 औद्योगिक रूग्णता का अन्य कारण कच्चे माल की अपर्याप्तता तथा शक्ति की अनुपलब्धता है। अत अध्ययन दल को इकाई को उचित मूल्य पर इन साधनो की पूर्ति के लिए सम्बन्धित क्षेत्र मे सस्तुत करना चाहिए। इस विषय मे महत्वपूर्ण कच्चे माल के सन्दर्भ मे बैको का सहयोग प्राप्त करना चाहिए।

9. औद्योगिक रूग्णता यदि क्षमता के अनुपयोग के कारण हो, तो वहॉ स्थापित क्षमता के विकल्पो का उपयोग करना चाहिए।

10. यदि औद्योगिक रूग्णता घटिया माल, सुपुर्दगी का देर से होना या न होना, बाजारी मॉग मे कमी, ऊॅची लागत के कारण हो तो यहॉ पर फण्ड के स्थान पर तल पूॅजी फण्ड की समस्या हो जाती है।

अध्ययन दल का यह सुझाव है कि बैको की कार्यशैली पूँजी का वित्तीयन वित्तीय सस्थाओ के मार्गदर्शन मे होना चाहिए। अध्ययन दल को रूग्ण इकाईयो के वित्तीय नीतियो के प्रभागो का निरीक्षण लगातार करते रहना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो उसमे परिवर्तन नही करना चाहिए।

पुनरूत्थान नीतियाँ ·

यदि औद्योगिक इकाई रूग्ण इकाई के रूप मे चिन्हित की गयी है तो उसके रूग्णता के कारणो का विश्लेषण करने के बाद एक उपयुक्त पुनरूत्थान नीति बनायी जानी चाहिए जो उसके रूग्णता के कारणो पर आधारित हो। ये नीतियॉ सामान्यत निम्न हो सकती है

1. लेनदारों से सामंजस्य :

एक रूग्ण औद्योगिक इकाई अत्यधिक ब्याज के भार तथा ऋण के पुनर्भुगतान के दबाव मे कार्य नही कर सकती। रूग्ण इकाई से यदि वित्तीय सस्था अपने द्वारा दिए गए ऋण को मॉगती है तो ऐसी स्थिति मे उसमे और वित्तीय समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति से उबरने के लिए या तो इकाई के लिए पुनरूद्धार वित्तीय सुविधाएँ बनाई जाएँ जिनमे ऋण के अधिभार सम्मिलित हो या इकाई अपने सम्पूर्ण दायित्वो से छुटकारा ले ले। यह छुटकारा रूग्ण इकाई को अपने लेनदारो को पूर्ण भुगतान के द्वारा मिल सकता है। अनेक ऐसी इकाइयॉ है, जिनका पुनरूद्धार लेनदारो को पूर्ण भुगतान के द्वारा हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत एक निश्चित रकम वित्तीय सस्थाओ द्वारा निश्चित कर दी जाती है। वित्तीय सस्थाये इन इकाइयो के पुनरूत्थान मे ऋण के भुगतान द्वारा सहायता करती है। निम्न तालिका मे पिछले पॉच वर्षो मे पिकअप तथा यू०पी०एफ०सी० द्वारा दिए गए योगदान का उल्लेख है।

तालिका - 5.1

विभिन्न वर्षो में रूग्ण इकाइयों में वित्तीय संस्थाओं का योगदान

क्र स०	वर्ष	यू०पी०एफ०सी सख्या	धनराशि (ला०रू०मे)	पिकअप सख्या	धनराशि (ला०रू०मे)
1	1997-1998	319	2904 04	07	215 61
2	1998-1999	163	2081 50	05	508 43
3	1999-2000	689	13738 19	16	1268 19
4	2000-2001	257	4964 29	21	1580 70
5	2001-2002	139	4841 23	24	3248 14

स्रोत रूग्ण इकाइयो का पुनरूद्धार दसवीं पचवर्षीय योजना 2002-2007, पेज सख्या 18

अत रूग्ण इकाइयो के पुनरूद्धार हेतु वित्तीय सस्थाओ के साथ खातो को पूर्ण समायोजन सबसे अच्छा.विकल्प है। इस क्रम मे यू०पी०एफ०सी० को अपनी आय को जो ब्याज के रूप मे है, छोडना पडा है, जिसके परिणामस्वरूप उसे भारी हानि हुई है। इस छोडे गए ब्याज के भार को बडी वित्तीय सस्थाओ जैसे सिडबी तथा आई०डी०बी०आई० के साथ 50 प्रतिशत तक बॉटना चाहिए।

2. पुनरूद्धार पैकेज :

विगत् वर्षो मे विभिन्न पुनरूद्धार योजनाओ के अन्तर्गत रूग्ण इकाइयो को सुविधाये दी गयी है। परन्तु यह अनुभव किया गया है कि सुविधा प्राप्त इकाइयो मे से मात्र 5 से 10 प्रतिशत इकाइयो का ही पुनरूद्धार हुआ, इससे बैक तथा वित्तीय सस्थाएँ रूग्ण इकाइयो मे पूँजी विनियोग करने से कतराने लगी।

तालिका - 5.2

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या

क्र स	वर्ष	यू०पी०एफ०सी०	पिकअप
1	1997-98	5	6
2	1998-99	4	4
3.	1999-2000	2	9
4	2000-2001	4	6
5	2001-2002 (अगस्त तक)	3	7

स्रोत रूग्ण इकाइयो का पुनरूद्धार, दसवीं पचवर्षीय योजना 2002-2007, पेज सख्या 19

3. प्रबन्ध में परिवर्तन :

यदि इकाई अकुशल प्रबन्धन विवादो के कारण रूग्ण हो तो प्रबन्ध मे तुरन्त पारस्परिक स्थानान्तरण द्वारा रूग्ण इकाई के पुनरूद्धार मे सहायता प्राप्त होती है।

4. विनिवेश तथा विक्रय :

पुनरूद्धार योजना जोखिम वाली इकाइयो की ऐसी सम्पत्ति, जो लाभदायक न हो, का विनिवेश तथा एकत्रित स्टाक का विक्रय सम्मिलित करती है। इन क्रियाओ द्वारा रूग्ण इकाई की तरलता की स्थिति मे सुधार होता है तथा ससाधनो के पुनर्उपयोग मे सहायता मिलती है।

5. प्लाण्ट एवं मशीनरी का आधुनिकीकरण :

रूग्ण इकाई की उत्पादन क्षमता मे सुधार हेतु प्लाण्ट एव मशीनरी की आधुनिकीकृत खोज एव मरम्मत की जानी चाहिए। यह चरण मानक लागत तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक

(भारतीय औद्योगिक पूँजी निवेश बैंक लि०)

विगत वर्षो मे बहुत से औद्योगिक उपक्रम, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र मे, अत्यधिक वित्तीय कठिनाई मे थे। ये उपक्रम अपना उत्पादन कार्य बन्द करने वाले थे। उपक्रमो को इस स्थिति मे लाने के लिए पर्याप्त उत्पादित वस्तु की मॉग का अभाव, कुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था का अभाव, कच्चे माल का अभाव, श्रम विवाद, आयातित वस्तुओ का प्रतिबन्ध आदि कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। इन औद्योगिक उपक्रमो की अर्थव्यवस्था के महत्व को परिलक्षित करते हुए तथा रोजगार के स्तर को ध्यान मे रखते हुए इन औद्योगिक इकाइयों की सहायता करना आवश्यक समझा गया। अत इकाइयो को कठिनाइयो से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1971 मे औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना भारतीय औद्योगिक बैको के अनुसधान के आधार पर की। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक का मुख्य उद्देश्य रूग्ण इकाइयो तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानो की उत्पादन क्षमता को गतिशील बनाना है। बैक की अधिकृत पूँजी 25 करोड रूपये की है। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक जीर्ण तथा बन्द औद्योगिक इकाइयो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ–साथ उनकी प्रबन्धकीय तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की अडचनो को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1985 मे औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक की स्थापना की है। यह बैक पुनरूत्थान हेतु कार्य करता है, जिसमे आधुनिकीकरण व्यय, उद्योगो का विविधीकरण, पुनर्वित्त व्यवस्था तथा विवेकीकरण आदि शामिल है। औद्योगिक पुनर्वित्त बैक की अधिकृत पूँजी 200 करोड रूपये तथा प्रदत्त पूँजी 50 करोड़ रूपये है, जो पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी है।

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक निम्न उद्योगों को सहायता प्रदान करता है :

इनमे कपडा उद्योग, कागज उद्योग, रसायनिक उद्योग, खाद्य प्रसस्करण उद्योग, रबर के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग, मशीन निर्माण, परिवहन सयन्त्र, रेलो के वैगन तथा साइकिल उद्योग आदि प्रमुख है। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने टेक्सटाइल

कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० की स्थापना की है, जिसमे ओद्योगिक विकास बैक, राष्ट्रीयकृत बैको एव अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा पूँजी लगायी गयी हे।

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक, औद्योगिक उपक्रमो तथा अन्य ओद्योगिक सयत्रो की पुनर्सरचना हेतु परियोजना तैयार करती है तथा इसे केन्द्र सरकार के पास भेजती हे। यह बैक औद्योगिक प्रतिष्ठान की उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियो को तीव्र करती है तथा कम्पनी अधिनियम के अनुसार अन्य कार्यवाहियो पर शीघ्र निपटारा करती है। इस बैक का सलाहकार तथा व्यपारिक बैकिग सेल बहुत अधिक मजबूत है, जिससे रूग्ण इकाइयो की रूग्णता के निवारण साथ–साथ उसकी प्रक्रिया को भलीभॉति सम्पन्न करता है। वर्तमान समय मे इसकी गम्भीरता तथा औद्योगिक रूग्णता की समस्या के कारण सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, राष्ट्रीयकृत बैको तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ से पर्याप्त सहयोग ले। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक मुख्यत पुनर्निर्माण बैक एजेसी के रूप मे कार्य करता है। यह बैक औद्योगिक प्रतिष्ठानो को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है। इसकी सहायक क्रियाओ मे विकासात्मक सहयोग, व्यवसायिक बैकिग सेवाएँ तथा प्रबन्धकीय सेवाएँ आदि शामिल है। वर्ष 1987-88 मे औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक द्वारा स्वीकृत तथा वितरित धनराशि 186 करोड तथा 102 करोड रूपये थी, जो वर्ष 1997-98 मे बढकर क्रमश 2061 करोड रूपये तथा 1153 करोड रूपये हो गयी। [1]

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक को अपने कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए अनेक अधिकार तथा सुविधाएँ सरकार द्वारा दी गयी है। इस बैक को यह अधिकार है कि वह किसी भी औद्योगिक इकाई का प्रबन्ध अपने हाथ मे ले ले तथा उन प्रतिष्ठानो को स्वय नियन्त्रित करे। यह केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कर सकते है कि ऋण समझौते तथा अन्य माध्यम से 2 वर्ष तक स्थगित किए जा सकते है, जिन्हे बढाकर 8 वर्ष तक किया जा सकता है। ये बैक लाभकर, आयकर तथा अन्य आय प्रतिकर से मुक्त होते है। इन पर एकाधिकारी एव प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम नही लागू होता है। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक को अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप मे प्रबन्ध कुशल बनाने तथा औद्योगिक पुनरूत्थान सम्बन्धी सभी सस्थाओ मे समन्वय स्थापित करने का अतिरिक्त कार्यभार सौपा गया है।

---

1. भारतीय अर्थशास्त्र मिमोरिया एव जैन, 2001, पृष्ठ 335

औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक के सन्दर्भ मे सरकार का निर्णय है कि कुल वितरित अनुदान मे से 40 प्रतिशत अनुदान ऐसी इकाइयो को दिया जाए जो रूग्ण न हो। सरकार का यह निर्णय बैक के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति मे सन्देह उत्पन्न करता है। यह सर्वविदित है कि क्षेत्रीय रूग्णता की सकेन्द्रता देश के ऐतिहासिक तथा औद्योगिक ढॉचे से मेल खाती है। इसलिए यह आश्चर्यजनक नही है कि पॉच राज्य ही अधिक ऋण प्राप्त करे, जिनमे पश्चिम बगाल, महाराष्ट्र तथा गुजरात आदि प्रमुख है। कपडा उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक का लाभ अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा है। खाद्य, कागज, आधारभूत मशीनरी आदि कुल इकाइयो का दसवॉ भाग तथा कुल ऋण का पॉच प्रतिशत प्राप्त करते है। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयो को कुल स्वीकृत धनराशि का दो प्रतिशत भाग ही दिया जाता है। बैक के द्वारा औद्योगिक इकाइयो के वित्तीयन मे कुल स्वीकृति का 86 प्रतिशत आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक क्षमता के विविधीकरण हेतु किया जाता है। इस प्रकार किसी रूग्ण इकाई का कार्यरत रहना उसके लाभ पर आधारित है। बैक के अनुसार एक रूग्ण इकाई वह है जो इस प्रक्रिया से छूट जाती है। इसमे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इकाई की क्षमता 10 वर्ष की अवधि मे प्राप्त किए गए ऋण के भुगतान की होनी चाहिए। औद्योगिक रूग्णता की समस्या के सन्दर्भ मे इस बैक की भूमिका स्पष्ट रही है। प्राप्त कारणो से पता चलता है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक से लाभ प्राप्त कर्ताओ मे 30 प्रतिशत रूग्ण इकाइयॉ, 28 प्रतिशत बकाया साख प्राप्त करने वाली गैर कार्यरत है, इन ऑकडो को सन्तोषजनक नही कहा जा सकता है।

मार्च 1997 मे औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक का नाम बदलकर भारतीय औद्योगिक पूॅजी निवेश बैक लि० कर दिया गया है तथा इसकी अधिकृत पूॅजी 200 करोड रूपये से बढाकर 1000 करोड रूपये कर दी गयी है। वर्ष 1997-98 मे भारतीय औद्योगिक पूॅजी निवेश बैक लि० द्वारा 2061 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए, जिसमे से 1153 करोड रूपये के ऋण का वितरण हुआ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक :

भारतीय औद्योगिक विकास बैक की स्थापना जुलाई 1964 मे भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम 1964 की शर्तो के अनुसार रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने पूर्णत स्वामित्व वाली सस्था के रूप मे उद्योगो के विकास के लिए ऋण एव अन्य सुविधाओ की व्यवस्था करने तथा उससे सम्बन्धित कार्यो के लिए की गयी हे। इस बैक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास की आवश्यकताओ को पूरा करना था। देश मे बढते हुए औद्योगीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु इस बैक की स्थापना की गयी। यह बैक मुख्य रूप से खनन उद्योग, जहाजरानी उद्योग, विनिर्माण उद्योग, होटल उद्योग, परिवहन उद्योग आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैक की स्थापना के उद्देश्य निम्न है

(I) वित्तीय सस्थाओ को औद्योगिक सस्थाओ के अशो तथा बाण्ड को क्रय करना एव उनका अभिगोपन करना।

(II) औद्योगिक सस्थाओ को ऋण देना।

(III) औद्योगिक सस्थाओ के बिलो को बट्टे पर भुनाना।

(IV) भावी औद्योगिक विकास के लिए प्राथमिकताओ का क्रम निर्धारित करना।

(V) दीर्घकालीन एव मध्यमकालीन औद्योगिक वित्त की मॉग एव पूर्ति के मध्य सतुलन स्थापित करना।

(VI) भारत मे वित्तीय सस्थाओ के लिए केन्द्रीय समन्वयकारी सस्था के रूप मे कार्य करना।

(VII) औद्योगिक विकास सम्बन्धी अनुसधान तथा सर्वेक्षण करना।

(VIII) तकनीकी औद्योगिक अध्ययनो को सम्पन्न करना।

इसका प्रबन्ध एक संचालक मण्डल करता है जिसमे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, एक पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्र सरकार के दो अधिकारी, तीन व्यवसाय निदेशक तथा अशधारियो के चार प्रतिनिधि होते है। वर्तमान समय मे एक मुख्य निदेशक तथा नौ अन्य निदेशक कार्यरत है।

फरवरी 1976 मे भारतीय औद्योगिक विकास बैक का पुनर्गठन किया गया जिसके फलस्वरूप इसके कार्यो मे कुछ परिवर्तन आए

(I) यह बैक विशिष्ट सस्थाओ जैसे आई०एफ०सी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, आई०आर०सी०आई०, जीवनबीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैको के कार्यो को समन्वित करता है।

(II) बैक की समस्त पूँजी जो पुनर्गठन के पूर्व रिजर्व बैक आफ इण्डिया के पास थी, उसे पनुर्गठन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी। इसके सचालन मण्डल के गठन का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है, परन्तु उपाध्यक्ष, रिजर्व बैक आफ इण्डिया द्वारा नामाकित होता है।

(III) यूनिट ट्रस्ट की अश पूँजी मे जो हिस्सा रिजर्व बैक का था, उसे बैक के पुनर्गठन के पश्चात् औद्योगिक बैक विकास के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया, जिससे यह बैक शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य कर सके।

(IV) समस्त वित्तीय सस्थाओ के सचालक मण्डल मे औद्योगिक विकास बैक अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैक उद्योगो को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष सहायता मे यह बैक प्रोजेक्ट ऋणो, उदार ऋणो, प्रत्यक्ष अभिसूची, उपकरणो के वितरणो एव तकनीकी भुगतान द्वारा सहायता प्रदान करता है। इन ऋणो को स्कन्ध तथा अशो मे परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह बैक औद्योगिक सस्थाओ के लिए ऋण की उपलब्धि, खुले बाजार, जैसे राज्य सहकारिता बैक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा अनुसूचित बैक की सहायता से करते है। इस प्रकार यह बैक प्रत्यक्ष ऋणो मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम से मेल खाते है।

अप्रत्यक्ष सहायता के अन्तर्गत यह विकास बैक, औद्योगिक सस्थाओ को निम्न प्रकार से सहयोग करते है

(I) यह बैक औद्योगिक प्रतिष्ठानो को राज्य वित्त निगम, भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम तथा अन्य सस्थाओ से दिए गए ऋणो पर तीन से पच्चीस वर्षो के अन्दर भुगतान के लिए सावधि ऋणो का पुनर्वित्तीयन कर सकते है।

(II) यह बैक, व्यापारिक बैको अथवा राज्य सरकारी बैको द्वारा दिए गए ऋणो के तीन से दस वर्षो के भुगतान तथा उनका पुनर्वित्तीयन कर सकते हैं।

(III) यह बैक व्यापारिक बैक अथवा राज्य वित्त निगम, राज्य सरकारी बैको द्वारा दिए गए निर्यात साख का पुनर्वित्तीयन कर सकते है।

इस प्रकार यह बैक वित्तीय सस्थाओ तथा बैको द्वारा दिए गए ऋणो का पुनर्वित्तीयन करता है। इसी के साथ राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगत तथा अनुसूचित वित्तीय सस्थाओ के अश, बाण्ड तथा ऋण पत्रो को यह बैक अनुबन्धित करता है। इस प्रकार अतिरिक्त वित्तीय ससाधन उत्पन्न करके यह विकासात्मक बैक उद्योगो की सहायता करता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैक प्रत्यक्ष ऋणो द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानो को साख, निर्यात ऋण, पुनर्वित्तीयन ऋण, शेयर एव ऋण पत्र को अनुबन्धित तथा बिलो का पुनर्भुगतान करता है। जुलाई 1964 से मार्च 1990 तक औद्योगिक विकास बैक ने लगभग 34000 करोड रूपये की स्वीकृति दी, जिसमे से 24700 करोड रूपये का वितरण किया गया। वर्ष 1999-2000 मे 28308 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए ताि 17059 करोड रूपये के ऋणो का वितरण किया गया।[2]

इस प्रकार औद्योगिक इकाइयो को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से औद्योगिक विकास बैक महत्वपूर्ण सस्था के रूप मे सामने आया है। यह बैक औद्योगिक प्रतिष्ठानो को अन्य प्रकार से भी सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैक अधिनियम 1964 के अधीन एक विशेष फण्ड के सृजन का प्राविधान है, जिसे विकास सहायता फण्ड कहते है। इस फण्ड का प्रयोग औद्योगिक विकास बैक उन औद्योगिक बैको की सहायता के लिए करता है, जो अपने निम्न प्रतिफल के कारण अन्य स्रोतो से सहायता प्राप्त करने मे असफल रहे है। औद्योगिक विकास तथा सतुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करने के लिए वर्ष 1970 से इस बैक ने

---

2. आई०डी०बी०आई०, एनुअल रिपोर्ट, 1999-2000

विकासात्मक कार्यो को प्रारम्भ किया है। अन्य सावधि ऋण सस्थाओ के साथ–साथ औद्योगिक विकास बैक ने राज्यो एव केन्द्र शासित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। इस सयुक्त औद्योगिक अध्ययन दल ने 389 परियोजनाओ को 2465 करोड रूपये विनियोग के लिए चुना। वर्ष 1976 मे औद्योगिक विकास बैक ने सीमेण्ट उद्योग, कपडा उद्योग, चीनी उद्योग, इजीनियरिंग उद्योग एव जूट उद्योग की उत्पादन इकाइयॉ हेतु उदार ऋण योजना का प्रारम्भ किया है। इस योजना के द्वारा ये इकाइयॉ अपने आधुनिकीकरण के भार एव परियोजना के उपकरणो मे नवीनीकरण हेतु उदार शर्तो पर ऋण प्राप्त कर सकती है। इस योजना मे औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक साख निगम का सहयोग विकास बैक द्वारा प्राप्त किया जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्‌देश्य इकाइयो की पुरानी मशीनो मे परिवर्तन करना है। इस परियोजना मे ब्याज की दर 7 5 प्रतिशत तथा ऋण की अदायगी 15 वर्षो की है। वर्ष 1978 तक यह योजना काफी धीमी गति से चली, तथा उदार ऋण परियोजना निजी क्षेत्र की इकाइयो को आकर्षित नही कर पा रही थी। जनवरी 1984 में उदार ऋण परियोजना मे प्रत्येक प्रकार के आधुनिकीकरण को सम्मिलित किया गया। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता उन उत्पादक इकाइयो को मिलती है, जो उत्पादन प्रक्रिया के उत्थान हेतु तकनीकी परिवर्तन, आयात, प्रतिस्थापक, निर्यातमूलक तथा शक्ति से सम्बन्धित है। इस प्रकार इस परियोजना को आकर्षक बनाया गया।

भारत मे वर्ष 1964 मे स्थापित विकासात्मक बैक ने एक प्रधान सस्था के रूप मे सहयोगी कार्यो मे दीर्घ तथा मध्यकालीन वित्तीयन मे महत्वपूर्ण योगदान दिया। किन्तु कुछ आलोचक विकास बैक के कार्यो एव उपलब्धियो से सन्तुष्ट नही थे। उनके अनुसार यह विकासात्मक बैक एक उत्पादक तथा प्रभावकारी बैक के रूप मे राष्ट्र के औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने मे सफल रहा है, इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास बैक का एक स्वतत्र सस्था के रूप मे कार्यरत न होना था। यह बैक रिजर्व बैक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की प्रबन्धन सम्बन्धी असमर्थता थी। इसी के परिणाम स्वरूप विकास बैक को वर्ष 1976 से स्वतत्र सस्था के रूप मे मुक्त कर दिया गया। 1986 मे परिवर्तित अधिनियम के अनुसार ये विकासात्मक बैक औद्योगिक इकाइयो जैसे सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य, शक्ति, सूचना एव जनसम्पर्क के विस्तार के लिए सहायता प्रदान कर सकते है।

30 जून 2001 तक औद्योगिक विकास बैंक ने अपने कार्यकारी जीवन के 37 वर्ष पूर्ण कर लिए थे। वर्तमान मे यह बैंक राष्ट्र की सबसे बडी वित्त सस्था के रूप मे कार्यरत है। इसकी वित्तीय सहायता से 45 लाख व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय आय, रोजगार तथा निर्यात मे वृद्धि हुई है। इसके साथ ही साथ आयात प्रतिस्थापन भी हुआ है।[3] 31 मार्च 1976 को समाप्त वित्तीय वर्ष मे निगम को 12 करोड रूपये का लाभ प्राप्त हुआ था, जो 31 मार्च 2000 को बढकर 497 करोड रूपये हो गया।[4]

राज्य वित्त निगम :

उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण वित्तीय सस्थाऍ है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवम्बर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1954 के अन्तर्गत की गयी है। यू०पी०एफ०सी० ने लघु एव मध्यम स्तरीय उद्योगो के माध्यम से प्रदेश के सर्वागीण विकास का सुदृढ आधार बनाने का प्रयास किया है। वर्तमान समय मे यू०पी०एफ०सी० सावधि ऋण के रूप मे वित्तीय सहायता देने हेतु देश के प्रमुख राज्य वित्तीय निगम के रूप मे उभर रहा है।

यू०पी०एफ०सी० मे 31 मार्च 2000 तक 41734 मामलो मे 27 87 47 करोड रूपये की धनराशि दीर्घ अवधि ऋण के रूप मे वित्तपोषित है।[5] परन्तु विपरीत आर्थिक वातावरण तथा मन्दी के कारण इन वित्तीय सस्थाओ की स्थिति असन्तोषजनक है। यह दोनो सस्थाऍ भारी हानि मे चल रही है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप दोनो ही वित्तीय सस्थाऍ स्वय को इस असन्तोषजनक स्थिति से उबारने मे लगी हुई है। इस प्रक्रिया मे इन दोनो सस्थाओ को ध्यान मुख्यत दिए गए ऋणो की अदायगी पर है। 31 मार्च 2001 तक उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप की कुल हानि क्रमश 460 04 करोड रूपये तथा 172 करोड रूपये थी। इस दृष्टिकोण से इन वित्तीय सस्थाओ को नए ऋणो की अदायगी मे कठिनाई महसूस हो रही है। ये दोनो वित्तीय सस्थाऍ रूग्ण इकाइयो को दिए गए ऋणो के ब्याज को माफ करने या उनमे रियायत देने मे भी कठिनाई का अनुभव कर रही है। अध्ययन दल द्वारा उपरोक्त समस्याओ का

मुख्य कारण इन दोनो सस्थाओ मे बढती हुई गैर उपयोगी सम्पत्तियाँ (N P A) है। अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकार को दसवी पचवर्षीय योजना मे हानियो का 50 प्रतिशत का सहयोग पूँजी प्रदान करके इन सस्थाओ को करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने यह योजना बनायी है कि वह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की हानियो को पूरा करने एव वित्तीय सस्थाओ के सुधार के लिए 1000 करोड रूपये का ऋण देगी। इसी प्रकार राज्य सरकार को भी राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओ की स्थिति मे सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए राज्य सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैक से उसके 445 करोड रूपये के ऋण को 20 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि म परिवर्तित करे, जिसकी ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक हो। इस प्रक्रिया के द्वारा वित्त निगम की हानि की खाई पाटने मे काफी सहायता मिलेगी।

अध्ययन दल ने वित्तीय सस्थाओ (उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप) की वित्तीय स्थिति मे सुधार तथा रूग्ण इकाइयो के पुनरूत्थान के लिए कुल पूँजी आवश्यकता का अनुमान लगाया है जो 43,338 लाख रूपये है। वर्षवार पूँजी आवश्यकता की स्थिति निम्न प्रकार है

तालिका - 5.3

वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकता का अनुमान

वर्ष	कुल पूँजी आवश्यकता (लाख रू० मे)
2002-03	7762.50
2003-04	8215 00
2004-05	8667 50
2005-06	9120.00
2006-07	9572 50
योग	43337 50

स्रोत रूग्ण इकाइयो का पुनरूत्थान, उत्तर प्रदेश सरकार 2002-2007, पेज 33

उत्तर प्रदेश राज्य मे रूग्ण इकाइयो की सख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा 10वी पचवर्षीय योजना के अनुमानित रजिस्ट्रेशन के आधार पर अध्ययन दल का यह अनुमान है कि पुनर्वासन गतिविधियो मे और तेजी आनी चाहिए, जिससे निर्धारित समयावधि मे रूग्ण इकाइयॉ अपने घाटे से उबर सकें। वर्ष 2002 से 2007 की अवधि मे पुनर्वासित इकाइयो की वर्षवार सख्या निम्न है

तालिका - 5.4

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रूग्ण इकाइयों के भावी वित्तीयन का अनुमान

वर्ष	अनुमानित रूग्ण इकाइयो की सख्या		
	यू०पी०एफ०सी द्वारा वित्तीयन	पिकप द्वारा वित्तीयन	बैक द्वारा वित्तीयन
2002-2003	30	15	50
2003-2004	40	20	60
2004-2005	50	25	70
2005-2006	60	30	80
2006-2007	70	35	90

स्रोत . रिपोर्ट आफ सब-वर्किंग ग्रुप, उत्तर प्रदेश सरकार 2002-2007 पेज 30

भारतीय रिजर्व बैंक तथा रूग्ण इकाइयॉ :

औद्योगिक इकाइयो की रूग्णता को रोकने तथा रूग्ण इकाइयो के पुनरूत्थान के दृष्टिकोण से भारतीय रिजर्व बैक की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण है

1. एक तो उत्पादन तथा रोजगार बनाये रखने की चिन्ता।
2. रूग्ण औद्योगिक इकाइयो मे बहुत बडी मात्रा मे बैक साख अवरूद्ध है।

औद्योगिक रूग्णता की दिशा मे प्रथम सगठित प्रयास 1976 मे भारतीय रिजर्व बैक द्वारा एक सगोष्ठी के आयोजन के माध्यम से किया गया। इसमे निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

1. बैको की एक विशेष सगठन इकाई स्थापित करनी चाहिए, जो रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के प्रमाणीकरण के विभिन्न पक्षो को देखे तथा उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाये।
2. रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के सदर्भ मे भारतीय रिजर्व बैक को समाशोधन गृह की स्थापना करनी चाहिए, इसके माध्यम से बैको, वित्तीय सस्थाओ, सरकार एव अन्य एजेन्सियो मे समन्वय स्थापित करके रूग्ण इकाइयो के वित्तीय सहयोग का निपटारा किया जाय।
3. टण्डन समिति की सिफारिशो के अनुसार सूचना व्यवस्था के तहत बैको को रूग्ण एव रूग्णता के सन्निकट इकाइयो का प्रमाणीकरण करना चाहिए, जिससे शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा मे प्रभावी कदम उठाये जा सके।
4. रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के सम्बन्ध मे प्रारम्भिक चेतावनी सकेत हेतु सूचना व्यवस्था के अधार पर ऑकडो का विश्लेषण करना चाहिए।
5. बैको को केवल उन्ही रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनरूत्थान के सम्बन्ध मे कदम उठाने चाहिए, जो पुनर्वासन के बाद स्वस्थ होने योग्य हो।

इस सगोष्ठी के परिणामस्वरूप रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनरूत्थान के सम्बन्ध मे बैको तथा अन्य एजेन्सियो के सम्बन्ध मे भारतीय रिजर्व बैक ने विशेष

प्रबन्ध क्षेत्र स्थापित किया। इस क्षेत्र का कार्य पुनरूत्थान सम्बन्धी प्रयासो मे बेको के लिए दिशा निर्देश तथा नीतियॉ सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त इसका यह भी कार्य है कि बैकिग व्यवस्था के प्रयासो का पुनर्निरीक्षण करे तथा प्रारम्भिक रूग्णता के सम्बन्ध मे जो इकाइयॉ कार्यशील हो सके, उन इकाइयो के लिए वित्त व्यवस्था सुनिश्चित करे।

भारतीय रिजर्व बैक द्वारा 1976 मे सभी व्यापारिक बैको से रूग्णता के आकार का विस्तृत विवरण देने को कहा गया। इसमे उन सभी इकाइयो को विवरण मॉगा गया, जो नकद हानि मे कार्य कर रही हो या जो वर्तमान या आगामी वर्षो मे हानि होने आशका हो। इस प्रकार से प्राप्त ऑकडो के अनुसार मार्च 1976 मे ऐसी रूग्ण इका मे 882 करोड रूपये की बैक साख अवरूद्ध थी। उपलब्ध ऑकडो के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि इजीनियरिंग उद्योग, इस्पात उद्योग तथा लौह उद्योग रूग्णता से र अधिक प्रभावित हुए है। इन उद्योगो मे 160 रूग्ण इकाइयॉ तथा 265 करोड रूपये बैक साख अवरूद्ध थी। इनमे जूट उद्योग मे 31 रूग्ण इकाइयॉ तथा 88 करोड रु रसायन उद्योग मे 19 रूग्ण इकाइयॉ तथा 99 करोड रूपये, चीनी उद्योग मे 28 र इकाइयॉ तथा 67 करोड रूपये की बैक साख अवरूद्ध थी। यह ऑकडे उन इक से सम्बन्धित है, जिनमे बैक साख की सीमा एक करोड रूपये या उससे अधिक

भारतीय रिजर्व बैक ने रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सन्दर्भ मे समय–र पर दिशा निर्देश जारी किए है। इनकी मुख्यत दो भागो मे बॉटा जा सकता है

I. वृहद एवं मध्य रूग्ण इकाइयों के सम्बन्ध में :-

1 रूग्णता दूर करने के सन्दर्भ मे व्यवसायिक जीवन योग्य क्षमता को आधार माना गया है।

2 रूग्ण इकाइयो को निम्न सुविधाये तथा रियायते दी गयी है

(क) अवधि ऋणो के ब्याज के सन्दर्भ मे बैक अपने वर्तमान ब्याजदर से दो प्रति की रियायत रूग्ण इकाई को दे सकते है। इस प्रकार की रियायत बैक रूग्ण इकाई को देने के लिए भारतीय रिजर्व बैक की पूर्वानुमति आवश्यक

(ख) नगद साख अनुपात मे अनियमितता के कारण क्षति तथा दण्ड को बैक माफ कर सकता है।

(ग) रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के समय नगद हानि होने पर उसे इकाई के पुनरूत्थान के बाद ऐसी नगद हानि को बैक तथा ऋण दाता सस्था के मध्य 50 50 के आधार पर वहन करेगे। ऐसी स्थिति मे जहॉ सस्थाएँ उपलब्ध नही है, ऐसी स्थिति मे नकद हानि को बैको तथा आई०आर०बी०आई० द्वारा वहन किया जाएगा।

(घ) नकद साख का अनियमित भाग, जो क्षति तथा अर्थदण्ड को घटाने के बाद आता हो, को एक निश्चित अवधि के लिए कार्यशील पूँजी, अवधि ऋण मे परिवर्तित कर दिया जाएगा। ऐसी कार्यशील पूँजी, टर्मलोन पर ब्याज की दर 13 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के मध्य रहेगी।

(ड) जब टर्मलैण्डिग सस्थाएँ रूग्ण इकाई के पुनर्वासन के सन्दर्भ मे दीर्घ अवधि नकद आवश्यकता का निर्धारण कर रही हो, तो उन्हे वैधानिक दायित्वो तथा लेनदारो के भुगतान के सन्दर्भ मे उपयुक्त प्रावधान बनाने चाहिए।

(च) रूग्ण इकाई के पुनर्वासन की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होती है। अत ऋणो का भुगतान 10 वर्षो के लिए बढा दिया जाना चाहिए।

(छ) रूग्ण इकाईयो के प्रवर्तको से नए आन्तरिक कोष का निर्माण करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिससे प्रवर्तको का योगदान निम्न प्रकार से हो

1. जहॉ पर प्रबन्ध मे परिवर्तन हो रहा है, वहॉ पर प्रवर्तको द्वारा अतिरिक्त दीर्घकालीन कोष आवश्यकता का 15 प्रतिशत लाना चाहिए।

11 जहॉ पर प्रबन्ध परिवर्तन नही हो रहा है, वहॉ पर प्रवर्तको द्वारा अतिरिक्त कोष पूँजी आवश्यकता का 20 प्रतिशत लाया जाना चाहिए। प्रवर्तको को उपरोक्त वर्णित राशि का 10 प्रतिशत तुरन्त लाया जाना चाहिए तथा शेष रकम अगले छ माह के अन्दर भुगतान कर देना चाहिए।

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वासन के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत दिशा निर्देश

1 इकाई को व्यवसायिक रूप से जीवन योग्य होना चाहिए। इकाई तभी जीवन योग्य मानी जाएगी, जबकि पुनर्वासन योजना के लागू होने के 5 वर्ष के अदर बिना किसी सुविधा या रियायत के वह इकाई अपने ऋणो का भुगतान कर सके। अति लघु इकाइयो के सदर्भ मे यह अवधि दो वर्षो की है।

2. भारतीय रिजर्व बैक द्वारा विभिन्न सुविधाएँ एव रियायते दी गयी है

(क) बैक द्वारा दिए गए टर्मलोन का ब्याज अति लघु इकाइयो के सदर्भ मे अधिकतम 3 प्रतिशत तथा किसी अन्य स्थिति मे 2 प्रतिशत की रियायत दी जा सकती है। यह ब्याज दर आई०आर०डी०पी० योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण की ब्याज दर से कम नही होनी चाहिए। कार्यशील पूँजी टर्मलोन की ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक होनी चाहिए।

(ख) कार्यशील पूँजी टर्मलोन का पुनर्भुगतान 5 वर्ष के अदर होना चाहिए।

(ग) गारण्टी शुल्क को डी०आई०सी०जी०सी० को रूग्ण इकाई के पुनर्वासन काल मे बैंक तथा वित्तीय सस्थाओ द्वारा भुगतान करना चाहिए।

(घ) आवश्यकता आधारित कार्यशील पूँजी सुविधाओ पर ब्याज की दर 15 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नही होनी चाहिए।

3 प्रवर्तक का अशदान अतिलघु इकाई की स्थिति मे पुनर्वासन लागत का 5 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि लघु स्तरीय इकाई मे यह अशदान 10 प्रतिशत होना चाहिए।[6]

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इकाई के रूग्ण होने पर बैक उससे अलग न हो जाय, रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया ने 1989-90 मे यह निर्देश निर्गत किया है कि जो बैक इकाई की स्वस्थता के समय उससे सम्बद्ध थे, वही बैक उस इकाई के पुनर्वासन के समय उससे सम्बद्ध रहेगे।

भारतीय रिजर्व बैक की भूमिका औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैक के अनुमोदन पर प्रत्येक व्यापारिक तथा राष्ट्रीयकृत बैक

---

6. बैकिंग ला एण्ड प्रैक्टिस, एस०एन० महेश्वरी, पृष्ठ 731-740

केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकते है, जो औद्योगिक इकाइयो की रूग्णता पर विशेष नजर रख सकते है। इस सदर्भ मे रिजर्व बैक ने सुझाव दिया है कि यदि प्राप्त ऑकडो के आधार पर विश्लेषण विपरीत होता है, तो वे ऋण प्राप्तकर्ताओं से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकते है। जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। विभिन्न उद्योगो को सामान्य समस्याओ को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैक ने बैको को यह निर्देश दिया है कि वे स्वस्थ तथा रूग्ण इकाइयो की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिजर्व बैक सरकार को औद्योगिक विकास तथा रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सदर्भ मे महत्वपूर्ण सुझात देती है। उस स्थिति मे जहॉ रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सदर्भ मे भारतीय रिजर्व बैक ने स्वय हस्तक्षेप नही किया, वहॉ वह अपने अधिकारियो को वित्तीय सस्थानो की बैठक मे भेजती है। इस प्रकार रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के सदर्भ मे भारतीय रिजर्व बैक की भूमिका निम्न रूप मे रही है

1 रूग्ण इकाइयो के प्रति तन्मयता से ध्यान देने के सदर्भ मे बैक की प्रवृत्ति को पुर्नस्थापित करना।

2. व्यवस्था को विकसित करना तथा प्रारम्भिक रूग्णता के प्रमाणीकरण हेतु बैको को दिशा निर्देश देते रहना।

3 रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सदर्भ मे सरकार तथा अन्य सुधारात्मक सस्थानो के मध्य समन्वय स्थपित करना।

भारतीय रिजर्व बैक ने टर्मलोन सस्थाओ तथा बैको के प्रतिनिधियो से सम्बन्धित समन्वय की समस्याओ का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि समन्वय के सम्बन्ध मे भविष्य मे समस्याऍ तभी कम होगी, जब कि बैक तथा टर्मलोन सस्थाओ के मध्य उपयुक्त प्रवृत्तियो से समस्या का स्वरूप समझे। भारतीय रिजर्व बैक ने व्यापारिक बैको को यह सलाह दी है कि वे जब भी ऐसी स्थिति का सामना करे कि रूग्ण इकाई को पर्याप्त वित्तीय सहायता न दे सके, तो ऐसी इकाइयो को भारतीय औद्योगिक विकास बैक को सन्दर्भित करे। भारतीय रिजर्व बैक ने पुन यह सुझाव दिया कि बैक अपने यहॉ उद्यमियो को सलाह देने के लिए परामर्श अनुभाग खोले। समस्त

वित्तीय सस्थाओ को साथ लेकर चलने तथा रूग्ण इकाई के पुनर्वासन की किसी एक योजना की स्वीकृति का कार्य बहुत बडा कार्य है। ऐसी कुछ स्थितियो मे भारतीय रिजर्व बैक ने पहल की है तथा सभी सस्थाओ को साथ मिलाकर समस्याओं के समाधान मे समायोजित किया है। इस प्रकार की समस्याओ के भविष्य मे निराकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैक ने यह भी सुझाव दिया है कि ऐसी इकाइयो को वित्तीयन करने वाले बैको की सख्या कम से कम होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम :

इस निगम की स्थापना 1958 में की गयी। इस निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लघु औद्योगिक इकाइयो को ऐसे कच्चे माल की उपलब्धता प्रदान करना है, जिसे वे आसानी से प्राप्त नही कर सकते है। इसके अतिरिक्त इस निगम का मुख्य उद्देश्य उच्च क्रय के माध्यम से लघु औद्योगिक इकाइयो को मशीनो की व्यवस्था करना, लघु औद्योगिक इकाइयो की ओर से विदेशो से कच्चे माल का आयात करना, पिछडे क्षेत्रो मे सयुक्त प्रोजेक्ट की स्थापना करना, पिछडे क्षेत्रो मे खिलौने के सामान छोटे–मोटे कारखानो एव लकडी के उत्पादन से सम्बन्धित इकाइयो की स्थापना था।

लघु रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन के सदर्भ मे उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक निगम का कार्य पुनर्वासन पैकेज की सहायता के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयो को सस्ती ब्याजदर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही साथ रूग्ण औद्योगिक इकाइयो को सब्सिडी की व्यवस्था करना तथा इन इकाइयो को समयानुसार वित्त प्रदान करना भी इस निगम का उद्देश्य है।

प्राप्त ऑकडो की रिपोर्ट के अनुसार इस निगम का कार्य दिन–प्रतिदिन बढता जा रहा है। इस निगम का व्यापार वर्ष 1981-82 मे 2647 25 लाख रूपये था। वह वर्ष 1982-83 मे 2761 लाख रूपये तथा वर्ष 1998-99 मे बढकर 97.23 करोड रूपये हो गया। [7]

इस प्रकार उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक निगम ने औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है तथा आज भी लघु औद्योगिक इकाइयो को

---

7. उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास 2000, कानपुर पृ० 115

अनेक सुविधाये उपलब्ध करा रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयो के रूग्णता निवारण मे इस निगम ने सराहनीय भूमिका अदा की है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक :

लघु क्षेत्र को बडे पैमाने पर वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकान ने 1 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैक की स्थापना की। लघु इकाइयो को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त इस बैक का उद्देश्य विद्यमान इकाइयो को तकनीकी विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना, घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे लघु इकाइयो के उत्पादन के लिए मॉग प्रोत्साहित करना तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रो मे रोजगार अवसरो मे वृद्धि करना है।

इस बैक की स्थापना के समय इसकी प्रदत्त पूॅजी 250 करोड रूपये थी। इसके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैक के लघु क्षेत्र खातो मे रकम भी उसे प्राप्त हुई। यह राशि 31 मार्च 1990 तक 4200 करोड रूपये थी। बैक की स्वीकृत पूॅजी वाद मे बढाकर 500 करोड रूपये तथा प्रदत्त पूॅजी 450 करोड रूपये कर दी गयी। 1997-98 मे भारतीय लघु उद्योग विकास बैक के पास कुल 13912 करोड रूपये के वित्तीय साधन थे।

लघु उद्योग विकास का विद्यमान साख वितरण माध्यमो जैसे राज्य वित्तीय निगम, व्यापारिक बैक, राज्य औद्योगिक विकास बैक, सहकारी बैक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बैक की मुख्य गतिविधियॉ निम्न है

1 सस्ती दरो पर ऋण प्रदान करना।
2. पट्टेदारी व अन्य सुविधाऍ प्रदान करना।
3. ऋणो को पुनर्वित्तीयन सुविधा प्रदान करना।
4. बिलो का बट्टा तथा पुन बट्टा प्रदान करना।
5 राज्य लघु उद्योग विकास निगमो को सहायता प्रदान करना।

1998-99 की अवधि मे सिडवी ने 8875 करोड रूपये की सहायता प्रदान की, जिसमे से 6285 करोड रूपये की वित्तीय सहायता का वितरण किया गया। मार्च

1998 के अन्त मे सिडबी द्वारा स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता 362664 करोड रूपये थी जिसमे से 26702 करोड रूपये की सहायता दी गयी थी। [8]

31 मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश मे कुल 357660 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयो का पजीकरण था, जिसमे कुल 3488 करोड रूपये की पूँजी विनियोजित थी। इन इकाइयो मे से 37293 इकाइयाँ रूग्ण थी, जिनमे 448 72 करोड रूपये की पूँजी अवरूद्ध थी। इन रूग्ण इकाइयो मे से मात्र 6521 इकाइयो मे ही जीवनयोग्य क्षमता पायी गयी, शेष बन्द करने योग्य थी। [9]

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड :

वर्तमान समय मे औद्योगिक रूग्णता के निवारण मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयाँ भी 1985 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी 'विशेष प्रावधान' अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भारत सरकार ने जनवरी 1987 मे औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड का कार्य वृहत एव मध्यम रूग्ण औद्योगिक कम्पनियो के सम्बन्ध मे वे सभी उपाय करना है, जिनसे रूग्णता तो दूर किया जा सके। अस्वस्थ तथा कमजोर होती कम्पनियो के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी स्थिति के बारे मे औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को लिखे, लेकिन जहाँ अस्वस्थ इकाइयो की समस्या के विषय मे जाँच करना आवश्यक हो तो कमजोर इकाइयो के लिए ऐसी अनिवार्यता की आवश्यकता नही।

रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन पैकेज को लागू करने की जिम्मेदारी औद्योगिक एव पुनर्वित्तीय निर्माण बोर्ड की है बायफर ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 12 आपरेटिग एजेसियो को चिन्हित किया है। इनमे भारतीय औद्योगिक विकास बैक, इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एव इनवेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, भारतीय पुनर्निर्माण बैक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, केनरा बैक, सेन्ट्रल बैक आफ इण्डिया, पजाब नेशनल बैक, स्टेट बैक आफ इण्डिया, बैक आफ बडौदा, यूनाइटेड बैक आफ इण्डिया तथा इण्डियन बैक है। [10]

रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक रूग्णता का निर्धारण करना तथा अनुमान लगाना है कि वह औद्योगिक इकाई पुनर्वासन के योग्य है या उसे बन्द कर देना चाहिए, इस अधिनियम के अन्तर्गत बायफर की स्थापना अर्द्धवैधानिक सस्था के रूप मे उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गयी। यह सस्था विशेषज्ञो के माध्यम से औद्योगिक कम्पनियो की रूग्णता का निर्धारण करती है तथा पुनर्वासन पैकेज के लिए योजना बनाती है अथवा उस इकाई को बिना किसी अन्य अधिनियम के हस्तक्षेप के बन्द कर देती है। बायफर के आदेश के खिलाफ अपील अपीलिएट अथारिटी फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकान्सट्रक्शन मे की जाती है।

इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र ऐसी वृहद एव मध्यत स्तरीय इकाइयो तक है, जिनमे 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है तथा जिनका वर्णन भारतीय औद्योगिक नियमन अधिनियम की अनुसूची प्रथम मे किया गया है। वर्ष 1992 से इसका क्षेत्र विस्तारित करके सरकारी क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत कर दिया गया है। यह अधिनियम लघु इकाइयो, जिनकी सीमा 1 करोड रूपये है, को सम्मिलित नही करता है।

रूग्ण इकाई के सदर्भ मे को बायफर का प्रबन्ध मण्डल निर्धारित करता है। इस कार्य को सम्बन्धित कम्पनी के सम्बन्धित वर्गो के निरीक्षत खातो का अध्ययन करके 60 दिन के अन्दर अन्तिम रूप दे दिया जाना चाहिए। रूग्ण औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध मे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैक तथा अन्य वित्तीय सस्थाएँ बायफर को सन्दर्भ भेज सकती है।

बायफर को दिए गए सदर्भ रजिस्टर्ड तथा निरीक्षित किए जाते हैं बायफर का चेयरमैन इन रजिस्टर्ड मामलो को बायफर के किसी एक बेच को सौप देता है। वह बेच सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित करती है तथा निपटारा करती है। यदि कम्पनी को बायफर द्वारा रूग्ण नही घोषित किया जाता, तो उसका नाम बायफर से हटा दिया जाता है यदि कम्पनी को रूग्ण चिन्हित किया जाता है तो उसके लिए एक या अधिक व्यक्तियो को विशेष निदेशक बायफर की ओर से वित्तीय तथा अन्य हितो के सरक्षण के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात् यदि जनहित मे औद्योगिक रूग्णता का

निवारण आवश्यक होता है तो पुनर्वासन पैकेज की घोषणा की जाती है अन्यथा नही।

औद्योगिक रूग्णता की स्थिति निश्चित हो जाने पर बायफर औद्योगिक रूग्णता की समस्या के निदान के लिए पर्याप्त समय दे सकता है। इसके अतिरिक्त इस बोर्ड को यह भी अधिकार दिया गया है कि रूग्ण औद्योगिक इकाई के प्रबन्धतत्र मे परिवर्तन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अशपूँजी का पुनर्निर्माण, औद्योगिक इकाइयो के सयत्र का कुछ या पूरा भाग का विक्रय कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो वह रूग्ण औद्योगिक इकाई को किसी लाभकारी इकाई के साथ सह–सम्बन्धित अथवा उस औद्योगिक रूग्ण इकाई का कार्यशील इकाई मे विलय कर सकता है। इस बोर्ड ने औद्योगिक इकाइयो के जॉच कार्य को पूरा किया है। जून 2001 तक इस बोर्ड ने अपने कार्यकाल के 14 वर्ष पूरे कर लिए है, तथा वर्ष 2000 तक इस बोर्ड ने 4575 रूग्णता से सम्बन्धित इकाइयो को पजीकृत किया है, जिसमे से 557 मामलो पर बोर्ड ने निर्णय देकर पुनर्वासन का प्रयास किया है। [11]

औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड वर्ष 1987 मे अपनी स्थापना से लकर अब तक मध्यम एव वृहद स्तरीय रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन का कार्य कर रहा है।

11. रिहैबिलिटेशन आफ सिक यूनिट्स, उत्तर प्रदेश सरकार, 2002 से 2007

अध्याय 6

औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के सम्बन्ध में सरकारी नीति

सरकारी नीति :

औद्योगिक रूग्णता के निवारण मे सरकार तथा सरकारी नीतियो का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार रूग्णता का निवारण करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यदि वह औद्योगिक नीतियो मे तात्कालिक परिवर्तन न करे। सरकार की औद्योगिक नीतियो मे यदि लगातार परिवर्तन होता रहता है, तो इससे न केवल नए विनियोग हतोत्साहित होते है, बल्कि इन औद्योगिक इकाइयो के भविष्य के प्रतिफल भी प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति मे स्थापित इकाइयो मे रूग्णता जन्म ले लेती है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र मे रूग्णता की स्थिति, आकर तथा मात्रात्मक विवरण एव रूग्णता निवारण के सम्बन्ध मे वित्तीय सस्थानों की भूमिका के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि हम रूग्णता निवारण मे सरकार के योगदान एव नीतियो का परीक्षण करे। सरकारी नीतियो की अपेक्षा के साथ–साथ प्रबन्धकीय कुशलता तथा वितरण सम्बन्धी उपयुक्त वातावरण रूग्णता निवारण के लिए महत्वपूर्ण है।

वर्तमान नीति के तहत सावधि ऋणदाताओ को औद्योगिक इकाइयो की प्रबन्ध व्यवस्था मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। जबकि ये सस्थाएँ इस बात से सुनिश्चित रहती है कि बिना प्रबन्धकीय व्यवस्था मे परिवर्तन के ये इकाइयॉ निश्चित रूप से रूग्ण हो जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैक को इन रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की प्रबन्ध व्यवस्था मे परिवर्तन का अधिकार सरकार दे दे, जो सार्वजनिक वित्तीय सस्थाओ से ऋण प्राप्त करती है। इस सम्बन्ध मे रूग्ण इकाइयो मे औद्योगिक विकास बैक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पूर्णकालिक वित्तीय, तकनीक तथा वितरण सम्बन्धी निदेशको को नियुक्त कर सके। ऐसे निदेशक विकास बैक को समय–समय पर रूग्ण इकाई की स्थिति के विषय मे सूचना देते रहते है। इस प्रकार यदि एक बार इन इकाईयो मे विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तो उसके रूग्णता निवारण हेतु भावी नीतियॉ तैयार की जा सकती है।

उन दशाओं मे जहॉ वित्तीय संस्थायें या राज्य सरकार इकाइयो के राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश करते है तथा जहॉ ऐसा राष्ट्रीयकरण राष्ट्रहित मे आवश्यक हो, वहॉ की प्रबन्धकीय व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के बाद इकाइयो को एक चालू प्रतिष्ठान के रूप मे विक्रय कर देना चाहिए।

इस नीति का मुख्य लक्ष्य प्रबन्धकीय दुर्व्यवस्था या अव्यवस्था तथा रूग्णता को कम करना है। इस सरकारी नीति की घोषणा के बाद भारतीय रिजर्व बैक ने रूग्ण इकाइयो का एक विशेष सेल बनाया, जो रूग्ण इकाइयो के निष्पादन का निर्देश देती है तथा उनके पुनर्वासन हेतु कार्रवाई करती है। इस प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर भी ऐसे निर्देश सेल बनाए गए।

इससे स्पष्ट है कि वृहद तथा मध्यम उद्योगो मे रूग्णता सरचानात्मक रूप से लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयो मे विद्यमान रूग्णता से भिन्न है। वृहद तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों मे रूग्णता की समस्या मूलत कम्पनी अधिनियम के लागू करने के कारण हुई है। इनके वार्षिक वित्तीय विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कोई विशेष उद्यम कितना स्वस्थ अथवा रूग्ण है। चूँकि वित्तीय आलेखो मे परिवर्तन करने की सम्भावना बहुत अधिक है, इसलिए वित्तीय अकेक्षण से इस परिवर्तन का ढूँढना आसान नही है। कमजोर औद्योगिक इकाइयो को रूग्ण होने से रोकने के दृष्टिकोण से रिजर्व बैक आफ इण्डिया ने अपने राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैको को यह सुझाव दिया कि वे औद्योगिक इकाइयॉ, जिनकी 50 प्रतिशत शुद्ध पूँजी का ह्रास हो चुका है, उनके पुनर्वासन् के लिए आवश्यक कदम उठाए जॉय। इसी प्रकार सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि रूग्ण इकाइयो मे लगातार वित्त प्रवाह को नही करते रहना चाहिए। यह ऐसी इकाइयो के सम्बन्ध मे निर्णय है, जो जल्दी या विलम्ब से रूग्णता का शिकार होकर समाप्त होने वाली है।

सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के तहत औद्योगिक रूग्णता की समस्या को दूर करने के लिए बायफर की स्थापना की। सरकार ने 1992 मे रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 मे सशोधन करके उसके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लोक क्षेत्र को भी ला दिया है। इसके पूर्व यह अधिनियम निजी क्षेत्र पर ही लागू होता था। केन्द्रीय लोक उपक्रमो मे 104 उद्यम हानि में तथा 53 उद्यम कार्रवाइयॉ रूग्ण हैं। 31 मार्च 1997 तक 60 लोक उपक्रमो को बायफर के पास सदर्भित किया गया था। बायफर की कार्रवाइयॉ अत्यधिक समय लेने वाली तथा असन्तोषजनक थी। अधिक सख्या में ऐसे लोक उपक्रम है, जिनका पुनर्वासन सम्भव नही है तथा वे बन्द किए जाने योग्य है। दिसम्बर 2000 तक बायफर के पास कुल 4575 मामले सन्दर्भित

किए गए है, जिनमे निजी क्षेत्र के 4324 मामले थे। शेष 251 मामले लोकक्षेत्र से थे, जिनमे 90 मामले केन्द्र सरकार तथा 161 मामले राज्य सरकार से सम्बन्धित थे। इनमे से 3296 मामलो का पजीकरण किया गया, जिनमे निजी क्षेत्र के 3121 मामले थे तथा शेष 175 मामले लोक उपक्रम क्षेत्र से थे। इसमे से 688 मामलो को रद्द कर दिया गया तथा 557 मामलो को पुनर्वासन योग्य पाया गया, जिनमे 535 मामले बायफर द्वारा तथा 24 मामले ए०ए०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत किए गए। बायफर द्वारा 824 मामलो मे उपक्रमो को बन्द करने का निर्देश दिया गया। जिसमे 789 निजी क्षेत्र से तथा 35 सार्वजनिक क्षेत्र से थे। इन 35 सार्वजनिक उपक्रमो मे 13 केन्द्र सरकार के उपक्रम तथा 22 राज्य सरकार के उपक्रम थे। [1]

31 मार्च 1998 तक रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 3148 सदर्भ पजीकृत थे, जिनमें से बायफर द्वारा 625 मामलो के लिए पुनर्वासन योजनाएँ अनुमोदित की गयी तथा 579 मामलों मे कम्पनी को बन्द करने की सिफारिश की गयी। 202 कम्पनियॉ, जिनमे 4 लोक उपक्रम शामिल है, बायफर की पुनरूत्थान योजना के फलस्वरूप स्वस्थ घोषित की गयी है। [2]

लघु उद्योग तथा सरकारी नीति :

भारत जैसे घनी आबादी वाले देशो मे रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय सतुलन तथा निर्यात मे लघु उद्योगो की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की 32.25 लाख लघु इकाइयॉ लगभग 6 लाख करोड रूपये मूल्य का उत्पादन करती है। इनमे एक करोड व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ है तथा लगभग 54 हजार करोड रूपये मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया जाता है। लघु उद्योग का विनिर्माण क्षेत्र के कुल व्यवसाय मे 40 प्रतिशत, उत्पाद निर्यात में 45 प्रतिशत तथा कुल निर्यात मे 35 प्रतिशत का योगदान है। लघु औद्योगिक इकाइयो द्वारा लगभग 8 हजार वस्तुएँ तैयार की जाती है। [3]

1987-88 की अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना के अनुसार 95 प्रतिशत लघु उद्योग बहुत छोटे स्तर के है। इनकी पूँजी सीमा को 3 करोड रूपये से घटाकर एक करोड रूपये कर देने के बाद भी इस क्षेत्र को कोई विशेष लाभ प्राप्त नही हुआ है।

---

1. रूग्ण इकाइयों का पुनर्वासन 2002-07, पृष्ठ 3, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2001
2. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2000, पृष्ठ 78
3. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रा जे०एन०, पृष्ठ .... .

समस्याओ के होते हुए भी सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की तुलना मे लघु उद्योग क्षेत्र का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। 1996-97 मे लघु उद्योग क्षेत्र मे 4.2 प्रतिशत के लक्ष्य से भी ज्यादा 4 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1996-97 तक लगभग 62.02 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयॉ पिछडे क्षेत्रो, जैसे असम, बिहार, मणिपुर, सिक्किम, नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदशे, अण्डमान निकोबार, गोवा, दमन, द्वीप तथा पाण्डिचेरी मे स्थापित थी। [4]

उत्तर प्रदेश मे जनसख्या की अधिकता को देखते हुए इसकी अर्थव्यवस्था मे लघु औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश सरकार ने लघु उद्योग के विकास के लिए विशेष प्रयास किए है। मार्च 1998 तक प्रदेश मे कुल 4717 37 लघु औद्योगिक इकाइयॉ थी, जिनमे 3519.29 करोड रूपये की पूॅजी लगी हुई थी तथा 2318949 व्यक्तियो को इन इकाइयो से रोजगार प्राप्त था। [5]

लघु उद्योग को कई प्रकार की समस्याओ को सामना करना पड रहा है। इन समस्याओ के प्रमुख कारण ऋण प्रवाह की कमी, विपणन समस्याएँ, बोझिल प्रक्रियाओ का अनुपालन, सरकारी अधिकारियो द्वारा उत्पीडन, उन्नत प्रक्रियाओ का न अपनाना, कठोर श्रम अधिनियम आदि है।

लघु उद्योग क्षेत्र की सबसे बडी समस्या बढती हुई बीमार इकाइयॉ हैं। 31 मार्च 1999 तक देश मे 306 लाख लघु उद्योग इकाइयॉ थी, जिनमे 4313 करोड की पूॅजी निवेश था। इन इकाइयो मे 18692 इकाइयॉ ही बैको द्वारा जीवनक्षम मानी गयी। जिनको बैको का 377 करोड रूपये अदा करना था। बैको ने 271193 इकाइयो की पहचान अक्षम इकाइयों के रूप में की, जिन पर बैंक का कुल बकाया 3746 करोड रूपये था। [6]

बीमार लघु उद्योग इकाइयो के सन्दर्भ मे दो मुद्दे महत्वपूर्ण है

1. बडी सख्या मे अक्षम बीमार इकाइयो की मौजूदगी।
2. सम्भावित जीवनक्षम इकाइयो को पुनर्वास।

सुरक्षित सस्थागत ऋण अधिकतर लघु उद्योग इकाइयो के लिए एक समस्या बन गयी है। नायक समिति के रिपोर्ट के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र 20 प्रतिशत की मानक आवश्यकता के विपरीत अपने कुल वार्षिक निर्गत का मात्र 8 1 प्रतिशत कार्यशील पूॅजी ही प्राप्त कर पा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैक की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी के लिए 50 प्रतिशत उधारी में से लघु उद्योग क्षेत्र को मात्र 15 प्रतिशत प्रदान किया गया। वित्तीय प्रबन्धन में लघु उद्योगो की आन्तरिक क्षमता तुलनात्मक रूप से काफी कमजोर है तथा इस प्रबन्धन की कमी को दूर करने के प्रबन्ध अपर्याप्त हैं। लघु उद्योग क्षेत्र मे बैकर को एक परीक्षक के रूप मे देखा जाता है, न कि एक विकास सहयोगी के रूप मे। इस क्षेत्र मे निर्यात के लिए वित्तीय रचनातत्र को पूर्णतया नही अपनाया गया है। मालो की लदान के पहले तथा बाद मे ऋण सुविधा देकर, निर्यात साख गारण्टी की व्यवस्था करके तथा बीमा व विनिमय की दरो को प्रतिस्पर्धी बनाकर इस क्षेत्र की प्रतियोगी क्षमा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

लघु इकाइयो का तकनीकी आधार काफी कमजोर है। साथ ही लघु इकाइयो के तकनीकी ग्रहण क्षमता के बारे में भी कोई स्पष्ट आकलन नही है। ग्रामीण क्षेत्रो की इकाइयॉ बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने मे अक्षम हैं। लघु इकाइयों के लिए विपणन एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। अधिकतर लघु उद्योग असंगठित क्षेत्र में है। अत इनमे तकनीकी सुधार तथा गुणवत्ता नियंत्रण के प्रति उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर बडे उद्योग साबुन, टूथपेस्ट जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने लगे है।, जिससे लघु उद्योगो के लिए विपणन एक जटिल समस्या बन गयी है। लघु उद्योगो को मिलने वाले राजकीय प्रोत्साहनों का प्रायः दुरूपयोग किया जाता है। यद्यपि ऐसे प्रोत्साहन अच्छी भावना से ही किए जाते है, किन्तु इनसे विपरीत परिणाम प्राप्त होते है। उदाहरणार्थ कुछ इकाइयाँ आगे बढना नही चाहती तथा प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए लघु उद्योग की श्रेणी मे बने रहना चाहती है।

लघु उद्यमियो को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वस्तुओ का उत्पादन विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आरक्षित कर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए लगभग 837 मदो को आरक्षित किया गया था। इसका उद्देश्य छोटी इकाइयो को बडी इकाइयो से मिलने वाली प्रतिस्पर्द्धा से बचाना था। लघु व मध्यम उद्योगो पर गठित 'आबिद हुसैन समिति' की सस्तुतियो के आधार पर ही 15 मदो जैसे आइसक्रीम, सिरका, चावल मिले, दाल मिले, बिस्कुट, कागज इत्यादि के उत्पादन को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था। 1997 मे इन 15 मदो से आरक्षण हटा दिया गया। अत अब लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मात्र 822 मद ही आरक्षित है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादो की कीमत मे 15 प्रतिशत प्राथमिकता दी गयी है। इसी प्रकार 409 वस्तुओ की खरीद पर भी प्राथमिकता दी जाती है।

लघु औद्योगिक इकाइयो के लिए ऋण एक प्रकार से महत्वपूर्ण निवेश है। अत सरकार लघु इकाइयो की ऋण आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दे रही है। भारतीय रिजर्व बैक के अुनसार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उपलब्ध कोष मे से 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयो को, जिनका सयत्र व मशीनरी मे अधिकतम निवश 5 लाख से 25 लाख रूपये के मध्य हो तथा शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु इकाइयो को देना अनिवार्य है।

औद्योगिक विस्तार मे समन्वय तथा एकल क्षेत्रीय सेवा सस्थान के रूप मे कार्य करने हेतु जिला उद्योग केन्द्रो की स्थापना की गयी है। सितम्बर 1997 मे लघु उद्योग इकाइयो के लिए मिश्रित ऋण सीमा को 50000 रूपये से बढाकर 2,00000 लाख रूपये कर दिया गया। तकनीकी विकास व आधुनिकीकरण कोष का विस्तार करके अनिर्यातक लघु इकाइयो को भी इसके दायरे मे लाया गया।

1997-98 के केन्द्रीय बजट मे लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना का और सरलीकरण किया गया तथा उत्पाद शुल्क की छट सीमा को 75 लाख रूपये से बढाकर 100 लाख कर दिया गया। 30 लाख रूपये तक की निकासी को उत्पाद शुल्क से पूर्णत मुक्त रखा गया है, जबकि 30 से 50 लाख के मध्य तथा 50 से 100 लाख रूपये के मध्य की निकासी पर क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है। ऐसी लघु इकाइयॉ, जो समान दर पर कर चुकाना चाहती है, माडवैट के योग्य नही हैं, जून 1997 मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए माडवैट प्रणाली को बरकरार रखा

गया है। इसके तहत 50 लाख रूपये तक की निकासी पर सामान्य दर का 60 प्रतिशत तथा 100 लाख रूपये तक की निकासी पर 80 प्रतिशत छूट वाली दर रखी गयी है।

1996 मे 'एस०एल० कपूर समिति' की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसने एक लघु उद्योग अधिसरचना विकास कोष की स्थापना का सुझाव दिया। समिति ने बीमार इकाइयो को पुर्नस्थापित करने तथा राज्य स्तरीय अतर सास्थानिक समितियो को वैधानिक शक्ति प्रदान करने का भी सुझाव दिया। समिति ने भारतीय लघु विकास बैक की भूमिका व स्थिति को बढाकर नाबार्ड के स्तर तक लाने, एक अलग प्रत्याभूति संगठन की स्थापना करने तथा सिडवी के एक हजार अतिरिक्त विशेषीकृत शाखाएँ खोलने का भी सुझाव दिया। समिति के कुछ प्रमुख सुझाव निम्न है

1. सिडवी के कम से कम 40 प्रतिशत ससाधन को लघु क्षेत्र के लिए पृथक करना।
2. लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूँजी व अवधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्तीय निगमो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैको के मध्य घनिष्ठ सहयोग स्थापित करना।
3. नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय भागीदारी कोष के समान एक विशेष कोष की स्थापना करना, जिससे 10 लाख तक की परियोजना लागत वाली ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों को सरलता से इसका लाभ प्राप्त हो सके।

श्री एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता मे लघु उद्योगो के विकास पर एक समूह अध्ययन किया गया है, जिसने अपनी रिपोर्ट 26 मई 2001 को प्रस्तुत की। समूह ने सुझाव दिया कि लघु उद्योगो के लिए आरक्षित वस्तुओ को उत्पादन अन्य वर्गो के उद्योगो द्वारा भी करने की छूट दी जाय। परन्तु, इसके लिए 30 प्रतिशत निर्यात बाध्यता हो। इसके साथ ही निर्यातोन्मुख उद्योगो के लिए उच्चतम निवेश सीमा बढाकर 5 करोड़ करने की संस्तुति की गयी। समूह ने ऋण प्रत्याभूति कोष योजना का संग्रह 125 करोड रूपये से बढाकर 25000 करोड रूपये करने की संस्तुति की, जिसमें केन्द्र सरकार व सिडवी का योगदान 4:1 के अनुपात में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समूह ने अमेरिका के स्माल विजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन एड की तर्ज पर लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक कानून बनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही अति लघु इकाइयों को पर्यावरण व सुरक्षा मानको के अतिरिक्त सभी प्रकार के विनियमों से छूट दिए का

सुझाव दिया। समूह के अनुसार सरकारी विभागो तथा केन्द्र व राज्य स्तरीय सार्वजनिक इकाइयो को अपनी कुल खरीददारी का 33 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र से करना चाहिए। इसके साथ ही लघु क्षेत्र की कीमत प्राथमिकता योजना को वैधानिक समर्थन दिया जाना चाहिए।

प्रदेश की औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता की स्थिति लगातार बढती जा रही है तथा अब एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ग्रहण कर लिया है। यदि विभिन्न अवसरो पर इस समस्या को प्रभावशाली ढग से नही निपटाया गया तो औद्योगीकरण की वर्तमान नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। एक उद्योग की रूग्णता दूसरे उद्योग को भी प्रभावित करती है। औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित होने के बाद कुछ अपरिहार्य कारणो से रूग्ण हो जाती है। जैसे कार्यशील पूॅजी न मिलना, अनियमित विद्युत आपूर्ति, इकाई को समय से विद्युत कनेक्शन न दिया जाना, समय से वित्तीय सस्थाओ द्वारा सावधि ऋण का भुगतान न किया जाना तथा प्रबन्धकीय अकुशलता। रूग्ण होने के कारण इकाई अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य नही कर पाती है। औद्योगिक इकाइयो को पुनर्स्थापित कराया जाना अति आवश्यक है। यदि बीमार इकाइयो को पुर्नस्थापित नही कराया जाता है तो प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सस्थाओ के माध्यम से दिया गया ऋण वसूल नही हो पाएगा। उद्योगो मे कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो जायेगे, उत्पादित की जाने वाली वस्तुओ की कमी होगी तथा बीमार इकाइयो मे लगी पूॅजी अनुत्पादक हो जाएगी। इसलिए बीमार इकाइयो को पुनर्जीवित करना अति आवश्यक है।

रूग्ण इकाइयो की परिभाषा को भारतीय रिजर्व बैक द्वारा 'नायक कमेटी' की रिपोर्ट की सस्तुतियो को ध्यान मे रखते हुए 1993 मे सशोधन किया गया है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। वर्तमान मे रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयो की परिभाषा निम्न है

1. इकाई का कोई ऋण खाता सदिग्ध हो गया हो अर्थात् इसके किसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज ढाई वर्ष से अधिक अति देय रहा हो।
2. सम्भावित नगद हानियो के कारण पूर्ववर्ती दो लेखा वर्षो के दौरान इसके वास्तविक मूल्य मे अधिकतम वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण हुआ हो।

रूग्ण इकाइयो को सुविधा प्रदान करने तथा समस्याओ के निराकरण करने के लिए मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मे प्रदेश सरकार द्वारा मण्डलीय पुनर्वासन समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा विभिन्न विभागो मे समन्वय स्थापित कर रूग्ण इकाइयो की समस्याओ का निराकरण किया जाता है। मण्डलीय पुनर्वासन समिति के कार्यकलापो का अनुश्रवण करने हेतु सचिव, लघु उद्योग की अध्यक्षता मे राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।

लघु औद्योगिक इकाइयो के रूग्ण होने के मुख्य कारण प्रबन्धकीय अकुशलता तथा वित्तीय अव्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विपणन सम्बन्धी समस्याएँ, श्रमिक विवाद, मालिको के आपसी झगडे, श्रम समस्याएँ तथा प्राकृतिक विपदाएँ इत्यादि मुख्य कारण है। लघु औद्योगिक इकाइयो के बन्द होने मे वित्तीय समस्याओ का 34.7 प्रतिशत, विपणन समस्याओ का 14 4 प्रतिशत, कच्चे माल की समस्याओ का 5 6 प्रतिशत, मालिको के मध्य विवाद का 3 7 प्रतिशत, प्राकृतिक विपदा 3 4 प्रतिशत, श्रम समस्याएँ 2.2 प्रतिशत, एक से अधिक कारण 16 5 प्रतिशत तथा 19 5 प्रतिशत अन्य कारण है।

प्रदेश मे 1978-79 मे उद्यमिता विकास योजना लागू की गयी। यह योजना मुख्यतः शिक्षित बेरोजगार युवको तथा युवतियो को स्वरोजगार दिलाने में विशेष उपयोगी है। इस योजना मे प्रदेश सरकार द्वारा 2 4 तथा 6 सप्ताह का निरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमो को भारतीय औद्योगिक विकास बैक तथा प्रदेश सरकार द्वारा 40 60 के अनुपात मे प्रायोजित किया जाता है।

प्रदेश मे लघु उद्योगो मे प्रदूषण नियन्त्रण के लिए केन्द्र सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। यह वित्तीय सहायता औद्योगिक प्रदूषण यन्त्र की लागत का 25 प्रतिशत तथा अधिकतम 25 हजार रूपये है।

उदारीकृत अर्थव्यवस्था मे विदेशी व्यापार के स्तर मे सुधार के लिए ग्लास तथा सेरेमिक उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर तथा बोन चाइना उत्पाद के विकास तथा आधुनिकीकरण पर प्रदेश सरकार प्रयासरत है। दुग्ध आधारित कृषि यत्रो तथा उपकरणो के क्रय के लिए सरकारी सहायता दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सहायता के रूप मे विनियोजित राशि

का 20 प्रतिशत तथा अधिकतम एक लाख रूपये दिया जाता है। अन्तर्विभागीय समस्याओ, जो कि विभिन्न योजना तथा सहायता के रूप मे लम्बित रहती है, के लिए लघु उद्योग बन्धु की स्थापना की गयी है। यह योजना औद्योगिक इकाइयो को एक निश्चित समय मे विभिन्न सहायता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है। 1999-2000 मे 15 लाख रूपये का आउटले प्रस्तावित था। यह योजना एकलमेज व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। [7]

पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत गैर लाभकारी इकाइयों का विनिवेशीकरण सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मे सुधार के लिए प्लाण्ट एव मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा मरम्मत की जाती है। आधुनिकीकरण एव मरम्मत किसी भी इकाई के लिए मानक लागत का स्तर तथा गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जिससे कि उस इकाई का उत्पाद आज के प्रतियोगी बाजार मे अन्य विदेशी तथा घरेलू इकाइयो के उत्पादो के सामने टिक सके।

लघु औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन के लिए मार्जिन मनी योजना लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार प्रत्येक रूग्ण इकाई को 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। यह योजना अब बन्द हो गयी है। लघु औद्योगिक इकाइयो की क्षमता तथा कार्यशीलता, उत्पादन की गुणवत्ता मे कमी एव रूग्णता की बढती हुई प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयो के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एव गुणवत्ता के सुधार हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग, आधुनिकीकरण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इकाइयो का आधुनिकीकरण करके उनके उत्पादन की उत्पादकता एवं गुणवत्ता मे वृद्धि, ऊर्जा की बचत, प्रदूषण नियंत्रण, दुर्लभ कच्चे माल को नष्ट होने से बचाना, निर्यात मूलक उत्पादो का उत्पादन तथा आयात को रोकने हेतु अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद तैयार करना है। इस योजना को गठित निधि हेतु सरकार से प्राप्त धनराशि को ब्याज देयो संस्था मे जमाकर उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि से सचालित किया जाना प्राविधानित है।

लघु उद्योग क्षेत्र प्रत्येक प्रकार के प्रोत्साहन का अधिकारी है। इसे एकमुश्त सहायता तथा भारी निवेश एवं सेवाओं की आवश्यकता है। इन सभी आवश्यकताओं की

---

7. आर्थिक सर्वेक्षण, 2000-2002

पूर्ति सही समय तथा सही क्रम मे ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र को अपनी उत्पादकता एव कार्यक्षमता मे सुधार कर अपने को घरेलू एव विदेशी कम्पनियो से मिलने वाली कडी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार को इसे मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

मध्यम एवं वृहद उद्योग तथा भारत सरकार की नीति :

रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के लिए भारत सरकार ने रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया के साथ मिलकर कई कदम उठाए है। कुछ प्रमुख उपाय निम्नवत् है

1 लघु औद्योगिक प्रतिष्ठान सेल की स्थापना भारतीय रिजर्व बैक के अग के रूप मे की गयी है। यह सेल समाशोधन गृह की भॉति होगा, जो रूग्ण इकाइयो के सम्बन्ध मे बैक को सूचना उपलब्ध कराएगा तथा इसके अतिरिक्त सरकार, बैको, वित्तीय सस्थाओ तथा अन्य ऐजसियो के मध्य विभिन्न बिन्दुओ पर समायोजन का कार्य भी करेगा। ये सेल बैको द्वारा रूग्ण इकाइयो के चिन्हाकन तथा उनके द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायो का नेतृत्व भी करता है। यह सेल किसी भी औद्योगिक रूग्णता से सम्बन्धित बैको को कोई भी निर्देश दे सकता है। बैको को भी अपने यहॉ रूग्ण इकाइयो के सदर्भ मे एक विशेष सेल खोलने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह सेल रूग्ण इकाइयो को सलाह दे सके। ऐसी स्थिति मे जहॉ पर बैक सहायता उपलब्ध कराने मे समर्थ नही है, उस स्थिति मे भारतीय औद्योगिक विकास बैक की समस्या को देखने के लिए कहा जाएगा।

2 रिजर्व बैक आफ इण्डिया के बैकिग तथा विकास विभाग मे समन्वय समितियो की स्थापना की गयी है। इन समितियो की स्थापना का उद्देश्य बैको, केन्द्र तथा राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओ, राज्य सरकार तथा अन्य सगठनो को औद्योगिक विकास मे प्रवृत्त करना है। ये कमेटियॉ वृहद तथा मध्यम औद्योगिक इकाइयो एव लघु उद्यमियो की समस्याओ का सुलझाने मे भी सहायता प्रदान करती है। ये समस्याएँ बैको तथा वित्तीय सस्थानो के मध्य समन्वय की हो सकती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को आधारभूत सुविधाओ के

लिए प्रावधान तथा इन इकाइयो के साथ मे आने वाली सामान्य समस्याओ को सुलझाने मे भी ये कमेटियाँ काफी सहायता प्रदान करती है।

3 रिजर्व बैक आफ इण्डिया के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता मे स्टैण्डिग समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। यह समिति वाणिज्यिक बैको तथा टर्म लेन्डिग सस्थाओ के मध्य उठने वाले विभिन्न बिन्दुओ पर समस्याओ को सुलझाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4 भारतीय औद्योगिक विकास बैक के पुनर्वास वित्त प्रभाग मे एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ रूग्ण इकाइयो द्वारा जो समस्याएँ, बैको को उत्पन्न होती है, उनकी सुनवाई करता है। इसके अतिरिक्त रूग्णता के कारणो का चिन्हाकन तथा विभिन्न पुनर्वास योजनाओ को भलीभॉति लागू करता है।

5 उद्योग मत्रालय के सचिव की अध्यक्षता मे एक स्क्रीनिग कमेटी का गठन किया गया है, जो रूग्ण इकाइयो के सदर्भ मे सरकार द्वारा किए गए उपायो मे समन्वय स्थापित करती है। इस समिति मे कम्पनी मामलो के सचिव, अतिरिक्त सचिव, बैकिग विभाग, रिजर्व बैक के डिप्टी गवर्नर तथा अन्य सदस्य आते है। यह समिति रूग्ण इकाइयो तथा वित्तीय सस्थाओ की विभिन्न मत्रालयो से सम्बन्धित समस्याओ पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है।

6 रूग्ण इकाइयो से सम्बन्धित एक तिमाही रिपोर्ट, जिसमे लघु उद्योग क्षेत्र भी शामिल है, सभी वाणिज्यिक बैको को रिजर्व बैक आफ इण्डिया के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त बैको को यह भी सलाह दी गयी है कि ऐसे वृहद तथा मध्यम उद्योग, जिनमे 1000 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत है, तथा बैक ने उसमे ऋण दिया है, वह उद्योग रूग्ण होने वाला है, तो ऐसी स्थिति मे उस इकाई से सम्बन्धित रिपोर्ट रिजर्व बैक को तथा उद्योग एव वित्त मत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत करे।

7. ससद विशेष अधिनियम द्वारा औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक की स्थापना की गयी है। यह बैक पुनर्निर्माण एजेसी के रूप मे औद्योगिक पनर्वासन के लिए कार्य करता है। यह बैक अन्य सस्थाओ के कार्यो मे समन्वय भी स्थापित करता है। पूर्व मे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक अपने कुल वित्तीय सहयोग का 60

प्रतिशत रूग्ण इकाइयो को तथा 40 प्रतिशत स्वस्थ इकाइयो को देता था तथा बाद मे जनवरी 1992 से यह निर्देश वापस ले लिया गया। 27 मार्च 1997 से यह बैक एक कम्पनी के रूप मे भारतीय औद्योगिक निवेश बैक के नाम से जाना जाता है। [8]

8 उपरोक्त सभी उपायो के अतिरिक्त कानूनो तथा एजेन्सियो मे विभिन्नताओ के कारण विभिन्न सस्थाओ तथा रूग्ण इकाइयो के मध्य समन्वय का अभाव पाया गया। अत लोकहित मे जनवरी 1985 मे रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य रूग्णता का चिन्हाकन तथा इकाइयो के जीवनक्षम या उनके बन्द होने के सम्बन्ध मे निर्णय लेना था। इस अधिनियम के अन्तर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु औद्योगिक एव पनुर्वित्तीय निर्माण बोर्ड की स्थापना की गयी। इस बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अपील ए०ए०आई०एफ०आर० मे की जा सकती है। इस बोर्ड का क्षेत्राधिकार वृहद तथा मध्यम उद्योग तक सीमित है, जिसमे 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हो तथा जो औद्योगिक विकास नियम अधिनियम की प्रथम अनुसूची मे दर्शित हो। यह अधिनियम लघु औद्योगिक इकाई तथा अति लघु औद्योगिक इकाई को शामिल नही करता है। [9]

---

8. नवीं पंचवर्षीय योजना, 1997-2002, अंक 2, पृष्ठ 585
9. भारतीय अर्थव्यवस्था 2000, दत्ता एवं सुन्दरम्, पृष्ठ 538

रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता के निवारण के लिए स्वस्थ इकाइयों में उनका विलय

भारतीय अर्थव्यवस्था मे औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता की समस्या को बाजार की शक्तियो के अधीन नही छोडा जा सकता है क्योकि इसका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडता है। रूग्ण औद्योगिक इकाइयो मे बेरोजगार श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नही है। अत यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि रूग्णता के प्रारम्भ मे ही रूग्णता निवारण हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। यह उपाय प्रबन्धकीय व्यवस्था, वित्तीय सस्थाओ तथा सरकार द्वारा सयुक्त रूप से होना चाहिए। कई ऐसे उपाय है जिनके द्वारा प्रबन्धकीय व्यवस्था किसी औद्योगिक इकाई मे रूग्णता के प्रारम्भिक खतरे को पहचान सकती है, जो निम्न है

1 जब इकाई की कार्यशील पूँजी नकारात्मक हो अर्थात् जब वर्तमान आदेय वर्तमान दायित्व से कम हो तथा बैको का उधार आदि से इकाई लगातार हानि मे चल रही हो।
2. जब कुल हानि, पूँजी तथा आरक्षित आय से अधिक हो जाय।
3. जब इकाई का कार्यशील व्यय, व्यवस्था तथा ऋण सेवाओ की तुलना मे नकद प्राप्ति प्रपाह कम हो।
4. जब सम्पूर्ण व्ययो के पश्चात् लाभ, ब्याज दायित्वता के बराबर अथवा उससे कम हो अर्थात् जब सम्बन्धित इकाई की ऋण सेवा दायित्वता का अनुपात एक से कम हो।
5. रूग्ण इकाई का नकद प्रवाह विगत् 3 वर्षो से लगातार आय की तुलना मे कम हो रहा हो।

उपर्युक्त संदर्भो को ध्यान मे रखते हुए प्रबन्धकीय व्यवस्था रूग्णता निवारण हेतु उपचारात्मक कदम उठा सकती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बजट नियंत्रित, रहतिया नियत्रण तथा उत्पादन नियोजन हेतु न केवल प्रबन्धकीय व्यवस्था के लिए सहयोगी होगा बल्कि ऑकडो एव सूचना व्यवस्था द्वारा मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

परम्परागत उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग सम्बन्धी महत्वपूर्ण समस्या उनके आधुनिकीकरण तथा पुरानी मशीनो के नवीनीकरण से सम्बन्धित है। अत 1967 मे सरकार द्वारा कुछ चुने हुए उद्योगो के लिए आधुनिकीकरण हेतु उदार ऋण योजना का आरम्भ किया गया है। इसका उद्देश्य मशीनो मे बदलाव, ऊँचे स्तर के उत्पादनो के लिए उपकरणो के नवीनीकरण तथा सम्बन्धित इकाइयो के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उदार शर्तो पर दिया जाना था। परिणामत भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारो मे इन उद्योगो की प्रतिस्पर्द्धात्मक क्षमता बढ सके। यह योजना भारतीय औद्योगिक एव विनियोग निगम, औद्योगिक वित्त निगम के सहयोग से भारतीय औद्योगिक विकास बैक द्वारा दी जा रही है। भारतीय औद्यागिक विकास बैक, कपडा उद्योग तथा सीमेण्ट उद्योग की प्रधान वित्तीय सस्था है। चीनी तथा जूट उद्योग मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा इजीनियरिंग उद्योग मे भारतीय साख तथा विनियोग निगम प्रधान वित्तीय सस्था है। परन्तु, उदार ऋण योजना पर्याप्त सफलता नही प्राप्त कर सकी। वर्ष 1978 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 41.40 करोड रूपये के ऋण वितरित किए गए थे जबकि मॉग 778 करोड रूपये की थी।[10]

रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की अनेक गम्भीर समस्याएँ है। लगातार होने वाली वित्तीय हानि के परिणामस्वरूप इन इकाइयो मे तरलता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति मे इनके पास कच्चे माल के क्रय, मजदूरी के भुगतान तथा वस्तुओ के विक्रय हेतु पर्याप्त मात्रा मे धन का अभाव रहता है। दूसरी ओर बैक तथा वित्तीय सस्थाये इन इकाइयो के लिए सावधि ऋण देने के लिए तैयार नही है क्योकि इन रूग्ण इकाइयो के पास पर्याप्त कोष का अभाव है। अत ऐसी स्थिति मे आवश्यक है कि बैको तथा वित्तीय सस्थाओं को यह निर्देश दिया जाए कि जिन रूग्ण इकाइयों का पुनर्वासन सम्भव है, उन इकाइयो का वित्तीय सहयोग किया जाए। इसका विकल्प यह है कि बैक इन इकाइयो मे नकद साख के एक भाग को सावधि ऋण के रूप में बदल दे एवं उनकी तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओ के आधार पर नया साख प्रदान करे। वित्तीय सस्थाओ द्वारा इस सावधि ऋण का पुनर्वित्तीयन किया जाए। औद्योगिक वित्त रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन सम्बन्धी एक अन्य व्यवस्था यह हो सकती है कि रूग्ण

---

10. श्राफ एम०आर०, प्रास्पेक्ट आफ पालिसी कन्सर्निंग सिक यूनिट्स, पृष्ठ, 260 से 266

इकाइयो का स्वस्थ इकाइयो मे विलय कर दिया जाए। इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा प्रबन्धकीय व्यवस्था लेने के बाद किसी को या तो बेच सकती हे अथवा इसे किसी सार्वजनिक उपक्रम के साथ विलय कर सकती है।

ऐसी दशाओ मे जहॉ इकाइयॉ अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था के कारण रूग्ण है, वहॉ वित्तीय सस्थाऍ सयुक्त रूप से ऐसी कम्पनियो मे कार्यवाहक निदेशको को नामित करेगी।

उपर्युक्त नीति से स्पष्ट होता है कि सरकार ने बैको तथा वित्तीय सस्थाओ को रूग्ण इकाइयो की प्रबन्धकीय व्यवस्था हेतु निदेशको की नियुक्ति के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान किए है। यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कुछ दशाओ मे सरकारी नीति ही औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण हेतु कपडा उद्योग मे सरकार की नियन्त्रित कपडा नीति ने कई इकाइयो को रूग्ण बना दिया है। अत यह आवश्यक है कि बडे बैको के साथ वित्तीय सस्थाऍ रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासान हेतु पूर्ण रूप से अनुदान दे। जहॉ तक सम्भव हो, ऐसे अनुदान बोर्ड का चयन बैको की तकनीकी कर्मचारियो मे से होना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगो की उम्र 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए जो इस बोर्ड मे कार्यरत हो।

तीव्र औद्योगिक विकास की समयावधि मे, जहॉ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध है, वहॉ सम्बन्धित इकाई मे रोजगार सरक्षण के लिए अधिक दबाव नही होना चाहिए। दूसरी ओर निम्न औद्योगिक विकास तथा सुस्ती की दशा मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की समस्या के समाधान मे रोजगार सरक्षण विशेष सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न बन जाता है, चूँकि रूग्णता सर्वप्रथम बैकिंग संस्थाओं को प्रभावित करती है, इसलिए बैको की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रारम्भिक दशा मे बैक इन इकाइयो का उपचार करे। इसी प्रकार रूग्ण इकाई की वित्तीय कठिनाइयो के तात्कालिक रूप से उत्पन्न होने के सदर्भ मे बैको का यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि सम्बन्धित इकाई मे साख सीमा द्वारा इसकी कठिनाई को दूर करे। इसकी असफलता से समस्या और गम्भीर हो सकसती है। जबकि उद्योगो द्वरा रूग्णता के बारे मे यह जिम्मेदारी बैको की साख अवरोधो के कारण की जाती है। यहॉ यह स्वीकार करना होगा कि अत्यधिक कम

मात्रा तथा अत्यधिक विलम्ब रूग्णता के कई कारणो मे महत्वपूर्ण हो सकते है। इसकी कार्यशील पूँजी मे लगातार सहयोग आवश्यक है, परन्तु रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन मे जहॉ वित्तीय आवश्यकता दीर्घकालीन है, वहॉ उदार शर्तो पर यह सहायता नही की जा सकती है। यह उत्तरदायित्व टर्मलोन सस्थाओ का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरचानात्मक तथा प्रबन्धकीय रूप से कई सुधार होने चाहिए, जिससे सावधि ऋण सस्थाओ के लिए यह आवश्यक हो जाय कि सुधार सम्बन्धी उपयुक्त नीतियो का निर्माण कर सके। पुराने दायित्वो के सम्बन्ध मे वित्तीय सस्थाये यह सुझाव दे सकती है कि ऐसे दायित्वो को कुछ समय के लिए समाप्त कर देना चाहिए। यह देखा जा सकता है कि इस प्रकार का प्रयास बहुत सुगम तथा शीघ्रगामी नही हो सकता है।

साराशत यह कहा जा सकता है कि वित्तीय एजेन्सियो के लिए औद्योगिक रूग्णता एक अल्पकालिक समस्या है तथा यह समस्या स्थायी हो तो इसका समाधान वित्तीय सस्थाओ के हाथ मे नही है। सभी तरह के समाज मे आर्थिक समृद्धि तथा तकनीकी परिवर्तन ऐसी स्थितियो को उत्पन्न करते है, जिसमे नयी वास्तविकता के सन्दर्भ मे औद्योगिक इकाइयॉ अपने को समायोजित करती है। वित्त इस समायोजन का एक अग है। यह औद्योगिक सरचना मे आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन नही ला सकता है। इसके लिए अन्य उपायो की आवश्यकता है। इनमे स्थान निर्धारण, नए विनियोग निर्णय, तकनीकी चुनाव की समस्या एव भारी मॉग प्रभाव आदि से सम्बन्धित निर्णय है। यह आवश्यक है कि अत्यधिक दृढता को समाप्त किया जाय तथा पूँजी एव श्रम के सहयोग क़ा पर्याप्त विवेकीकरण किया जाए। इस प्रकार औद्योगिक रूग्णता एक समस्या है तथा सामान्य रूप से औद्योगिक नियोजन के साथ इसको जोडने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, सतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक नियोजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के नाम पर अनेक गलत निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है। प्राय व्यक्तिगत इकाइयॉ कच्चे माल का मूल्य, मजदूरी को निर्धारण, श्रमिको के अन्य प्रकार के लाभो एव निर्मित मूल्य के नियत्रण आदि से सम्बन्धित भ्रमित नीतियो के कारण रूग्ण हो जाती है। यह उन स्थितियो से सम्बन्धित रहता है, जिसमे कच्चे माल का मूल्य अधिक तथा निर्मित उत्पाद का मूल्य कम हो। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप मे गन्ना उत्पादको को भुगतान गन्ने के गुण को ध्यान मे रखते हुए किया जाता है तथा मूल्य मे विभिन्नता इस क्षेत्र मे विद्यमान है।

इसी प्रकार सामाजिक आर्थिक नीति भी लघु उद्योग इकाइयो के प्रोत्साहन को इस प्रकार करती है, जिसमे दीर्घकाल मे कार्यरत होने वाली इकाइयो तथा गैर कार्यरत इकाइयो मे भेद किया जाता है। नि सदेह नए साहसियो तथा उद्यामियो को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जो वृहद, मध्यम एव लघु इकाइयो मे उपयुक्त अनुपात मे हो। यद्यपि यह एक धीमी प्रक्रिया है, इसके लिए पुनर्वासन तथा सरचनात्मक रूप मे बैको तथा वित्तीय सस्थाओ के विकास की आवश्यकता है। रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सम्बन्ध मे पूरक सहायता दी जानी चाहिए। परन्तु यह वित्तीय सहायता ऐसी रूग्ण इकाइयो को दी जानी चाहिए, जिनमे पुनर्वासन की सम्भावना हो।

पुनर्वासन का कार्य शान्ति, दृढता तथा सयोग से सम्बन्धित है। दो रूग्ण इकाइयो मे न तो एक जैसी परिस्थितियॉ होती है, और न ही प्रबन्धकीय व्यवस्था। अत पुनरूत्थान प्रक्रिया मे लगी हुई सस्थाओ को एक इकाई के पुनर्वासन के बाद ही दूसरी इकाई को लेना चाहिए। इकाई की कार्य पद्धति सम्बन्धी निम्न बातो को ध्यान मे रखा जा सकता है

1. क्या सम्बन्धित इकाई के अन्तिम उत्पाद के कार्य को बन्द कर देना चाहिए तथा मध्यस्थ उत्पाद को खरीदना चाहिए? इस प्रकार अधिक अच्छा उत्पादन करना चाहिए।

2 क्या कच्चे माल को पूरी तरह बदल देना चाहिए?

3 क्या उत्पादन प्रक्रिया मे पूर्णत परिवर्तन की आवश्यकता है?

4 क्या पुनर्वासन सम्बन्धी कार्य पूरी औद्योगिक इकाइयो मे अथवा ऐसे कुछ क्षेत्रो मे किया जाना चाहिए। यदि पूरी औद्योगिक इकाइयो मे पुनर्वासन करना हो, तो वर्तमान उपकरणो के बदलने से कोई लाभ नही होगा।

पुनर्वासन कार्य के लिए वित्तीय सस्थाओ तथा कुछ दशाओ मे सरकार को व्यवस्था करनी होगी। राज्य सरकारे अपने निर्णय राजनीतिक सन्दर्भ मे देती है। बिना रूग्ण इकाइयो के तकनीकी एव वित्तीय परीक्षणो को ध्यान मे लिए हुए कार्य करती है। अत राज्य स्तर पर संरचनात्मक ढॉचे का होना वाछनीय होगा। प्रत्येक राज्य मे एक सस्था, जो औद्योगिक पुनर्वासन से सम्बन्धित हो, का गठन किया जाय, जिसमे वित्तीय विशेषज्ञ, विपणन तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ एव इजीनियर हो, जो औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध मे पुनर्विवेचन कर सके। भारत मे औद्योगिक रूग्णता की समस्या के पुनरूत्थान के लिए अधिकतर वित्तीय दृष्टिकोण से देखा गया है। परन्तु किसी भी रूग्ण इकाई के

पुनर्वासन के लिए जब तक पर्याप्त विपणन तथा बाजारी दशाओ पर विचार नही किया जाता है तब तक इन इकाइयो मे रूग्णता की समस्या बनी रहेगी। इस सम्बन्ध मे दो विपणन आगतो, बाजारी विश्लेषण तथा भविष्य की प्रवृत्तियो का विश्लेषण किया जा सकता है। सम्बन्धित रूग्ण इकाई मे बाजारी विश्लेषण के सन्दर्भ मे इसके महत्व को दिखाया जा सकता है। इंसके साथ–साथ अनेक चरो का सुझाव भी दिया जा सकता है। जहॉ तक भविष्य की प्रवृत्तियो के विश्लेषण का प्रश्न है, वहॉ विधियो का सुझाव दिया जा सकता है, जिसमे विशेषकर भविष्य का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। [11]

लागत, उत्पादन क्षमता, श्रम उत्पादकता की आवश्यकता, ऋण देने के सन्दर्भ मे पडती है। बाजारी शक्तियॉ किस प्रकार कार्यशील है, यह एक स्वस्थ इकाई के लिए आवश्यक है। बाजारी विश्लेषण के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है

1 यह सम्बन्धित व्यवस्था के प्रबन्ध हेतु आवश्यक है।

2. यह नियोजन अवधि के निष्पादन हेतु आवश्यक है।

यद्यपि इस सम्बन्ध मे बहुत से चर हो सकते है, परन्तु मोटे तौर पर बाजार का आकार तथा समृद्धि दर दो महत्वपूर्ण चर है। किसी भी सस्थान की भविष्य की सम्भावनाये तथा विगत् वर्षो के निष्पादन को बाजार के आकार पर निर्णय करना चाहिए। समृद्धि दर के साथ बाजार का आकार इसी इकाई के भविष्य की सम्भावनाओ को स्पष्ट करता है। अत उत्पाद विक्रय को बढावा देने के लिए बाजार सम्बन्धी ज्ञान अति आवश्यक है। इस प्रकार बाजारी विश्लेषण मे बाजार का आकार, बाजारी सरचना, बाजार का विभाजन तथा समृद्धि दर आदि आते है। भविष्य की प्रवृत्तियो का जितना उपयुक्त आकलन किया जा सकता है, उतना ही सम्बन्धित इकाई का प्रभावी निष्पादन होगा। इस सम्बन्धॄ मे पूर्व आकलन विधियो को प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार के पूर्व अनुमानों से अधिक विश्वसनीयता उत्पन्न होगी। इस विश्लेषण को प्रधानतया कुछ विशिष्ट अनुगमो तथा उनके सरचनात्मक निष्पादन हेतु प्रयोग किया गया है। एक प्रबन्धकीय प्रक्रिया मे रूग्ण इकाई के लिए इन सभी बातो का समायोजन करना चाहिए।

---

11. स्रोत : इण्डस्ट्रियल सिकनेस एण्ड रिहैबिलिटेशन, पेज 280, सिन्हा, एस०एल०एन०।

, औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता की समस्या के निदान के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। औद्योगिक रूग्णता तथा रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सन्दर्भ मे अनके महत्वपूर्ण बातो पर प्रकाश डाला गया है। इसमे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उद्योगो मे रूग्णता के लक्षण परिलक्षित होते ही इसके निदान के लिए उचित समय पर उचित सहायता वित्तीय सस्थाओ द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। फिर भी यदि इकाई रूग्ण हो गयी है, तो उसको स्वस्थ इकाई मे सविलयन कर देना चाहिए। यदि रूग्ण इकाई का सविलयन नही किया जाता है, तो इकाई का प्रबन्ध सरकार को अपने हाथो मे ले लेना चाहिए। [12]

वर्तमान उदारीकृत अर्थव्यवस्था मे भारतीय उद्योगो को रूग्णता से बचाने के लिए एक अन्य उपाय किया जा रहा है, जिसे विनिवेश प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि सरकारी प्रबन्ध मे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही आदि कमियॉ विद्यमान है। अत विनिवेश के द्वारा सार्वजनिक उद्योगो को निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है। विगत् वर्षो मे सरकार द्वारा किए गए विनिवेश की प्रगति निम्न तालिका से स्पष्ट होती है ·

तालिका - 6.1

विगत् वर्षो में सरकार द्वारा किए गए विनिवेश

वर्ष	वास्तविक प्राप्ति (करोड रूपये मे)
1991-92	3038
1992-93	1913
1993-94	—
1994-95	4843
1995-96	362
1996-97	380
1997-98	902
1998-99	5371
1999-2000	1829

स्रोत : द जनरल ऑफ इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज, वाल्यूम 24, 1 & 2 (2001), पृष्ठ 49

12. स्रोत : मार्केटिंग इनपुट फार सिक इण्डस्ट्रीज, प्रदीप कक्कड, पृष्ठ 163-170

औद्योगिक रूग्णता के निवारणार्थ सरकार द्वारा समय-समय पर गठित समितियॉ

रूग्ण उद्योगो से सम्बन्धित समस्या भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है। उद्योगो के रूग्ण हो जाने से उनमे लगी करोडो रूपये की पूॅजी ही नही डूबती, बल्कि उनमे कार्यरत हजारो श्रमिक बेराजगार हो जाते है तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता का हास होता है। परिणामस्वरूप इसका केवल देश के औद्योगिक क्षेत्र पर ही नही, अपितु सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है। औद्योगिक रूग्णता के कारणो मे अकुशल प्रबन्ध, पर्याप्त पूॅजी का अभाव, पुरानी प्रौद्योगिकी तथा प्रतिकूल बाजार परिस्थितियॉ मुख्य है। औद्योगिक रूग्णता की समस्या पर विचार विमर्श करने तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक समितियॉ गठित की गयी है, जो निम्न है

1. **टण्डन समिति :-** भारतीय रिजर्व बैक ने वर्ष 1975 मे बैक ऋण कार्यवाही का दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 'टण्डन समिति' का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मे यह सिफारिश की कि बैको को रूग्ण तथा औद्योगिक पुनर्वास के लिए धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समिति के अनुसार औद्योगिक रूग्णता का मुख्य कारण प्रबन्ध सम्बन्धी विफलताऍ है। समिति ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के प्रबन्ध के लिए उनका वित्तीय तथा संरचानात्मक पुनर्गठन किया जाए तथा उन्हे बैक ऋण उपलब्ध कराया जाय। इस प्रक्रिया के द्वारा रूग्ण इकाइयो का पुनर्वास सम्भव होगा तथा रूग्णता को रोक जा सकेगा।

2. **राय समिति :-** भारत सरकार ने मई 1976 मे वित्त मत्रालय के सचिव श्री एच०एन० राय के नेतृत्व मे एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया। इस समिति को वित्तीय सकट मे फॅसे अथवा रूग्ण उत्पादक प्रतिष्ठानो को स्वस्थ एव लाभप्रद इकाइयो मे विलय करने की सम्भावनाओ के अध्ययन का कार्य सौपा गया। जिससे विलय के बाद सम्मिलित इकाइयॉ अधिक कारगर तरीके से कार्य कर सके।

इस समिति ने यह सिफारिश की है कि राजकोष पर पडने वाले भारी बोझ से बचने के लिए उन उपायो का पता लगाना आवश्यक है जिन्हें अपनाकर फिर से सक्रिय की जा सकने वाली रूग्ण मिलो का स्वेच्छा से स्वस्थ एव लाभप्रद मिलो मे विलय करके रूग्ण मिलो को पुन चालू किया जा सकता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण सुझावो मे कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत विलय एव पुनर्गठन की वर्तमान व्यवस्थाओ को अतिरिक्त कानून बनाकर अधिक कारगर बनाया जाय। इसीलिए रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वास हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार को कुछ रियायते देने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव मे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा उत्पादन सुधारने के लिए मशीनो को आयात शुल्क से छूट, आयकर से छूट, अनुकूल मूल्य नीति तथा केन्द्र सरकार द्वारा बिक्री की पर्याप्त. व्यवस्था है।

राज्य सरकार द्वारा सुविधाओ तथा रियायतो के अन्तर्गत रियायती दरो पर प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति, बिक्रीकर, चुँगी तथा अन्य शुल्को एवं करो मे रियायत, औद्योगिक विवादो का शीघ्र निपटारा, औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत कारखाने को बन्द करने की शीघ्र अनुमति तथा पर्याप्त बिक्री की व्यवस्था आदि है।

फर्नाडीज फार्मूला :-

भूतपूर्व केन्द्रीय उद्योग मत्री जार्ज फर्नाडीज ने औद्योगिक रूग्णता के निवारण हेतु 15 मई 1978 को एक नीति पत्र प्रेषित किया। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है :

(i) सरकार को प्रारम्भिक अवस्था मे ही औद्योगिक रूग्णता का पता लगाने तथा उसकी मार्केटिग. करने के लिए समुचित प्रबन्ध करना चाहिए।

(ii) वित्तीय सस्थानो को सयुक्त रूप से पेशे व निदेशको के एक समूह का गठन करना चाहिए। समूह के सदस्य उन संस्थानो के पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए तथा उनका नामाकन कम्पनी के निदेशक मण्डल की सिफारिश पर ही होना चाहिए। जब समूह को यह ज्ञात हो कि किसी संस्थान का प्रबन्धन अयोग्यपूर्ण तरीके से कार्य कर रहा है अथवा किसी गलत कार्य मे संलग्न है तो

वह समूह उस प्रबन्धन व सस्थान को वित्तीय सहायता तब तक न देने की सिफारिश कर सकता है, जब तक कि पूरे प्रबन्ध को बदल न दिया जाय।

(111) सरकार को एक जॉच समिति का गठन करना चाहिए ताकि वह निम्न आधार पर रूग्ण उद्योगो से सम्बन्धित सिफारिशे कर सके।

(क) यह समिति इस बात की सिफारिश कर सकती है कि किसी भी रूग्ण उपक्रम को अधिग्रहीत कर लेने के उपरात उपक्रम को उसी प्रबन्धन को वापस नही किया जाय।

(ख) यदि वित्तीय सस्थान या राज्य सरकारे किसी इकाई को अधिग्रहीत करने की सिफारिश या उनका अधिग्रहण राष्ट्रहित मे आवश्यक हो तो वहॉ के प्रबन्धन को भी अधिग्रहीत कर लेना चाहिए।

(ग) प्रबन्धन के अधिग्रहण के उपरात इकाई को एक चालू सस्थान के रूप मे बेच देना चाहिए या उसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। पुनर्निर्माण प्रक्रिया मे शेयर के मूल्य गिराना, ऋण को इक्विटी मे परिवर्तित करना तथा शेयरो का सरकार द्वारा अधिग्रहण एव नए निदेशक मण्डल का गठन आदि शामिल होना चाहिए।

3. **तिवारी समिति :-** जून 1981 मे भारतीय रिजर्व बैक ने वृहद एवं मध्यम रूग्ण औद्योगिक इकाइयो को व्यापारिक बैको द्वारा दिए जा रहे ऋणो पर नजर रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मई 1981 मे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टी० तिवारी की अध्यक्षता मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वास के सदर्भ मे बैक तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाइयो की जॉच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इस समिति की सिफारिशो के अनुसार औद्योगिक रूग्णता के प्रभावी समाधान हेतु रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 तथा औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई।

औद्योगिक रूग्णता की समाप्ति के लिए इस समिति द्वारा पेश विभिन्न विकल्पो मे राष्ट्रीयकरण, देनदारियो की पुर्नसंरचना, परिसमापन के साथ बिक्री तथा इकाइयो को बद कर देना शामिल था।

4. **गोस्वामी समिति :-** औद्योगिक रूग्णता की समस्या पर विचार विमर्श करने तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से भारत सरकार के वित्त मत्रलय ने मई 1993 मे भारतीय साख्यिकीय सस्थान के डा० ओकार गोस्वामी की अध यक्षता मे छ. सदस्यीय एक समिति गठित की। इस समिति ने दो महा बाद ही 13 जुलाई को अपनी रिपोर्ट वित्त मत्रालय को सौप दी। इस समिति के अन्य सदस्यो मे डा० टी०सी०ए० अनन्त, श्री हनुमन्ताचार्य, श्री नवल भाटिया तथा श्री कीर्ति उपल थे।

इस समिति ने रूग्णता की समस्या से निपटने के लिए 5 महानगरो मे 5 फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल की स्थापना किए जाने का सुझाव दिया है, जिससे कानूनी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूरा करके रूग्ण उद्योगो को बद किया जा सके। इसके साथ ही छटनी किए गए कर्मचारियो को दुगुना मुआवजा दिए जाने का सुझाव दिया है। समिति ने जमानती कम्पनी ऋणो के भुगतान के लिए 5 रिकवरी ट्रिब्यूनल भी स्थापित किए जाने का सुझाव दिया है। इससे सुरक्षित ऋणदाताओ के 50 लाख रूपये से अधिक के कम्पनी ऋण वसूले जा सकेगे। समिति के अनुसार उपरोक्त 5 रिकवरी ट्रिब्यूनलो तथा 5 फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनलो को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा बगलूर मे स्थापित किया जाना चाहिए।

गोस्वामी समिति ने बीमार औद्योगिक कम्पनी अधिनियम मे भी आमूल–चूल परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है। समिति का मत है कि बायफर की भूमिका मे सशोधन की आवश्यकता है, ताकि वह बीमार उद्योगो को समेटने मे सहायता करे, न कि पुनर्वास सस्था की तरह व्यवहार करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि रूग्ण इकाइयो मे प्रबन्ध परिवर्तन को सम्भव बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम मे सशोधन किया जाना चाहिए। वर्तमान कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत साधारण पुनर्गठन भी सम्भव नही हैं। जब कि बीमार इकाइयो के श्रमिको द्वारा सरक्षित ऋणदाताओं को भविष्य मे अधिकाधिक लाभ पहुँचाने के लिए इन इकाइयो की प्रबन्ध व्यवस्था मे परिवर्तन की आवश्यकता है।

समिति के अनुसार प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उन समस्त बाधाओ को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, जो बैंको तथा वित्तीय सस्थाओ की ऋण की राशि को शेयर पूँजी मे नही बदलने देती है। समिति का सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे ऋण अदायगी मे विलम्ब अथवा अदायगी न होने की स्थिति मे वह प्रबन्धको के बोर्ड मे परिवर्तन कर सके।

समिति का सुझाव है कि नगरीय भूमि सीमा कानून मे परिवर्तन किया जाना चाहिए। चूँकि यह औद्योगिक रूग्णता का एक प्रमुख कारण है। समिति के अनुसार भूमि बेचकर कम्पनी ससाधन जुटा सकती है तथा वे कम्पनियॉ, जिन्हे चला पाना सम्भव न हो, उनकी भूमि बेचकर उनकी अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के पुनर्सयोजन से सम्बन्धित राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नही होनी चाहिए। चूँकि वर्तमान व्यवस्था के कारण रूग्ण इकाई को बन्द करने अथवा श्रमिको की छँटनी करने मे विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त बायफर को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बन्द कारखाने की सम्पत्ति बेचकर उसका मूल्य उच्च न्यायालय मे जमा करा सके और बाद मे उच्च न्यायालय उसका वितरण दावेदारो के मध्य कर सके।

समिति का विचार है कि उद्योगो का गठन एवं विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में श्रमिकों व कर्मचारियों को नियमित तथा अधिकतम भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही उद्योगो मे विनियोजित धन सुरक्षित रहे या उसमे अभिवृद्धि हो।

गोस्वामी समिति के निष्कर्ष के अनुसार देश की औद्योगिक इकाइयॉ प्रतिवर्ष तेजी से बीमार हो रही हैं। निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयॉ 18.6 प्रतिशत के हिसाब से रूग्णता की ओर अग्रसर है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में रूग्णता की दशा अत्यन्त दयनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र मे घाटे मे चल रही 43 इकाइयों का कुल घाटा 9511 करोड रूपये था। 1982 से 1989 की अवधि के दौरान रूग्ण अवस्था के दौर से गुजर रही इकाइयो का घाटा 2585 करोड रूप्ये से बढकर 9511 करोड रूपये हो गया। इस

प्रकार उक्त अवधि मे घाटा प्रतिवर्ष 18.4 प्रतिशत की दर से बढता रहा। घाटे मे चल रही छ बडी इकाइयो उवर्रक निगम, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स, इस्को, बी०टी०सी० तथा राष्ट्रीय जूट निगम का अकेले घाटा 54 प्रतिशत था।

समिति ने घाटे मे चल रही इकाइयो की रूग्ण अवस्था पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा है कि औद्योगिक इकाइयो के घाटे मे चलने का प्रमुख कारण दयनीय वित्तीय ढॉचा, उत्पादन क्षेत्र मे अपर्याप्त माल का उपयोग तथा कमजोर बाजार व्यवस्था का होना है। निष्कर्षत. रूग्ण उद्योगो की समस्याओ के समाधान की दिशा मे समिति ने सिफारिशो के माध्यम से सार्थक प्रयास किया है।

6. **इराडी समिति :-** कम्पनियो के दिवालियापन के सम्बन्ध मे सुझाव प्रस्तुत करने के लिए बी० बालककृष्ण इराडी की अध्यक्षता वाली गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 2000 को प्रधानमत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौपी है।

    समिति ने कम्पनियो के पुनर्गठन के सम्बन्ध मे सरकारी नीतियो मे आमूल–चूल परिवर्तन का सुझाव दिया है। इनमे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रस्ताव शामिल है, जिसे कम्पनी लॉ बोर्ड समस्त अधिकार प्राप्त है। समिति ने प्रस्तावित न्यायाधिकरण के माध्यम से वह सारे कार्य निपटाने की सस्तुति की थी, जो रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के तहत फिलहाल औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड एव औद्योगिक तथा पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निपटाए जा रहे है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के साथ–साथ इन दोनो निकायो को समाप्त करने के सुझाव समिति ने अपनी रिपोर्ट मे प्रस्तुत किया है।

लघु उद्योग की रूग्णता दूर करने के लिए सरकार द्वारा गठित समितियॉ

लघु औद्योगिक क्षेत्र मे रूग्णता के कई कारण उत्तरदायी है। इनमे से कुछ दोषपूर्ण नियोजन, प्रबन्धात्मक कमियॉ, अदक्ष वित्तीय नियत्रण, अनुसधान एव विकास पर अपर्याप्त ध्यान, अप्रचलित मशीनरी, अपर्याप्त मॉग, कमजोर औद्योगिक सम्बन्ध, कच्चे माल तथा अन्य पुनर्निवेश की कमी, कार्यकारी पूँजी की अपर्याप्तता, विद्युत अनापूर्ति, कार्यकारी पूँजी की मजूरी से विलम्ब तथा अन्य आधारभूत सरचनात्मक बाधाये है। लघु एव वृहद औद्योगिक इकाइयो की समस्या उनकी वित्तीय तथा सगठनात्मक सरचना मे कतिपय अन्तर्निहित कमियो, जो उनके व्यापार तथा आर्थिक परिवेश के परिवर्तन को सदेहास्पद बनाते है, के कारण जटिल हो जाती है। सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र मे रूग्णता की आरम्भिक अवस्था मे पहचान करने तथा रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की पुनर्स्थापना के लिए समय–समय पर अनेक उपाय किए है

1. **राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति :-** भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैक ने लघु तथा मझोली इकाइयो की समस्याओ पर विचार–विमर्श तथा सूचना को आदान–प्रादान करने के लिए एक उपयोगी मच प्रदान करने हेतु सभी राज्यो के सम्बन्धित राज्य सरकारो के सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता मेराज्य स्तरीय अन्तर सस्थागत समितियो का गठन किया है। इसमे भारतीय रिजर्व बैक, ग्रामीण नियोजन तथा ऋण विभाग के स्थानीय प्रभारी सयोजक है। समिति मे लघु उद्योग सेवा सस्थान, लघु उद्योग विकास सगठन, राज्य वित्त निगम, तथा सम्बन्धित राज्य मे मुख्य रूप से सम्मिलित बैकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की तीन माह मे एक बार बैठक होती है तथा जीवनक्षम रूग्ण इकाइयो की पुर्नस्थापना के विभिन्न पक्षो को एक साथ विमर्श प्रदान करती है, जिसमे आम सहमति के आधार पर पुर्नस्थापना के लिए विस्तृत मानदण्ड उभर सके।

2. **नायक समिति :-** लघु उद्योग क्षेत्र के ऋण की पर्याप्तता तथा सम्बन्धित पहलुओ की जॉच करने के लिए नायक समिति का गठन किया गया। इसने रूग्णता के मुद्दो की विस्तार से जॉच की तथा समस्या को हल करने के लिए कई उपायो को अपनाये जाने की सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैक ने इस समिति की सिफारिशो पर कार्यवाही की है।

रूग्ण लघु इकाइयो की पुर्नस्थापना हेतु इसकी परिभाषा को सशोधित किया गया था तथा पुर्नस्थापना पैकेज के भाग के रूप मे कार्यकारी पूँजी, आवधिक ऋण के लिए लागू ब्याज की रियायती दर, जहॉ भी लागू हो, को मौजूदा न्यूनतम ऋण प्रदायी दर से डेढ से तीन प्रतिशत बिन्दु कम रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैक ने बैको को, बैक अग्रिम को चार श्रेणियो मे अर्थात् मानक, उप–मानक, सदेहास्पद तथा हानि मे वर्गीकृत करने के साथ–साथ परिसम्पत्तियो के वर्गीकरण करने की व्यवस्था पर सशोधित अध्यादेश जारी किए। अग्रिम के सदेहास्पद श्रेणी मे आते ही सम्बन्धित इकाई को प्रदान किए जाने वाले समस्त अग्रिमो से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इकाई को रूग्ण इकाई के रूप मे वर्गीकृत किया जाय। यदि इकाई निवल मूल्य मे अपर्दन की शर्त को पूरा करती है। रूग्ण इकाई के रूप मे चिन्हित किए जाने से जीवनक्षम के पोषण कार्यक्रम को तीन से छ माह की अवधि मे प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए।

3. **कपूर समिति :-** भारतीय रिजर्व बैक ने लघु उद्योगो के साख वितरण व्यवस्था की कार्य प्रणाली की समीक्षा, व्यवस्था को अधिक प्रभावी करने, सरल एव प्रशासक की कार्यकुशलता के साथ–साथ लघु उद्योगों मे रूग्णता की समस्या के लिए कपूर समिति की स्थापना की थी। लघु उद्योगो की रूग्णता मे शीघ्र निदान हेतु समिति ने निम्न सिफारिशे की है

(1) रूग्ण लघु इकाइयो की परिभाषा मे नान परफारमिग समय को ढाई वर्ष से घटाकर एक वर्ष करना।

(11) राज्य स्तरीय अन्तर सस्थागत समिति को संवैधानिक शक्तियॉ प्रदान करना ताकि वह रूग्ण लघु उद्योगों के पुर्नस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

(111) अधिक रूग्ण लघु उद्योगो वाले जिलों मे राज्य स्तरीय अन्तर सस्थागत समिति की शाखाएँ स्थापित करना।

(1v) जीवक्षम सभाव्य रूग्ण लघु उद्योगो के पुर्नस्थापन मे बैको को उत्साहित करने हेतु आम पहचान तथा परिसम वर्गीकरण मे छूट प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समिति की सिफारिशो का परीक्षा किया जा रहा है।

4. **अध्ययन समूह का गठन :-** लघु क्षेत्र के विकास तथा उन्नति के लिए विद्यमान नीतियो मे सशोधन करने, तथा लघु उद्योग के सामने आने वाली समस्याओ की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग ने, योजना आयोग के सदस्य डा० एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता मे अध्ययन समूह का गठन किया है। इस समूह के अधीन चार उप–समूह भी निम्न प्रकार गठित किए गए है, जिसमे से एक उप–समूह लघु उद्यमो के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय उपायो पर विचार करने के लिए श्री देवीदयाल, विशेष सचिव, बैकिग की अध्यक्षता मे गठित किया गया है। यह उपसमूह लघु उद्योगो मे रूग्णता की समस्या पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार करेगा।

निष्कर्षत यह कहा जा रहा है कि रूग्णता पर भारतीय रिज़र्व बैक के ऑकडे सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। परन्तु सम्पूर्ण सूचना नही है, क्योकि भारतीय रिजर्व बैक के ऑकडे उन इकाइयो से सम्बन्धित है, जो बैको से ऋण प्राप्त करते है, बहुत अधिक सख्या मे ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयॉ है, जो ऋण हेतु बैकिग क्षेत्र मे नही जाती है। ये इकाइयॉ स्वय के साधनो जैसे – स्वय की बचत, मित्रो एव सम्बन्धियो से उधार आदि के माध्यम से जुटाते है। ऐसी इकाई पर उदारीकरण के प्रभाव की विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नही है। अत: मामले को सम्पूर्ण रूप से देखने की आवश्यकता है।[13]

13. स्रोत : हसीजा मदन मोहन, लघु उद्योगों की रूग्णता तथा लघु उद्योग समाचार, लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 30 अगस्त 2002, पृष्ठ -

औद्योगिक रूग्णता के समाधान के लिए कम्पनी अधिनियम में संशोधन

रूग्ण औद्योगिक कम्पनियो के पुर्नजीवन की प्रक्रिया मे तेजी लाने तथा श्रमिक हितो की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 मे सशोधन हेतु अगस्त 2001 मे प्रस्तुत नए अधिनियम मे एक "इनसाल्वेसी फण्ड" के साथ–साथ नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस कानून के प्रभावी होने से कम्पनी की रूग्णता, पुर्नसरचना, इनके दिवालिया होने तथा इन्हे बन्द कर देने सम्बन्धी सभी मामलो मे वर्तमान प्रभावी सिक इण्डस्ट्रियल कम्पनी एक्ट 1985 निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ–साथ औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड, अपीलिएट अथारिटी फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेसियल रिकान्स्ट्रक्शन तथा कम्पनी ला बोर्ड का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसके सभी दायित्व नए गठित किए जाने वाले नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के दायरे मे आ जाएगे। इस ट्रिब्यूनल की सम्पूर्ण भारत मे 10 पीठे होगी, जबकि इसकी अपीलीय पीठ दिल्ली मे स्थापित की जाएगी। अपीलीय पीठ के निर्णयो के विरूद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय मे दायर की जा सकेगी।

नए अधिनियम के तहत किसी कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तभी कहा जाएगा, जब विगत् लगातार चार वर्षो मे से किसी एक या अधिक वर्षो मे वित्तीय वर्ष के अन्त मे इसकी संचित हानि इसकी नेटवर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/अथवा जो लगातार तीन तिमाहियों तक अपने ऋण दाताओ को अपने देयों को भुगतान करने मे असफल रही हो।

अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले इनसालवेसी फण्ड के भरण के लिए बडी कम्पनियो पर उनके वार्षिक टर्नओर का 0.005 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्राविधान आरम्भ में किया गया है। आवश्यकता पडने पर अधिभार को 0.1 प्रतिशत तक बढाया जा सकेगा। प्रस्तावित इनसालेसी फण्ड का उपयोग रूग्ण कम्पनियो की पुर्नसंरचना करने या उन्हें बन्द करने की प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों के देयो का भुगतान करने तथा रूग्ण कम्पनी की परिसम्पत्तियों का संरक्षण करने के लिए किया जा सकेगा। चक्रीय किस्म कें इस फण्ड का सचालन नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा।

औद्योगिक रूग्णता तथा प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था

जहॉ तक वर्तमान प्रबन्धकीय व्यवस्था का सम्बन्ध है, उसमे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो का पुनरूत्थान बैको, वित्तीय सस्थाओ तथा कुछ स्थितियो मे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो के सम्मिलित सहयोग से किया जाता है। इस सम्बन्ध मे जहॉ पर सरकारी हस्तक्षेप है, वही पर इन उद्योगो के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने हाथ मे ले लिया गया है। दोनो प्रकार की प्रबन्धकीय अव्यवस्था किसी भी इकाई के लिए भिन्न–भिन्न अर्थ रखती है। प्रथम स्थिति मे सम्बन्धित बैक या सस्था, बोर्ड के निदेशको की नियुक्ति करती है तथा आवश्यकता पडने पर उनकी प्रबन्धकीय व्यवस्था मे परिवर्तन करती है। दूसरी ओर यदि सरकारी अधिनियम के तहत उद्योगो को राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, तो प्रचलित प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर नयी प्रबन्धकीय व्यवस्था स्थापित की जाती है। इस प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार या राज्य सरकार कम्पनी की सभी इकाइयो के सचालन हेतु व्यक्तियो की नियुक्ति करती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम मे यह भी प्राविधान है कि प्रबन्धकीय व्यवस्था सम्बन्धी कोई भी निर्णय जिसको शेयर धारक के साथ लिया जाएगा, वे तब तक नही लिए जाएगे, जब तक सरकार का अनुमादन न प्राप्त हो। सक्षेप मे राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत प्रबन्धकीय व्यवस्था मे निम्न परिवर्तन किए जाते है ·

1. सरकार तथा नियुक्ति अधिकृत व्यक्ति, निदेशको के अधिकार ले लेते है।
2. शेयर धारक इस दशा मे सुषुप्त हो जाते है।
3. वर्तमान निदेशक तथा प्रबन्धक अपने कार्यकलापों को छोड देते है।
4. लेखा व्यवस्था को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया जाता है तथा अधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बैकों तथा वित्तीय सस्थाओं के द्वारा पुनर्वासन के सम्बन्ध मे उत्तरदायित्व इकाइयों तथा संस्थाओं पर होती है। इस सम्बन्ध में नयी वित्त व्यवस्था मे परिवर्तित प्रबन्धकीय व्यवस्था प्रारम्भ की जाती है। ऐसी प्रबन्धकीय व्यवस्था की समस्याओ को स्पष्ट कर लिया जाता है। इसमे इकाई की विपणन समस्याओं तथा तकनीक पर विचार नही किया जाता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित समस्याऍ निम्नलिखित है

1. सगठनात्मक अकुशलता।
2. आन्तरिक एव वाह्य सूचनाओ का अभाव।
3. अनेक कार्यशील क्षेत्रो मे समन्वय का न पाया जाना।
4. उत्प्रेरकों का अभाव।

एक रूग्ण औद्योगिक इकाई की व्यवस्था तथा यह पद्धति वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नही होती है। अतः नए प्रबन्धकीय व्यवस्था में प्रत्येक कार्य में परिवर्तन होना चाहिए, जिससे कार्यरत व्यक्तियो की प्रवृत्तियो मे परिवर्तन हो। परन्तु, अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि नयी प्रबन्धकीय व्यवस्था मे जब यह उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो समस्याओ की अधिकता के कारण अथवा प्रबन्धकीय अकुशलता के कारण महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त नही हो पाते है। किसी भी सगठन विशेषकर रूग्ण इकाइयों मे परिवर्तन करना, प्राय असम्भव नही तो बहुत कठिन अवश्य होता है। अत. इकाई को प्रभावी रूप से कार्यरत बनाने के लिए परिवर्तन न होने की स्थिति मे ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति मे वास्तविक स्थिति के सन्दर्भ मे मानवीय संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। जबकि अभी तक इस दिशा मे कोई विशेष ध्यान नही दिया गया है। जहॉ तक प्रबन्धकीय व्यवस्था में वैकल्पिक उपागमों का सम्बन्ध है, वहॉ विशेष दशाओं के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध की उपयुक्तता को देखा जा सकता है। इस उद्देश्य से औद्योगिक इकाइयो को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है

1. ऐसी इकाइयॉ, जिनमे कार्यरत श्रमिको की सख्या 250 से कम हो, मे कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारी शिथिल है। प्राय. एक ही अधिकारी इन क्षेत्रो के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार इकाई मे यह सम्भव है कि एक ही व्यक्ति व्यवहारिक कार्यो के लिए उत्तरदायित्व निभाये तथा इस प्रकार अकेले प्रबन्धकीय व्यवस्था से सम्बन्धित इकाई को पुनर्वासन हो सकता है।
2. ऐसी इकाइयाँ, जिनमें श्रमशक्ति 250 से 1000 के मध्य हो, को पुनर्वासन के लिए एक दल से सम्बन्धित कर दिया जाए। प्रायः यह देखा जाता है कि केवल उच्चाधिकारी के परिवर्तन से महत्वपूर्ण परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसे अकेले ही आन्तरिक तथा वाह्य समस्याओ का सामना करना पडता है। अत इन समस्याओं से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास करना चाहिए। इसका

अभिप्राय यह है कि प्रबन्धकीय व्यवस्था, प्रबन्धकीय समस्याओ का सुव्यवस्थित उपागम रखे। ऐसी स्थिति मे प्रबन्धकीय व्यवस्था का कार्य क्रियात्मक एव तकनीकी स्तर पर इकाई को सुव्यवस्थित करना है। एक रूग्ण इकाई में एक समस्या दूसरी समस्या से सम्बन्धित होती है। अत. प्रबन्धकीय व्यवस्था का कार्य लगातार समस्याओं के समाधान से सम्बन्धित होना चाहिए। उच्च स्तरीय पदो पर प्रबन्धकीय व्यवस्था मे परिवर्तन विभिन्न पदो के लिए नियुक्तियो द्वारा अथवा इसी प्रकार की स्वस्थ इकाइयो के व्यक्तियो के एक दल द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार सम्बन्धित उद्योग के प्रबन्ध दल द्वारा समन्वय तथा व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इस प्रकार के उत्तरदायित्व को बडी औद्योगिक कम्पनियॉ अपने हाथो मे ले ले तो इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयो की प्रबन्धकीय व्यवस्था का समाधान किया जा सकता है।

3 ऐसी इकाइयॉ जिनमे श्रम शक्ति 1000 से अधिक हो, उनमे रूग्णता सम्बन्धी प्रबन्धकीय व्यवस्था प्रथम तथा दूसरे प्रकार की इकाइयो के आधार पर नही की जा सकती है। इस सम्बन्ध मे निर्णय अप्रयुक्त बेरोजगार श्रमिको के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण होते है। इस प्रकार जहॉ यह बैको तथा वित्तीय संस्थाओ के लिए सम्भव है कि वे लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयो की पुनर्वासन योजना से अपने को बाहर कर सके, वही दीर्घ स्तरीय औद्योगिक इकाइयो मे यह सम्भव नही है। वृहद् सामाजिक, आर्थिक ढॉचो मे विशिष्ट प्रकार की प्रबन्धकीय व्यवस्था का प्रश्न दूसरे स्तर का होता है क्योकि ऐसी इकाई की सहायता वित्तीय विनियोग के अतिरिक्त भी होती है। अतः नयी प्रबन्धकीय व्यवस्था के निष्पादन को अवलोकन नही किया जा सकता है। लघु तथा छोटे आकार की इकाइयो मे बैको मे वित्तीय सस्थाओ के लिए यह सम्भव है कि उनके पुनरूत्थान मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। परन्तु, वृहद स्तरीय इकाइयो के सम्बन्ध मे ऐसा सम्भव नही है। ऐसे कार्यो के लिए सस्थाओ मे न तो पर्याप्त वित्त है और न ही प्रबन्धकीय कुशलता। अतः ऐसी इकाइयो की कार्यशीलता को बनाए रखने के लिए सरकार एव बडे निगमो को क्षेत्र मे आना चाहिए। सरकारी हस्तक्षेप रूग्ण औद्योगिक इकाइयो को सार्वजनिक एव व्यक्तिगत क्षेत्र मे स्वस्थ इकाइयो के साथ विलय करना होता है। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयो को तीन वर्गो मे विभाजन पूर्णतया दृढ नही है। फिर भी इसके माध्यम से प्रबन्धकीय व्यवस्था के स्वरूप को अवलोकित किया जा सकता है।

❖ ❖ ❖ ❖

अध्याय 7

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के विभिन्न अध्यायो के शोध अध्ययन मे प्राप्त उपलब्धियो का उल्लेख किया जा सकता है। अध्ययन मे यह पाया गया कि प्राय रूग्ण औद्योगिक इकाइयॉ वे इकाइयॉ है जो सम्पूर्ण मूल्य मे किसी वित्तीय वर्ष मे हानि को वहन करती है तथा नगद हानि उस वर्ष तथा अगले वित्तीय वर्ष मे हुयी हो। इसी प्रकार यह भी पाया गया कि रूग्ण औद्योगिक इकाइयॉ लगातार नगद हानि मे चलती रहती है तथा उनमे बैक साख का बकाया लगातार बना रहता है। ऐसी इकाइयॉ अतिरेक को उत्पन्न करने मे असफल रहती है तथा अपने अस्तित्व के लिए बाह्य ऋणो पर आश्रित रहती है।

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है, जो 25° - 31° उत्तरी अक्षॉश तथा 77° - 84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 236 वर्ग किमी है, जो सम्पूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 8.9 प्रतिशत है। वर्ष 2001 के अनन्तिम ऑकडो के अनुसार देश के सर्वाधिक जनसख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कुल जनसख्या 16.6 करोड है, जो भारत की जनसख्या का 16.17% है। 17 मण्डल, 70 जिलो तथा 300 तहसीलो वाले इस प्रदेश मे 8.74 करोड पुरूष तथा 7.85 महिलाये निवास करती है। प्रदेश मे लिगानुपात प्रति 1000 पुरूषो पर 898 महिलाये तथा जनसख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जहॉ देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 20% प्रदेश है, जिस पर कुल राष्ट्रीय कृषि का 18.6% खाद्यान्न उत्पादित किया जाता है। सिचाई की स्थिति इस प्रकार है

नहर 30%, नलकूप 60%, कुएॅ 5%, तालाब 2% तथा अन्य से 3% सिचाई होती है। वर्ष 1991 के जनगणना अनुमानो के अनुसार प्रदेश का साक्षरता स्तर 41.6% था, जो भारत के 52.2% से कम रहा। इसमे 55% पुरूष तथा 251% स्त्री साक्षर थे। साक्षरता स्तर मे सुधार हेतु शिक्षण संस्थाओ में अभिवृद्धि तथा जनसामान्य मे जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। प्रदेश मे कृषि आधारित उद्योगों का समुचित विकास हुआ है। प्रदेश के प्रमुख उद्योगो मे चीनी, हथकरघा, जूता, सीमेण्ट, शराब, चर्म, कपडा, कागज,

कृषि उपकरण तथा कॉच उद्योग है। प्रदेश के उद्योग मुख्यत कानुपर, आगरा, अलीगढ, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा बरेली जनपदो मे अवस्थित है। प्रदेश मे ससदीय शासन प्रणाली है। शासन तीन प्रमुख अगो कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका मे विभक्त है। प्रदेश का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पॉच वर्ष या उसके प्रसाद पर्यन्त तक के लिए की जाती है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति विधानसभा मे बहुमत दल के नेता मुख्यमत्री के नेतृत्व मे मत्रिमण्डल मे निहित होती है।

भारतीय उद्योग का इतिहास बहुत पुराना है। सिन्धु घाटी की सभ्यता में रॅगाई करना, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषणो एव गुरियों का निर्माण करना प्रमुख उद्योग था। इसी प्रकार वैदिक युग मे बढईगीरी, लकडी की सभी प्रकार की वस्तुओ का निर्माण, वस्त्र उद्योग तथा चर्म उद्योग के विकसित अवस्था मे होने का प्रमाण मिला है। जातक ग्रन्थो से पता चलता है कि मौर्य काल मे बढईगीरी तथा पत्थर तराशने की कला अपने चरम स्तर पर थी। भारत पर समय–समय पर हुए आक्रमण के फलस्वरूप सभ्यता एवं सस्कृति में परिवर्तन हुए। इस परिवर्तन के तारतम्य में उद्योगो मे भी परिवर्तन होने लगे। 1367 ई० में विजय नगर व बहमनी शासको के मध्य युद्ध मे तोपो का प्रयोग हुआ, जिसका असली प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध मे किया। मुगलकाल लघु उद्योगो का स्वर्णिम युग था। सोने एव चॉदी के समान, तॉबे के पात्र, कपडा, कालीन तथा हाथी दॉत के काम मे मुगल काल की मिसाल नही मिलती है। 17 वी शताब्दी के अन्त तक शाही कारखानों की सख्या 69 थी। इस समय शीरा, चीनी व खाण्डसारी तथा धातु उद्योग उन्नत अवस्था मे थे। इन बडे उद्योगो के अतिरिक्त लघु उद्योगो मे हाथी दॉत, लकडी का काम, धातु व मिट्टी की मूर्तियॉ, कागज, सुगन्धित इत्र, कॉच, चमडा तथा आभूषण बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता था।

18 वी शताब्दी के मध्य मे औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप औद्योगीकरण का जन्म हुआ। इसका सबसे अधिक प्रभाव वस्त्र उद्योग पर पडा। 1701 मे ड्रिल मशीन, 1733 मे फ्लाइग शटल, 1764 मे स्पिनिग जेनी 'चरखा', 1807 मे वाष्पचालित नौका

तथा 1814 मे वाष्पचालित रेल का अविष्कार हुआ। औद्योगीकरण का विकास काफी सीमा तक कृषि के विकास पर निर्भर करता है। प० जवाहर लाल नेहरू के अनुसार "बिना कृषि के औद्योगिक प्रगति नही की जा सकती है, क्योकि दोनो क्षेत्रो को एक दूसरे से पृथक नही किया जा सकता है।"

भारत मे आधुनिक उद्योगो का विकास 1850 ई० के बाद प्रारम्भ हुआ। लार्ड डलहौजी के समय में औद्योगीकरण मे काफी प्रगति हुई। 1857 के स्वतत्रता सग्राम के समय औद्योगीकरण मे अवरोध उत्पन्न हुआ। परिणामस्वरूप आर्थिक परिस्थितियॉ दिनो–दिन बिगडी तथा लघु उद्योग की दशा और भी दयनीय हो गयी। कारखाना उद्योग की वास्तविक उन्नति 1875 मे हुई जब सूती एव जूट उद्योग की विशेष प्रगति हुई। 19 वी सदी मे गॉधीजी के भारतीय राष्ट्रीय राजनीति मे पदार्पण के साथ लघु उद्योगो की ओर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उद्योगो, विशेषत धातु उद्योग का विकास तेजी से हुआ। वर्ष 1930 की मन्दी से उद्योगो की स्थिति पुन खराब हो गयी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं की मॉग मे वृद्धि हुई तथा अनेक उद्योग स्थापित हुए। वर्ष 1945 मे देश मे उद्योगो की सख्या बढकर 14859 हो गयी, जिनकी प्रदत्त पूँजी 384 करोड रूपये थी, जबकि वर्ष 1939 मे इनकी सख्या 11114 तथा प्रदत्त पूँजी 290 करोड रूपये थी।

15 अगस्त 1947 को भारत को लम्बे सघर्ष के बाद स्वतत्रता मिली। यह स्वतत्रता राजनैतिक थी, परन्तु भारत को अभी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी। वर्ष 1948 में भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इसके पूर्व वर्ष 1923 तक भारतीय औद्योगिक नीति स्वत्रत व्यापार की थी, परन्तु वर्ष 1923 से कुछ देशी उद्योगो को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनायी गयी। अप्रैल 1948 में तत्कालीन उद्योग मत्री डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा घोषित प्रथम औद्योगिक नीति मे उद्योगो को चार वर्गो सैन्य, वृहत, आधारभूत तथा निजी क्षेत्र मे विभाजित करने के साथ ही कुटीर एव लघु उद्योगो के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारे को सौपा गया। वर्ष 1950 मे योजना आयोग की स्थापना के पश्चात अप्रैल

1951 से प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना मे औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6.5% थी, जिसमे उपभोक्ता वस्तुओ मे 6% तथा पूँजीगत उद्योग मे 134 4% की वृद्धि दर्ज की गयी। 30 अप्रैल 1956 मे पी०सी० महालनवीस की उद्योग माडल पर दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गयी। इस नीति उद्योगो को तीन वर्गो मे विभाजित करने के साथ ही आर्थिक विकास व औद्योगीकरण की गति को तेज करना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास, भारी उद्योगो की स्थापना, आपसी असमानताओ को कम करना शामिल किया गया। दूसरी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक विकास का लक्ष्य 10.5% रखा गया, परन्तु 7 25% ही विकास दर को प्राप्त किया जा सका। इस योजना मे लोहा एव इस्पात उद्योग, भारी मशीन एव औजार निर्माण उद्योग, भारी विद्युत आदि की स्थापना की गयी। तीसरी योजना मे अगले 15 वर्षो मे औद्योगिक विकास तथा खनिज विकास मे आत्मनिर्भर होने के लिए उद्योगो के तकनीकीकरण पर ध्यान दिया गया। तालिका 2.4 से यह स्पष्ट होता है कि 1962 मे चीन आक्रमण तथा 1965 के पाकिस्तान के आक्रमण के कारण कुछ उद्योगो को छोडकर अन्य उद्योगो की प्रगति सन्तोषजनक नही रही है। इस योजना मे वार्षिक उत्पाद 7.9% रहा, जबकि लक्ष्य 11% रखा गया था। इस योजना के पश्चात् तीन वार्षिक योजनाये (1966-69) लागू की गयी जिसमे कुछ उद्योगो को छोडकर अन्य उद्योगो की प्रगति सन्तोषजनक रही। चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे देश को शीघ्र स्वावलम्बी बनाने के साथ आद्योगिक क्षेत्र मे सतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया। इस योजनावधि मे औद्योगिक विकास दर 8-10% की अपेक्षा 4.7% ही रही, जिसका प्रमुख कारण मूल्यो मे वृद्धि, पूँजी विनियोग के प्रति उद्यमियो मे रूचि न होना, स्थापित क्षमता का अपूर्ण उपयोग तथा प्रबन्धकीय अकुशलता थी।

पॉचवी पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण एव लघु उद्योगों को बढावा दिया गया। इस योजना मे वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8.9% रखा गया, परन्तु वास्तविक वृद्धि 5 9% ही रही। तालिका सख्या 2.6 से स्पष्ट है कि लोहा एव इस्पात, चीनी, एल्युमिनियम तथा सीमेण्ट उद्योग की प्रगति सन्तोषजनक थी। छठी योजना (1980-85) मे औद्योगिक

विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी। इस योजनावधि मे विकास लक्ष्य 7% के स्थान पर 5 5% ही प्राप्त किया जा सका। सातवीं पचवर्षीय योजना मे मुख्य लक्ष्य निर्यातोन्मुखी (1985-90) उद्योगो को बढावा देना तथा स्वरोजगार के अवसरो मे वृद्धि करना था। तालिका सख्या 2.8 से यह स्पष्ट होता है कि इस योजनावधि मे कोयला, इस्पात, सीमेण्ट, वनस्पति तेल, वस्त्र, विद्युत उत्पादन आदि मे उल्लेखनीय वृद्धि हुयी। इस योजना मे विकास दर 8% रखा गया। 24 जुलाई 1991 को ससद ने लीक से हटकर उदारीकृत औद्योगिक नीति घोषित की। इस औद्योगिक नीति मे 6 उद्योगो को छोडकर शेष सभी उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया। एम०आर०टी०पी० अधिनियम मे कम्पनियो की अधिकतम सम्पत्ति सीमा समाप्त कर दी गयी। इसके अतिरिक्त विदेशी पूँजी निवेश की सीमा 40% से बढाकर 51% कर दी गयी। इसमे प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुछ उद्योगो को छोडकर शेष सभी उद्योगो को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। आर्थिक सुधारो की श्रृखला मे आठवी पचवर्षीय योजना (1992-97) लागू की गयी, जिसमे वित्तीय, औद्योगिक एव विदेशी निवेश को शामिल किया गया। इस योजना मे औद्योगिक उत्पादन 7.24% वार्षिक रहा। तालिका संख्या 2.9 से स्पष्ट है कि इस योजना मे प्रगति सन्तोषजनक रही। नवी पचवर्षीय योजना (1997-2002) की शुरूआत अच्छी नही रही, जिसका कारण विनियोजन की धीमी गति, मॉग की कमी आदि थे। इस येाजना मे विकास दर 8 3% रखी गयी। तालिका सख्या 2 10 से स्पष्ट है कि इस योजनावधि मे औद्योगिक उत्पादन मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दसवी पचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ वर्ष 2002 से प्रारम्भ हो चुकी है।

तालिका संख्या 2.1 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक विनियोग प्रथम पचवर्षीय योजना में 97 करोड रूपये था, जो नवी पचवर्षीय योजना मे बढकर 65148 करोड रूपये हो गया। इससे स्पष्ट है कि योजनाओ मे पूँजी निवेश लगातार बढा है, जो औद्योगीकरण मे सहायक है।

उत्तर प्रदेश भारत का मुख्य प्रदेश है जहॉ पर भूत, वर्तमान और भविष्य अत्यन्त सुन्दर ढग से मिले हुए है। इस प्रदेश की एक विशेष औद्योगिक नीति है। राज्य का सामाजिक ओर सास्कृतिक वातावरण इसके प्राचीन समय के वैभव को प्रकट करता है। तालिका 3 1 से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वृद्धि दर 2.3% रही। इसी प्रकार द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि सम्बन्धी बडे उद्योगो को बढावा दिया गया और उर्जा, यातायात, सचार इत्यादि मे सहायक रचानात्मक सहयोग देकर 1.7% की वृद्धि दर प्राप्त किया गया। तृतीय पचवर्षीय योजना मे उद्योगों के औद्योगीकरण के क्षेत्र मे 5.7% की वृद्धि दर अकित की। चतुर्थ पचवर्षीय योजना (19669-74) मे वृद्धि दर 3.4% रही। पॉचवी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक सेक्टर की वृद्धि दर (9.4%) मे अत्यधिक वृद्धि हुई, छठी योजना मे 11.8% की बढोत्तरी हुई। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त मे सामान्यत छोटे प्रकार की इकाइयो की संख्या वर्ष 1988-89 के अन्त तक 1,10,000 से बढकर 1,96,220 से ऊपर हो गयी। सातवी पचवर्षीय योजना मे आवश्यकता से अधिक की 10.9% वृद्धि हुई। केवल सातवी योजना के मध्य तक 4616 करोड रूपये तक का अतिरिक्त विनियोजन के लिए ख्याति प्राप्त हुई। इस दौरान दो बडे फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट बाम्बे हाई गैस के आधार पर, छोटे व्यापारिक सवारियॉ, फोटोग्राफी के समान, अनेक प्रकार के रसायनिक, पालियस्टर रेशा, पालियस्टर करतन, ट्यूब, घडियॉ, हवाई जहाज के टुकडे बनाने वाले शिल्पी स्पोर्ट के लिए सवारी, स्विच गेयर, मिश्रित रूप से चादर, लोहे के टुकडे इत्यादि सम्मिलित हई।

आठवी पंचवर्षीय योजना मे औद्योगिक सेक्टर मे सर्वत्र 7.3% की वृद्धि दर का लक्ष्य के मुकाबले 4.2% ही प्राप्त किया जा सका। नवीं पंचवर्षीय योजना मे की वृद्धि का लक्ष्य है। तालिका 3.4 तथा 3.5 से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के अन्त मे प्रदेश में वृहद इकाइयो की सख्या 62 थी, जिनके द्वारा 1566 करोड रूपये का उत्पादन किया गया, जो आठवी पंचवर्षीय योजना में बढकर क्रमश 1956 तथा 29199 करोड रूपये हो गया। नवी योजना के मार्च 1999 तक 2281 वृहद

इकाइयो की सख्या 2281 पहुँच चुकी थी। तालिका संख्या 3.6 से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1990-91 से 2000-2001 के मध्य (वर्ष 1994-95 को छोडकर) प्रत्येक वर्ष लगभग 30,000 लघु औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित हुई। तालिका सख्या 3.10 के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयो द्वारा प्रथम योजना के अन्त तक 28898 व्यक्तियो को रोजगार तथा 34.5 करोड रूपये का उत्पादन किया गया, जो आठवी योजना के अन्त मे बढकर क्रमश 2164259 व्यक्ति तथा 7070.18 करोड़ रूपये हो गया। तालिका संख्या 3.3 के अनुसार अगस्त 1991-2000 के मध्य आई०ई०एम० 3966, एल०ओ०आई० 360, एफ०डी०आई० 436, एफ०टी०सी० 267 तथा 100% निर्यातोन्मुखी द्वारा 204 पूँजी निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आये।

इस प्रकार प्रदेश मे योजनावधि में वृहद तथा लघु उद्योग दोनो मे ही इकाइयो की संख्या, रोजगार तथा उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

औद्योगिक रूग्णता से आशय लाभ या उत्पादन मे गिरावट अथवा दोनो मे गिरावट से है, जो नकद हानि को उत्पन्न करे। इसके परिणाम स्वरूप अनेक औद्योगिक इकाइयॉ बन्द हो जाती हैं। वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र मे इस प्रकार की समस्या ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी "विशेष प्राविधान" अधिनियम 1985 के अनुसार "एक रूग्ण औद्योगिक इकाई वह है जो अपने सम्पूर्ण मूल्य मे किसी वित्तीय वर्ष हानि को सहन करती हो तथा जिसमे नकद हानि अगले वित्तीय वर्ष या उस वित्तीय वर्ष मे हुई हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार "एक रूग्ण उद्योग से आशय एक मध्यम अथवा वृहद औद्योगिक कम्पनी, (गैर लघु उद्योग क्षेत्र की ऐसी कम्पनी जो सात वर्षो से पंजीकृत हो) जिसे वित्तीय वर्ष के अत में अपने कुल शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक संचित हानि हुयी हो तथा उसे उस वित्तीय वर्ष में और उस वित्तीय वर्ष के पूर्व के दौरान नकद हानि हुयी हो।"

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लघु औद्योगिक इकाई को तभी रूग्ण माना जाएगा जब कि ·

(क) उसे पिछले लेखा वर्ष मे नगद हानि हुयी हो तथा चालू लेखा वर्ष मे भी उसे नकद हानि होने के सम्भावना हो एव इन संचयी नकद हानियो के कारण उसकी निवल सम्पत्ति मे पचास प्रतिशत या इससे अधिक का ह्रास हुआ हो तथा/अथवा

(ख) उसे लगातार ब्याज की चार तिमाही किस्तो अथवा सावधि ऋण के मूल धन की दो छमाही किस्तो का भुगतान करने मे चूक हुई हो तथा बैक की उसकी ऋण सीमाओ के परिचालन मे अनियमितताएँ हो।

बडी लघु इकाइयो के विषय में "क" तथा "ख" दोनो शर्तें पूरी होनी चाहिए तथा अति लघु विकेन्द्रीकृत इकाइयो के मामले में किसी एक शर्त का पूरा होना पर्याप्त होगा।

प्रारम्भ में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 मे केवल निजी क्षेत्र की इकाइयो को शामिल किया गया था, परन्तु दिसम्बर 1991 से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयो को भी इस अधिनियम के अतर्गत लाया गया। वर्ष 1992 में सशोधन विधयक द्वारा 1985 के रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम मे दो परिवर्तन किए गए। पंजीकरण की अवधि सात वर्ष से घटाकर पॉच वर्ष कर दी गयी तथा नकद हानि को छोड दिया गया।

इस प्रकार एक रूग्ण उद्योग वह है, जहॉ वित्तीय कार्यशीलता विपरीत कारको से प्रभावित होती है। जो प्रबन्धकीय, बाजारी वित्तीय भार तथा श्रम सम्बन्ध आदि के रूप मे हैं। जब इन कारको का प्रभाव ऐसी स्थिति में पहुँचता है तब औद्योगिक इकाई नगद हानि उठाने लगती है जिससे इसके वित्त मे कमी होने लगती है और इसकी वित्तीय स्थायित्वता खतरे में पड जाती है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम "विशेष

प्राविधान" 1985 के अतर्गत लघु स्तरीय/अति लघु स्तरीय इकाइयॉ, साझेदारी फर्म तथा एकल स्वामित्व वाली सस्थाएँ नही आती है। एक रूग्ण औद्योगिक इकाई को इस रूप मे देखा जा सकता है कि वह लगातार हानि के कारण अतिरेक को जन्म देने मे असफल हो तथा अपने अस्तित्व के लिए लगातार बाह्य ऋणो पर आश्रित रहती हो। निरन्तर तरलता की हानि के कारण औद्योगिक इकाई अपने दीर्घकालीन दायित्वो को पूर्ण करने मे असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार वह इकाई जीवन क्षमता खो देती है तथा बीमार इकाई के रूप मे जानी जाती है। यदि यही क्रम चलता रहता है तो ऐसी रूग्ण इकाई दीवालिया हो जाती है।

तालिका सख्या 4.3 से यह स्पष्ट होता है कि मार्च 1999 तक भारत मे सबसे अधिक व्यवहार्य लघु रूग्ण इकाइयॉ (3477) खाद्य उद्योग तथा सबसे कम हीरा–जवाहरात उद्योग (9) मे थी, जबकि इनमे अवरूद्ध पूँजी की दृष्टि से सर्वाधिक इजीनियरिंग उद्योग (49.48 करोड रूपये) मे थी। तालिका 4.6 के अनुसार भारत मे मार्च 1999 तक कुल लघु रूग्ण इकाइयो की सख्या 306221 थी, जिसमे पूर्वी क्षेत्र मे 2.06 (67 3%) लाख सर्वाधिक लघु रूग्ण इकाइयॉ तथा सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र मे 24604 (8.03) इकाइयॉ थी। इसी प्रकार इन लघु रूग्ण इकाइयों में सर्वाधिक बकाया राशि दक्षिणी क्षेत्र (1281.91 करोड रू०) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र (917.4 करोड रू०) मे थी। तालिका 4 8 के अनुसार सर्वाधिक लघु रूग्ण इकाइयॉ खाद्य उद्योग मे 44045 तथा सबसे कम जूट उद्योग (32) मे थी, जबकि इनमे अवरूद्ध राशि की दृष्टि से सर्वाधिक राशि इजीनियरिंग उद्योग (483 67 करोड रूपये) तथा सबसे कम जवाहरात उद्योग (5 53 करोड रूपये) में थी। तालिका 4.7 के अनुसार उत्तर प्रदेश मे मार्च 1999 तक कुल लघु रूग्ण इकाइयो की संख्या 17320 थी, जिनमे व्यवहार्य इकाइयॉ 1846 तथा अव्यवहार्य इकाइयॉ 15171 थी। इनमे बकाया राशि क्रमश 414.09, 32.88 तथा 367.37 करोड रूपये थी। तालिका 4.11 के अनुसार भारत मे सर्वाधिक वृहद रूग्ण औद्योगिक इकाइयॉ वस्त्र उद्योग में 380 (19.5%) तथा सबसे कम रत्न एव जवाहरात उद्योग मे 4 (0.21%) मे थी, जबकि सर्वाधिक अवरूद्ध राशि इजीनियरिंग उद्योग मे

1181.54 करोड रूपये तथा सबसे कम जवाहरात उद्योग मे 3.87 (16.46%) करोड रूपये थी। तालिका 4.12 के अनुसार प्रदेश मे सर्वाधिक वृहद रूग्ण इकाइयॉ वस्त्र उद्योग मे 34 तथा सबसे कम जवाहरात उद्योग में 2 थी, जिनमे अवरूद्ध राशि क्रमश 215.67 तथा 0.73 करोड रूपये थी।

अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मार्च 1999 मे उत्तर प्रदेश मे 3,57,960 लघु औद्योगिक इकाइयॉ पजीकृत थी, जिनमे 3488 करोड रूपये की पूॅजी विनियोजित थी। इनमें से 37293 इकाइयॉ रूग्ण/कमजोर अवस्था मे पायी गयी। इन रूग्ण औद्योगिक इकाइयों मे 448.72 करोड रूपये की बैक साख अवरूद्ध थी। इन 37293 रूग्ण इकाइयों मे से मात्र 6521 इकाइयॉ ही जीवन योग्य पाई गयीं तथा शेष को बद करने योग्य पाया गया। इन विवरणो से यह स्पष्ट है कि दिन–प्रतिदिन रूग्ण इकाइयो की सख्या तथा उनमे अवरूद्ध बैक साख के प्रतिशत मे अनवरत वृद्धि हुई है। विभिन्न सर्वेक्षणो से यह प्राप्त हुआ है कि प्रदेश मे 50 प्रतिशत से अधिक इकाइयॉ रूग्ण है, जिनमे से अधिकांश मे उत्पादन कार्य बहुत पहले ही अवरूद्ध किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो की रूग्णता के कारणो का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकांश रूग्ण इकाइयों की इस स्थिति का कारण कच्चे माल का अभाव तथा समयानुसार उनकी अनुपलब्धता है। इसके साथ–साथ चूॅकि लघु औद्योगिक इकाइयॉ अल्प मात्रा में कच्चे माल क्रय कर पाती है, इसलिए इन इकाइयो को कच्चा माल ऊॅची कीमत पर प्राप्त होता है तथा इनकी किस्म भी अच्छी नही होती है। ऐसा होने के कारण वृहद् औद्योगिक इकाइयों द्वारा बडे पैमाने पर कच्चे माल के क्रय का होना है। आयातित कच्चे माल के संदर्भ मे इन इकाइयो के समक्ष आनेक समस्याऍ आती हैं परिणामत· औद्योगिक उत्पादन व्यय बढ जाता है तथा उत्पादित माल की किस्म घटिया स्तर की होती है। उत्पादन व्यय बढ़ने के कारण उस उत्पाद की कीमत मे वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप बढी हुई कीमत एवं घटिया किस्म के कारण उस उत्पाद की बाजारी मॉग मे कमी आ जाती है। औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण वित्त की समस्या है। **वित्त किसी भी संस्था का**

रक्त होता है। यह लघु एव वृहद दोनो ही प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रो को समान रूप से प्रभावित करता है। भारतीय उद्योगपति एव लघु उद्यमी इस स्थिति मे नही है कि वे अत्यधिक पूँजी निवेश के माध्यम से अपने कार्य को चला सके। यद्यपि समय–समय पर अनेक वित्तीय संस्थाओ ने उद्योगो को ऋण प्रदान किया है, परन्तु यह पर्याप्त नही है। वित्तीय सस्थाओ की कार्य प्रणाली के सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि देश के सतुलित औद्योगिक विकास मे समयानुसार वित्त प्रदान करने मे इन सस्थाओ की भूमिका आशानुरूप नही रही है। लघु औद्योगिक इकाइयों के सामने वित्त की समस्या और अधिक गम्भीर है औद्योगिक रूग्णता के एक अन्य कारण उत्पादित वस्तुओ का विपणन एव बाजार की अनुपलब्धता है। वर्तमान उदारीकरण की नीति के कारण बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियॉ तथा बडे भारतीय औद्योगिक घराने अन्य भारतीय उद्यमियो के माल को बाजार में नही टिकने देते है। इस प्रकार तैयार माल को बेचने के लिए सरकारी तथा अन्य सुविधाओ के अभाव मे उद्यमियो को अपने माल को कम मूल्य पर बेचना पडता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हे हानि होती है। एक स्थिति ऐसी आती हे, जिसमे उद्यमी हानि से उबरने मे अपने को असमर्थ पाता है। यही रूग्णता की स्थिति है औद्योगिक रूग्णता सम्बन्धी एक अन्य महत्वपूर्ण कारण मशीनो एव उपकरणो का पुराना एव अप्रचलित होना है। मशीनो के पुराने होने के कारण उत्पादित वस्तु की लागत मे वृद्धि हो जाती है। इसके साथ–साथ कम मात्रा में उत्पादन होता है। लागत मे वृद्धि होने के कारण उत्पादित वस्तुऍ प्रतिस्पर्द्धी बाजार मे नही बिक पाती है, जिसके फलस्वरूप कम्पनी मे स्टाक जमा हो जाता है तथा कई बार कम्पनी को अपना उत्पादन कार्य बन्द करना पड़ता है। उत्पादन कार्य बन्द करने से लागत मे और अधिक वृद्धि हो जाती है। चूँकि स्थाई लागत जैसे किराया आदि को उत्पादन कार्य न होने पर भी औद्योगिक इकाई को वहन करना पडता है। लगातार हानि तथा अतिरिक्त लागत मे वृद्धि के कारण इकाई रूग्णता का शिकार हो जाती है। जहॉ तक प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयों एव कुटीर उद्योगो का प्रश्न है, ये अभी भी पूर्णतया परम्परागत है तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक सुविधाओ से वचित है। प्रायः लघु औद्योगिक इकाइयॉ

अपने माल को साहूकारो को बेच देती है। चूँकि यही साहूकार इन लघु औद्योगिक इकाइयों को समय पर आसानी से कठिन शर्तो पर ऋण प्रदान करते है और लघु औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियो मे सौदा करने की क्षमता कम होती है, इसलिए वे अपने माल को अधिक समय तक रोक नही सकते है। यहॉ क्षमता से आशय उत्पादित माल के भण्डारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने से है। इसी प्रकार औद्योगिक रूग्णता सम्बन्धी एक अन्य प्रमुख कारण, विशेषकर लघु औद्योगिक क्षेत्र मे, परिवहन सुविधाओ का न होना है।

वृहद स्तरीय औद्योगिक इकाइयो के रूग्णता के कारणो का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि इन इकाइयो की रूग्णता का सबसे महत्वपूर्ण कारण अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था है। इन इकाइयो मे प्रबन्धकों एव अन्य कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ औद्योगिक सम्बन्धो का अभाव है। इसके अतिरिक्त इन वृहद् औद्योगिक इकाइयो मे तकनीकी विशेषज्ञों तथा अनुभवी व्यक्तियो की पर्याप्त मात्रा नही है। इन औद्योगिक इकाइयो मे आधुनिक मशीनो एव उपकरणो की समुचित व्यवस्था नही है, जिसके फलस्वरूप अधिक लागत मे कम माल का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश मे अधिकाश सरकारी मिलो के बन्द होने का कारण अकुशल प्रबन्धकीय व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा पुरानी मशीनो का प्रयोग है। इसके साथ–साथ इन औद्योगिक इकाइयो में अतिरिक्त कर्मचारियो का होनो भी एक समस्या रहा है। औद्योगिक इकाइयों की विस्तृत योजना तथा कार्य पद्धति को बनाने तथा उसके विकास सम्बन्धी कार्यक्रमो के आभाव मे इन इकाइयो मे रूग्णता की समस्या लगातार बढती जा रही है। इस प्रकार औद्योगिक इकाइयो की रूग्णता के प्रमुख कारणो मे अकुशल एव अक्षम प्रबन्धकीय व्यवस्था, गलत उत्पाद का चयन, मशीनो का पुराना होना, उत्पाद का फैशन के कारण पुराना पड जाना, गलत उत्पादन प्रक्रिया का चुनाव, घटिया किस्म, अत्यधिक हानि, अत्यधिक ऋण ब्याज भार, विपणन सम्बन्धी समस्या, जिसमे वितरण के गलत माध्यमो का चयन, प्रबन्धकीय क्षेत्रो मे समन्सवय का अभाव, गलत स्थान का चयन, कच्चे माल का आभाव तथा अत्यधिक कर्मचारियो का होना है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक रूग्णता को बढावा

देने मे वित्तीय सस्थाओ का भी योगदान है। वित्तीय सस्थाएँ औद्योगिक इकाइयो को वित्त प्रदान करने में बहुत देर करती है। इस प्रकार वित्तीय सस्थाओ द्वारा समुचित मात्रा मे समय पर वित्त न उपलब्ध कराए जाने के कारण औद्योगिक इकाइयॉ अपनी परिचालनात्मक व्यवस्था सुचारू रूप से नही चला पाती है तथा रूग्णता की शिकार हो जाती है।

औद्योगिक रूग्णता के निवारण तथा रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन मे वित्तीय सस्थाओ का योगदान, उनकी कार्य पद्धति एव प्रभावो के सदर्भ मे कुछ उपलब्धियॉ प्राप्त हुई है। इन वित्तीय सस्थाओ मे भारतीय रिजर्व बैक, व्यापारिक बैक तथा स्टेट बैक आफ इण्डिया की साख एव ऋण नीतियो के साथ भारतीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक विकास निगम, भारतीय साख एव विनियोग निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैक एव राज्य वित्त निगम का योगदान है। वित्तीय सस्थाओ के योगदान मे उनकी कार्य पद्धति के सदर्भ मे यह परिलक्षित किया गया है कि औद्योगिक इकाइयॉ जो रूग्ण है, उनके सर्वेक्षण के लिए एक सयुक्त अध्ययन दल नियुक्त करने की आवश्यकता है। इस अध्ययन दल को क्षेत्रवार एवं उद्योगवार रूग्ण इकाइयों के सम्बन्ध मे अध्ययन करना चाहिए। इसके अंतिरिक्त जो इकाइयॉ लगातार 3 वर्षो से हानि पर चल रही हो एव उससे उबरने मे अपने को असफल पा रही हो, उन इकाइयो का या तो राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए या फ़िर ऐसी इकाइयो को स्वस्थ इकाइयों मे विलय कर देना चाहिए।

वर्ष 1971 में स्थापित औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक निम्न उद्योगो को सहायता प्रदान करता है : कपडा उद्योग, कागज उद्योग, रसायनिक उद्योग, खाद्य प्रसस्करण उद्योग, रबर के उत्पादन से सम्बन्धित उद्योग, मशीन निर्माण, परिवहन सयत्र, रेलो के वैगन तथा साइकिल उद्योग आदि प्रमुख हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने टेक्सटाइल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० की स्थापना की है, जिसमें औद्योगिक विकास बैक, राष्ट्रीयकृत बैको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओ द्वारा पूँजी लगायी गयी है। वर्तमान समय

में इसकी गम्भीरता तथा औद्योगिक रूग्णता की समस्या के कारण सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारो, राष्ट्रीयकृत बैको तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ से पर्याप्त सहयोग ले। वर्ष 1987-88 मे औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक द्वारा स्वीकृत तथा वितरित धनराशि 186 करोड तथा 102 करोड रूपये थी, जो वर्ष 1997-98 मे बढकर क्रमश 2061 करोड रूपये तथा 1153 करोड रूपये हो गयी है। कपडा उद्योग, औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक का लाभ अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा है। खाद्य, कागज, आधारभूत मशीनरी आदि कुल इकाइयो का दसवॉ भाग तथा कुल ऋण का पॉच प्रतिशत प्राप्त करते हैं। औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयो को कुल स्वीकृत धनराशि का दो प्रतिशत भाग ही दिया जाता है। बैक के द्वारा औद्योगिक इकाइयो के वित्तीयन मे कुल स्वीकृति राशि का 86 प्रतिशत आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक क्षमता के विविधीकरण हेतु किया जाता है। प्राप्तकर्ताओ मे 30 प्रतिशत रूग्ण इकाइयॉ, 28 प्रतिशत बकाया साख प्राप्त करने वाली इकाइयॉ गैर कार्यरत है। इन ऑकडो को सन्तोषजनक नही कहा जा सकता है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैक की स्थापना जुलाई 1964 मे भारतीय औद्योगिक विकास अधिनियम 1964 की शर्तो के अनुसार रिजर्व बैक आफ इण्डिया ने पूर्णत स्वामित्व वाली संस्था के रूप में उद्योगो के विकास के लिए ऋण एव अन्य सुविधाओ की व्यवस्था करने तथा उससे सम्बन्धित कार्यो के लिए की गयी है। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास की आवश्यकताओ को पूरा करना था। इस प्रकार यह बैंक वित्तीय सस्थाओं तथा बैको द्वारा दिए गए ऋणों का पुनर्वित्तीयन करता है। इसी के साथ राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को जुलाई 1964 से मार्च 1990 तक औद्योगिक विकास बैक ने लगभग 34000 करोड रूपये की स्वीकृति दी, जिसमें से 24700 करोड रूपये का वितरण किया गया। वर्ष 1990-2000 मे 28308 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किए गए तथा 17059 करोड रूपये के ऋणो का वितरण किया गया। यह विकासात्मक बैक एक उत्पादक तथा प्रभावकारी बैक के रूप में राष्ट्र के औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने में असफल रहा है, इसका मुख्य

कारण औद्योगिक विकास बैक का एक स्वतन्त्र सस्था के रूप मे कार्यरत न होना था। यह बैक रिजर्व बैक आफ इण्डिया के एक अग के रूप मे रखा गया, जिसका कारण भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर की प्रबन्धन सम्बन्धी असमर्थता थी। इसी के परिणामस्वरूप विकास बैक को वर्ष 1976 से स्वतत्र सस्था के रूप मे मुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएँ है। यू०पी०एफ०सी० मे 31 मार्च 2000 तक 41734 मामलो में 2787.47 करोड रूपये की धनराशि दीर्घ अवधि ऋण के रूप मे वित्तपोषित है। परन्तु विपरीत आर्थिक वातावरण तथा मदी के कारण इन वित्तीय सस्थाओ की स्थिति असन्तोषजनक है। 31 मार्च 2001 तक उत्तर प्रदेश वित्त निगम तथा पिकप की कुल हानि क्रमश 460.04 करोड रूपये तथा 172 करोड रूपये थी। इस दृष्टिकोण से इन वित्तीय सस्थाओ को नए ऋणो की अदायगी में कठिनाई महसूस हो रही है। इन वित्तीय समस्याओ का मुख्य कारण इन दोनो संस्थाओं में बढती हुई गैर उपयोगी सम्पत्तियॉ (N.P.A.) है।

भारतीय रिजर्व बैक की भूमिका औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक के अनुमोदन पर प्रत्येक व्यवपारिक तथा राष्ट्रीयकृत बैक केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकते हैं, जो औद्योगिक इकाइयों की रूग्णता पर विशेष नजर रख सकते हैं। इस संदर्भ मे रिजर्व बैक ने सुझाव दिया है कि यदि प्राप्त ऑकडों के आधार पर विश्लेषण विपरीत होता है, तो वे ऋण प्राप्तकर्ताओ से सीधे सम्पर्क स्थापित कर सकते है, जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। इस प्रकार रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के सदर्भ मे भारतीय रिजर्व बैक की भूमिका निम्न रूप मे रही है :

1. रूग्ण इकाइयों के प्रति तन्मयता से ध्यान देने के सन्दर्भ मे बैक की प्रवृत्ति को पुनर्स्थापित करना।
2. व्यवस्था को विकसित करना तथा प्रारम्भिक रूग्णता के प्रमाणीकरण हेतु बैंको को दिशा निर्देश देते रहना।

3. रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सन्दर्भ में सरकार तथा अन्य सुधारात्मक सस्थानो के मध्य समन्वय स्थापित करना।

लघु रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन के सन्दर्भ मे उत्तर प्रदेश लघु औद्योगिक निगम का कार्य पुनर्वासन पैकेज की सहायता के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयो को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करना है। इसके साथ ही साथ रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी की व्यवस्था करना तथा इन इकाइयो को समयानुसार वित्त प्रदान करना भी इस निगम का उद्देश्य है। लघु क्षेत्र को बडे पैमाने पर वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 1 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैक की स्थापना की। 1998-99 की अवधि मे सिडवी ने 8875 करोड रूपये की सहायता प्रदान की, जिसमे से 6285 करोड रूपये की वितिय सहायता का वितरण किया गया। 31 मार्च 1999 तक उत्तर प्रदेश मे कुल 357660 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयो का पंजीकरण था, जिसमे कुल 3488 करोड रूपये की पूॅजी विनियोजित थी। इन इकाइयो मे से 37293 इकाइयॉ रूग्ण थी, जिनमे 448-72 करोड रूपये की पूॅजी अवरूद्ध थी। इन रूग्ण इकाइयों मे से मात्र 6521 इकाइयो मे ही जीवनयोग्य क्षमता पायी गयी, शेष बन्द करने योग्य थी। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी 'विशेष प्राविधान' अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भारत सरकार ने जनवरी 1987 मे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की है। यह सस्था विशेषज्ञो के माध्यम से औद्योगिक कम्पनियो की रूग्णता का निर्धारण करती है तथा पुनर्वासन पैकेज के लिए योजना बनाती है अथवा उस इकाई को बिना किसी अन्य अधिनियम के हस्तक्षेप के बन्द कर देती है। इस अधिनियम का विस्तार क्षेत्र ऐसी वृहद एवं मध्यम स्तरीय इकाइयो तक है, जिनमें 50 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है तथा जिनका वर्णन भारतीय औद्योगिक नियमन अधिनियम की अनुसूची प्रथम मे किया गया है। वर्ष 1992 से इसका क्षेत्र विस्तारित करके सरकारी क्षेत्र भी इसके अन्तर्गत कर दिया गया है। यह अधिनियम लघु इकाइयों, जिनकी सीमा 1 करोड रूपये है, को सम्मिलित नही करता है। जून 2001 तक इस बोर्ड ने अपने कार्यकाल के 14 वर्ष पूरे कर लिए है तथा वर्ष

2000 तक इस बोर्ड ने 4575 रूग्णता से सम्बन्धित इकाइयो को पजीकृत किया है, जिसमे से 557 मामलो पर बोर्ड ने निर्णय देकर पुनर्वासन का प्रयास किया है।

औद्योगिक रूग्णता के निवारण मे सरकार तथा सरकारी नीतियो का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार रूग्णता का निवारण करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यदि वह औद्योगिक नीतियो मे तात्कालिक परिवर्तन न करे। वर्तमान नीति के तहत सावधि ऋणदाताओ को औद्योगिक इकाइयो की प्रबन्ध व्यवस्था मे परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। इस सम्बन्ध मे रूग्ण औद्योगिक इकाइयो मे औद्योगिक विकास बैक को यह अधिकार है कि वह पूर्णकालिक वित्तीय, तकनीक तथा वितरण सम्बन्धी निदेशको को नियुक्त कर सके। ऐसे निदेशक विकास बैंक को समय–समय पर रूग्ण इकाई के सम्बन्ध मे सूचना देते रहते है। उन दशाओ मे जहॉ वित्तीय सस्थाये या राज्य सरकार इकाइयों के राष्ट्रीयकरण करने के सिफारिश करते है तथा जहॉ ऐसा राष्ट्रीयकरण राष्ट्र हेतु मे आवश्यक हो, वहा की प्रबन्धकीय व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। इस नीति का मुख्य लक्ष्य प्रबन्धकीय अव्यवस्था तथा रूग्णता को कम करना है।

कमजोर औद्योगिक इकाइयो को रूग्ण होने से रोकने के उद्देश्य से रिजर्व बैक आफ इण्डिया ने अपने राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंको को यह सुझाव दिया कि वे औद्योगिक इकाइयॉ जिनकी पचास प्रतिशत शुद्ध पूँजी का ह्रास हो चुका है, उनके पुर्नवासन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाय। सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 के तहत औद्योगिक रूग्णता की समस्या को दूर करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की। सरकार ने 1992 मे इस अधिनियम मे संशोधन कर इसके कार्यक्षेत्र मे लोकक्षेत्र को भी ला दिया है। दिसम्बर 2000 तक बायफर के पास कुल 4575 मामले सदर्भित किए गए, जिनमे निजी क्षेत्र के 4324 मामले थे। शेष 251 मामले लोकक्षेत्र से थे, जिनमे 90 मामले केन्द्र सरकार तथा 161 मामले राज्य सरकार से सम्बन्धित थे। इनमे से 3296 मामलो का पजीकरण किया

गया, जिनमे निजी क्षेत्र के 3121 मामले थे तथा शेष 175 मामले लोक उपक्रम क्षेत्र मे से थे। इनमे से 557 मामलो को पुनर्वासन योग्य पाया गया, जिनमें 535 मामले बायफर द्वारा तथा 24 ए०ए०आई०एफ०आर० द्वारा स्वीकृत किए गए। बायफर द्वारा 824 मामलो मे उपक्रमो को बन्द करने का निर्देश दिया गया। जिनमे 789 निजी क्षेत्र तथा 35 सार्वजनिक क्षेत्र से थे। इन 35 सार्वजनिक उपक्रमो मे 13 केन्द्र सरकार के तथा 22 राज्य सरकार के उपक्रम थे।

भारत जैसे घनी आबादी वाले देश मे रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय सतुलन तथा निर्यात मे लघु उद्योगो की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की 32.25 लाख लघु इकाइयॉ लगभग 6 लाख करोड रूपये के मूल्य का उत्पादन करती है। अखिल भारतीय लघु उद्योग की गणना के अनुसार 95 प्रतिशत लघु उद्योग बहुत छोटे स्तर के है। इनकी पूॅजी सीमा को 3 करोड रूपये से घटाकर एक करोड रूपये कर देने के बाद इस क्षेत्र को कोई विशेष लाभ प्राप्त नही हुआ है। लघु उद्योग क्षेत्र की सबसे बडी समस्या बढती हुई बीमार इकाइयॉ है। 31 मार्च 1999 तक देश मे 3.06 लाख लघु इकाइयॉ थी, जिनमे 4313 करोड़ रूपये का पूॅजी निवेश था। इन इकाइयो मे 18692 इकाइयॉ ही जीवनक्षम मानी गयी, जिनको बैको का 377 करोड रूपये अदा करना था। बैको ने 271193 इकाइयों की पहचान अक्षम इकाइयो के रूप मे की जिनपर बैक का कुल 3746 करोड़ रूपये बकाया था।

लघु उद्योग क्षेत्र मे बैकर को एक परीक्षक के रूप मे देखा जाता है, न कि एक विकास सहयोगी के रूप मे। लघु इकाइयो का तकनीकी आधार काफी कमजोर है। अधिकतर लघु इकाइयॉ असगठित क्षेत्र में हैं। अत इनमे तकनीकी सुधार तथा गुणवत्ता नियत्रण के प्रति उचित ध्यान नही दिया जाता है। इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 837 मदों को आरक्षित किया गया है। इसका उद्देश्य छोटी इकाइयों को बडी इकाइयो से मिलने वाली प्रतिस्पर्धा से बचाना था। 1997 मे इनमें से 15 मदो का आरक्षण हटा लिया गया। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादो की कीमत मे 15 प्रतिशत प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार 409 मदो की वस्तुओं की खरीद पर

भी प्राथमिकता दी जाती है। सरकार लघु उद्योग की ऋण आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उपलब्ध कोष मे से 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयो को, जिनका संयंत्र व मशीनरी मे अधिकतम निवेश 5 लाख से 25 लाख के मध्य हो तथा शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु इकाइयो को देना अनिवार्य है। औद्योगिक विस्तार में समन्वय तथा एकल क्षेत्रीय सेवा सस्थान के रूप मे कार्य करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रो की स्थापना की गयी है। 1997-98 के बजट मे लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट योजना का सरलीकरण किया गया तथा छूट सीमा को बढाकर 75 लाख रूपये से 100 लाख रूपये कर दिया गया है। 30 लाख रूपये तक की निकासी को उत्पाद शुल्क से पूर्णत मुक्त रखा गया है, जबकि 30 से 50 लाख के मध्य तथा 50 से 100 लाख की मध्य के निकासी पर क्रमश 3 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है।

रूग्ण इकाइयों की परिभाषा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नायक कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुतियो को ध्यान मे रखते हुए वर्ष 1993 मे सशोधन किया गया है, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। जो निम्न हैं ·

1. "इकाई का कोई ऋण खाता संदिग्ध हो गया हो अर्थात इसके किसी ऋण खाते का मूलधन या ब्याज ढाई वर्ष से अधिक अतिदेय रहा हो।
2. सम्भावित नगद हानियो के कारण पूर्ववर्ती दो लेखा वर्षो के दौरान इसके वास्तविक मूल्य में अधिकतम वास्तविक मूल्य का पचास प्रतिशत या अधिक का क्षरण हुआ हो।"

रूग्ण इकाइयो को सुविधा प्रदान करने तथा समस्याओ के निराकरण के लिए मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मे प्रदेश सरकार द्वारा मण्डलीय पुनर्वासन समिति का गठन किया गया है। यह समिति विभिन्न विभागो मे समन्वय स्थापित कर रूग्ण इकाइयो की समस्याओ का निराकरण करती है। इस समिति के कार्यकलापो का अनुसरण करने हेतु सचिव लघु उद्योग की अध्यक्षता मे राज्य स्तरीय कमेटी का गठन

किया गया है। पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत गैर लाभकारी इकाइयो का विनिवेशीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता मे सुधार के लिए प्लाण्ट एव मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा मरम्मत की जाती है। जिससे उस इकाई का उत्पाद वर्तमान प्रतियोगी बाजार में अन्य विदेशी तथा घरेलू इकाइयो के उत्पादो के सामने टिक सके। लघु औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन के लिए मार्जिन मनी योजना लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकार प्रत्येक रूग्ण इकाई को 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। रूग्णता की बढती हुई प्रवृत्ति को व्यक्तिगत रखते हुए प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाइयो के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एवं गुणवत्ता के सुधार हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग आधुनिकीकरण योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना को गठित निधि हेतु सरकार से प्राप्त धनराशि को ब्याजदेयो सस्था मे जमा कर उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि पर सचालित किया जाना प्राविधानित है।

मध्यम एव वृहद रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के पुनर्वासन के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैक के साथ मिलकर कई कदम उठाए हैं। रिजर्व बैक आफ इण्डिया के बैकिग तथा विकास विभाग मे समन्वय समितियों की स्थापना की गयी है। इनका उद्देश्य बैको केन्द्र तथा राज्य स्तरीय वित्तीय सस्थाओ, राज्य सरकार तथा अन्य संगठनो को औद्योगिक विकास मे प्रवृत्त करना है। भारतीय रिजर्व बैक के वित्त विभाग की अध्यक्षता में स्टैण्डिंग समन्वय समिति की स्थापना की गयी है जो वाणिज्यिक बैको तथा टर्म लेण्डिग सस्थाओ के मध्य उठने वाले विभिन्न बिन्दुओ पर समस्याओ को सुलझाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैक के पुनर्वास वित्त प्रभाग मे एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। यह प्रकोष्ठ रूग्ण इकाइयो द्वारा जो समस्याएँ बैंकों को उत्पन्न होती है उनकी सुनवाई करता है। इसके अतिरिक्त रूग्णता के कारणो को चिन्हाकन तथा विभिन्न पुनर्वास योजनाओ को भलीभॉति लागू करता है। उद्योग मत्रालय के सचिव की अध्यक्षता मे एक स्क्रीनिग कमेटी का गठन किया गया है, जो रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के सन्दर्भ में सरकार द्वारा किए गए उपायो

मे समन्वय स्थापित करती है। रूग्ण इकाइयो से सम्बन्धित एक तिमाही रिपोर्ट, जिसमे लघु उद्योग क्षेत्र भी शामिल है, सभी वाणिज्यिक बैको को रिजर्व बैक आफ इण्डिया के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ससद के विशेष अधिनियम द्वारा औद्योगिक पुनर्निर्माण बैक की स्थापना की गयी है। यह बैक पुनर्निर्माण एजेसी के रूप मे औद्योगिक पुनर्वासन के लिए कार्य करता है। यह बैक अन्य सस्थाओ के कार्यो मे समन्वय भी स्थापित करता है। 27 मार्च 1997 से यह बैक एक कम्पनी के रूप मे भारतीय औद्योगिक निवेश के नाम से जाना जाता है।

रूग्ण औद्योगिक कम्पनियो के पुनर्जीवन की प्रक्रिया मे तेजी लाने तथा श्रमिक हितो की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 मे सशोधन हेतु अगस्त 2001 मे प्रस्तुत नए अधिनियम मे एक "इनसाल्वेसी फण्ड" के साथ–साथ नेशलन कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस कानून के प्रभावी होने से कम्पनी की रूग्णता, पुर्नसरचना, इनके दिवालिया होने तथा इन्हे बन्द कर देने सम्बन्धी सभी मामले इसके अन्तर्गत आयेगे।

वर्तमान प्रभावी रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम 1985 निष्प्रभावी हो जाएगा। इस ट्रिब्यूनल की सम्पूर्ण भारत मे 10 पीठें होगी, जबकि इसकी अपीलीय पीठ दिल्ली मे स्थापित की जाएगी। अपीलीय पीठ के निर्णयो के विरूद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय मे दायर की जा सकेगी। नए अधिनियम के तहत किसी कम्पनी को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तभी कहा जाएगा, जब विगत् लगातार चार वर्षो में से किसी एक या अधिक वर्षो मे वित्तीय वर्ष के अन्त मे इसकी सचित हानि इसकी नेटवर्थ का 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा/अथवा जो लगातार तीन तिमाहियो तक अपने ऋण दाताओ को अपने देयो का भुगतान करने में असफल रही हो। इन सभी उपायो के अतिरिक्त सरकार द्वारा औद्योगिक रूग्णता के निवारण समय–समय पर विभिन्न समितियॉ गठित की है। इनमे टण्डन समिति, राय समिति, तिवारी समिति, गाडगिल फार्मूला, गोस्वामी समिति तथा इराडी समिति प्रमुख है।

परिकल्पना की पुष्टि :-

औद्योगिक रूग्णता की समस्या वर्ष 1960 के पश्चात सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग तथा चीनी उद्योग से प्रारम्भ हुई। वर्तमान समस्या ने देश के अन्य उद्योगो को भी प्रभावित किया है। तालिक सख्या 4.1 से प्राप्त ऑकडो के आधार पर वर्ष 1980 मे कुल 24550 औद्योगिक इकाइयॉ रूग्ण थीं, जो मार्च 1999 मे बढकर 3,09,013 हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 1980 मे रूग्ण इकाइयो मे अवरूद्ध धनराशि 1809 करोड़ रूप्ये थी, जो मार्च 1999 मे बढकर 19,464 करोड़ रूपये हो गयी। ऑकडो के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि लघु औद्योगिक इकाइयो में वृहद् उद्योगो की तुलना मे रूग्णता अधिक तेजी से बढी है। लघु औद्योगिक रूग्ण इकाइयो मे 4,314 करोड रूपये (22.2%) अवरूद्ध थे, जब कि वृहद् एव मध्यम इकाइयो मे यह राशि 15,150 करोड रूपये (77.8%) थी। वृहद् एवं मध्यम इकाइयो मे, जिनमे निजी, सार्वजनिक तथा संयुक्त/सहकारी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयॉ शामिल है, में क्रमश 11,493 करोड रूपये, 2,939 करोड़ रूपये तथा 703 करोड रूपये/15 करोड़ रूपये की बैक साख अवरूद्ध थी। सख्या की दृष्टिकोण से लघु औद्योगिक क्षेत्र मे 3,06,221 इकाइयॉ तथा वृहद् औद्योगिक क्षेत्र 2,792 इकाइयॉ रूग्ण अवस्था में पायी गयी। मध्यम एव वृहद् औद्योगिक क्षेत्र की कुल रूग्ण इकाइयो मे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा सयुक्त/सहकारी क्षेत्र में क्रमश 2,363, 263 तथा 154/12 इकाइयॉ रूग्ण पायी गयी। तालिका सख्या 4 1, 4.2, 4.9, 4.10, 4.15 तथा 4.16 से इस परिकल्पना की पुष्टि होती है कि भारत तथा प्रदेश में औद्योगिक रूग्णता मे लगातार वृद्धि हुई है। तालिका सख्या 2.1 से 2.10 तथा 3.1 से 3.10 तक के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पंचवर्षीय योजनावधि मे भारत तथा उत्तर प्रदेश दोनो का, निरन्तर औद्योगिक विकास हुआ है।

6 वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक रूग्णताके निवारण मे दिए गए योगदान के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि इन वित्तीय संस्थाओ द्वारा रूग्णता निवारण के लिए

प्रयास तो किए गए है लेकिन वित्तीय सस्थाओ द्वारा अपर्याप्त मात्रा मे विलम्ब से वित्त प्रदान किए जाने से प्रयास अधिक सार्थक नही हो पाए हैं। इसी प्रकार सरकार द्वारा समय–समय पर गठित समितियो तथा लागू योजनाओ, जिनमें सरक्षण आदि प्रमुख है, से रूग्ण इकाइयों को लाभ मिला है। परन्तु वर्तमान वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के युग मे सरकार द्वारा भारतीय उद्योगो से सरक्षण हटाने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियो को मुक्त व्यापार की छूट देने से रूग्णता में वृद्धि हो रही है। अत· सरकार को उदारीकरण की नीति के रूग्ण उद्योगो को ध्यान मे रखकर बनानी चाहिए।

सुझाव :-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध से प्राप्त उपलब्धियो और रूग्णता सम्बन्धी विभिन्न पहलुओ के विश्लेषण के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते है। रूग्ण औद्योगिक इकाइयो मे उच्च कोटि के प्रतिस्पर्धी उत्पाद के लिए कच्चे माल को समयानुसार उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध मे सरकार तथा वित्तीय सस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।

अधिकाश उद्योग वित्त के अभाव मे ही रूग्ण हो गए है। अधिकाश रूग्ण इकाइयॉ वित्तीय संस्थाओ एव बैक द्वारा प्राप्त करने वाली इकाइयॉ है। इनको आवश्यक पूरी पूँजी एक साथ उपलब्ध नही की जाती है तथा पूँजी की मात्रा भी कम रहती है। अत पूर्ण वित्त के अभाव मे सक्षम उत्पादन न कर पाने के कारण ये रूग्ण हो जाती है। अत वित्तीय सस्थाओ और बैको द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण प्रर्याप्त मात्रा मे तथा कम समय मे ही उपलब्ध कराए जाये तथा वित्त प्राप्त करने वाले प्रावधानो की सरल एव बोधगम्य बनाया जाय। रूग्णता की स्थिति मे पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत भी एक महीने के निर्धारित समय से कई महीने या वर्ष लग जाते है। बैक एव वित्तीय संस्थाओ द्वारा एक कार्यदल का गठन किया जाय जो समय–समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानो का निरीक्षण करे तथा आवश्यक सुझाव दे जिससे इकाइयॉ रूग्ण न होने पाये।

ऊर्जा या शक्ति की कमी उद्योगो को रूग्णता की श्रेणी मे खडी करती चली जा रही है। यदि शक्ति/विद्युत का उचित उपचार नही किया गया तो रूग्णता की स्थिति और अधिक जटिल बना देगी। उद्योगो को रूग्णता से बचाने के लिए विद्युत केन्द्र खोलो जाये ऊर्जा की कमी से रूग्ण होने वाली इकाइयो को तुरन्त ऊर्जा या जनरेटर की व्यवस्था की जाये। लघु उद्योगो को जनरेटर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इससे उत्पादन लागत मे भी वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप रूग्णता भी बढ सकती है। लघु उद्योगो को अदा करने मे कोई कठिनायी

न हो। सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानो मे अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाय अथवा सौर ऊर्जा स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उद्योग भी व्यर्थ शक्ति बरबाद न करे। विद्युत की बचत से विद्युत का उत्पादन होगा जो उद्योगो के काम मे आएगी। अत इस प्रकार उद्योगो को रूग्णता से बचाया जा सकता है और भविष्य मे विद्युत की कमी से होने वाली रूग्णता से बचा जा सकता है।

मॉग के अभाव मे इकाइयॉ रूग्ण हो जा रही है। अत रूग्णता न होने देने के लिए उद्योगो द्वारा उत्पादित मालो की मॉग बढायी जानी चाहिए। इसके लिए निदेशालय द्वारा एक विक्रय सस्थान खोला जाना चाहिए जहॉ ऐसी इकाइयो द्वारा उत्पादित मालो का ही विक्रय हो। उद्यमियो को अपने उत्पादों के लिए उचित किस्म तथा कम मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेलो, प्रदर्शनियो आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे उद्यमी अपने उत्पादो को सामने ला सके और बिक्री मे वृद्धि हो सके।

उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रूग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य मे रोका जा सकता है। कभी–कभी उत्पादन क्षमता मे कभी सयत्रो की कमी, या संयत्रों के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन क्षमता को बढाने के लिए उद्यमियों को अपने सयत्रों का उचित रख–रखाव करना चाहिए। तथा समय–समय पर जॉच पडताल करना चाहिए। यदि उत्पादन मे कमी सयत्रो मे कमी के कारण हो रही है तो अविलम्ब उसकी पूर्ति करना चाहिए।

गुण नियत्रण के अभाव के कारण रूग्ण उद्योगो को बचाने के लिए जिला उद्योग केन्द्रो द्वारा संचालित गुण चिन्हाकन योजना के द्वारा तुरन्त लाभान्वित किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी लघु उद्योगो को चिन्हाकन योजना की तहत लाया जाय या उनके लिए अनिवार्य बनाया जाये। जनपद मे एक ही केन्द्र पर सभी प्रकार की वस्तुओ का चिन्हांकन किया जाय। इसके अतिरिक्त निश्चित समय पर उनका पुन निर्धारण किया जाय और उनकी गुणवत्ता बढाने का प्रयास किया जाय।

यदि उद्योग के प्रबन्धक के पास प्रबन्धकीय निर्देशन, नियत्रण, वित्तीय मामलो से सम्बन्धित और कार्यक्षमता नही है तो उसका उपयोग नहीं कर पाते और इकाई रूग्ण होती चली जाती है। इस प्रकार की रूग्णता की रोकथाम के लिए वित्तीय सस्थाओ एव बैको द्वारा केवल उन्हीं उद्यमियो को ऋण दिया जाय, जो किसी मान्यता प्राप्त सस्थानो से प्रबन्धकीय योग्यता प्राप्त हो। उद्यमी प्रबन्धकीय क्षमता का उचित प्रयोग कर अपने उद्योगो मे रूग्णता को आने नही देता है। जिला उद्योग निदेशालय द्वारा भी उद्यमियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्यमियो को इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो और निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाय।

समाज मे ऐसी घटनाएँ घटती रहती है जिससे उद्योगो को भारी क्षति पहुँचती है। इस असम्भावित को टाला नही जा सकता है। इस प्रकार से होने वाली रूग्णता से बचाव के लिए उद्योग निदेशालय या अन्य ऐसी किसी सस्था का निर्माण करे जो केवल लघु उद्योगो का बीमा कराये।

उद्योगों की रूग्णता का मनोवैज्ञानिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारण ही सभी प्रकार की रूग्णता का आधार है। प्रबन्धको को दूसरो तथा श्रमिको के साथ सौहार्द्रैपूर्वक सम्बन्ध बनाए रखना चाहिए। मानवीय सम्बन्ध श्रमिको के मनोबल, कार्य–प्रेरणा एवं सहयोग की भावना को प्रेरित करती है। अत प्रबन्धकों द्वारा श्रमिको को जीवन निर्वाह हेतु उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुविधाएँ, उचित आचरण, अवकाश आदि की सुविधाएँ देकर इस प्रकार की रूग्णता से बच सकते है।

सारांशत यह कहा जा सकता है कि वित्तीय एजेन्सियो के लिए औद्योगिक रूग्णता एक अल्पकालिक समस्या है तथा यह समस्या स्थायी हो तो इसका समाधान वित्तीय संस्थाओं के हाथ मे नही है। सभी तरह के समाज मे आर्थिक समृद्धि तथा तकनीकी परिवर्तन ऐसी स्थितियो को उत्पन्न करते है, जिसमे नई वास्तविकता के सन्दर्भ मे औद्योगिक इकाइयॉ अपने को समायोजित करती है। वित्त इस समायोजन का एक अग है। इस प्रकार औद्योगिक रूग्णता एक समस्या है तथा सामान्य रूप से

औद्योगिक नियोजन के साथ इसको जोडने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय, सतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक नियोजन तथा सतुलित क्षेत्रीय विकास के नाम पर अनेक गलत निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है। जिसका प्रभाव औद्योगिक विकास को कम करने मे है। अत भारत जैसे विकासशील देश मे स्वस्थ औद्योगिक विकास का आधार आर्थिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त नीतियॉ, जैसे वित्तीय, मौद्रिक तथा आर्थिक को क्रियान्वित करना चाहिए। प्रायः व्यक्तिगत इकाइयॉ कच्चेमाल का मूल्य, मजदूरी का निर्धारण, श्रमिकों के अन्य प्रकार के लाभो एव निर्मित मूल्य के नियत्रण आदि से सम्बन्धित भ्रमित नीतियो के कारण रूग्ण हो जाती है।

पुनर्वासन का कार्य शान्ति, दृढता तथा सयोग से सम्बन्धित है। दो रूग्ण इकाइयो मे न तो एक जैसी परिस्थितियॉ होती है और न ही प्रबन्धकीय व्यवस्था। अत पुनरूत्थान प्रक्रिया मे लगी हुयी सस्थाओ को एक इकाई के पुनर्वासान के बाद ही दूसरी इकाई को लेना चाहिए। इकाई की कार्य पद्धति सम्बन्धी निम्न बातो को ध्यान मे रखा जाना चाहिए।

1. क्या सम्बन्धित इकाई के अन्तिम उत्पाद के कार्य को बन्द कर देना चाहिए? तथा मध्यस्थ उत्पाद को खरीदना चाहिए। इस प्रकार अधिक अच्छा उत्पादन को करना चाहिए।

2. क्या कच्चे माल को पूरी तरह बदल देना चाहिए?

3. क्या उत्पादन प्रक्रिया मे पूर्णत· परिवर्तन की आवश्यकता है?

4. क्या पुनर्वासन सम्बन्धकी कार्य पूरी औद्योगिक इकाइयो मे अथवा ऐसे कुछ क्षेत्रो मे किया जाना चाहिए। यदि पूरी औद्योगिक इकाइयो मे पुनर्वासन करना हो तो वर्तमान उपकरणों के बदलने से कोई लाभ नही होगा।

प्रत्येक राज्य मे एक सस्था, जो औद्योगिक पुनर्वासन से सम्बन्धित हो, का गठन किया जाय, जिससे वित्तीय विशेषज्ञ, विपणन तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ एव इजीनियर

हो, जो औद्योगिक रूग्णता के के लिए अधिकतर वित्तीय दृष्टिकोण से देखा गया है। परन्तु किसी भी रूग्ण इकाई के पुनर्वासन के लिए जब तक पर्याप्त विपणन तथा बाजारी दशाओ पर विचार नही किया जाता है तब इन इकाइयो मे रूग्णता की समस्या बनी रहेगी।

बायफर की भूमिक़ा मे संशोधन की आवश्यकता है, ताकि वह बीमार उद्योगो को समेटने मे सहायता करे, न कि पुनर्वास संस्था की तरह व्यवहार करे। समिति ने अपनी रिपोर्ट मे यह भी कहा है कि रूग्ण इकाइयों मे प्रबन्ध परिवर्तन को सम्भव बनाने के लिए कम्पनी अधिनियम मे संशोधन किया जाना चाहिए।

नगरीय भूमि सीमा कानून मे परिवर्तन किया जाना चाहिए, जो औद्योगिक रूग्णता का एक प्रमुख कारण है भूमि बेचकर कम्पनी ससाधन जुटा सकती है तथा वे कम्पनियॉ, जिन्हें चला पाना सम्भव न हो, उनकी भूमि बेचकर उनकी अच्छी कीमत प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त श्रमिको के पुर्नसयोजन से सम्बन्धित राज्य सरकार की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नही होनी चाहिए, चूँकि वर्तमान व्यवस्था के कारण रूग्ण इकाई को बन्द करने अथवा श्रमिको की छँटनी करने मे विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त बायफर को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बन्द कारखाने की सम्पत्ति को बेचकर उसका मूल्य उच्च न्यायालय मे जमा करा सके और बाद मे उच्च न्यायालय उसका वितरण दावेदारो के मध्य कर सके।

औद्योगिक इकाइयो मे रूग्णता की समस्या के निदान के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए। औद्योगिक रूग्णता तथा रूग्ण इकाइयो के पुनर्वासन के सन्दर्भ मे अनके महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है। इसमे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उद्योगों मे रूग्णता के लक्षण परिलक्षित होते ही इसके निदान के लिए उचित समय पर उचित सहायता वित्तीय सस्थाओ द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। फिर भी यदि

इकाइ रूग्ण हो गयी है, तो उसको स्वस्थ इकाई मे सविलयन कर देना चाहिए। यदि रूग्ण इकाई का सवियलन नही किया जाता है, तो इकाई का प्रबन्ध सरकार को आपने हाथो मे ले लेना चाहिए।

वर्तमान उदारीकृत अर्थव्यवस्था में भारतीय उद्योगो को रूग्णता से बचाने के लिए एक अन्य उपाय क़िया जा रहा है, जिसे विनिवेश प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि सरकारी'प्रबन्ध मे भ्रष्टाचार, लालफीताशाही आदि कमियॉ विद्यमान है। अत विनिवेश के द्वारा सार्वजनिक उद्योगो को निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

	लेखक का नाम	पुस्तक का नाम
1	जे०एन० मिश्रा	भारतीय अर्थव्यवस्था
2.	दत्ता एव सुन्दरम्	भारतीय अर्थव्यवस्था
3.	मेमोरिया एव जैन	भारतीय अर्थशास्त्र
4	मिश्रा एव पुरी	भारतीय अर्थव्यवस्था
5.	के०सी० श्रीवास्तव	प्राचीन भारत का इतिहास एव सस्कृति
6.	विमल चन्द्र पाण्डेय	प्राचीन भारत का इतिहास
7.	हरिश्चन्द्र वर्मा	मध्यकालीन भारत का इतिहास
8.	आर०सी० मजूमदार	आधुनिक भारत का इतिहास
9.	बिपिन चन्द्र	स्वतंत्रता सघर्ष
10.	डॉ० जैन एव सोलकी	उत्तर प्रदेश का परिचय
11	डॉ० बद्रीविशाल त्रिपाठी	भारतीय अर्थव्यवस्था
12.	एस०एन० श्रीवास्तव	भारत का सविधान

पत्र-पत्रिकाएँ एवं जर्नल

1. योजना
2. उत्तर प्रदेश मे औद्योगिक विकास
3. प्रगति समीक्षा, उत्तर प्रदेश
4. एनुअल प्लान, उत्तर प्रदेश
5. लघु उद्योग समाचार
6. करेसी एण्ड फाइनेन्स
7. भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण
8. चार्टर्ड सेक्रेटरी
9. बैकिग स्टैटिस्टिक्स
10. साख्यिकीय डायरी
11. टाटा सर्विसेज लिमिटेड
12. कामर्स जर्नल
13 औद्योगिक रूग्णता योजना
14. दि जर्नल आफ इस्टीट्यूट आफ पब्लिक इण्टरप्राइजेज
15. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा
16. करेसी एण्ड फाइनेन्स

रिपोर्ट

1. भारत सरकार – प्लानिग कमीशन ड्राफ्ट
प्रथम पचवर्षीय योजना (1951-56)
द्वितीय पचवर्षीय योजना (1956-61)
तृतीय पचवर्षीय योजना (1961-66)
वार्षिक योजना (1966-69)
चौथी पचवर्षीय योजना (1969-74)
पॉचवी पचवर्षीय योजना (1974-78)
छठीं पचवर्षीय योजना (1980-85)
सातवी पंचवर्षीय योजना (1985-90)
आठवी पंचवर्षीय योजना (1992-97)
नवी पचवर्षीय योजना (1997-2002)

2. भारतीय रिजर्व बैक, रिपोर्ट आन करेसी एण्ड फाइनेन्स (1998, 99, 2000, 2001)

3. एनुअल रिपोर्ट आन आई०डी०बी०आई०, 2000

4. रिपोर्ट आफ सबवर्किग ग्रुप, कान्स्टीट्यूटेड बाई यू०पी० गवर्नमेण्ट, आन रिहैबीलिटेशन आफ सिक यूनिट्स इन यू०पी०, 2002-2007

5. रिपोर्ट आफ एस०एल०आई०सी० एण्ड सिडबी, 2000

6 उद्योग निदेशालय, कानपुर